खण्ड-383, अंक-3
गुरूवार, 10 पौष, शक संवत् 1909
(31 दिसम्बर, 1987 ई0)

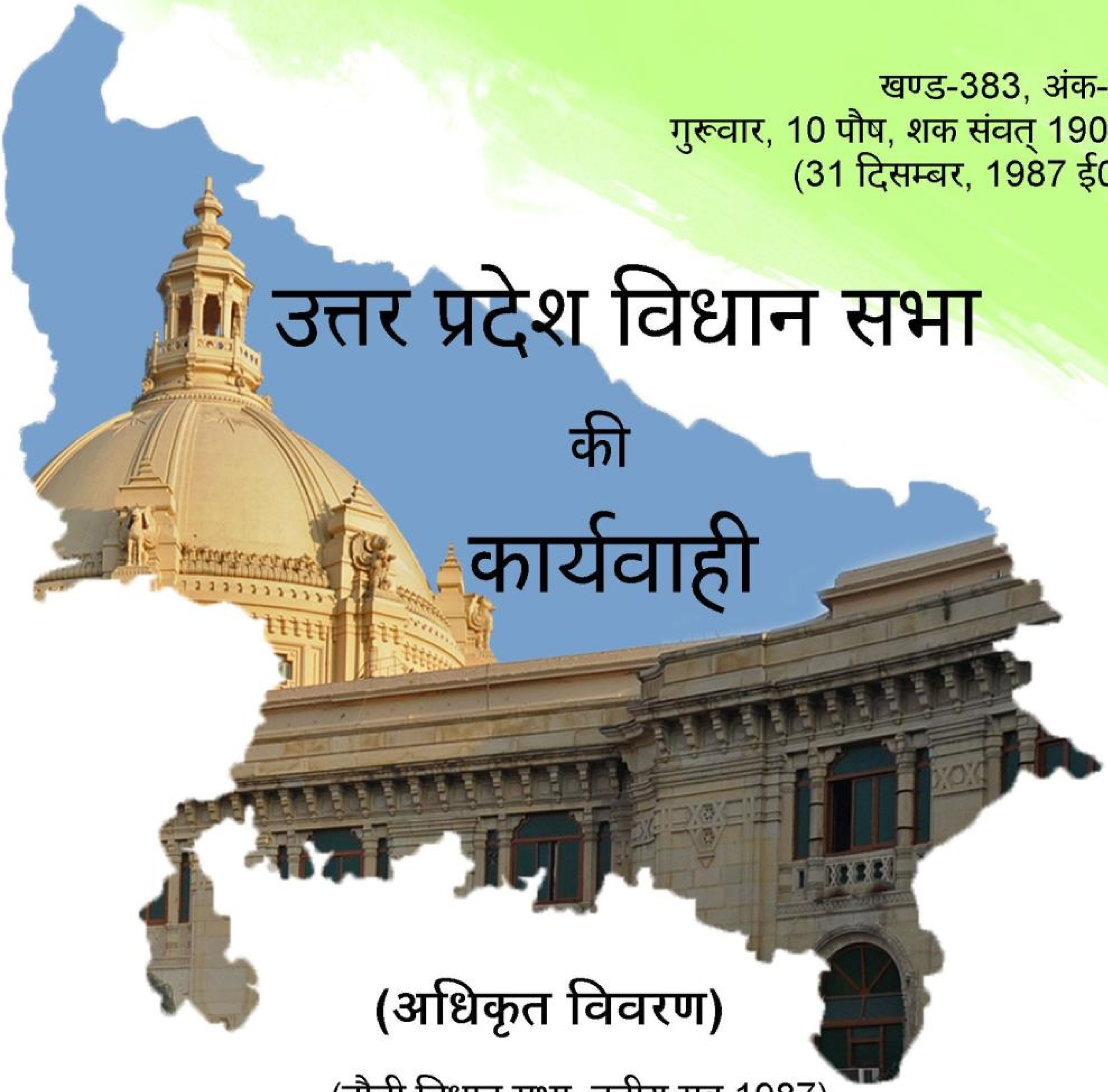

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, तृतीय सत्र 1987)

खण्ड 383 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–88
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	88–89
उत्तर प्रदेश राज्य निगम चीनी मिल, नेकपुर, बरेली में किसानों का शोषण किए जान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
बस्ती जनपद में सन्त कबीर सहकारी कताई मिल की बन्दी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89–90
दादरी नोएडा मार्ग का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
रत्ना शुगर मिल जिला जौनपुर में बन्दी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90–91
चुनार सीमेंट फैक्ट्री में प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
इटावा जनपद के लखना क्षेत्र में चम्बल क्वायरी नदी के मध्य क्षेत्र में सूखा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
कानपुर से बाहर स्थित सूती मिलों के मजदूरों को 60 रुपए प्रतिमाह वेतन बढ़ोत्तरी के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	92–96
आज की कार्यसूची की मद संख्या 3 व 4 को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति	96–98
यू0पी0 स्टेट एग्रो0 इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1979–80 (पटल पर रखा गया)	98
यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1980-81 (पटल पर रखा गया)	98
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984–85 का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार (पटल पर रखा गया)	98
दि इंडियन टर्पेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की इक्सठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1984–85 (पटल पर रखी गयी)	99
आज की कार्यसूची की मद संख्या 7 व 8 को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति	99
उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 (पटल पर रखी गयी)	99
उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978, उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 एवं उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1986 (पटल पर रखी गयी)	100

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 100

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति 1986-87 का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 101

लोक लेखा समिति 1986–87 का पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया) 101

प्राक्कलन समिति का विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) 102

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 102–141

वर्ष 1987–88 के अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किए गए) 141

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) 141–145

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (जारी) 145–146

कार्य-स्थगन की शेष सूचनाओं को भी लिए जाने की माँग 147–150

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 150–155

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प वक्तव्य (अस्वीकृत) 155–156

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित) 156–178

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधयेक, 1987 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) 178–198

विशेषाधिकार हनन् तथा सदन की अवमानना के मामलों में श्री अध्यक्ष का निर्णय . 198–199

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 199

नत्थियां 200–211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
अलमेलु अम्माल कुमारी	बस्ती	राजा मोहम्मद अमीर	
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	शशि शर्मा, श्रीमती	देवरिया
कमाल अहमद रिजबी, श्री	खीरी	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर
काजी कलीमुर्रहमान, श्री	आजमगढ़	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	फैजाबाद
प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बहादुर सिंह, श्री	आगरा	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री मुलायम सिंह यादव तत्कालीन नेता विरोधी दल, विधान परिषद् पर हुए प्राण घातक हमले की जांच

*1—श्री राम आसरे वर्मा,
श्री विजय सिंह राणा,
श्री रघुबर दयाल वर्मा तथा
श्री फजलुल बारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984 में श्री मुलायम सिंह यादव तत्कालीन नेता विरोधी दल, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के ऊपर मैनपुरी जिले में हुए प्राण घातक हमले की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के आधार पर मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)—

वर्ष 1984 में श्री मुलायम सिंह यादव तत्कालीन नेता विरोधी दल विधान परिषद् उ0 प्र0 के ऊपर मैनपुरी में हुए घातक हमले से संबंधित अभियोग की विवेचना उत्तर प्रदेश शासन के अनुरोध पर सी0 बी0 आई0 द्वारा की जा रही है । चूंकि अब यह मामला भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में पहले सी0 आई0 डी0 से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 से जांच करायी गयी थी, सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट में यह मामला सिद्ध नहीं हुआ था ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, अब यह मामला सी0 बी0 आई0 के पास विचाराधीन है । सी0 आई0 डी0 की जांच की फाइंडिंग्स मैंने बतायी । जांच जो हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो एफ0 आई0 आर0 हुई है, जो मामला बताया गया है, वह प्रमाणित नहीं होता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जांच रिपोर्ट में अंतिम रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को यह विधिवत रूप से बता दिया गया कि प्रथम सूचना जो अंकित की गयी, उसका प्रमाण प्रमाणित नहीं होता है, तो किस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार में सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का अनुरोध किया ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सी0 बी0 आई0 को संदर्भित बिन्दु क्या है जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह महसूस किया कि सी0 आई0 डी0 जांच संतोष जनक नहीं है ? माननीय मंत्री जी उन संदर्भित बिन्दुओं पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस घटना के बाद राज्य सभा में श्री सत्यप्रकाश मालवीय ने इस प्रश्न को उठाया था । इस प्रश्न के बाद, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर, उत्तर प्रदेश शासन ने सी0 बी0 आई0 से जांच का अनुरोध भारत सरकार से किया था । क्योंकि सी0 बी0 आई0 जांच में भारत सरकार की अनुमति जरूरी है । उसमें विलम्ब हो रहा था, भारत सरकार ने इस जांच के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की थी कि मामला कोई गम्भीर प्रतीत नहीं होता है, अतः सी0 आई0 डी0 की जांच कराने के आदेश दिये गये थे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा तो एक सीधा सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की. . . .

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप कैसे खड़े हो गये, मैंने तो आपको नहीं बुलाया ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं ही भारत सरकार से यह अनुरोध किया कि इस पर सी0 बी0 आई0 की जांच करा ली जाय, तो सी0 आई0 डी0 की जांच का कोई महत्व रह ही नहीं जाता और तब मंत्री से जो प्रश्न का उत्तर दिया है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या परम्परागत तरीके से उनका यह उत्तर ठीक है कि सी0 बी0 आई0 की जांच भी हो रही है, और सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट को भी यह पटल पर रखने को तैयार हैं ? मान्यवर, यह औचित्य पूर्ण नहीं है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर को संशोधित कर लें । जब सी0 बी0 आई0 की जांच हो रही है तो सी0 आई0 डी0 की जांच का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मेरे बताने में या तो कोई भ्रम हो, या फिर इनके समझने कोई भ्रम हुआ है । जिस समय राज्य सभा में श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने प्रश्न उठाया था, उसके बाद सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये भारत सरकार को लिखा गया । तब भारत सरकार ने इस घटना की जांच कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की, ऐसी स्थिति में सी0 आई0 डी0 की जांच कराना ही एक मात्र विकल्प रह जाता था, और तब उसके आदेश दिये गये ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को सी0 बी0 आई0 की जांच के लिए लिखा था और भारत सरकार ने सी0 बी0 आई0 की जांच कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की । जबकि सी0 आई0 डी0 की जांच में यह सिद्ध हुआ कि जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी थी, वह झूठी थी । तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या एफ0 आई0 आर0 झूठी थी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 लगाई गयी थी, उसी एफ0 आई0 आर0 के आधार पर ही सी0 बी0 आई0 की जांच हो रही है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सी0 आई0 डी0 की जांच पर संतुष्ट न होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से करा ली जाय ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जब राज्य सभा में यह सवाल उठा था और सी0 बी0 आई0 जांच की मांग की गयी थी, तब ही उनसे जांच कराने का अनुरोध किया गया था ।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी उत्तर देने में कन्फ्यूज हैं क्योंकि जब राज्य सभा में श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने यह प्रश्न उठाया था, इसलिए भारत सरकार ने यह उचित नहीं समझा, लेकिन मंत्री जी के अनुसार जांच के आदेश तभी दिये गये थे । मैं कहना चाहता हूं कि तथ्यों को छिपाया जा रहा है और जबकि यह सही नहीं है । आप सिर्फ यह बता दें कि ऐसी बात है या नहीं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, न तो किसी तथ्य को छिपाया जा रहा है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है । मान्यवर, सीधी सी बात है कि जब यह घटना हुई और राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया गया, तब सी0 बी0 आई0 की जांच की अनुमति मांगी गई । जब भारत सरकार ने अपनी सहमति देने में बहुत विलम्ब कर दिया तो सी0 आई0 डी0 से जांच कराना आवश्यक हो गया । सी0 बी0 आई0 से जांच कराने के लिए जो अनुरोध किया गया और उन्होंने जांच करना स्वीकार कर लिया, इसलिये सी0 बी0 आई0 अपनी जांच कर रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किन-किन बिन्दुओं पर जांच हेतु मामला सी0 बी0 आई0 को भेजा गया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बताया तो, कि एफ0 आई0 आर0 के आधार पर ही मामला सी0 बी0 आई0 को भेजा गया ।

श्री सुख पाल पाण्डे–

राज्यसभा में मामला उठाया गया और सी0 बी0 आई0 से जांच करने के लिए मना कर दिया गया । यहां पर सी0 आई0 डी0 की जांच हुई । सी0 आई0 डी0 ने जांच के बाद किन-किन बिन्दुओं को उजागर किया, जिन पर जांच हेतु आपने मामला सी0 बी0 आई0 को दिया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 के आधार पर ही जांच हो रही है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, राज्य सभा से सी0 बी0 आई0 की जांच की मनाही हो गई । सी0 आई0 डी0 की जांच चली । सी0 आई0 डी0 की जांच में यह निकला कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सी0 बी0 आई0 के जांच के आदेश किए थे । मुख्य मंत्री जी ने सी0 बी0 आई0 से जांच हेतु जो आदेश किए थे क्या वह किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर किए थे । दूसरा, यह कि सी0 आई0 डी0 ने जांच की । अब इसमें दो रिपोर्ट हो जाती हैं । एक तो यह कि चार्जशीट लगाई होगी दूसरा, यह कि फाईनल रिपोर्ट लगायी होगी, इसे माननीय मंत्री जी बतायें । यदि फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तो उसमें क्या बात कही गई थी कि ये-ये तथ्य साबित नहीं हुए थे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का जो प्रथम अंश है, उसका उत्तर तो यह है कि जब राज्य सभा में मांग की गई थी कि सी0 बी0 आई0 से जांच हो, मुख्य मंत्री जी ने भी पत्र लिखा था, किन्तु इस पर सी0 बी0 आई0 से असमर्थता प्रकट की । उनका कहना यह था कि घटना की गम्भीरता ऐसी नहीं है कि जिसे पुलिस न कर सके । उसके बाद सी0 आई0 डी0 से जांच हुई । उसकी जांच से यह फाईंडिंग्स निकली कि जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई है, उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है, इसलिए फाईनल रिपोर्ट लगा दी गई ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, यहां पर सी0 आई0 डी0 के संबंध में डिसकस किया गया और यह भी कहा गया है कि उनकी रिपोर्ट में जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई थी उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई । मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, फायरिंग हुई कि नहीं या खुद फायरिंग करके गलत लिखवा दी, इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस संबंध में सारे कागजात सी0 बी0 आई0 के पास हैं । जो जानकारी हम दे सकते हैं, वह हमने दे दी ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच के दौरान ही सी0 बी0 आई0 बैठाई गई । यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय जी ने राज्य सभा में प्रश्न उठाया यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं कि किसी के प्रार्थना-पत्र पर सी0 बी0 आई0 से आदेश

कराने की घोषणा की गई अपितु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सी0 बी0 आई0 से जांच करने के आदेश हुए ? मैं जानना चाहता हूं कि सी0 आई0 डी0 की जांच होते समय जब सी0 बी0 आई0 की जांच के आदेश हो गए तो सी0 आई0 डी0 की जांच बन्द करने के आदेश क्यों नहीं दिये गये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जब सी0 बी0 आई0 की जांच नहीं हो रही थी तब सी0 आई0 डी0 की जांच करायी गयी थी, सी0 बी0 आई0 की जांच का अनुरोध किया गया था, अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं हुआ था ।

श्री महाराज सिंह–

मान्यवर, मैं तीन बातें जानना चाहता हूं–इस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या नहीं ? और सी0 आई0 डी0 की जांच से पहले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने जो शासन को रिपोर्ट भेजी थी, उसमें किसी व्यक्ति का नाम था या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

आपने तो तीन बातें कहा था, लेकिन पूंछी दो ही ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यह अपना प्रश्न फिर से दोहरा दें ।

श्री महाराज सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि घटनास्थल पर किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी या नहीं और सी0 आई0 डी0 जांच से पहले वहां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने शासन को कोई रिपोर्ट भेजी थी कि इसमें किसी व्यक्ति का हाथ है ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि सी0 बी0 आई0 की जांच के संबंध में कागजात सी0 बी0 आई0 को सौंप दिये गये हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मा0 कौशिक जी के प्रश्न के संदर्भ में जानना चाहता हूं . . .

(श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा बिना अनुमति खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह सही है कि सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही थी तो सी0 बी0 आई0 को नहीं देना चाहिये था । जब सी0 आई0 डी0 की जांच की रिपोर्ट आ गयी है, फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिये रिकमण्ड कर दिया तो सी0 आई0 डी0 की जांच के निष्कर्ष बिन्दु क्या हैं ? फिर किस आधार पर सी0 बी0 आई0 को भेजा गया यह बता दें ?

मेरा कहने का अर्थ यह है कि सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है ? उस निष्कर्ष में क्या ऐसी बातें रह गयी थीं जिनके आधार पर फिर पूरे मामले की सी0 बी0 आई0 को दिया गया ? सी0 बी0 आई0 को सुपुर्द करने के आधार क्या हैं और सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने यह पहले ही निवेदन कर दिया कि सी0 आई0 डी0 का निष्कर्ष यही है कि जो आरोप लगाये थे, वे सिद्ध नहीं हुए ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने दो प्रश्न पूछे थे कि सी0 आई0 डी0 की जांच का निष्कर्ष बिन्दु क्या है और किस आधार पर सी0 बी0 आई0 को दिया गया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैं इसको फिर दोहराना चाहता हूं कि सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है । उनसे प्रार्थना की गयी थी कि सी0 बी0 आई0 की जांच करायी जाय ।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी किसी बात का उत्तर स्पष्ट नहीं देना चाहते हैं । आप से साफ तौर से पूछा गया है, मेरे पास नकल रपट है, उसमें स्पष्ट है कि बदमाशों ने हमला किया, तत्कालीन नेता विरोधी दल पर हमला हुआ । जब नाम नहीं है और आपकी पुलिस को जांच करना था कि कौन बदमाश थे और किसने फायरिंग किया । आपने जांच करायी, सी0 आई0 डी0 ने जांच कम्पलीट कर दी और फाइनल रिपोर्ट लगा दी और जब सी0 बी0 आई0 से जांच का प्रकरण पैदा हुआ, तो मैं जानना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नंद अंचल–

बलराम सिंह यादव ने हमला करवाया, उनके इशारे पर यह सब हुआ है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना पूरा समय इसी में ले लें । आप बैठें, नेता विरोधी दल खड़े हैं ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मैं केवल दो बातें जानना चाहता हूं कि आवेदन पत्र किसने दिया था कि सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाये और सी0 आई0 डी0 ने जो फाइनल रिपोर्ट लगा दी, उसमें क्या तथ्य दिये गये । इन दो बातों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये भारत सरकार ने कहा था और सी0 आई0 डी0 जांच में जो निष्कर्ष निकले, वह एफ0 आई0 आर0 के आधार पर और जो बयानात हुये, उनमें जो तथ्य सामने आये उनकी सी0 आई0 डी0 ने जांच की और सारे तथ्यों को सही नहीं पाया और इस कारण उसने उचित समझकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक सवाल....

श्री अध्यक्ष–

कोई तरीका नहीं है कि एक सवाल में इतना समय दिया जाये ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के नगर महापालिकाओं द्वारा निर्मित कालोनियों में सुरक्षा कर्मियों को आरक्षण

*1–कर्नल केशरी सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1979 में नगरीय आवास कालोनियों में जो 3 प्रतिशत का आरक्षण सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया गया था उसके अधीन गत पांच वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ नगर महापालिका के आवासीय कालोनियों में प्रतिवर्ष कितने भूतपूर्व या सेवारत सैनिकों या उनके परिवारों को आवास आवंटित किया गया है ? क्या उनका आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को देना बाकी है और इसके पूरा होने में क्या देरी है ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

शासन द्वारा वर्ष 1978 में (न कि वर्ष 1979 में) जारी किये गये शासनादेश दिनांक 27-9-1978 द्वारा नगरमहापालिकाओं के आवासीय कालोनियों के भवनों के आवंटन में 2 का आरक्षण सुरक्षा कर्मियों को प्रदान किया गया था । किन्तु उक्त शासनादेश के लागू होने के पूर्व ही लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा अपने आवासीय कालोनियों के समस्त भवनों को आवंटित किया जा चुका था । अतः लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा उक्त शासनादेश में निर्दिष्ट कोटे के अनुरूप भवनों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में इस समय दो प्रकार की आवासीय कालोनियां हैं । प्रथम, ऐसी कालोनियां जो नगरमहापालिका से स्थानान्तरित होकर आई हैं तथा जिनके समस्त भवन उपर्युक्त शासनादेश लागू होने के पूर्व ही नगरमहापालिका द्वारा आवंटित किये जा चुके थे । अतः इन कालोनियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित कोटे को पूरा करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । दूसरे प्रकार की आवासीय कालोनियां वे हैं जिन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं विकसित कर रहा है । इन कालोनियों में सुरक्षा कर्मियों को गत् 5 वर्षों में दिये गये भवनों एवं भूखण्डों की वर्ष वार सूची संलग्न है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में भवन/भूखण्ड आवंटित करने हेतु सुरक्षा कर्मियों के जितने भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे सभी को भवन/भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं तथा आवंटन हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र शेष नहीं है ।

श्री कर्नल केशरी—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े खेद की बात है कि मूल प्रश्न के पीछे जो भावना है, उसकी पूरी उपेक्षा करके उत्तर घुमा फिरा कर दिया गया है। . . . . .

नगर महापालिका और लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो एक दर्जन कालोनियां हैं जिनमें सैकड़ों मकान खाली हैं। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इन मकानों को सुरक्षा कर्मियों को दिया गया है। मान्यवर, इन पांच वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सैकड़ों मकान खाली हुए हैं जिनमें कितने मकान सुरक्षा कर्मियों को आवंटित हुये हैं और कितने सुरक्षा कर्मियों के प्रार्थना पत्र इन कालोनियों में आवंटित होने के लिए पेंडिग हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, सन् 78 में इनके लिये 2 प्रतिशत आवंटन के लिये आदेश हुये थे और जैसा कि बताया गया है कि जो नगरपालिका से स्थानान्तरित होकर कालोनियां एल0 डी0 ए0 में आयी हैं वह पहले ही आवंटित हो चुकी थी और जो अब हमने कालोनियां बनायी हैं जिसके ऊपर यह शासनादेश लागू होता है उसके बाद जो प्रार्थना-पत्र आये थे उन सब को हम दे चुके हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनको अभी आवंटन नहीं हुआ हो, अगर वे इस जी0 ओ0 के अंतर्गत दो प्रतिशत में आते हों तो उसमें आवंटन के बारे में हम देख लेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आवासीय कालोनियों में समस्त भवनों का आवंटन हो चुका था, तो वह कौन सी कालोनियां हैं और किन तिथियों में यह आवंटन हुआ है ? जो शासनादेश सन् 78 में हुआ था उसके पश्चात् जो आपके पास प्रार्थना-पत्र आये थे भूतपूर्व सैनिकों के, क्या उन सब को दो प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत आवंटित कर दिया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

हमारे इस शासनादेश के बाद जो भूतपूर्व सैनिकों के प्रार्थना-पत्र आये हैं, उनको आवंटन कर दिया गया है। अब हमारे पास कोई प्रार्थना-पत्र शेष नहीं है॥

श्री पूरन सिंह माहरा—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि इस प्रश्न से स्पष्ट है, दो प्रतिशत आरक्षण लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करना था वह किसी तरह से पूरा नहीं हो सका। क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिये इस जी0 ओ0 के अंतर्गत एक अलग कालोनी का निर्माण करके जहां भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन किया जा सके, करने पर विचार करेंगे।

श्रीमती पद्मा सेठ—

इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री कर्नल केशरी सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर न देकर घुमा-फिरा-कर उत्तर दे रहे हैं। मैंने यह जानना चाहा था कि जब सन् 78 में जी0 ओ0 हुआ

तबसे सैकड़ों मकान खाली हुए हैं उनमें कितने भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित हुए हैं और भविष्य में इन मकानों के खाली होने पर वे भूतपूर्व सैनिकों को दिये जायेंगे ? इस तरह से यह भेदभाव दूर करने का प्रयास मंत्री जी करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, शासनादेश के पहले जिन कालोनियों में आवंटन हो चुका था अब वे सब भर गये हैं और इक्का-दुक्का मकान जो खाली होते हैं उन्हें इस जी0 ओ0 के अंतर्गत जरूर दे देते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं । हमारे पास सूचना है और उसके अनुसार आज भी 35 दरखास्त पड़ी हुई हैं और मैं जानता हूं . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

प्रश्न ही कर रहा हूं । मैं इसकी सूचना पहले ही दे रहा हूं कि मंत्री जी विभाग द्वारा दी गयी गलत सूचना सदन में दे रहे हैं और वे हमें गुमराह कर रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष–

आपको कौन गुमराह कर सकता है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीया मंत्री कह रही हैं कि 1987 में कोई प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है । मेरी जानकारी में 25 प्रार्थना पत्र ऐसे हैं जिनको मकान नहीं मिले ऐसे सैकड़ों प्रार्थना-पत्र भूतपूर्व सैनिकों के हैं जिनको मकान नहीं मिले हैं । यह तथ्यों को छिपा रही हैं । अतः इसका उत्तर दिलाने की कृपा करें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सुखपाल पाण्डे–

हमारे प्रश्न का उत्तर तो दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपका कोई प्रश्न ही नहीं आया ।

कर्नल केशरी सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कृपा कर मंत्री जी को यह निर्देश दें कि वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दें घुमाफिरा कर उन्हें टालने का प्रयास न करें । हम जानना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में लखनऊ की विभिन्न कालोनियों में कुल कितने मकान खाली हुये चाहे वह विकास परिषद् की हों या प्राधिकरण की उनमें से कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को दिये गये । क्या भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि मकान खाली होने पर उनका कोटा पूरा किया जायेगा ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

इस वक्त कितने खाली हुये हैं इसकी सूचना माननीय सदस्य को भेज दी जायेगी।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय केशरी सिंह जी का प्रश्न जितना स्पष्ट है उतना ही माननीय मंत्री जी का उत्तर अस्पष्ट है। प्रश्न पूछा गया था कि शासनादेश के बाद से आजतक उसके अनुसार कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को आवंटित किये गये। बड़ा सीधा प्रश्न है इसमें कोई घुमाने फिराने की बात नहीं है जिसका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। आप केवल इतना उत्तर दिलवा दें कि कितने सुरक्षा कर्मियों को शासनादेश के बाद आजतक मकान आवंटित किये गये।

श्री अध्यक्ष–

अगर यह सूचना हो तो दे दीजिये।

श्रीमती पद्मा सेठ–

इसकी सूचना दिलवा देंगे।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें क्योंकि उत्तर नहीं आया है।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें बाद में उत्तर देने को कहें इसके लिये मैं आपका आभारी हूंगा क्योंकि उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना आने पर माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों को दे दीजियेगा।

श्री नरेन्द्र देव–

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी0 ओ0 के अंतर्गत जो आयेंगे उनको मकान आवंटित किया जायेगा। मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि जी0 ओ0 के अन्तर्गत दो या तीन परसेंट का जो कोटा होता है उसके अंतर्गत प्रश्न स्पष्ट है कि पिछले 5 सालों में कितने मकान भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए अगर 100 मकान खाली हुए तो दो उनको दिए जाने थे। तो प्रश्न यह है कि कितने आवास सुरक्षा कर्मियों को देने थे और क्या उनका आरक्षित कोटा पूरा हो गया है। माननीय मंत्री जी ने न कोई संख्या दी और न यह बताया कि कितने सुरक्षा कर्मियों को आवंटन होना बाकी है..

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री नरेन्द्र देव–

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह दिखवाने की कृपा करेंगी कि पिछले 5 सालों में किन अधिकारियों ने उस जी0 ओ0 का पालन नहीं किया है और उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही आप करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैंने जैसा पहले ही कहा है, पुनः कह रही हूं कि इसको दिखवा लूंगी और सूचना दे दूंगी ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 200 पर)

*2–श्री किरन पाल सिंह–

[दिनांक 14-2-86 को अता0 प्र0 सं0 85 द्वारा उत्तरित]

[गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ के महानगर में सड़क निकालने हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा देने की मांग

*1–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी ग) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्लाट पर से वर्ष 1979 में 12 फिट चौड़ी निकाली गई सड़क जो आगे अवरुद्ध हो गई है, में स्व0 श्री सुबराती पुत्र हुसैनी की कितने वर्ग फुट भूमि आई ? क्या उक्त 12 फुट चौड़ी सड़क में आई भूमि का मुआवजा वर्ष 1979 से अब तक स्व0 श्री सुबराती पुत्र हुसैनी के परिवार को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि दिया जायेगा, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

मान्यवर, यह लखनऊ महानगर का मामला है, सीधा सा किस्सा है, लखनऊ के एक आदमी ने प्लाट पर से सड़क निकलवा ली और जो आगे रुक गयी है । आज तक संबंधित व्यक्ति को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है । हर सत्र में यह सवाल मैंने उठाया है लेकिन आज भी मंत्री जी उत्तर दे रही हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कृपाकर इसको देख लिया करें कि क्या उत्तर मंत्री दे रहा है या उनको विशेषाधिकार के तहत छूट दे दिया करें या यह निश्चित करें कि कब तक सूचना एकत्र हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष –

कल मैंने इस पर कुछ कहा था, इसलिए मंत्री जी के पास जैसे ही सूचना आ जायेगी, दे देंगी ।

श्रीमती पदमा सेठ–

मान्यवर, जल्दी इसको करवा दूंगी ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरी जानकारी इस सवाल के संबंध में है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि, इस सड़क का भुगतान पहले ही हो चुका है और सड़क नहीं बनी है, इसी प्रकार अन्य नगरपालिकाओं में विश्व बैंक द्वारा जो रुपया दिया गया है वह मंत्री जी और उनके अधिकारी खा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो सूचना कब तक एकत्र की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं ।

जनपद फैजाबाद में छूट की खाद वितरण में बरती गयी अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

*2–श्री अवधेश प्रसाद (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत बजट सत्र 1986-87 को प्रस्तुत करते समय मंत्री जी ने अपने विभाग में लघु एवं सीमान्त कृषकों को खाद मिलने में अनियमितता एवं धांधली की जांच कराने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की घोषणा की थी और इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 14 मार्च, 1986 को मंत्री जी को जनपद फैजाबाद के किसानों को छूट की खाद न मिलने तथा उसमें घोर अनियमितता दर्शाते हुए दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र की जांच विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता के क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद द्वारा कराई गई । दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध मु0अ0स0 197/87 धारा 408/481/468/471 ए/120 बी राज्य बनाम सतीश कुमार जयसवाल सचिव दिनांक 24-6-87 को थाना बीकापुर, जनपद-फैजाबाद में अभियोग पंजीकृत कराया गया है इस अभियोग की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा की जा रही है ।

श्री राज किशोर सिंह–

इस प्रश्न में मेरी रुचि है ।

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

[राज्य सरकार से अगम्बद्ध एवं गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

सहकारी समितियों में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक विधिक उत्तरदायित्व निर्वहन करने की व्यवस्था

*4—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 जून, 1984 को प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना में सहकारी समितियों की जिला प्रशासनिक कमेटियों के सचिव पद पर जिला सहायक निबन्धकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे सहायक जिला निबन्धक (अपने स्वयं की) पूर्व अनुमति प्राप्त कर समितियों के कर्मचारियों के निलंबन की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या एक ही व्यक्ति को प्रदान किये गये इस दोहरे अधिकार के परिप्रेक्ष्य में क्या सहकारिता मंत्री जी ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए संशोधित शासनादेश जारी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां ।

जी हां ।

एक ही व्यक्ति में एक से अधिक विधिक उत्तरदायित्व निहित किये जा सकते हैं जिनका निर्वहन वह कानून में दी गई व्यवस्था के अनुरूप करता है । इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं है अतएव संशोधित शासनादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्न साफ है लेकिन उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है। जून, 1984 में एक शासनादेश हुआ जिसमें सहकारी जिला प्रशासनिक कमेटी बनायी गयी और उसके सचिव पद पर जिला सहायक निबंधकों को नियुक्त कर दिया । कर्मचारियों को निलम्बित और दण्डित करने का काम सहकारी प्रशासनिक कमेटियों का है लेकिन वह सहकारिता जिला सहायक निबन्धक के अंतर्गत काम कर रही हैं, जो प्रशासनिक कमेटी का सचिव है, वह अपने हस्ताक्षर से अनुमति लेता है और कर्मचारियों को निलम्बित कर देता है, इसलिये कर्मचारियों के हित में मैंने अनुरोध किया था कि जिला प्रशासनिक कमेटियों के सचिव पद का दायित्व अन्य अधिकारियों को दिया जाय और सहायक निबंधक से क्या यह अधिकार वापस लेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो कहा, हमारा उत्तर उतना ही स्पष्ट है, यदि इसे समझने का प्रयास करें । ऐसा है कि सचिव पद पर प्रशासनिक कमेटी में ए0 आर0 पहले अध्यक्ष हुआ करता था और उसी में प्रशासनिक समिति में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते थे, इसको देखकर यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष के बजाए उसको सचिव के पद को बोध कराया जाये । यह परिवर्तन उसी आधार पर लाया गया है। वहां सचिव प्रशासनिक कमेटी में एक सचिव का उसका स्वरूप होता था, प्रशासनिक कमेटी के तमाम रूपों में एक यह भी रूप होता है। इसमें कभी-कभी

समितियां किसी को निलम्बित करती हैं, वहां वह निलम्बन का आदेश दे सकती हैं, लेकिन वहां पर यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी रूप में उसको देखे। ऐसे ही शासन में तमाम जगह एक ही व्यक्ति अपनी अलग-अलग कैपिसिटी में अपने दायित्व का बोध कराता है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मंत्री जी ने कहा है कि एक ही व्यक्ति को दो प्रकार के अधिकार दे रखे हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सहायक निबन्धक, सहकारी समिति को किसी भी कर्मचारी को निलम्बित करने का अधिकार है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, प्रशासनिक कमेटी निलम्बित करती है और उसके बाद ए0 आर0 का अनुमोदन उस पर प्राप्त किया जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जब यह साधन सहकारी समिति और कृषक समितियों के सचिवों को सरकारी कर्मचारी मानते हैं तो इनके सस्पेन्शन के लिए प्रशासनिक कमेटी से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासनिक कमेटी में बैंक के अध्यक्ष और संचालक मण्डल के अध्यक्ष हुआ करते हैं और इस व्यवस्था से विवाद बढ़ गया है तथा यह लोग पक्षपात करके बचाने का प्रयास करते हैं, तो क्या इस प्रशासनिक कमेटी को समाप्त करके उनको अपना कर्मचारी मानते हुए सीधे अपने अधिकार में रखकर दण्डित करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

सचिव संस्थाओं के कर्मचारी हुआ करते हैं और प्रशासनिक कमेटी के दायित्व के आधार पर वह प्रशासनिक कमेटी के सचिव की हैसियत से वह कार्य करते हैं, यहां पर ए0 आर0 की हैसियत प्रशासनिक स्वरूप में एक अलग दायित्व का बोध कराती है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

जिला सहायक निबन्धक यदि वह जिला प्रशासनिक कमेटी का सचिव नहीं है तो क्या वह इन्डेपेन्डेन्ट रहते हुए निलम्बन कर सकता है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मैंने पहले ही कहा कि प्रशासनिक कमेटी के माध्यम से निलम्बित होता है, वह निलम्बन तभी कार्यरूप ले सकता है जब वह उसमें हो, ए0 आर0 के द्वारा अनुमोदित हो जाता है।

(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

उसको यह अधिकार जबरदस्ती दिया गया है, यह उलटफेर इसलिए किया गया है कि उसको यह अधिकार मिल जाये। इसलिए प्रशासनिक कमेटी के सचिव पद पर किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया जाये। यह मैंने मांग की है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

इस बात को मंत्री जी समझ रहे हैं, कि इस शासनादेश के कारण सब जगह परेशानियां पैदा हो गई हैं, अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे और एक ही अधिकारी जो ए0 आर0 के रूप में कार्य करता है उसको अगर निलम्बन का अधिकार नहीं है तो वह मात्र प्रशासनिक समिति का सचिव बनकर यह अधिकार प्राप्त कर लेता है, जिससे वहां पर तमाम परेशानियां पैदा हो गई हैं तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे जिससे प्रशासन की परेशानियां समाप्त करायी जा सकें।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, वह अपने अलग-अलग दायित्वों का निर्वहन करते हैं वह अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और प्रशासनिक समिति में तो तमाम सदस्य होते हैं जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, जो प्रशासक है किसी भी कर्मचारी को वह चाहे उसकी 20 साल की सर्विस हो या 10 साल की सर्विस हो वह उसको निलम्बित कर देता है और वह एप्रूवल भी नहीं लेता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको प्रशासक मंडल अपनी इच्छानुसार निकाल देता है, तो क्या किसी भी कर्मचारी को निकालने से पहले या रखने के पहले ए0 आर0 का एप्रूवल लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, इन्होंने तो मूल प्रश्न से हटकर दूसरा प्रश्न कर दिया, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों एवं डाक्टर के अनुपात तथा शिशु मृत्यु दर का औसत

*5–श्री हर्ष वर्धन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों पर एक डाक्टर की सुविधा उपलब्ध है ? क्या व्यक्तियों और डाक्टर का यह अनुपात देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है? क्या इसी कारण देश में शिशु मृत्यु दर उ0 प्र0 में सर्वाधिक है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निदान हेतु क्या उपाय कर रही है?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

उत्तर प्रदेश में 4050 व्यक्तियों पर एक डाक्टर की सुविधा उपलब्ध है।

जी नहीं।

जी नहीं। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए शासन द्वारा वृहत्त प्रतिरक्षण योजना चलायी जा रही है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश में 4050 व्यक्तियों पर एक डाक्टर की सुविधा उपलब्ध है। 1985 में 3930 पर यह सुविधा उपलब्ध थी। राष्ट्रीय औसत जो है वह 2550

का है। वैसे जो राष्ट्रीय औसत होना चाहिए वह 3,000 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक का है यह इसका स्वरूप है।

श्री हर्षवर्धन–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश में एक हजार शिशु में 140 शिशु की मृत्यु दर है। बृहत्त प्रतिरक्षण योजना के अन्तर्गत जब महिला गर्भवती हो जाती है तो प्रथम चरण में एक वर्ष तक 6 बीमारी का प्रतिरक्षण कार्यक्रम होता है। मां को आवश्यक दवायें दी जाती हैं ताकि शिशु में टिटनेस न हो। डिप्थीरिया, काली खांसी की दवाई दी जाती है। टीके लगाये जाते हैं ताकि अपंग न हो, पोलियो की बीमारी न हो। तो यह 6 प्रतिरक्षण कार्यक्रम हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के 29 जनपदों में यह व्यवस्था है। सन् 1990 तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आ जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो व्यक्तियों और डाक्टरों का अनुपात उत्तर प्रदेश में है तो उस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। दूसरी चीज जो उन्होंने शिशु मृत्यु दर बतायी है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उत्तर प्रदेश शिशु मृत्यु दर में देश में नीचे से तीसरे स्थान पर है।

एक सदस्य–

बहुत ज्यादा है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह आपकी और हमारे राजेन्द्र गुप्त जी की देन है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम का ऐसा दूषित प्रचार किया गया कि वह कार्यक्रम बन्द हो गया। जब आपका शासन था तो उसकी चर्चा भी वर्जित थी। हमसे कहीं अच्छी स्थिति में बिहार है। वहां पर 1000 में 105 शिशु मृत्यु दर है। इसी तरह से केरल में प्रति एक हजार पर 41 शिशु मृत्यु दर है। गोवा में प्रति एक हजार पर 32 शिशु मृत्यु दर है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि यहां पर शिशु मृत्यु दर ज्यादा है। इसमें सदन का सहयोग चाहिए। आज भी कहा जाता है कि जबरदस्ती न करें। जब फोड़ा होगा तो उसको दूर करने के लिए कुछ तो जबरदस्ती करनी होगी।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, प्रदेश की जनसंख्या 12 करोड़ है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

12 करोड़ 80 लाख 256 है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ जनता के लिए डेंटल सर्जन कितने हैं?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री मुहम्मद आजम खां–

उन्होंने बत्तीसी अलग से लगवा रखी है।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आपका जवाब लाजवाब है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इनके तो सब दांत अलग से लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बच्चों को जो टीके दिये जाते हैं उसमें से एक टीका जिसे वैक्सीन कहते हैं उससे प्रदेश में और मेरे जिले में एक वक्त में 5 बच्चों की एक साथ मौत हुयी है। जब मैंने यह जानकारी चाही कि किस बिना पर ऐसा हुआ तो डाक्टरों ने कहा कि वह इसकी वजह नहीं बता सकते। जब मैंने यह जानना चाहा कि आइन्दा भी वैक्सीन लगने से बच्चों की मौतें होंगी तो उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसा हो सकता है। तो डाक्टरों को इसकी वजह नहीं मालूम है और बच्चों की मौत को रोका नहीं जा सकता है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था की जायगी कि इस वैक्सीन में जो कमी है उसका पता लगाया जाय और अस्पतालों में जो वैक्सीन सप्लाई की जाती है उसकी जगह पर कोई ऐसी वैक्सीन आये जिससे बच्चों को मरने से बचाया जा सके, क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह प्रतिरक्षण कार्यक्रम में जो दवायें दी जाती हैं, उसमें चेचक की वैक्सीन की भी दवा होती है, कुछ लोगों का सुझाव है कि चेचक की वैक्सीन अलग कर दी जाय, एक साथ यह वैक्सीन न दी जाय। चेचक की वैक्सीन से रिएक्शन हो जाता है। यह आदेश दिया जा रहा है कि चेचक की वैक्सीन का इस्तेमाल अलग से किया जाय।

डा0 रजनीकान्त दत्त–

क्या उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई मृत्यु दर और मृत्यु दर रोग निरोधक टीकों में होने वाली लापरवाही और मण्डल स्तर के अस्पतालों में आपरेशन के बाद हो रही लापरवाही है, जैसा कि मेरे जनपद वाराणसी में सदर अस्पताल में और उससे संबंधित चिकित्सालयों में हुई है। क्या माननीय मंत्री जी चिकित्सा शास्त्र के सामान्य मानकों के प्रति जिम्मेदारी बरतने हेतु उचित आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अवश्य श्रीमन्।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उस उत्तर में कहा था कि गर्भवती महिलाओं को दवा दी जाती है और बच्चों के पैदा होने पर, उनको टीका दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि यह गर्भवती महिलाओं को दवा के लिए और बच्चों को टीका लगवाने के लिए अस्पतालों में जाना पड़ता है, तभी दवा और टीका दिया जाता है या ऐसी कोई व्यवस्था है कि घरों पर जाकर गर्भवती महिलाओं को दवा और पैदा हुए बच्चों को टीका दिया जा सके?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सम्मानित सदस्यों के गांवों में भी एक ए0 एन0 एम0 सेन्टर है, जहां एक महिला रहती है, जिसका यह कार्य है कि वह घरों में जाकर गर्भवती महिलाओं का पता लगाये और दवा दे और पैदा हुए बच्चों के टीके के लिए भी व्यवस्था करे। हमारे प्रदेश में महिलाओं को कहने में शर्म आती है कि वह गर्भवती हो गयी। हमारे घरों में अगर कोई महिला गर्भवती हो गयी है, तो उसे अपने बगल की ए0 एन एम0 को इत्तिला कर देना चाहिए, उसके इलाज की फौरन व्यवस्था हो जायगी।

बलिया नगर पालिका में गन्दे जल निकास हेतु सीवरेज की व्यवस्था की मांग

*6–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया नगरपालिका में गन्दे जल निकास के लिए सीवरेज की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार सीवरेज व्यवस्था करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बलिया नगर में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है।

संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल बलिया में सीवरेज व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दिया है कि संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल बलिया में सीवरेज व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीया मंत्री जी को मालूम है कि 18 दिसम्बर, 1987 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बलिया की एक जनसभा में सीवरेज के लिए 50 लाख रु0 देने की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या इस सीवरेज को प्रारम्भ कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसकी जानकारी कर लूंगी।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, जैसा कि अभी बलिया जनपद के आगमन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50 लाख रु0 जल निकासी के लिए घोषणा किया था, जिसके बारे में माननीया मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वह इसकी जानकारी कर लेंगी, इसी तरह से पिछले साल उन्नाव जनपद में जल निकासी के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 50 लाख रु0 की घोषणा कर आये थे, तो मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणायें झूठी, अखबारी और थोथी हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की घोषणा है अभी बलिया में घोषणा करके आये हैं। मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश के अन्दर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। यह बहुत अहम मामला है। माननीया मंत्री जी ने कहा कि हमको जानकारी नहीं है। मुख्य मंत्री ने घोषणा किया है कि क्या यह मुख्य मंत्री जी से ऊपर हैं?

श्री अध्यक्ष–

मनोहर लाल जी, अब आप बैठें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में सीवरेज सिस्टम नहीं है, इसकी जरूरत भी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां मुख्य-मंत्री जाते हैं वहीं घोषणा करते हैं, उस पर अमल हो या न हो यह सरकार के सोचने की बात है । लेकिन ऐसे जिले जहां म्यूनिसिपल बोर्ड की तरफ से प्लान तैयार होकर यहां मंजूरी के लिए सरकार के पास आया है तो सरकार क्या ऐसे म्यूनिसिपल बोर्ड और शहरों के बारे में कुछ सोच रही है? अक्सर पैसे की बात रहती है, तो मेरा कहना है कि उस पर कुछ विचार किया जायेगा क्योंकि यह पूरे प्रदेश का नीतिगत प्रश्न है । कई जिलों से इस तरह के प्रपोजल आये हुए हैं और वह यहां पर पड़े हुए हैं, इस पर क्या होना है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, शासन की नीति के अनुसार इस वक्त एक लाख की आबादी और उसके ऊपर की जो जगह हैं, शहर हैं, उनमें यह योजना सीवरेज बनाने की लागू की जा रही है जिसमें से ऐसे शहर 30 हैं, 30 में से अभी हम 20 शहरों को कर पाये हैं और बाकी 10 में अभी सर्वे हो रहा है। इसकी कार्यवाही चालू है। हमारे पास मान्यवर, अभी इतना धन नहीं होता है कि हम हर शहर को एक साथ ले लें। जैसे जैसे धन उप-लब्ध होता जाता है, वैसे-वैसे हम उनको लेते जाते हैं। नीति के अनुसार 1 लाख से ऊपर के जो शहर हैं उसको लिया जाता है। इस वक्त बलिया की आबादी कुल 62 हजार है इसलिए जैसे ही धन उपलब्ध होगा, हम उसको ले लेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने संशोधन की बात कही है, अब आप बैठें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो यह क्या उनका कथन सत्य है कि उनको मुख्य मंत्री जी की घोषणा की जानकारी नहीं है, सारे अखबारों में आया था, मुख्य मंत्री जी की घोषणा रेडियो न्यूज में भी आई थी कि उन्होंने 50 लाख रुपया सीवरेज के लिए दिया है और माननीय मंत्री जी कह रही है कि हमको जानकारी नहीं है। एक तो माननीय मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए। दूसरा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1978-79 में बलिया के सीवरेज के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया सरकार से आवंटित हुआ था, उस रुपये का क्या सीवरेज बनाने के लिए उपयोग हुआ या नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और जिन्होंने उपयोग नहीं किया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, एक योजना बनायी गयी थी। इस समय सीमित संसाधन हैं। जब धन होगा उस वक्त कर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीया मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके संदर्भ में जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो नगर एक लाख से अधिक आबादी के हैं उनको प्रथम चरण में प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन मैं इस सूचना को सही मानकर कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस समय उत्तर प्रदेश में ऐसे नगरों में सीवरेज का काम हो रहा है जिनकी आबादी एक लाख से कम है जैसे उदाहरण के लिए जिस नगर का विकास हो रहा है, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं शासन के विभेद, पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक आधार पर प्राथमिकता देने के निर्णय की निन्दा करता हूं। गोला गोकरणनाथ की आबादी एक लाख से कम है, वहां पर सीवरेज का काम हो रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शासन द्वारा एक लाख की आबादी से ऊपर वाले जो नगर हैं, उनमें क्या प्राथमिकता दी जायगी, उसका शासन के पास कोई आधार है। मेरे शहर सीतापुर की आबादी एक लाख से अधिक है, सर्वे हो चुका है, नगरपालिका की ओर से वांछित फीस दी जा चुकी है, लेकिन वहां पर सीवरेज का काम नहीं हो रहा है, तो इन नगरों को प्राथमिकता देने का जो आधार है, उसे बताने की कृपा करें। यह भी बतावें कि जब शासन की नीति एक लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों में कराने की है तो एक लाख से कम आबादी वाले नगरों को प्राथमिकता देने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, ऐसे नगर तो शासन की नीति के अनुसार ही लिये जाते हैं और जो एक लाख से ऊपर की आबादी के हैं, उनको ही लेते हैं, और इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह जो एक लाख से ऊपर की आबादी वाले 30 नगर हैं, इनमें आपस में क्या प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्राथमिकता राजनीतिक कारणों से दी जाती है। फिर जब एक लाख से ऊपर के लिए घोषणा की है तो एक लाख से कम वालों में क्यों बनाया जा रहा है। इसका कोई आधार हो तो मैं जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष–

एक लाख से ऊपर की आबादी में लग रहे हैं, वह पूछते हैं कि उसके नीचे वालों को क्यों ले लिया गया, उसका आधार क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

किस नीचे वाले को लिया गया है, इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी करा लेंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बताया कि बलिया की आबादी 62 हजार है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बलिया की आबादी अब सीमा परिवर्तन के कारण डेढ़ लाख से ऊपर हो गया है और अगर ऐसी बात है तो वहां पर सीवरेज योजना लागू न करने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना तो 62 हजार की आयी है। अगर एक लाख से ऊपर की आबादी है तो उसको जरूर दिखवा लेंगे।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि बलिया की आबादी 62 हजार है, जबकि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सीवरेज प्रारम्भ कराने जा रहे हैं, तो मा0 मंत्री जी बलिया के बारे में जानकारी कराने के बाद क्या करेंगी। क्या यह आश्वासन देंगी कि कार्य प्रारम्भ कराएंगी?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*7–श्री नंगाराम तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इंदिरा नगर विस्तार योजना नं0–2 में बहुत से गांवों की हजारों एकड़ जमीन को अधिगृहीत करने के लिए प्रस्ताव 1984 में किया गया था, तब से लेकर आज तक किसान न तो अपनी भूमि बेच सकते हैं, न उस पर लगे पेड़ काट सकते हैं और न अपनी फसल ही बो पा रहे हैं जिससे भीषण आर्थिक संकट के कारण वह भुखमरी के कगार पर हैं और उनमें भीषण आक्रोश व असन्तोष व्याप्त है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत भूमि का मुआवजा तुरन्त दिया जायेगा? अब तक किसानों को मुआवजा न देने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, उक्त योजना के लिए 1760 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किये जाने हेतु प्रस्ताव का गजट प्रकाशन, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत दिनांक 19-5-84 को कराया गया था किन्तु, उक्त योजना को परिष्कृत करके, अब उक्त भूमि में से केवल 950 एकड़ भूमि का प्रस्ताव आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इस आशय से बनाया गया है ताकि इसमें से धार्मिक स्थलों आदि तथा समितियों की भूमि को अर्जन मुक्त करने के उपरान्त आवास एवं विकास परिषद् को 750 एकड़ भूमि मिल सकेगी। नियमानुसार योजना में समाविष्ट भूमि पर कब्जा लेने से पूर्व तक कृषकों द्वारा भूमि बेचे जाने, पेड़ काटने तथा फसल बोने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा वितरित करने में लगभग दो वर्ष का समय लग सकता है क्योंकि योजना से प्रभावित कृषकों को प्रतिकर वितरित करने हेतु परिषद् अधिनियम/भूमि अध्याप्ति अधिनियम में निहित कार्यवाही पूर्ण कराई जाती है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अधिगृहीत की गयी या की जाने वाली भूमि का एवार्ड समय से डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है ? इसमें इतना समय लगने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जहां अभी कब्जा नहीं लिया गया है, वहां कब्जा लेने के बाद ही, उसका प्रतिकर दिया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यह एक जगह की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। किसानों की भूमि का अधिग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उसका मुआवजा समय से न मिल पाने के कारण, किसान दर-दर, मारा-मारा फिरता है । सन् 1984 में भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। गजट भी हो गया, 750 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस भूमि का अधिग्रहण हो गया, उसका गजट हो गया, उसके बावजूद अब तक किसानों को उसका मुआवजा न मिलने का क्या कारण है? मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि जब तक किसानों को उसकी भूमि का मुआवजा न मिल जाय, तब तक उसके अधिग्रहण का क्या औचित्य है? किसानों को एक भी पैसा नहीं दिया और भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी। इसलिए मैं

यह भी जानना चाहता हूं कि भूमि के अधिग्रहण के बाद, मुआवजा न मिल पाने की दशा में, किसानों को जो अपनी क्षति हुई है, उसका भी सरकार मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जमीन् के अधिग्रहण आदि की प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो जायेगी, उसके बाद ही उनको मुआवजा दे दिया जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना संरक्षण प्रदान करें। मान्यवर, मैंने जो सीधा सा प्रश्न किया, उसका जवाब आया ही नहीं। लैण्ड एक्वीजिशन इन्होंने कर लिया 1984 में, उसका पजेशन भी इन्होंने ले लिया लेकिन अभी तक किसानों को उसके प्रतिकर के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया। किसानों को पैसा न देकर, लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही को पूर्ण कर लेना, इसका क्या औचित्य है? माननीया मंत्री जी से इसका जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी, माननीय सदस्य का कहना है कि जल्दी किसानों को पैसा दिलाने का कष्ट करें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, कब्जा लेने के बाद, इस पूरी प्रक्रिया में दो वर्ष लगेंगे।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आप अपना संरक्षण प्रदान करें। मान्यवर, किसानों की विषम दशा को समझिये। उसकी जमीन का अधिग्रहण हो गया 1984 में, उसके बाद से वह उस पर खेती नहीं कर पा रहा है और मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया। वह मारा-मारा फिर रहा है। माननीया मंत्री जी उसके बाद भी कह रही हैं कि पूरी प्रक्रिया में 2 वर्ष लगेंगे। मान्यवर, यह प्रक्रिया की बात कहकर, प्रश्न के महत्व को टालना चाहती हैं। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों को बिना एक पैसा दिये, उसकी भूमि का अधिग्रहण कर लेने का क्या औचित्य है? अगर उसका कोई औचित्य नहीं है, तो इस व्यवस्था को बदलने की भी कृपा करेंगी? आज सदन में यह आश्वासन देंगी कि किसानों को बिना मूल्य दिये, उसकी भूमि का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर नहीं होगा?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, लैण्ड एक्वीजिशन की एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत पूरी कार्यवाही होगी।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन ली गई है, और प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, उनको अब तक मुआवजा न देने का क्या कारण है ? मैं उन स्थानों की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, जहां पर अभी प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हुई है । जब किसानों का मुआवजा ही नहीं दिया गया, तो फिर उनकी

भूमि लेने का कोई अधिकार नहीं है । मैं सीधा सा प्रश्न कर रहा हूं कि जहां पर प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है, उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो चिन्ता माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, वह सही है । केवल एक जगह की बात ही नहीं है, यह अनेक जगहों की बात है । मैं इसे डिफेन्ड करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं और जो सम्मानित सदस्य बात कह रहे हैं, मैं अपने को उससे जोड़ता हूं । किसानों को इसका मुआवजा मिलना चाहिये । मान्यवर, जैसा कि अंसारी साहब ने पूछा कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको यह मुआवजा न मिलने के क्या कारण हैं ? मान्यवर, इस वक्त एक जगह विशेष की बात हो रही है । उत्तर प्रदेश सरकार और नगर विकास विभाग ने जहां-जहां जमीन ली है, या आवास विकास परिषद् ने कहीं जमीन ली है, उन लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा जल्दी ही दिलवाया जायेगा और जिन अधिकारियों के कारण मुआवजा दिलाने में देर हुई है या हो रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही जायेगी ।

(श्री विजय सिंह राणा, शारदा प्रताप, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री दीप चन्द्र सोनकर, श्री बदन सिंह फ्लोर पर आकर नारेबाजी करने लगे, "किसानों का शोषण करने वाली यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । किसानों का खून पीने वाली यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ? किसानों का मुआवजा दो, मुआवजा दो ।"

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपने विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ लिया होगा । प्रश्न संख्या-7 में जिस कालोनी के विषय को उठाया गया है, यह एक कालोनी की बात नहीं है, सारे उत्तर प्रदेश में आज किसानों के साथ जुल्म किया जा रहा है । सैक्शन-4 की नोटिस निकलने के बाद किसान अपने खेत से फसल नहीं काट सकता है और न ही फसल बो सकता है । किसान को मुआवजा वर्षों बाद दिया जाता है, जबकि उस समय उस जमीन की कीमत कहीं ज्यादा हो जाती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सेक्सन-4 को नोटिस निकलने के बाद किसान को जितने देर बाद मुआवजा दिया जाता है, क्या उसे उसी समय की कीमत के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों का समय समाप्त कहने पर

समय 12 बजकर 25 मिनट

सर्वश्री विजय सिंह राणा, मनोहर लाल, शारदा प्रताप व विपक्ष के अन्य माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

श्री शारदा नन्द अंचल जी आप मेज पर खड़े न हों, कृपा करके आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह बहुत ही जटिल समस्या है । माननीय नेता विरोधीदल ने जो कहा, उससे मैं भी सहमत हूं । मैं यहां पर कोई डिफ्फेन्ड करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं । यह रही है कि प्राइसबढ़ जाती है । इसके लिए एक कदम यह उठाया गया है कि जहां पर कीमत कम है, वहां पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाय और दूसरा मारकेट वैल्यू के हिसाब से कीमत दी जायेगी । जहां पर विलम्ब हुआ है, उसे देखा जायेगा । जिस माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है, इस मामले को माननीय अध्यक्ष जी आप स्वयं देख लें । हम लोग, व अधिकारीगण आपके कक्ष में आ जायं ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मा0 राजस्व मंत्री जी ने, हमारी जो सदस्यों की भावना है उसको हृदय से स्वीकार किया, लेकिन अब उसके बाद मा0 राजस्व मंत्री कह रहा है कि हम लोगों को आपके कक्ष में बुलाकर तब बात करेंगे । मैं चाहता हूं कि जनता के हित की बात है, आप भी दावा करते हैं हितों की संरक्षण का, और हम भी प्रयास करते हैं, माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न से सम्बन्धित भूमि है, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से घोषणा कर दें कि जिस दिन मुआवजा दिया जायगा उस दिन की जो मार्केट वैल्यू है, वही दी जायगी ।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के बिना अनुमति खड़े होने से व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

जो मार्केट वैल्यू है, उसके बारे में बात कह रहा हूं, लेकिन मा0 नेता विरोधी दल ने एक और प्रश्न उठाया कि निर्णय अभी हो जाय, मैं चाहता हूं कि मा0 नेता0 विरोधी दल, नगर विकास मंत्री और मैं, आप अगर इजाजत दें तो बैठकर इसको देख लें और इसमें जो भी करना हो, कर लें ।

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

सरकार के इस रवैये के विरोध में हम कुछ समय के लिए सदन का त्याग करते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह प्रदेश के किसानों के हितों के खिलाफ है, इसलिये मैं भी स्वयं को मा0 नेता, विरोधी दल की भावनाओं से सम्बद्ध करते हुए अपने दल सहित सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम शरण दास–

यह तमाम प्रदेश का मामला है, उनको दबाया जा रहा है, लिहाजा इसके विरोध में हम भी सदन त्याग करते हैं ।

(श्री राम शरण दास अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के प्रारूप के अन्तर्गत उ0 प्र0 की योजना

*8—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत उ0 प्र0 के आने वाले क्षेत्रों में राजस्व एवं सामान्य प्रशासन का क्या प्रारूप होगा ? क्या प्रदेशीय राजस्व एवं सामान्य प्रशासन मात्र औपचारिक होंगे अथवा इनकी भी कोई भागीदारी होगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का प्रारूप अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने पर उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश-उप क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना एन0 सी0 आर0 प्लानिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की जायेगी जिसे उपरोक्त बोर्ड से अनुमोदित कराया जायेगा । योजना के प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार उ0 प्र0 उपक्षेत्र की योजना के क्रियान्वयन का कार्य निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा सम्पादित कराया जाना है अतः राजस्व एवं सामान्य प्रशासन का वर्तमान स्वरूप यथावत रहने की सम्भावना है ।

राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के औपचारिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद बलिया के कतिपय विकास खण्डों में कार्यरत स्वास्थ्य इकाइयों का विवरण

*9—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा के किन-किन स्तरों की कितनी-कितनी स्वास्थ्य इकाइयां कार्यरत हैं जिससे जनता को उपचार व्यवस्था उपलब्ध हो रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन तीनों विकास खण्डों में स्थापित विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सालयों में अब तक कितने-कितने स्थान किन-किन श्रेणियों के रिक्त हैं? क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कर समुचित उपचार व्यवस्था करते हुए सम्बन्धित चिकित्सालयों को जनसंख्या के हिसाब से औषधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

निम्नलिखित स्वास्थ्य इकाइयां कार्यरत हैं :—

स्वास्थ्य इकाई	सियर	नगरा	रतनपुरा
1—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	1
2—अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	2	1
3—नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	3
4—राजकीय एलो0 चिकित्सालय	1	—	—
5—महिला चिकित्सालय	1	—	—
6—होम्योपैथी चिकित्सालय	5	5	3
7—आयुर्वेदिक चिकित्सालय	3	4	3
8—मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र, व परिवार कल्याण उपकेन्द्र	27	29	19

इन तीनों विकास खण्डों में स्थापित विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सालयों में में चिकित्साधिकारी के सीयर में 2 नगरा में 3 एवं रतनपुरा में 2 पद रिक्त हैं। अन्य किसी श्रेणी के कोई पद रिक्त नहीं हैं। होम्योपैथिक चिकित्सालय सीयर में एक तथा नगरा में एक चिकित्सक के पद रिक्त हैं। प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की बहुत कमी है। शासन द्वारा माह नवम्बर, 1987 में 32 पुरुष एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की बलिया में तैनाती के आदेश 12-11-87 को जारी किये गये हैं, जिन्हें 31-12-87 तक कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने पर स्थिति सुधरना स्वाभाविक है। उक्त चिकित्सालयों में दवा की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुसार है।

प्रदेश में आम की फसल की बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा कृत कार्यवाही

*10—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश में आम की फसल की गम्भीर बीमारी के प्रकोप का सामना करना पड़ा जिससे कि फसल को बहुत बड़ी क्षति हुयी? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी बीमारी है तथा इन बीमारियों के रोक-थाम के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या शासन आम की फसलों के लिए संरक्षण हेतु कोई व्यापक योजना बनाने हेतु विचार कर रही है?

श्री नरेन्द्र सिंह—

इस वर्ष प्रदेश में काकोरी, मलिहाबाद जनपद लखनऊ, अमरोहा जनपद-मुरादाबाद एवं स्याना जनपद—बुलन्दशहर जैसे कुछ स्थानों में आम की फसल को कुछ क्षति पहुंची है।

आम की फसल को मुख्यतः मैंगों हापर तथा पाउडरी मिल्ड्यू द्वारा क्षति पहुंची थी और ऐसे सभी स्थानों को वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण कराकर बागवानों को कीड़ों एवं बीमारियों की रोकथाम हेतु तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

हापर तथा पाउडरी मिल्ड्यू के उपचार हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहपुर सीकरी के कतिपय ग्रामों की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था

*11—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी में स्थित ग्राम समूह पेयजल योजना सीकरी हिस्सा 4 (नगर) में सम्मिलित ग्राम मोंहदऊ, गोठरा, चरियारी, पतसाल और पाली को पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है? यदि हां, तो इन गांवों की जनता को पेय जल-आपूर्ति कराने के लिए शासन ने कोई ठोस एवं प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ब्लाक फतेहपुर सीकरी में स्थित ग्राम समूह पेयजल योजना सीकरी हिस्सा–4 में सम्मिलित ग्राम महदऊ गौंठरा, चुरियारी, पतसाल एवं पाली को पेयजल आपूर्ति जलस्तम्भों द्वारा सुचारु रूप से की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ में नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु परीक्षा

*12–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 8-3-87 को नर्सिंग परीक्षा तीसरी बार आयोजित की गयी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी दो बार परीक्षा स्थगित करने का कारण प्रश्न पत्रों का आउट हो जाना था जिससे अभ्यर्थियों के ऊपर अधिक आर्थिक भार पड़ा और क्या यह भी सत्य है कि इसमें निदेशालय के ही एक अधिकारी जिसने प्रश्न-पत्रों को बनाया है आऊट करने में उनका हाथ रहा है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। मार्च सत्र 1987 के लिए नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन के सम्बन्ध में लिखित परीक्षा दिनांक 22-2-87 को आयोजित की गयी थी। प्रश्न-पत्र आउट हो जाने के कारण लिखित परीक्षा दूसरी बार दिनांक 8-3-87 को आयोजित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में की गई जांच से प्रश्न पत्र आउट होने में किसी भी कर्मचारी का हाथ नहीं पाया गया। शेष का प्रश्न नहीं है।

*13–श्री परागी लाल चौधरी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

परिवार नियोजन कार्यक्रम में लक्ष्य की पूर्ति करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग

*14–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम में अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बिना बारी आये प्रोन्नति दिये जाने, चयन वेतनमान दिये जाने तथा महत्वपूर्ण जनपदों तथा स्थानों पर उनकी तैनाती किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एशबाग मोतीझील (लखनऊ) स्थित कसाईखाना हटाये जाने की मांग

*15—श्री राम शरण दास—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि एशबाग मोतीझील क्षेत्र से कसाईखाना (स्लाटर हाउस) हटाये जाने का शासन द्वारा काफी अर्सा पूर्व निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक उक्त कसाईखाना न हटाये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

इस व्यवसाय में लगे अल्प संख्यक लोगों के विरोध करने, लखनऊ महापालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने तथा भूमि के उपलब्ध न होने के कारण उक्त कसाईखाना नहीं हटाया जा सका ।

नगर पालिका खैराबाद तथा लहरपुर, सीतापुर में शासनादेशानुसार गृह कर की वसूली

*16—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका, खैराबाद तथा लहरपुर जनपद-सीतापुर में 360 रुपये से कम मिल्कियत के मकानों से गृहकर व जल कर वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो फिर डिमान्ड खारिज करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं में 360 रुपये तक वार्षिक मूल्यांकन के भवनों को भवन स्वामी के उसी नगरपालिका, में अन्य भवन न होने पर गृहकर से मुक्त कर दिया गया है। जनपद-सीतापुर स्थित नगर-पालिका, खैराबाद ने उक्त शासनादेश का अनुपालन कर दिया है और तद्नुसार डिमाण्ड को खारिज कर दिया है।

नगरपालिका, खैराबाद द्वारा जलकर आरोपित नहीं किया गया है।

नगरपालिका, लहरपुर, (सीतापुर) में अभी तक गृहकर का आरोपण नहीं किया गया है। सम्प्रति इस नगरपालिका में जब यह नगर क्षेत्र समिति थी, तबसे यू0 पी0 टाउन एरिया एक्ट के अन्तर्गत हैसियत एवं सम्पत्ति कर वसूला जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर को निर्देशित कर दिया गया है कि नगरपालिका, लहरपुर में यू0 पी0 म्यूनिसिपैल्टीज एक्ट, 1916 की धारा 128(1) के अन्तर्गत गृहकर आरोपित करायें । और शासनादेश दिनांक 12-12-86 का अनुपालन करायें ।

नगरपालिका, लहरपुर द्वारा भी जलकर नहीं लगाया गया है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा चलाई जा रही योजना में दुर्बल वर्ग के लोगों को छूट की सुविधा

*17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में प्लाट/भूखण्ड आदि सम्पत्ति पर क्रेताओं से ब्याज की दर क्या है तथा किस हिसाब से ली जाती है? क्या यह सही है कि जहां सरकार

दुर्बल आय वर्ग को प्रोत्साहन (आवास उपलब्ध कराने) हेतु अनेक सुविधाएं देने की घोषणा करती है वहीं पर एक कमरे वाले आवास की कीमत 33 हजार से लगभग 40 हजार तक लेती है, जो ब्याज समेत दुगने से भी ज्यादा पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इसमें दुर्बल आय वर्ग को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी सुविधाएं छूट आदि का प्राविधान कर रही है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में विकसित भूखण्ड पंजीकृत व्यक्तियों को नकद/किश्त क्रय पद्धति पर प्रदिष्ट किये जाते हैं। किश्त पर प्रष्टि करने की दशा में भूखण्ड का मूल्य 8 छमाही किश्तों में 15% वार्षिक की दर से ब्याज सहित लिया जाता है।

जी हां।

भवनों के निर्माण सामग्री के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि तथा मजदूरों की दरों में बढ़ोत्तरी के कारण एक कमरे वाले आवासों की कीमत 33 हजार से 40 हजार तक आ रही है। आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भवनों का निर्माण उ0 प्र0 सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत शेडूल आफ रेट्स के आधार पर किया जाता है और वास्तविक निर्माण लागत पर ओवर हेड खर्च जोड़ कर भवन की कीमत निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कीमत में वृद्धि लागत की वृद्धि के अनुपात में अधिक नहीं है। दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने हेतु आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निम्न सुविधायें छूट दी जाती हैं।

1—आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों में भूखण्ड का मूल्य सामान्य विकसित दर से लिया जाता था, किन्तु दुर्बल आय वर्ग के पंजीकृत क्रेताओं को प्रोत्साहन देने हेतु दिनांक 1-1-87 से भवन से सम्बद्ध भूमि का मूल्य सामान्य विकसित दर से दस प्रतिशत कम लिया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणी के भवनों की अपेक्षा दुर्बल आय वर्ग भवनों की किश्तों की संख्या अधिक होती है।

2—अन्य श्रेणी के भवनों की अपेक्षा दुर्बल आय वर्ग भवनों का मूल्य अधिक समय की किश्तों में वसूल किया जाता है जिससे किश्तों की धनराशि अन्य श्रेणी के भवनों की किश्तों की धनराशि से कम होती है।

3—दुर्बल आय वर्ग के भवनों में से किश्त पद्धति पर प्रदिष्ट भवनों के मूल्य में अन्य श्रेणी की सम्पत्तियों के अपेक्षा कम दर पर ब्याज लिया जाता है।

4—योजनाओं के अन्तर्गत अन्य श्रेणी की अपेक्षा दुर्बल आय वर्ग के भवन अधिक संख्या में बनाये जाते हैं।

5—वर्तमान समय में भवन निर्माण लागत व मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाने के कारण भवनों के मूल्य में वृद्धि हुई। अतः दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को निर्मित भवनों के स्थान पर हाउस-साइट्स सस्ते दर पर दिये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

जनपद नैनीताल में ओला वृष्टि से प्रभावित फल उत्पादकों को राहत देने की मांग

*18—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के रामगढ़ भवाली, नथुवाखान, श्यामखेत, हरतोला तथा मुक्तेश्वर के फल उत्पादकों की सेवों की फसल मई, 1987 की भीषण ओलावृष्टि से 75 प्रतिशत से भी अधिक नष्ट हो गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त फल उत्पादकों के पास जीवनयापन का इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको तुरन्त राहत देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अमृता बाटलर्स, फैजाबाद द्वारा निर्मित पेय पदार्थ में विषैले जन्तु पाये जाने संबंधी शिकायत पर कार्यवाही

*19—श्री मित्रसेन—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृता बाटलर्स, फैजाबाद द्वारा निर्मित शीतल पेय की बोतल में किसी विषैले जन्तु के पाये जाने के संबंध में अपराध संख्या 677/86 दिनांक 31-5-86 की कोई रिपोर्ट कोतवाली फैजाबाद में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में विवेचना जारी है ।

जनपद इलाहाबाद में अस्वास्थ्यकारी एवं दूषित जलापूर्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय

*20—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में अस्वास्थ्यकारी एवं दूषित जलापूर्ति न करने सम्बन्धी कोई निर्णय एवं निर्देश मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नवम्बर, 86 में दिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और दोषी अधिकारियों को दंडित करने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्तमान पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु दिसम्बर, 1986 में निर्देश पारित किये गये ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 201 पर)

अतारांकित प्रश्न

नगर महापालिका गोरखपुर द्वारा निर्मित दुकानों पर अधिनियम के अनुसार प्रिमियम

1—श्री सैयद जावेद अली—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर नगर महापालिका ने 1984 के बाद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में उसके द्वारा बनाई गयी दुकानों के लिये आवेदन कर्ताओं से कुछ धनराशि पगड़ी (प्रीमियम) के नाम पर अपने बैंक के खाते में बिना रसीद के जमा करा लिया है जिस पर न तो कोई ब्याज नगर महापालिका दे रही है और न किराये में मुजरा कर रही है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार नगर महापालिका जैसी सरकारी संस्थाओं को पगड़ी (प्रीमियम) लेने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित दुकानदारों को उनकी जमा धनराशि का ब्याज या किराये में मुजरा करने के लिये गोरखपुर नगर महापालिका को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगर महापालिका, गोरखपुर द्वारा निर्मित दुकानों के लिए प्रीमियम (नजराना) की धनराशि ली गयी है जिसकी रसीद आवेदनकर्ताओं को दी गयी । प्रीमियम की धनराशि पर न तो ब्याज देय होता है और न ही उसका समायोजन किराये के विरुद्ध किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम की धारा 129 के अन्तर्गत महापालिका को प्रीमियम लेने का अधिकार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निकासी हेतु विल्लोचपुरा रोड (लखनऊ) पर सीवर लाइन की व्यवस्था

2—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 144 के उत्तर के संदर्भ में नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 293 में 3 इंच की जगह 18 इंच की पाइप को लगाने का अनुरोध किया गया था और प्रश्न संख्या 144 में इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार की गयी है किन्तु उत्तर में बतलाया गया था कि सीवर लाइन डालने की योजना स्वीकृत हो चुकी है ? इस क्षेत्र में 3 इंच की जगह 18 इंच की पाइप डालने के अनुरोध के बावजूद अभी तक क्यों नहीं डाली गयी तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह कब तक डाली जायेगी ?

श्रीमती पद्मी सेठ—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में 9 इंच व 12 इंच की सीवर लाइन पड़ी हुई है जिससे पानी की निकासी होती है । अधिक तेजी से जल निकासी के लिये गलीपिट भी बना दिया गया है जिससे जल निकासी की समस्या का निदान हो जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली विकास प्राधिकरण का विकास कार्य एवं व्यय विवरण

3–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985-86 व 1986-87 में नगर में क्या-क्या विकास कार्य किये, उन पर कितना-कितना धन खर्च हुआ ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य तथा उन पर हुए व्यय के वर्षवार विवरण निम्नवत् हैं:–

कार्यों का विवरण	वर्ष 1958-86 वास्तविक व्यय (लाख रु0 में)	वर्ष 1986-87 वास्तविक व्यय (लाख रु0 में)
1	2	3
1––भूमि अध्याप्ति	7.71	16.89
2––योजना स0 1 कार्यालय एव शापिंग काम्पलेक्स के निर्माण ..	9.80	0.82
3––योजना स0 2 टीवरी नाथ आवासीय योजना ..	5.64	0.87
4––संजय गांधी कम्यूनिटी हाल का निर्माण ..	12.27	2.16
5––रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के निर्माण पर व्यय ..	7.40	0.66
6––विकास कार्य (चौपला चौराहा के सौन्दर्यीकरण) ..	6.68	1.65
7––पीलीभीत तथा बदायूं रोड पर दुर्बल आय वर्गीय भवनों का निर्माण	47.30	18.07
8––प्रियदर्शिनी नगर योजना के निर्माणाधीन भवनों पर व्यय ..	..	8.72
कुल योग रु0 ..	96.80	49.75

4–श्री कुशल पाल सिंह–

[करण संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

कृषि विभाग के गोरखपुर, फैजाबाद व बनारस में लम्बी अवधि से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं स्थानान्तरण सम्बन्धी शासनादेश

5–श्रीमती शारदा देवी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व फैजाबाद तथा बनारस मण्डल में 12 वर्ष के बाद भी कितने अधिकारी व कर्मचारी एक ही मण्डल में कार्यरत हैं और उसका क्या औचित्य है जबकि शासनादेशानुसार 12 वर्ष के बाद एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण करने का प्राविधान है?

श्री नरेन्द्र सिंह–

कोई ऐसा अधिकारी नहीं है। केवल वाराणसी मण्डल में एक कर्मचारी श्री सुदर्शन सिंह, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 बारह वर्ष के बाद भी कार्यरत हैं। श्री सिंह का वाराणसी मण्डल में 12 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 20-4-87 को गोरखपुर मण्डल को स्थानान्तरण किया गया था किन्तु उनके अध्यक्ष, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ मण्डल इकाई, वाराणसी के पद पर निर्वाचित होने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0–2309/का-4-7-ई0ए0/85, दिनांक 28 जुलाई, 1984 में निर्दिष्ट व्यवस्था कि सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके अपने संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष तक न किया जाये, के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण 16-5-87 को स्थगित किया गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कतिपय सहकारी समितियों द्वारा फर्जी ऋण वितरण किये जाने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

6–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि भूतपूर्व सचिव दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति, म्याणी, पट्टी लालूर उपपरगना जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल ने माह जून, सन् 1983 को 52 व्यक्तियों के नाम से मु0 100144 रु0 का फर्जी रूप से मांग पत्र बना कर जिला सहकारी बैंक की शाखा थत्यूड़ जौनपुर से उक्त धनराशि नकद प्राप्त कर दिनांक 28-6-83 को खातों में फर्जी तौर पर वितरण दिखाकर सारा धन हड़प लिया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, 52 व्यक्तियों का फर्जी ऋण पत्र मु0 1,00,144.00 रु0 का बनाया गया था और यह ऋण फर्जी रूप से सदस्यों को वितरण दिखाकर उनके खाते में अंकित किया गया। उपरोक्त फर्जी ऋण वितरण से पूर्व प्रश्नगत 52 व्यक्तियों से फर्जी वसूली भी दिखाई गई। इस प्रकार वास्तविक उपहरण केवल रु0 17002 का ही हुआ। तत्कालीन समस्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई है।

7–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि दिनांक 30-6-83 को उक्त समिति का लेखा परीक्षक ने अपनी आडिट रिपोर्ट के बिन्दु 52 में यह लिखा है कि उक्त सचिव ने समिति की कार्यवाही रजिस्ट्रार प्रनोट बुक आदि सभी पत्रावलियां जिनमें उक्त धन लेने व वितरण करने की कार्यवाही दर्ज की थी, खो जानी बतायी है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

जनपद बस्ती के प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी के कतिपय कर्मचारियों के रोके गए वेतन का भुगतान

8—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र बनकटी जनपद बस्ती में वर्ष 1985-86, 86-87 में किन-किन कर्मचारियों का किन-किन माहों का वेतन किन कारणों से रोका गया ? क्या उक्त रोके गये कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी का वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ? शेष कर्मचारियों का वेतन कब तक दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1985-86 तथा 86-87 में मुख्यालय पर उपस्थिति न होने अथवा संदिग्ध होने के कारण संलग्न सूची में उल्लिखित कर्मचारियों का उनके नाम के सम्मुख माहों का वेतन रोका गया ।

संलग्न सूची में उल्लिखित कर्मचारियों में से 17 को छोड़कर, जिनकी उपस्थिति के विषय में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पायी है, शेष सभी कर्मियों के रोके गये वेतन का उनके नाम की सम्मुख अंकित माह में भुगतान किया जा चुका है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 202-203 पर)

9—श्री काशी सिंह एरी—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

बलिया नगर में सड़क, गली एवं नाली निर्माण में नियमानुसार कार्य

10—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया नगर में गत दो वर्षों के अन्दर सड़क निर्माण, गली निर्माण एवं नाली निर्माण में काफी घपला हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस घपले की जांच सरकार तुरन्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

10—बलिया नगर पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में गत दो वर्षों के अन्दर जो भी सड़क, गली एवं नाली निर्माण कार्य कराया गया है उसमें कोई घपला नहीं हुआ है । कार्य के बिलों का सत्यापन सक्षम अधिकारी से कराने के बाद ही भुगतान हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 एस0 एन0 प्रसाद प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र हैंसर, जनपद बस्ती द्वारा किये गये आपरेशन की संख्या

11—श्री अम्बिका सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एस0 एन0 प्रसाद, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैंसर बाजार, बस्ती ने वर्ष 1986-87 में किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर किस-किस की नसबन्दी आपरेशन किये हैं उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा उनका प्रेरक कौन है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में डा0 एस0 एन0 प्रसाद, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैसर बाजार, बस्ती ने कुल 551 नसबन्दी आपरेशन किये थे ।

इनसे सम्बन्धित अन्य सभी सूचनाएं मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध विस्तृत सूची से लिखित पूर्व सूचना देकर प्राप्त की जा सकती हैं।

डा0 सी0 बी0 सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नाथनगर, जनपद बस्ती द्वारा किये गये पुरुष आपरेशन की संख्या एवं वितरित उपहार

12–श्री अम्बिका सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 सी0 बी0 सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नाथनगर, बस्ती ने वर्ष 1986-87 में किन-किन पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन किये हैं, उनके नाम एवं पते क्या हैं एवं उनके प्रेरक कौन हैं तथा किस-किस को उन्होंने कम्बल वितरित किया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में डा0 सी0 बी0 सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, नाथनगर, बस्ती ने कुल 370 नसबन्दी आपरेशन किये थे तथा कुल 80 लाभार्थियों को कम्बल वितरित किये गये थे ।

इससे सम्बन्धित अन्य सभी सूचनाएं मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध विस्तृत सूची से लिखित पूर्व सूचना देकर प्राप्त की जा सकती हैं।

डा0 भारत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सेमरियांवा, जनपद बस्ती द्वारा किये गये पुरुष नसबन्दी आपरेशन की संख्या एवं वितरित उपहार

13–श्री अम्बिका सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 भारत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सेमरियांवा, बस्ती ने वर्ष 1986-87 में किन-किन पुरुषों का नसबन्दी आपरेशन किया है ? उनके नाम एवं पते क्या हैं एवं उनके प्रेरक कौन हैं? किस-किस को उन्होंने कम्बल वितरित किया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में डा0 भारत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियांवा, बस्ती ने कुल 268 नसबन्दी आपरेशन किये तथा कुल 58 लाभार्थियों को कम्बल वितरित किये ।

इससे सम्बन्धित अन्य सभी सूचनायें मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध विस्तृत सूची से लिखित पूर्व सूचना देकर प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सिधौली, जनपद सीतापुर के विरुद्ध की जा रही वित्तीय अनियमितता एवं श्रीमती विनोदिनी शर्मा के वेतन का भुगतान

14–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमशः प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सिधौली, सीतापुर द्वारा की जा रही वित्तीय

अनियमितताओं एवं श्रीमती विनोदनी शर्मा, स्वा0 निरीक्षिका, प्रा0 केन्द्र, सिधौली, सीतापुर को माह दिसम्बर, 1985 का वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में माह अप्रैल, 1987 में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिधौली, सीतापुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायतें असत्य एवं निराधार पायी गयीं । श्रीमती विनोदिनी शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिधौली, सीतापुर का दिसम्बर, 85 का वेतन उन्हें दिनांक 7-1-86 को ही प्राप्त करा दिया गया है। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

15–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

राबर्ट्सगंज जनपद मिर्जापुर के तत्कालीन उपनिदेशक (भूमि संरक्षण) द्वारा वितरित कृषि यंत्रों के किराए की वसूली एवं विभागीय आडिट में किए गए गबन की जांच

16–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1972 से 1974 तक राबर्ट्सगंज जनपद मिर्जापुर में तत्कालीन उप निदेशक (भूमि संरक्षण) श्री ब्रह्मानन्द शर्मा ने कृषकों को कृषि यंत्रों को किराए पर वितरण किया था ? यदि हां, तो कितना किराया किसानों पर बना जो वसूल किया गया और किसानों से किराए के कृषि यंत्र वापिस लिए गए अथवा नहीं ? क्या यह भी सही है कि विभागीय आडिट में 94,945 रुपयों का उक्त अधिकारी द्वारा गबन करना सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

16–श्री ब्रह्मानन्द शर्मा के कार्यकाल में 6-3-74 से 24-1-75 तक एक स्प्रिंकलर सेट श्री गौरी शंकर सिंह, कृषक को किराये पर दिया गया ।

कृषि यंत्र का किराया 720/- रुपए बना जिसके सापेक्ष 300/- रुपए वसूल हो चुके हैं । कृषि यंत्र वापस आ गया है ।

जी नहीं ।

मामले की छान-बीन की जा रही है ।

पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में कतिपय वर्षों में अनु0 जाति/अनु0 जन जाति (महिला एवं पुरुष) के चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण

17–श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग में दिनांक 1-1-77 से 1-5-83 तक प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के महिला व पुरुष साधारण ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए गए थे ? उनमें से

कितने महिला व पुरुष चिकित्सा अधिकारियों का विनियमितीकरण हो चुका है ? क्या इनकी वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है ? यदि नहीं, तो कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पी0 एम0 एच0 एस0 साधारण ग्रेड (पुरुष एवं महिला) संवर्ग में दिनांक 1-1-77 से 1-5-83 के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति के चिकित्साधिकारी की की गयी नियुक्तियों की संख्या निम्नवत् है :–

वर्ष	पुरुष		महिला	
	अनु0जाति	जन-जाति	अनु0जाति	जन-जाति
1977 ..	19	..	..	..
1978 ..	..	..	1	..
1979 ..	44	7	6	..
1980 ..	1	..	..	..
1981 .	..	..	1	1
1982 ..	3	..	..	1
1983 ..	51	5	..	..

पुरुष संवर्ग में 16 चिकित्साधिकारियों महिला संवर्ग में एक चिकित्साधिकारी का विनियमितीकरण किया गया है । वरिष्ठता सूची विनियमितीकरण के आदेश के दिनांक से तैयार की जानी है अतः वरिष्ठता सूची समस्त अधिकारियों के विनियमित होने पर तैयार की जा सकेगी ।

श्री रवीन्द्र सिंह, सचिव, साधन सहकारी समिति लि0 पिपरा मनैतापुर, बस्ती द्वारा लघु/सीमान्त कृषकों को ऋण एवं उर्वरक वितरण में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध निलम्बन

18–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

द्वितीय सत्र 86 के दूसरे शुक्र के अतारांकित प्रश्न सं0 171 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22-11-85 से 25-12-85 के बीच अरबिन्द सिंह पुत्र राम शंकर सिंह तथा राम शंकर सिंह पुत्र सरस्वती सिंह (पुत्र एवं पिता) को क्रमशः तीन एकड़ एवं पांच एकड़ भूमि दिखाकर लघु कृषक की सीमा में छूट पर खाद उपलब्ध कराई गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिता पुत्र दोनों ही जोत हदबन्दी सीमा के अन्तर्गत आते हैं और इनके विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो यह दोनों व्यक्ति किस प्रकार प्रात्र व्यक्ति में आते हैं तथा क्या इससे शासन की नीतियों का जो उल्लंघन किया गया है, उसके लिए सचिव के विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । केवल श्री रामशंकर सिंह को सीलिंग अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत नोटिस दी गयी थी । समिति के सचिव के द्वारा श्री राम शंकर सिंह पुत्र श्री सरस्वती सिंह तथा श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री रामशंकर सिंह के नाम क्रमशः पांच एकड़ एवं तीन एकड़ भूमि दिखाकर उर्वरक ऋण और छूट दी गयी जिसके लिए समिति के सचिव श्री राजेन्द्र सिंह को निलम्बित किया जा चुका है

जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली के स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिकों व स्टोर कीपर कम लिपिकों का स्थायीकरण की मांग

19–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली में स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिकों व स्टोर कीपर कम लिपिकों को लगातार सेवारत रहते हुए सात वर्ष से अधिक हो जाने पर भी अभी तक नियमितीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 45 (1)/72/ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 4-6-75 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रसंगत कर्मचारियों के नियमितीकरण नहीं वरन् स्थायीकरण का प्रकरण है जो स्थायी पदों की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं है।

कृषि विभाग में श्रेणी दो से श्रेणी एक में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के विरुद्ध चल रहे केस

20–श्री आसान सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ष 1977 एवं 1980 में जो पदोन्नति श्रेणी दो से श्रेणी प्रथम में हुई है उनमें कितने अधिकारियों के विरुद्ध गबन एवं सतर्कता अधिष्ठान में केस चल रहे थे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1977 एवं 1980 में जिन श्रेणी–2 के अधिकारियों की पदोन्नति श्रेणी–1 में हुई उनमें से 6 अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान में केस चल रहे थे । गबन का कोई मामला किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं चल रहा था ।

इन्दिरा नगर सेक्टर 4 ए ब्लाक, जनपद लखनऊ की सीवर लाइनों की व्यवस्था

21–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर 4 ब्लाक ए की सीवर लाइन निर्धारित मानक के अनुसार न बिछायी जाने के कारण उक्त क्षेत्र की सीवर व्यवस्था काफी दिनों से अस्त व्यस्त है ? क्या इस क्षेत्र का निरीक्षण संबंधित अभियंता द्वारा दिनांक 15-4-86 को कर कुछ आवासों की सीवर व्यवस्था ठीक कराने के आदेश सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को उसी समय दिये थे ? यदि हां, तो उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है ? क्या दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे और सीवर व्यवस्था ठीक कराने के आदेश देंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं । सीवर लाइन का कार्य निर्धारित मानक के अनुसार किया गया था एवं सीवर लाइन सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

जी हां ।

इन आदेशों का उल्लंघन सहायक अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया है इसलिए उन्हें दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता । सीवर की सफाई व फ्लशिंग नियमित रूप से की जाती है।

जनपद वाराणसी में आवास एवं विकास योजना में आवासीय भवनों के पंजीकृत लोगों को आवास वितरण, स्थानान्तरण एवं प्रतीक्षा सूची के लोगों की संख्या

22–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी में आवास एवं विकास योजना लागू होने के वर्ष से अब तक आवासीय मकान के लिए पंजीकृत मामलों का निपटारा हो गया है ? यदि नहीं, तो उनकी संख्या क्या है कितने लोगों को मकान आवंटन हुआ और कितने लोग अभी प्रतीक्षा की सूची में हैं और कितने लोगों ने आवंटन में विलम्ब के कारण अपनी जमा धनराशि को वापस करने की मांग की है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं । वाराणसी में आवास एवं विकास योजना के आवासीय भवनों के लिए कुल 4095 लोग पंजीकृत थे, जिनमें से 269 पंजीकृत लोगों को मकान आवंटित किये गये और 3128 लोग अभी प्रतीक्षा सूची में हैं तथा 118 पंजीकृत लोगों ने अपना पंजीकरण अन्य शहरों हेतु स्थानान्तरित करा लिया है। कुल 580 व्यक्तियों को उनकी मांग पर जमा धनराशि वापस कर दी गयी है।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा महानगर पुरानी आबादी के मकानों का असेसमेन्ट, उक्त मकानों का नम्बर एवं मकान मालिकों के वल्दियत की जांच

23–श्री हर्ष वर्धन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा महानगर पुरानी आबादी के मकानों का वर्ष 1953 में असेसमेंट हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मकानों के नम्बर एवं मकान मालिकों के बलदीयत सहित नाम क्या हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

पुरानी आबादी महानगर का कोई असेसमेंट वर्ष 1953 में नहीं हुआ था क्योंकि यह क्षेत्र उस समय तत्कालीन नगर पालिका, लखनऊ की सीमा से बाहर था।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया बांसी, जनपद बस्ती की सीमा वृद्धि की घोषणा

24–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बांसी, जनपद बस्ती की सीमा वृद्धि की घोषणा में विलम्ब किये जाने का क्या कारण है ? क्या

मंत्री जी अतिशीघ्र कार्यवाही करके क्षेत्र के नागरिकों को नगरीय सुविधा दिलाने की कृपा करेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ?

अधिसूचना संख्या--4783/9-1-87-47टी0(283)/76, दिनांक 5 अक्टूबर, 1987 द्वारा जनपद बस्ती की टाउन एरिया कमेटी, बांसी की सीमा वृद्धि कर दी गयी है।

यू0 पी0 हार्टिकों की सेवा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित कोटे के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

25—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि यू0 पी0 हार्टिकों की सेवा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कोटा अभी तक पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार प्रबन्ध निदेशक एवं जनरल मैनेजर प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कष्ट करेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

हार्टिकों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है कि आरक्षित की रिक्ति कब-कब की है और प्रत्येक रिक्ति को आरक्षित कोटे से भरने के लिए क्या-क्या कार्यवाही हुई और किन परिस्थितियों में आरक्षित कोटा नहीं भरा जा सका।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को आवंटियों के कतिपय शिकायती पत्र

26—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के स्तर पर आवंटियों से प्राप्त इस आशय के कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं जिनमें यह कहा गया है कि उनको प्रदत्त आवास गृह, आवंटित आवास गृह के साइट प्लान नक्शों के अनुरूप नहीं है? शिकायतों का निराकरण करने में क्या बाधा है तथा निराकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्रीमती पद्मा सेठ—

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के स्तर पर आवंटियों से प्राप्त उक्त आशय का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर महापालिका लखनऊ द्वारा मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु क्रय सामग्री एवं जोन—2 की वांछित सूचना

27—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए कितने बल्ब ट्यूब लाइट तथा ट्यूब फिटिंग खरीदी गयी? क्या सरकार लखनऊ के जोन--2 आलमबाग क्षेत्र के उन मोहल्लों की सूची उनमें लगाए गए उक्त सामानों की संख्या सहित प्रस्तुत करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ–

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था की मरम्मत के लिए वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित मात्रा में सामान खरीदा गया:–

1–बल्ब	4,500 संख्या
2–ट्यूबलाइट	12,700 संख्या
3–ट्यूब फिटिंग	3,000 संख्या

जोन–2 आलमबाग क्षेत्र के मुहल्लों के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 204-205 पर)

लखनऊ नगर महापालिका मार्ग प्रकाश विभाग के अधिशासी अभियन्ता का चार्ज दिया जाना

28–श्री भगौती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर महापालिका मार्ग प्रकाश विभाग के अधिशासी अभियन्ता का चार्ज ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है? यदि हां, तो क्या उन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस बुला लिया गया है? यदि नहीं, तो दोहरे चार्ज का क्या औचित्य है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता (वि0/या0) (मार्ग प्रकाश) के पास दोहरा चार्ज नहीं है।

जनपद मुजफ्फर नगर में टी0 बी0 विभाग में डी0 टी0 ओ0 के पद पर तैनात कर्मचारी का स्थानान्तरण एवं श्री फूल सिंह सौदाई स0 वि0 स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही

29–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में टी0 बी0 विभाग में डी0 टी0 ओ0 के पद पर मुजफ्फरनगर के ही मूल निवासी तैनात हैं? यदि हां, तो उन्हें वहां से अन्यत्र स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया? क्या यह भी सही है कि इन्होंने नियुक्ति के समय विभाग को धोखा देने के उद्देश्य से अपना गलत पता लिखाया था? क्या इस सम्बन्ध में श्री फूल सिंह सौदाई सदस्य, विधान सभा, मुजफ्फरनगर का पत्र दिनांक 12-8-87 भी प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर में सीनियर डी0 टी0 ओ0, टी0 बी0 क्लीनिक के पद पर डा0 भरत दिनांक 27-7-87 से तैनात हैं। विभागीय अभिलेखों के अनुसार डा0 भरत जनपद बुलन्दशहर के मूल निवासी हैं। वर्ष 1971 में नियुक्ति के समय डा0 भरत ने अपने आवेदन पत्र में जन्म स्थान तथा निवासीय जनपद ग्राम–नंगला हुकुम सिंह, पोस्ट–करोली बांगर, जनपद बुलन्दशहर इंगित किया है। इनकी व्यक्तिगत फाइल में कोई ऐसे अभिलेख नहीं हैं जिससे यह विदित हो कि वह जनपद मुजफ्फरनगर के

मूल निवासी हैं। अतएव उन्हें इस आधार पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न में उल्लिखित माननीय विधायक का पत्र दिनांक 12-8-87 शासन में प्राप्त नहीं हुआ। अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद सिविल लाइन्स के कतिपय क्षेत्रों के सागरपेशा वासियों को नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत बसाना

30—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद सिविल लाइन्स, जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, राजापुर क्षेत्रों के सागरपेशा वासियों को भूमिहीन मानते हुए जहां हैं वहीं की नीति के अनुसार नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त बची भूमि पर बसाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इससे अतिक्रमण को प्रोत्साहन मिलेगा।

जनपद इलाहाबाद के अल्लापुर क्षेत्र में विकास शुल्क की वसूली

31—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि शासन के आवास अनुभाग—2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 3014/37-2-81/36(iii)/(25)/66 दिनांक 29 अप्रैल 81 के अनुसार अल्लापुर क्षेत्र में 6 रु0 90 पैसा विकास शुल्क वसूलने का आदेश निर्गत करने के बावजूद हजारों लोगों से इससे बहुत ज्यादा विकास शुल्क वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ही विकास शुल्क लिये जाने का आदेश जारी करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शासनादेश संख्या 3014/37-2-81/36(iii)-(25)/66, दिनांक 29 अप्रैल, 1981 के अनुसार अल्लापुर क्षेत्र में अविकसित तथा अनर्जित क्षेत्र के व्यक्तियों से रु0 6.90 पैसे प्रति वर्गगज की दर से ही विकास शुल्क वसूल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दर से विकास शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल, स0 वि0 स0 की अध्यक्षता में केन्द्रीय औषधि भण्डार के अध्ययन हेतु समिति का गठन

32—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 1984-85 व 1985-86 में कृष्ण बीर सिंह कौशल, विधायक आगरा की अध्यक्षता में एक उप समिति दवाइयों के खरीद की प्रक्रिया के बारे में सुझाव देने के लिए गठित की गयी थी? यदि हां, तो उक्त समिति ने जो संस्तुतियां की थीं उनमें से कौन-कौन सी संस्तुति लागू की गयी तथा कौन शेष

है? क्या संस्तुति रिपोर्ट तथा पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1984-85 व 1985-86 में डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल, विधायक आगरा की अध्यक्षता में कोई उपसमिति दवाइयों के खरीद के प्रक्रिया के बारे में सुझाव देने के लिए गठित नहीं की गई थी। वर्ष 1983-84 में डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल की अध्यक्षता में केन्द्रीय औषधि भंडार अनुभाग के वर्ष 1980-81 के कार्य कलापों के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन अवश्य किया गया था। इस समिति की अधिकांश समितियां लागू कर दी गई हैं। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है। माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार इसे देख सकते हैं।

झांसी क्षेत्र के महोबा, जनपद हमीरपुर में पी0 सी0 एफ0 द्वारा नियमानुसार क्रय की गई भूमि

33–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि झांसी क्षेत्र अन्तर्गत महोबा पी0 सी0 एफ0 ने अपने गोदाम के लिए छः कि0 मी0 दूर राठ रोड पर एक ग्राम में श्री मोहन लाल लोधी की जमीन जिसकी कीमत मात्र छः हजार रुपये है साठ हजार में अक्तूबर, 1985 में खरीदा दिखाकर श्री मोहन लाल को छः हजार रुपये का ही भुगतान किया है और विभाग से भूमि क्रय हेतु साठ हजार रुपये निकाल लिये हैं? यदि हां, तो लगभग पचास हजार का घोटाला करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं।

झांसी क्षेत्र के महोबा, जनपद हमीरपुर में पी0 सी0 एफ0 द्वारा रुपया 6000/- (छः हजार रुपये) प्रति बीघा की दर से कृषक श्री मोहन लाल लोधी पुत्र श्री रति राम से कुल 10 बीघा जमीन मू0 रु0 60,000/- (रुपया साठ हजार) में क्रय की गयी थी। भूमि विक्रेता कृषक, श्री मोहन लाल को उक्त भूमि का भुगतान रु0 60,000/- (रुपया साठ हजार) मात्र एकाउन्ट पेयी चेक संख्या–945370, दिनांक 11-12-85 के द्वारा किया गया था।

अतः किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राज भवन कालोनी स्थित उ0 प्र0 जल निगम के प्रशिक्षण भवन को अधिकारियों को आवंटन

34–श्री मयंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज भवन कालोनी स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रशिक्षण भवन का प्रयोग अधिकारी कालोनी के रूप में किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि उसमें

रहने वाले तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनका लखनऊ नगर में ही अपना अपना निजी भवन बना है और उसे ऊंचे किराये पर उठा रखा है और स्वयं प्रशिक्षण भवन में कम किराये पर रह रहे हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों से प्रशिक्षण भवन तत्काल खाली कराने पर विचार करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

राज भवन कालोनी के समीप स्थित उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रशिक्षण भवन का प्रयोग प्रशिक्षण, दौरे पर आये अधिकारियों तथा अधिकारियों के आवास हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

इसमें रहने वाले केवल एक ही अधिकारी ऐसे हैं जिनका आवास लखनऊ में है जिसे उनके द्वारा किराये पर दिया गया है।

ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि यदि किसी अधिकारी का अपना आवास किसी स्थान पर हो तो उस स्थान पर से निगम का आवास आवंटित नहीं किया जाय।

जनपद गोरखपुर में श्री बृज मोहन सहाय के नजूल की भूमि के पट्टे का नवीनीकरण

35–श्री हर्ष वर्धन–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985 एवं 1986 में गोरखपुर जनपद में किन-किन व्यक्तियों की नजूल भूमि की लीज की समयावधि को शासन ने बढ़ाया है? इनमें श्री बृज मोहन सहाय निवासी मुहल्ला बसंतपुर गोरखपुर की भूमि का रकबा कितना है तथा उसका पूर्ण विवरण क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1985 एवं वर्ष 86 के बीच शासन द्वारा केवल श्री बृजमोहन सहाय के पक्ष में अराजी छावनी में स्थित बंगला नं0 13 ए, 13 बी एवं 13 सी के पट्टे का नवीनीकरण किया गया। पट्टागत भूमि का कुल क्षेत्रफल पांच बीघा है।

श्री जगदीश कुमार सिंह सचिव, साधन सहकारी समिति, हरपालपुर, हरदोई का अग्रिम आदेशों तक स्थानान्तरण रोके जाने के आदेश

36–श्री जमुना प्रसाद बोस–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि साधन सहकारी समिति हरपालपुर जिला हरदोई के वर्तमान सचिव वहां कितने समय से कार्यरत हैं तथा अब तक उनका स्थानान्तरण आदेश जिला स्तर पर मण्डल स्तर से कितनी बार किया गया? उक्त सचिव को अब तक कार्यमुक्त न होने के क्या कारण हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद हरदोई की साधन सहकारी समिति लि0, हरपालपुर में श्री जगदीश कुमार सिंह मार्च, 1979 से कार्यरत हैं।

जनपद में कार्यरत साधन सहकारी समिति के सचिवों का स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही मण्डल स्तर से न होकर जनपद स्तर से ही की जाती है। जिला स्तर से श्री सिंह का स्थानान्तरण अब तक दो बार किया गया।

तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक, हरदोई के आदेश दिनांक 10-8-87 द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्य करते रहने का आदेश दिया गया है अतः उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

श्री बच्चन सिंह, चुंगी मुहर्रिर, नगर पालिका, मिर्जापुर के विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्र की जांच

37—श्री कल्लू राम रत्नाकर—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मिर्जापुर में कार्यरत चुंगी मुहर्रिर बच्चन सिंह कक्षा—8 का फर्जी सर्टीफिकेट दाखिल कर नौकरी कर रहे थे, जब विभाग की जानकारी हुई तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया किन्तु इनको सेवामुक्त कर धारा 420 का मुकदमा नहीं कायम कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शिकायत के आधार पर श्री बच्चन सिंह, चुंगी मोहर्रिर को निलम्बित करके इनके फर्जी प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। जांचोपरान्त मामले में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बदायूं में सहसवान के प्राथमिक स्वा0 केन्द्र को उच्चीकरण करने की मांग

38—श्री नरेशपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में सहसवान के प्रा0 स्वा0 केन्द्र का उच्चीकरण कब तक करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण की योजना जिला सेक्टर के अन्तर्गत आती है। तदनुसार जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही सम्भव है।

जनपद बदायूं के मढकावली आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु धन का आवंटन

39—श्री नरेश पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं, विकास खण्ड जुनावद के ग्राम मढकावली आयुर्वेदिक चिकित्सालय के दवाओं व भवन के लिए धन दे रहे हैं? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, रु0 2600 की औषधि (2500/- औषधि और 100/- की कच्ची औषधि) प्रतिवर्ष व रुपया 40/- प्रतिमाह भवन किराये हेतु धन आवंटित किया जाता है ।

जनपद लखनऊ के मौजा भिलावा, आलमबाग के कतिपय क्षेत्र को नगर महापालिका द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को पार्क हेतु हस्तान्तरित करने की मांग

40—श्री बालेश्वर यादव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा संख्या-206 मौजा भिलांवा आलमबाग स्थित भूमि का नगर महापालिका, लखनऊ क्या कुछ उपयोग करेगी? क्या इस भूमि पर सार्वजनिक पार्क निर्माण की उनकी कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्या विकास प्राधिकरण, लखनऊ को उक्त भूमि को हस्तान्तरित करके उस पर सार्वजनिक पार्क बनाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

ग्राम भिलावां के खसरा नं0—206 में, नगर महापालिका, लखनऊ की भूमि गड्ढे के रूप में है तथा उसमें जल कुम्भी उग आयी है जिसके कारण वह पार्क निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है। अतः इसमें पार्क के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

सम्प्रति प्रश्नगत भूमि को, पार्क बनाने हेतु, लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद लखनऊ के मुहल्ला पवनपुरी में नगर महापालिका द्वारा पार्क बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

41—श्री बालेश्वर यादव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पवनपुरी समाज कल्याण एवं विकास समिति, आलमबाग, लखनऊ के सदस्यों द्वारा पार्क निर्माण हेतु हस्ताक्षर युक्त एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21-10-86 को दिया गया था जिसे उनके द्वारा दिनांक 27-1-87 को प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को नियमानुसार उचित कार्यवाही करने तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु अग्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

पवनपुरी मुहल्ला अधिकतर खेत आदि की भूमि पर लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भवन निर्माण करके बसाया गया है तथा मुहल्ले का नामकरण भी वहां के निवासियों ने ही कर लिया है । यह महापालिका का अधिकृत मुहल्ला नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक उस क्षेत्र का नियमानुसार लेआउट प्लान आदि लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमोदित होकर महापालिका को हस्तान्तरित न कर दिया जाय, तब तक उक्त मुहल्ले में नगर महापालिका द्वारा पार्क के निर्माण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मौजा भिलांवा, आलमबाग की बंजर भूमि पर अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली के मुकदमें

42—श्री बालेश्वर यादव—

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा नं0-206 मौजा भिलांवा आलमबाग में नगर महापालिका, लखनऊ की कितनी भूमि है ? क्या यह सही है कि इस पर अनधिकृत कब्जे भी हैं ? यदि हां, तो उन अनधिकृत कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगर महापालिका, लखनऊ की ग्राम भिलांवा के खसरा नं0—206 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि है।

अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध महापालिका द्वारा बेदखली के मुकदमें दायर किये गये थे । न्यायालय ने इन वादों में सत्व (टाइटिल) का प्रश्न निहित होने के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी ।

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत जोन-2 आलमबाग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सूची एवं स्थानान्तरण की नीति

43—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत जोन—2 के क्षेत्र आलमबाग में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनमें नियमित तथा मस्टर रोल कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या क्या है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत क्षेत्र में 325 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें नियमित सफाई कर्मचारी 271, मस्टर रोल कर्मचारी—50 तथा मस्टर रोल लोडर्स—4 हैं।

44—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका जोन—2 आलमबाग क्षेत्र में कितने ऐसे सफाई कर्मचारी (सेनेटरी इन्सपेक्टर, मेट तथा जमादार) हैं जो पिछले कई वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण अन्य क्षेत्रों में किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :—

पदनाम	संख्या	कार्य करने की अवधि
मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	1	8 माह से कार्यरत ।
स्वच्छता निरीक्षक	3	1 वर्ष से, 6 माह से तथा तीसरा लगभग 1 वर्ष 6 माह से ।
सेनेट्री सुपरवाइजर	5	4 कर्म0 6 वर्ष से, 1 कर्म0 3 वर्ष से ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण जब आवश्यक होता है, किया जाता रहता है।

आलमबाग (लखनऊ) क्षेत्र के नव विकसित मुहल्लों की नगर महापालिका द्वारा सफाई व्यवस्था

45—श्री भगौती सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि आलमबाग क्षेत्र के नव विकसित मुहल्लों आजाद नगर, जय प्रकाश नगर (नया), विशेश्वर नगर, मधुबन नगर आदि में सड़कों एवं नालियों की सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन मुहल्लों में गन्दगी व्याप्त रहती है और जन जीवन कष्टमय है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा सरकार इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

प्रश्नगत क्षेत्र बिना किसी योजना अथवा किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना बस गये हैं। यहां की गलियों में समुचित नाली आदि भी नहीं हैं। कुछ मार्गों में जनता की मांग पर महापालिका द्वारा नाली बनवा दी गयी है।

इस समय महापालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण इन नव विकसित क्षेत्रों की सफाई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से समय-समय पर करायी जाती रहती है ।

जनपद झांसी के गुरुसराय कस्बा स्थित जल संस्थान के जल कल अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

46—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 26 जून, 86 का पत्र झांसी जिले के गुरू सराय कस्बा स्थित जल संस्थान के जल कल अभियन्ता द्वारा की जा रही गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जांचोपरान्त निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(1) सम्बन्धित जलकल अभियन्ता (अवर अभियन्ता) को गुरु सराय कस्बे से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) उक्त अवर अभियन्ता को गम्भीर चेतावनी दे दी गई है।

(3) जिन उपभोक्ताओं द्वारा कम सुपरवीजन चार्जेज जमा किये गये थे उनसे सुपरवीजन चार्जेज की शेष धनराशि जमा कराई गई है। इस मद में अब कोई धनराशि जमा कराया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में कालोनियों का आवंटित शर्तों के अनुसार आवन्टन

47–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में कालोनियों के आवंटियों की मृत्यु की लखनऊ द्वारा पेपर मिल कालोनी में जो मकान लोगों को एक फिक्स रेट पर एलाट किये गये थे, वही मकान एलाटी के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को डबल रेट पर एलाट या स्थानान्तरण किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किए हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में कालोनियों के आवंटियों की मृत्यु की दशा में उसकी विधवा पत्नी/पुत्रों/विधवा पुत्री, यदि उसके साथ रहते हों, को पूर्व आवंटित शर्तों पर ही आवंटित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या–4220/11-5-87-200 (37)/87 दिनांक 9 सितम्बर, 1987 की एक प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 206 पर)

जनपद सीतापुर एवं हरदोई की विगत तीन वर्षों में सड़कों के निर्माण हेतु दिये गये ठेकों का विवरण

48–श्री बुनियाद हुसेन अंसारी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् जनपद सीतापुर और हरदोई में पिछले तीन वर्षों से जिन सड़कों का निर्माण कराया गया वह किस एजेन्सी द्वारा तथा तारकोल किस स्रोत से लिया गया ? क्या सम्पूर्ण विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई में पिछले तीन वर्षों में सड़कों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा ठेकेदारी से कराया गया है। तारकोल की आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा की जाती है। विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 207-208 पर)

सहायक कृषि निरीक्षक, राजकीय कृषि बीज भण्डार बाल बुजुर्ग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

49–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सरदार नगर विकास खण्ड में स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डार बाल तुजुर्ग पर कार्यरत वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक 10 वर्षों से वहां एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और उसने यू0 पी0 एग्रो गोरखपुर तथा कृषि वर्कशाप बेतालपुर से प्राप्त यंत्रों के मूल्य लगभग एक लाख

छब्बीस हजार रुपये का गबन कर लिया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कितनी अवधि के अन्दर करा कर उसे दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

टी0 बी0 सेनेटोरियम भुवाली (नैनीताल) के कर्मचारियों को टी0 बी0 भत्ता दिये जाने की मांग

50–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टी0 बी0 सेनेटोरियम भुवाली (नैनीताल) के कर्मचारियों को टी0 बी0 भत्ता दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

इसका कोई औचित्य नहीं है ।

बलिया जनपद के बिल्थरा रोड नगर में कथित आवासीय असुविधा

51–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि बलिया जनपद के बिल्थरा रोड नगर में आवासीय असुविधा से नागरिक परेशान हैं तथा लोग आवासीय सुविधा नगर समिति या विकास प्राधिकरण के माध्यम से कालोनियों के निर्माण की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस रूप में सरकार इस समस्या का निदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

बिल्थरा रोड, जिला बलिया में आवास सम्बन्धी कोई विषम समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, अतः किसी आवासीय योजना लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

ले आउट प्लान के अन्तर्गत लखनऊ के राजस्व अभिलेखों में कथित अनियमितता के विरुद्ध शिकायत

52–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री के पत्रांक सी0 एम0 विको (एम-1ल)-31 85-86 दिनांक 3 मई, 1986 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा जो मांग की गयी थी उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और क्या कार्यवाही शेष है तथा उसको कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

संदर्भित पत्र दिनांक 3 मई, 1986 के साथ माननीय विधायक का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि माननीय विधायक के पत्र दिनांक 23-12-85 एवं 28-12-85 क्रमशः मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 23-1-86 व 4-1-86 द्वारा प्राप्त हुए थे । दोनों पत्रों में उल्लिखित विषयों पर जांच कराई गई जांच रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ राजस्व अभिलेखों में परती दर्ज होने के कारण ही इस भूमि को अर्जित किया गया था । फिर भी यदि उक्त भूखण्ड में कोई पुरानी कब्र पाई जाएगी तो योजना के ले आउट प्लान में उसका पूरा ध्यान रखा जायगा ।

उ0 प्र0 में पेय जल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन की योजना

53–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि इस समय उत्तर प्रदेश के कुल कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना शेष है इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शासन की योजना क्या है तथा कब तक इन गांवों में पेयजल उपलब्ध हो जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश के कुल 41052 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना शेष है जिसमें 13127 समस्याग्रस्त ग्राम हैं । समस्याग्रस्त ग्रामों को सामान्य कार्यक्रम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं त्वरित जल सम्पूर्ति कार्यक्रम) के अन्तर्गत हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन ग्रामों में हैण्ड पम्प सफल नहीं हैं या उनका पानी पीने योग्य नहीं है वहां पाइप लाइन द्वारा पेयजल व्यवस्था कराई जाती है । शेष ग्रामों को धन की उपलब्धता के अनुसार लाभान्वित किया जा सकेगा ।

नगर महा पालिका लखनऊ को सचिवालय हाउसिंग कालोनी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र

54–श्री रामपाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के कितने पत्र उन्हें गत माह जुलाई, 87 से अब तक सचिवालय हाउसिंग कालोनी ब्रह्मनगर पतारागंज, डालीगंज लखनऊ की समस्याओं से सम्बन्धित प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्यवाही कब तक करा दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नकर्ता के कुल तीन पत्र अब तक सचिवालय हाउसिंग कालोनी ब्रह्मनगर पतारागंज, डालीगंज की समस्याओं से सम्बन्धित नगर महापालिका, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं । इन पत्रों पर महापालिका कालोनी हस्तान्तरित न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है । यह कालोनी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सचिवालय सहकारी आवास समिति की कालेनी बताई जाती है, जिसके लखनऊ नगर महापालिका को हस्तान्तरित हो जाने पर ही नगर महापालिका द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद लखनऊ की काकोरी टाउन एरिया कमेटी के विकास के सम्बन्ध में कथित आरोपित पत्र

55–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काकोरी टाउन एरिया कमेटी के विकास के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मई, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

उक्त पत्र में विकास हेतु प्राप्त धन के उपयोग के पूर्व क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद की सलाह लेने एवं प्रभारी अधिकारी, टाउन एरिया की प्रत्येक माह में कम से कम एक बार टाउन एरिया कार्यालय काकोरी में बैठने की अपेक्षा की गयी है ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 में शासन द्वारा टाउन एरिया कमेटी, काकोरी को रु0 80,000 की धनराशि सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत की गई थी । उक्त धनराशि का उपयोग टाउन एरिया कमेटी, काकोरी द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है । विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत इस कार्य को सम्पन्न करने के पूर्व क्षेत्रीय विधायक एवं सांसद का पूर्व परामर्श अपेक्षित नहीं है ।

परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट लखनऊ ही टाउन एरिया कमेटी, काकोरी के प्रशासक भी हैं और वह माह में एक से अधिक बार टाउन एरिया कमेटी, कार्यालय काकोरी में जाते हैं तथा टाउन एरिया की समस्याओं का निराकरण करते हैं ।

परगनाधिकारी/मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य करते हुए शांति व्यवस्था व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रत्येक माह में दिन निश्चित करके टाउन एरिया कार्यालय में बैठना उनके लिए संभव नहीं है ।

टाउन एरिया काकोरी जनपद लखनऊ में निर्बल वर्ग की बस्ती में जन जीवन के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही

56–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के टाउन एरिया काकोरी जनपद लखनऊ में हरिजनों एवं निर्बल वर्ग की बस्ती में जन जीवन के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी टाउन एरिया काकोरी जनपद लखनऊ के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इस प्रकार का एक पत्र 16 अक्टूबर, 1986 को जिलाधिकारी लखनऊ को प्राप्त हुआ था ।

पत्र में उल्लिखित समस्याओं के समाधान हेतु आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टाउन एरिया कमेटी, काकोरी द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

नागरिक सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने का दायित्व स्वयं टाउन एरिया का है । अतः शासन द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नगरपालिका दादरी जिला गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं आख्या

57–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नगर पालिका दादरी जिला गाजियाबाद, के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 9 अक्टूबर, 1986 को उन्हें दिया था और उक्त पत्र पर उन्होंने कोई जांच आदेश भी दिये थे ? यदि हां, तो जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

जांच आख्या की प्रति संलग्न है † ।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड दादरी एवं बिसरख में पेयजल की व्यवस्था

58–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड दादरी एवं बिसरख में पेयजल की व्यवस्था पानी की टंकियों के द्वारा कराने का प्रस्ताव है जिसका लक्ष्य जून 1989 है ? यदि हां, तो अब तक कितने ग्रामों में नलकूप लगाये जा चुके हैं तथा कितने नलकूप लगाये जाने वाले हैं और इसके लिये किन-किन गांवों का चयन किया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

विकास खण्ड दादरी के 16 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 8 ग्रामों को इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया जा चुका है । शेष आठ समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए योजनाएं विरचित की जा रही हैं । विकासखण्ड बिसरख के 51 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 27 ग्राम इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित कर दिये गये हैं । 20 ग्रामों में पाइप/टंकी द्वारा 4 पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं । शेष चार ग्रामों के लिए विरचनाधीन हैं ।

विकास खण्ड बिसरख की दो योजनाओं के कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 1989 तथा दो का लक्ष्य मार्च, 1990 है ।

अब तक विकास खण्ड बिसरख को 3 योजनाओं के लिए ग्राम साकीपुर, कुलेसरा व असगरपुर में एक-एक नलकूप छिद्रित किये जा चुके हैं तथा ग्राम खोदना में एक नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित है ।

---

† छापी नहीं गई ।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मुरादनगर जिला गाजियाबाद द्वारा सफाई व्यवस्था पर किया गया व्यय

58–(अ) कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिशासी अधिकारी नगरपालिका मुरादनगर जिला गाजियाबाद द्वारा वर्ष 85-86 में 6 लाख रुपये का व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस कस्बे में सफाई व्यवस्था के नाम पर किये गये वित्तीय घोटाले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण की जांच कराकर उनको दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

वर्ष 1985-86 में नगरपालिका, मुरादनगर में सफाई व्यवस्था पर अंकन 6,12,863 रु0 व्यय हुए हैं जिसमें 5,45,084/- रु0 सफाई कर्मचारियों के वेतन पर हुआ व्यय भी शामिल है ।

चूंकि सफाई व्यवस्था पर व्यय सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार किया गया है और इस व्यय में कोई घोटाला नहीं बताया गया है, अतः सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र मौजीपुरा, जनपद बरेली के तत्कालीन खाद्य निरीक्षक द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर श्री अर्जुन सिंह यादव के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

59–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक का शिकायती पत्र जो तत्कालीन खाद्य निरीक्षक श्री राजाराम वर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौजीपुरा जनपद बरेली भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, दिनांक 30-7-87 को उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

श्री राजाराम का स्थानान्तरण सहारनपुर कर दिया गया है ।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में भूपगंज को टाउन एरिया बनाया जाना

60–श्री राम सागर राव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विकास खण्ड पयागपुर में भूपगंज बाजार को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो टाउन एरिया बनाने में शासन के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जनपद बहराइच के कतिपय अन्य क्षेत्रों सहित भूपगंज बाजार को भी शामिल करते हुए पयागपुर को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति न कर पाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है ।

आगरा नगर में जलापूर्ति की व्यवस्था

61—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा नगर की वर्तमान जन आबादी के लिये 600 लाख गैलन पेय जल आपूर्ति की प्रतिदिन आवश्यकता के विरुद्ध केवल 450 लाख गैलन पेयजल आपूर्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो रही है ? यदि हां, तो शासन पूर्ण पेय-जल आपूर्ति कराने हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

तुरन्त राहत प्रदान करने हेतु नगर में 259 इण्डिया मार्क—2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा विश्व बैंक कार्यक्रम में 553 हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है । शेष कमी की पूर्ति हेतु यू0 पी0 अर्बन डेवलपमेन्ट एण्ड वाटर सप्लाई प्रजेक्ट के अन्तर्गत रु0-15.90 करोड़ की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

62—श्री बदन सिंह—

[दिनांक 30-12-87 को अता0 प्र0 सं0 119 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया में किसान सेवा सहकारी समितियों में प्राविधिक अधिकारी (टी0 ओ0) के पद पर नियुक्ति एवं बकाए वेतन का भुगतान

63—श्री राम जनम यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में सन् 1980 में किसान सेवा सहकारी समितियों में प्राविधिक अधिकारी (टी0 ओ0) के पद पर कितने लोगों की नियुक्ति की गयी थी ? क्या नियुक्ति तिथि से वेतन का भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार इसकी जांच कराकर बकाये वेतन एवं एरियर का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जनपद देवरिया में सन् 1980 में किसान सेवा सहकारी समितियों में प्राविधिक अधिकारी (टी0 ओ0) के पद पर 68 लोग नियुक्त हुए थे, जिनमें अब 27 कार्यरत हैं ।

निम्न 4 प्राविधिक अधिकारियों को वेतन का भुगतान दर्शाये गये कारणों से नहीं किया गया है:—

1—श्री कोमल प्रसाद चौहान को समिति के सचिव के पलावित रहने के कारण जुलाई 86 से भुगतान नहीं हुआ । अब इन्हें सचिव का कार्य सौंपा गया है और वेतन के भुगतान के निर्देश दे दिए गए हैं ।

2—श्री राम आज्ञा चौधरी का चार्ज नहीं हुआ था अब खैरटिया समिति से भुगतान के आदेश हो गये हैं ।

3—श्री राधे श्याम सिंह समिति में अनुपस्थित रहे अतः जून 87 से भुगतान नहीं हुआ ।

4—श्री राजकपूर जैसवाल को समिति से फरार रहने के कारण जून 86 से भुगतान नहीं हुआ है। शेष को भुगतान किया जा रहा है।

जिलाधिकारी बांदा को पान की खेती करने वाले कृषकों को कृषक ऋण बीमा योजना के अंतर्गत ऋण देने हेतु कथित पत्र

64—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 109 दिनांक 9-11-85 जिलाधिकारी बांदा को ग्राम बरई मानपुर तहसील नरैनी जनपद बांदा के पान की खेती करने वाले ग्रामीणों को कृषक ऋण बीमा योजना के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन इस प्रकरण पर क्या विचार कर रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय विधायक का संबंधित पत्र जिलाधिकारी बांदा से प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न नहीं उठता।

जिला फतेहपुर की टाउन एरिया खागा के भू0 पू0 सचिव श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी के गबन व भ्रष्टाचार की जांच के आदेश

65—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर की टाउन एरिया खागा के भू0 पू0 सचिव श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी के गबन व भ्रष्टाचार की जांच के आदेश संयुक्त सचिव नगर विकास के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 195-14 टी 19-1-84, 48 पी0 एफ0 180 दिनांक 17-8-84 के तहत पारित किये गये थे ? यदि हां, जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

अभिलेखों के अभाव में जांच पूर्ण नहीं की जा सकी। जांच पूर्ण होने पर ही दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव होगा।

66—श्री राज किशोर सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जि0 आगरा के जल संस्थान के ड्राफ्ट मैनों से मानचित्र एवं अनुमान कार्य

67—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जल संस्थान में ड्राफ्ट-मैनों से जल संयोजनों के मानचित्र तथा अनुमान जो हमेशा से उनसे बनवाये जाते रहे हैं निवर्तमान अधिशासी अभियंता श्री एस0 एन0 शर्मा के मौखिक आदेशों से जुलाई 80 में ड्राफ्टमैनों से सम्पूर्ण कार्य तथा मेज कुर्सी तक अधिशासी अभियन्ता ने ले ली थी ? यदि हां, तो ड्राफ्टमैनों को उनके पद कार्य से वंचित करने क्या औचित्य था ?

यदि नहीं, जो जल संस्थान के ड्राफ्टमैनों के स्थान पर अभी भी पंजीकृत ठेकेदारों से नक्शा नवीसी क्यों कराई जा रही है ? क्या मंत्री जी आगरा जल संस्थान द्वारा जल संयोजन की 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 82 तक के फाइलों की मौके पर जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

आगरा जल संस्थान के ड्राफ्टमैनों से केवल जल संयोजनों के मानचित्र व अनुमान बनाने का कार्य, जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, हटा लिया गया था ।

जी नहीं । उक्त कार्य अवर अभियन्ता (जल) द्वारा किया जा रहा है ।

प्रसंगत अवधि की जल संस्थान की जल संयोजनों की फाइलों की जांच करा ली गई है तथा जल संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार ही जल संयोजन दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला इलाहाबाद के टी0 बी0 अस्पताल तेलियरगंज में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में आवंटित धनराशि का उपयोग

68–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्थित टी0 बी0 अस्पताल, तेलियरगंज में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में सरकार द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि दी गयी तथा अस्पताल के अधिकारियों द्वारा किन-किन मदों में कितना-कितना व्यय किया गया एवं निर्माण तथा मेंटीनेंस कार्य किनके द्वारा कराये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मदें	वर्ष 1985–86 में आवंटित धनराशि	वर्ष 1985–86 में व्यय हुई धनराशि	वर्ष 1986-87 में आवंटित धनराशि	वर्ष 1986-87 में व्यय हुई धनराशि
1	2	3	4	5
वेतन	1,37,000	1,37,000	1,50,000	1,50,000
महंगा भत्ता	75,000	75,000	1,00,000	1,00,00
यात्रा व्यय	4,000	4,000	3,000	3,00
अन्य भत्ते	20,500	20,500	21,000	21,000
औषधि	2,45,100	2,47,179	1,02,000	1,01,498
आहार	2,83,000	2,88,791	1,33,000	1,23,369
प्रकीर्ण	80,000	79,944	65,000	64,989
टेलीफोन पर व्यय	3,000	3,604	2,500	2,6 53
एक्सरे-फिल्म	40,000	39,944	40,000	39,691
वस्त्र बिस्तर	20,000	20,374	30,000	30,099
साज-सज्जा	50,000	49,988	2,32,805	2,32,277
सर्जिकल ड्रेसिंग	2,000	2,088	3,000	2,849
भवन मरम्मत	1,04,000	1,03,992	1,24,000	1,23,772
उपशुल्क एवं कर	10,000	10,000	10231	10,231
योग	10,73,500	10,82,324	10,16,536	10,054,280

वर्ष 1985-86 में निर्माण तथा मेंटीनेंस कार्य मुख्यत: सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया । वर्ष 1986-87 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया और मेंन्टीनेंस कार्य अस्पताल द्वारा स्वयं कराया गया ।

69—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 15 के द्वारा उत्तरित]

70—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दिनांक 25-6-87 को अता0 प्र0 सं0 5 के द्वारा उत्तरित]

डा0 इकबाल हुसैन, सीनियर रेडियोलाजिस्ट, मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद को वर्ष 1974-75 तक स्नातकोत्तर भत्ता भुगतान

71—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 इकबाल हुसैन, सीनियर रेडियोलाजिस्ट, मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद को वर्ष 1974-75 तक स्नातकोत्तर करने हेतु शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के सारे नियमों का पालन करते हुए डिग्री और डिप्लोमा दोनों हासिल किया था ? यदि अन्य उक्त वर्ष के लोगों को स्नातकोत्तर भत्ता देय है तो डा0 इकबाल को क्यों नहीं दिया गया ? क्या मंत्री जी डा0 इकबाल को स्नातकोत्तर भत्ता भुगतान कराने का आदेश करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 इकबाल हुसैन ने डी0 एम0 आर0 डी0 की अर्हता बगैर शासन की अनुमति प्राप्त किये तथा ड्यूटी में रहते हुए (40 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश छोड़कर) किया है तथा एम0 डी0 का अध्ययन भी ड्यूटी में रहकर ही किया है। शासन की नीति है कि ऐसे अधिकारियों जिन्होंने ड्यूटी में रहकर स्नातकोत्तर कोर्स का अध्ययन किया है, उन्हें स्नातकोत्तर वेतन देय नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सरकारी खर्चे पर अध्ययन किया है। उक्त वर्ष के अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी ऐसी नीति अपनाने का प्रश्न विचाराधीन है। अत: वर्तमान नियमों के अन्तर्गत डा0 इकबाल हुसैन को स्नातकोत्तर योग्यता वेतन अनुमन्य नहीं है।

जि0 झांसी में कार्यरत भूमि संरक्षण विभाग की डी0 पी0 ए0 पी0 इकाई गरौठा द्वारा वर्ष 85-86 एवं 86-87 में कराये गये कार्य का विवरण एवं भुगतान

72—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में कार्यरत भूमि संरक्षण विभाग की डी0 पी0 ए0 पी0 इकाई गरौठा द्वारा वर्ष 85-86 एवं 86-87 में किन-किन ग्रामों में कार्य कराये गये और कहां-कहां के कराये गये तथा कार्यों के मजदूरी के भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुए हैं? क्या मंत्री जी इन दो वर्षों में उक्त इकाई द्वारा कराये गये कार्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा तकनीकी स्थल निरीक्षण एवं मस्टर रोलों की जांच करा कर सदन को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

झांसी जनपद में कार्यरत भूमि संरक्षण की डी0 पी0 ए0 पी0 इकाई गरौठा में वर्ष 85-86 में 25 ग्रामों में तथा 86-87 में 43 ग्रामों में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य कराया गया है जिनकी सूची संलग्न है। इन कार्यों पर लगे समस्त श्रमिकों का भुगतान भूमि संरक्षण अधिकारी, गरौठा द्वारा करा दिया गया है।

इन दो वर्षों में कराये गये कार्यों की जांच भूमि संरक्षण अधिकारी गरौठा, प्राविधिक अधिकारी झांसी एवं उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, झांसी ने 18-12-87 से 21-12-87 तक किया।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 209-210 पर)

भूमि संरक्षण विभाग की डी0 पी0 ए0 पी0 इकाई गरौठा (झांसी) में जी0 पी0 नं0 46 परियोजना क्षेत्र परसुवा का फर्जी भुगतान एवं जांच आदेश

73–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग की डी0 पी0 ए0 पी0 इकाई गरौठा (झांसी) में जी0 पी0 नं0 46 परियोजना क्षेत्र परसुवा पर पहले से पड़ी हुई बन्धी पर बिना कार्य कराये रु0 32,000 का भुगतान भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कागजों पर दिखा दिया गया है ? क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी द्वारा जी0 पी0 नं0 46 पर किये गये कार्य का तकनीकी स्थल निरीक्षण एवं मस्टर रोलों की जांच कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, झांसी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जी0 पी0 सं0 46 का निरीक्षण किया गया। जांच समिति ने 4619-82 घ0मी0 मृदा कार्य सत्यापित किया है और इस कार्य के लिये मात्र रु0 26,542 का भुगतान किया गया है।

लोक सेवा आयोग सम्परामर्श चयनोंति (प्रक्रिया) नियमावली के अन्तर्गत रिक्त स्थानों में अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

74–श्री भगौती सिंह–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक सेवा आयोग सम्परामर्श चयनोंति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 तथा शासन के कार्यालय ज्ञाप 13-2-84 कार्मिक–1, दिनांक 22-6-84 के अनुसार वर्षवार रिक्तियों के सापेक्ष चयन कर रिक्ति के दिनांक से नेशनल प्रन्निति एवं समस्त लाभ देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है? यदि नहीं, तो उद्यान एवं फल उपयोग विभाग के श्रेणी-1 अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय इस व्यवस्था का अनुपालन क्यों नहीं किया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित संख्या व दिनांक का कोई कार्यालय ज्ञाप नहीं है । उस संख्या का दिनांक 25-6-84 का कार्यालय ज्ञाप है। प्रश्न में कथित व्यवस्था समाप्त नहीं की गयी है।

प्रश्न में उल्लिखित नियमावली तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-6-84 चयन के सम्बन्ध में है। अतएव उद्यान एवं फलोपयोग विभाग के श्रेणी–1 के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय उक्त नियमावली तथा कार्यालय ज्ञाप के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता ।

75–श्री सुखपाल पाण्डे–

[दि0 29-12-87 को अता0 प्र0 सं0 157 द्वारा उत्तरित]

जि0 बस्ती के स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय वर्ष 1986-87 में आवंटित धनराशि का उपयोग

76–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग को कितना धन किन-किन मदों के लिए वित्तीय वर्ष 1986-87 में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया तथा किन-किन मदों में कितना-कितना धन अप्रयुक्त रहा क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1986-87 में बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग को रु0 5,57,35,143 स्वीकृत किया गया एवं रु0 65,09,779 अप्रयुक्त रहा । मदवार विवरण संलग्नाक में दे दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 211 पर)

जौनपुर में अवैध दवा की दुकाने

77–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में अधिकारियों की मिली भगत से हजारों ऐसे डाक्टर एवं दवा बेचने की दुकानें हैं जो बिना किसी डिग्री एवं लाइसेंस के हैं? क्या शासन ऐसे डाक्टरों एवं दुकानों को प्रेक्टिस से रोकने एवं दवा न बेचने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के महिला चिकित्सालयों में नियुक्त महिला चिकित्सकों की सूचना

78–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने ऐसे महिला चिकित्सालय हैं जिसमें महिला चिकित्सक नहीं हैं ? क्या शासन शीघ्र महिला चिकित्सक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्तमान में जनपद जौनपुर के निम्न पांच महिला चिकित्सालयों में महिला चिकित्सक नहीं है:—

1–महिला अस्पताल, मछलीशहर, जौनपुर

2–महिला अस्पताल, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर

3–महिला अस्पताल, केराकत, जौनपुर

4–महिला अस्पताल, नेवठिया, जौनपुर

5–श्रीमती छुन्नीदेवी चिकित्सालय, जौनपुर

प्रदेश में इस समय महिला चिकित्साधिकारियों की कमी है। महिला चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा जा चुका है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर महिला चिकित्साधिकारियों के पदों पर शासन स्तर से तत्परता से तैनाती सम्भव है।

राजकीय जन विश्लेषण कार्यालय उ0 प्र0 लखनऊ के अंतर्गत कार्यरत विश्लेषकों के स्थानान्तरण

79–श्रीमती शारदा देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय जन विश्लेषण कार्यालय उ0 प्र0 लखनऊ के अंतर्गत औषधि कक्ष में कार्यरत 7 विश्लेषकों में से 3 को खाद्य कक्ष में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उक्त सातों विश्लेषक खाद्य कक्ष के लिये ही अनुमोदित हैं? यदि हां, तो केवल 3 को ही क्यों खाद्य कक्ष में स्थानान्तरित किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

जिन तीन विश्लेषण सहायकों को खाद्य कक्ष में स्थानान्तरित किया गया है, वे खाद्य कक्ष के लिए ही अनुमोदित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजदेव सिंह अवकाश प्राप्त सुरक्षा कर्मचारी के आवास आवंटन एवं पंजीकरण

80–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री राजदेव सिंह ग्राम व पोस्ट सरया गनेश जनपद आजमगढ़ अवकाश प्राप्त सुरक्षा कर्मचारी का पत्र संख्या आर0 डी0 एस0/1256 दिनांक 25-4-86 प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने पंजीकरण के बाद नियमानुसार भूखण्ड मकान आवंटित करने की मांग की थी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

श्री आर0 डी0 सिंह परिषद् में पंजीकरण संख्या-बी0 एन0 एस0/पी-179 (1) के द्वारा पंजीकृत हैं । श्री आर0 डी0 सिंह को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 25-4-86 जिसमें उन्होंने भूखण्ड आवंटित करने की मांग की थी के संदर्भ में परिषद् कार्यालय के पत्र संख्या-228/सं0 प्र0-3/दिनांक 22-10-86 के द्वारा यह अवगत कराया गया था कि कबीर नगर योजना वाराणसी में बहुमंजिले मध्यम आय वर्ग के भवन रिक्त हैं । यदि वे उनमें भवन लेने के इच्छुक हों तो नियमानुसार मध्यम आय वर्ग में पंजीकरण बयाना धनराशि जमा कराकर रिक्त एक भवन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनसे भूखण्ड से मध्यम आय वर्ग भवन के परिवर्तन के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

उपसचिव श्री चन्द्र शेखर गुप्त के पत्र की कार्यवाही एवं आवास आवंटन

81–श्री विष्णु देव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव श्री चन्द्र शेखर गुप्त के अ0 शा0 प0 संख्या-50-वी/37-2-86-3 एच0 वी0/28/86 आवास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 4-6-86 के संदर्भ में बताने का कष्ट करेंगे कि इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्न में जिस पत्र का उल्लेख है, वह उप सचिव श्री चन्द्र शेखर गुप्त के हस्ताक्षर से नहीं वरन् संयुक्त, श्री चन्द्र शेखर द्विवेदी के हस्ताक्षर से भेजा गया था । यह श्री जे0 एन0 मजूमदार जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के छठें दौर के भूतपूर्व सैनिक कोटे के अन्तर्गत पंजीकृत थे, की गुरुतेग बहादुर योजना, इलाहाबाद में किश्त क्रय पद्धति पर भवन आवंटन न किये जाने के संबंध में था । इस मामले में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आख्या मांगी गई जिसके अनुसार 11-11-83 को आयोजित आवंटन में इनका नाम सम्मिलित किया गया था । उक्त आवंटन में इनकी सहमति किश्त क्रय पद्धति पर भवन आवंटन हेतु प्राप्त हुई थी । नियमानुसार किश्त क्रय पद्धति पर एक भवन आरक्षित था जबकि उक्त दौर के 33 आवेदक आरक्षित कोटे के थे । इनके पक्ष में लाटरी ड्रा न होने के कारण इन्हें भवन प्रदिष्ट नहीं हो सका ।

2–परिषद् की सूची योजना (इलाहाबाद) में भवनों/भूखण्डों का निकट भविष्य में आवंटन होने की सम्भावना है । यदि श्री मजूमदार इसी योजना में पड़ने वाली लाट्री ड्रा में सफल होते हैं तो उनके पक्ष में भवन आवंटित कर दिया जायेगा ।

82–श्री विष्णु देव–

[1ले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 151 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव की समस्त टाउन एरिया को आवंटित धनराशि का उपयोग

83–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के समस्त टाउन एरिया क्षेत्रों को विकास हेतु अनुदान की धनराशि दी गयी है किन्तु पुरवा टाउन एरिया अनुदान से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद उन्नाव की टाउन एरिया पुरवा, मौरावां एवं रसूलाबाद को छोड़कर अन्य सभी टाउन एरिया कमेटियों को कोई न कोई सड़क अनुदान वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में स्वीकृत किया गया है ।

पूर्व वर्षों में स्वीकृत अनुदान का उपयोग न कर पाने के कारण ही टाउन एरिया पुरवा को अनुदान से वंचित रहना पड़ा है । चालू वित्तीय वर्ष में भी उक्त निकाय से इस आशय का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

टाउन एरिया पुरवां के मुहल्ला पीरजादी के जल निकासी व्यवस्था

84–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के टाउन एरिया पुरवा के मुहल्ला पीरजादी गढ़ी में जल भराव की निकासी के लिये नाला व पुरवां राजबाहा में साइफन निर्माण तथा टूटी फूटी सड़कों व नालियों की मरम्मत आदि की व्यवस्था के लिये आवश्यक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्राप्त सूचनानुसार मोहल्ला पीरजादी गढ़ी के नाला से बरसाती पानी की निकासी हेतु पुरवा राजबाहा में साइफन निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

विगत वर्षों में स्वीकृत सड़क अनुदानों का पूर्ण उपयोग न कर पाने के कारण टाउन एरिया वित्तीय वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में शासन से सड़क अनुदान प्राप्त करने हेतु अनर्ह रही है तथा टाउन एरिया कमेटी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण वह सड़कों व नालियों के निर्माण का व्ययभार वहन करने की स्थिति में नहीं है ।

मेहदावल, बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये नसबन्दी आपरेशन तथा दी गई सुविधा

85–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र मेहदावल बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 एच0 एन0 श्रीवास्तव ने वर्ष 1985-86 तथा 86-87 के 15-9-87 तक किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर किसकी-किसकी नसबन्दी आपरेशन की है ? उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन हैं ? उन केसेज की मूत्र परीक्षण किसने किया है ? क्या उनकी पश्चातवर्ती सेवा की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उनमें से किसको कम्बल वितरित किया गया है ? क्या नसबन्दी आपरेशन किये गये व्यक्तियों को इन्सेन्टिव मनी तथा प्रेरणा शुल्क जो दी गयी है वह प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के कैश बुक में अलग-अलग प्रविष्ट की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इससे संबंधित सभी सूचनाएं मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध विस्तृत सूचियों से पूर्व सूचना देकर प्राप्त की जा सकती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हैसर बाजार, बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये नसबन्दी आपरेशन

86—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र हैसर बाजार बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 आनन्द मोहन गुप्ता ने वर्ष 1986-87 में एवं 15-9-87 तक किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर किसकी-किसकी नसबन्दी आपरेशन की है ? उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन हैं ? उन केसेज का मूत्र परीक्षण किसने किया है ? क्या उनकी पश्चातवर्ती सेवा की गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उनमें से किसको-किसको कम्बल वितरित किया गया है ? क्या नसबन्दी आपरेशन किए गये व्यक्तियों को इन्सेन्टिव मनी तथा प्रेरणा शुल्क जो दी गयी है वह प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के कैश बुक में उसकी अलग-अलग प्रविष्टि की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती तहसील हरैया में महिलाओं एवं पुरुषों के नसबन्दी आपरेशन

87—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया तहसील जनपद बस्ती में वर्ष 1986-87 में किन-किन महिलाओं एवं पुरुषों की नसबन्दी की गयी उनके नाम एवं पते क्या हैं ? उनके आपरेशन किन चिकित्साधिकारियों के द्वारा किए गये ? नसबन्दी आपरेशन कराये हुए किन व्यक्तियों को कम्बल वितरित किया गया ? क्या नसबन्दी किये गये व्यक्तियों को इन्सेन्टिव मनी तथा प्रेरणा शुल्क जो दी गयी है वह प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कैशबुक में अलग-अलग प्रविष्टि की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इससे संबंधित सभी सूचना पूर्व लिखित नोटिस देकर मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध विस्तृत सूचियों से प्राप्त की जा सकती है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक की शाखा विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन में नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण

88—श्री शारदा प्रताप—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक की शाखा विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन में 1-5-85 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1985 को निर्गत शासनादेश के तहत चेयरमैन सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल (श्री जी0 डी0 प्रेमी) ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्रांक 1240/मण्डल/85 दिनांक 25-10-85 के द्वारा उक्त परियोजना को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का अंग मानते हुए चयन तिथि निर्धारित करने संबंधी कतिपय निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक नियमितीकरण न करने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

चूंकि प्रश्नगत कर्मचारी एक विशिष्ट परियोजना के चलने तक की अवधि के लिए ही नियुक्ति किये गये थे, और उनकी सेवायें शासनादेश दिनांक 30-7-85 के अनुसार नियमितीकरण की परिधि में नहीं आती हैं, अतः इनकी सेवाओं के नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा अध्यापित की गई भूमि के भूस्वामियों को नौकरी

89–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के लिए अध्यापित की गयी भूमि के विस्थापित परिवारों के सदस्यों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर नौकरी दे दी गयी है ? यदि हां, तो किन-किन लोगों की भूमि अध्याप्ति की गयी तथा उनमें से किन-किन व्यक्तियों को सेवा में लिया गया, का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो विस्थापित परिवारों के सदस्यों को नौकरी कब तक दे दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के लिए 46 परिवारों की भूमि अध्याप्त की गयी । विस्थापित परिवारों के सदस्यों के इस संस्था में नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये हैं । ऐसे लोगों की संख्या 42 है । शैक्षिक योग्यता के आधार पर फिलहाल 14 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष बुलाया जा रहा है । भविष्य में भी ऐसे परिवारों के सदस्यों को योग्यता के आधार पर सेवा में लिया जायेगा ।

90–श्री शारदा प्रताप–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवास आवंटन

91–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भूखण्ड सं0 बी-21/डी0 आवंटित किया गया था जिसकी रजिस्ट्री आवंटी के नाम हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त भूखण्ड का कब्जा आवण्टी को क्यों नहीं दिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूखण्ड पर विकास प्राधिकरण द्वारा एच0 आई0 जी0 भवन निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो इस स्थिति में आवंटी को किस प्रकार भूखण्ड का कब्जा दिया जाएगा और उसको इस देरी के कारण हुई क्षति की पूर्ति कैसे की जाएगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

आवंटी को कब्जा न देने का कारण उक्त भूखण्ड पर एच0 आई0 जी0 भवन का निर्माण है ।

जी हां ।

आवंटी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को इसी योजना में अन्य भूखण्ड दिया जा रहा है जिसकी सहमति आवंटी ने दे दी है । रजिस्ट्री की कार्यवाही कराई जा रही है और शीघ्र ही कब्जा दे दिया जाएगा । आवंटी को पुरानी दर पर ही प्लाट दिया जाएगा ।

एल0 डी0 ए0 द्वारा कानपुर रोड योजना में सिवरेज की व्यवस्था

92–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें एल0 डी0 ए0 कालोनी सेक्टर 'ई' कानपुर रोड योजना लखनऊ में सिवरेज की व्यवस्था के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 फरवरी, 1987 एवं 7 अप्रैल, 1987 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या कानपुर रोड के सभी सेक्टरों में सिवरेज की व्यवस्था के अनुरूप सेक्टर 'ई' एल0 डी0 ए0 कानपुर रोड योजना लखनऊ में भी सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

वहां के आवंटियों से विकास मूल्य प्राप्त करते समय सीवर हेतु धनराशि प्राप्त नहीं की गयी थी । आवंटियों से वांछित धनराशि एल0 डी0 ए0 को प्राप्त हो जाने पर सीवरेज की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मे0 अंसल कम्पनी को लाइसेंस के आधार पर भूमि का आवंटन

93–श्री हर्ष वर्धन–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अन्सल हाउसिंग कम्पनी को आशियाना नामक रिहायशी कालोनी बनाने हेतु आवंटित जमीन की कीमत जमा करने के पूर्व ही उक्त आशियाना रिहायशी कालोनी में भूमि एवं प्लाट बेचने हेतु अंसल कम्पनी ने अग्रिम धनराशि जनता से लेना प्रारम्भ कर दिया था ? क्या इस अपराधिक कार्यवाही के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मे0 अंसल कम्पनी को लाइसेंस के आधार पर भूमि का विकास तथा भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई है । आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात तथा कुल देय धनराशि का 10 प्रतिशत जमा करने के पश्चात उनके द्वारा पंजीकरण खोला जा सकता है, तद्नुसार ही मे0 अंसल ने भूखण्डों/भवनों हेतु पंजीकरण खोला था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फसल बीमा योजना में किसानों की सुविधा

94—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ 1987 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों से प्रीमियम के तौर पर कितनी धनराशि ली गयी तथा कितनी धनराशि के क्लेम फाइल किए गए तथा कितनी धनराशि का भुगतान क्लेम के आधार पर किसानों को किया गया था ? क्या मंत्री जी फसल कटाई के 90 दिन के अंदर सभी क्लेम निस्तारित करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

खरीफ 87 में फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से प्रीमियम के तौर पर 01,02,86,000 रु0 (एक करोड़ दो लाख छियासी हजार रुपये) लिए गये।

योजना के अंतर्गत किसानों को क्लेम फाइल नहीं करना पड़ता है। क्लेम का निर्धारण भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा स्वतः किया जाता है।

मुआवजे की धनराशि अभी घोषित नहीं हुई है।

क्लेम का निस्तारण भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाता है। अतः शासन स्तर से अपेक्षित व्यवस्था सम्भव नहीं है किन्तु शीघ्र भुगतान के लिए भरसक प्रयास किया जाता है।

टी0 बी0 सैनेटोरियम भुवाली (नैनीताल) के वार्ड, अतिथि गृह एवं सम्पर्क मार्ग का डामर रोड में परिवर्तन

95—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि टी0 बी0 सैनेटोरियम भुवाली (नैनीताल) के वार्डों, अतिथि गृह एवं सम्पर्क मार्ग आदि की जीर्णावस्था दूर करने के कोई उपाय अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं और जीर्णावस्था से इन्हें कब तक मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

टी0 बी0 सेनेटोरियम भवाली, (नैनीताल), के वार्डों और अतिथि गृह की दशा ठीक है तथा सम्पर्क मार्ग को भी, जो पहले कच्चा था, डामर रोड में परिवर्तित किया जा चुका है।

लखनऊ के मध्य क्षेत्र में स्थित मुहल्ले में सीवर तथा पाइप लाइन की व्यवस्था

96—श्री नरेश चन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में स्थित मोहल्ले रकाबगंज कदीम, गढइया, खजुहा, हैदर वाली गली, जोशीटोला, देवीदयाल मार्ग, कुंडरी, संतोषी मां के मंदिर आदि की गलियों में न तो सीवर लाइन है और न जल निगम की पाइप लाइन, जिससे कि जनता को महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो मंत्री जी वहां सीवर लाइन व पाइप लाइन की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

लखनऊ मध्य क्षेत्र में स्थित मोहल्ले रकाबगंज, कदीम गढइया, खजुहा, हैदर वाली गली, जोशी टोला, देवीदयाल मार्ग, कुंडरी, संतोषी मां के मन्दिर की मुख्य सड़कों एवं बड़ी गलियों में पाइप लाइन डाली जा चुकी है तथा मुहल्ला गढइया को छोड़कर शेष मुहल्लों में आंशिक सीवर लाइन भी उपलब्ध है परन्तु इन मुहल्लों की छोटी एवं सकरी गलियों में पाइप लाइन तथा सीवर लाइन नहीं पड़ी है ।

संसाधनों की कमी के कारण शेष क्षेत्रों में सीवर लाइन व पाइप लाइन डालना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

उ0 प्र0 में तहसील मुख्यालयों पर राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोलने की योजना

97–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के तहसील मुख्यालयों में 25 शैय्याओं के आयुर्वेदिक राजकीय अस्पताल एवं संयुक्त एलोपैथिक अस्पताल खोलने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो उपरोक्त अस्पताल कब तक खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोलने की योजना है, परन्तु संयुक्त एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना नहीं है ।

जिला योजना में इन चिकित्सालयों की स्थापना हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों की संस्तुति एवं चिकित्सालयों की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि प्राविधानित होने के उपरांत इन्हें खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों में गिनीफिट वितरण में घपला विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

98–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 1986 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया यह जानकारी देंगे कि प्रश्नगत मामले में जांच किसके द्वारा की गयी ? जांच के नतीजे क्या निकले हैं ? क्या जांच अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता से भी सम्पर्क स्थापित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत मामले की जांच संबंधित विकास खण्ड अधिकारियों द्वारा की गई है । जांच आख्या पर अभी शासन स्तर पर विचार होना है ।

श्री नियामत अली पुत्र इमाम अली उर्फ माली कस्बा बांसी मुहल्ला खुनीपुर के मकान का नक्शा

99—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नियामत अली पुत्र इमाम अली उर्फ माली, कस्बा बांसी, मुहल्ला खूनीपुर, जिला बस्ती ने टाउन एरिया के नियमानुसार नक्शा पास करवाकर मकान बनवाया है ? यदि नहीं, तो क्या उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री नियामत अली ने लगभग 15 वर्ष पूर्व एक मकान का निर्माण कराया था । चूंकि टाउन एरिया कमेटी, बांसी में भवन निर्माण उप विधि लागू नहीं है अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा सफाई हेतु मुख्य अभियन्ता जल निगम कानपुर द्वारा पम्प सप्लाई के आदेश

100—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जाजमऊ स्थित कानपुर में गंगा सफाई के लिए मुख्य अभियन्ता (मध्य) जल निगम ने 46 लाख रुपयों में पम्पों का आर्डर एक कम्पनी को दिया गया है जबकि मशहूर कम्पनी बाटली बांय ने उसी काम को 42 लाख रुपये में करने को कहा था ? यदि हां, तो चार लाख रुपये की कमी करने के बावजूद बाटली बाय कम्पनी को यह काम क्यों नहीं दिया गया जबकि यह पम्पों में सबसे विश्वसनीय कम्पनी है ? क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सच है कि इसका टेण्डर 18-4-85 को कानपुर में खोला गया था ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

आपूर्ति आदेश अधिशासी अभियन्ता तृतीय शाखा कानपुर द्वारा किये गये हैं । जिन पम्पों एवं तत्संबंधित सामग्री के लिए मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मारकेटिंग कम्पनी नई दिल्ली को आपूर्ति आदेश दिये गये हैं, उनकी लागत रु0 46·00 लाख नहीं है, किन्तु रु0 40·221 लाख है । इसी सामग्री की लागत मैसर्स बांटली बाय द्वारा दी गई दरों पर रु0 42·67 लाख थी ।

क्योंकि मैसर्स बांटली बाय की दरें मैसर्स सुभाष प्रोजेक्ट कम्पनी की दरों से लगभग रु0 2·45 लाख अधिक थी, अतः उन्हें आपूर्ति आदेश नहीं दिया गया । दोनों ही कम्पनियां विश्वसनीय हैं ।

विवरण ऊपर दिया जा चुका है ।

जी हां ।

स्वास्थ्य विभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया तथा श्री आर0 पी0 सुमन सांसद के पत्र पर कृत कार्यवाही

101—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर पात्रों के चयन संबंधित प्रक्रिया क्या है ? क्या श्री आर0 पी0 सुमन, सांसद का कोई पत्र माह अगस्त, 87 में फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ रिक्त पदों के चयन में अनियमित रूप से की गयी कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के के अनुरूप ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों हेतु चयन किया जाता है ।

श्री आर0 पी0 सुमन, सदस्य लोक सभा का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर समस्त अनियमित नियुक्तियों के निरस्तीकरण के आदेश प्रदान किये जा चुके है ।

बाराबंकी में कृषि विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

102—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी कृषि विभाग में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-6-87 जिसकी प्राप्ति मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या 2143/ए एम/87, दिनांक 22 जून, 1987 द्वारा की है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ? शिकायती पत्र में मुख्य आरोप क्या थे और उसकी जांच अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उक्त मामले की जांच कराई जा रही है ।

निःशुल्क वितरण हेतु निर्मित विनीक्ट्स के वितरण में अवैध धन अर्जन, अतिरिक्त व्यय, कर्तव्य पालन में शिथिलता, राजकीय कृषि फार्म, पल्हरी में आयोजित कृषक मेले में किसानों के भोजन हेतु तैयार किये गये लंच-पैकेट्स एवं परिवहन में अवैध धनार्जन एवं चावल योजना के अंतर्गत अनियमित प्रदर्शन तथा अवैध धनार्जन ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ब्लाक शिकोहाबाद, मैनपुरी में पेयजल व्यवस्था हेतु लगे हैण्डपम्प

103—श्री राम नरेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक शिकोहाबाद मदनपुर अरांव, हथवन्त में पेयजल की व्यवस्था के लिए कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये एवं उनमें से प्रत्येक विकास खण्ड में कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और शेष कब तक लग जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

विभिन्न कार्यक्रमों में शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड शिकोहाबाद, मदनपुर, अरांव एवं हथवन्त में सेचुरेशन कार्यक्रम सहित क्रमशः 653, 765, 502 एवं 508 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं एवं उनमें से अब तक क्रमशः 177, 171, 138 एवं 180 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं और शेष हैण्ड पम्पों के लगाये जाने का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

104–श्री राम नरेश यादव–

[दिनांक 29-12-87 को अता0 प्र0 सं0 154 द्वारा उत्तरित]

विधान भवन सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में कार्यरत डाक्टरों एवं फार्मेसिस्टों की तैनाती तिथि

105–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी में कार्यरत डाक्टर तथा फार्मेसिस्ट यहां किस-किस तिथि से तैनात हैं ? क्या सरकार जिन डाक्टरों एवं फार्मेसिस्ट के 5 वर्ष से अधिक का समय यहां कार्य करते हुए हो चुका है, उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विधान भवन सचिवालय एलोपैथिक चिकित्सालय में वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों एवं फार्मेसिस्टों की तैनाती की तिथियां निम्न प्रकार हैं:–

(1) डा0 एस0 सी0 पन्त, वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक (दिनांक 7-9-85)
(2) डा0 विजय शंकर शुक्ल, चिकित्सा अधिकारी (दिनांक 1-3-84)
(3) डा0 आर0 एन0 शुक्ल, चिकित्सा अधिकारी (दिनांक 14-8-87)
(4) डा0 (श्रीमती) मंजू मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी (दिनांक 16-10-87)
(5) डा0 (श्रीमती) सुबोध गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी (रिजर्व ड्यूटी) दिनांक (15-2-84)
(6) श्री राम सरण मिश्रा, फार्मेसिस्ट (दिनांक 7-7-84)
(7) श्री सत्य नारायाण फार्मेसिस्ट, (दिनांक 1-5-84)

प्रश्नगत चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पांच वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, हरदोई के स्थानान्तरण के संबंध में प्रविष्टि

106–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, हरदोई तत्कालीन प्रभारी अधिकारी चिकित्सा राजकीय चिकित्सालय, हरदोई का जून/जुलाई, 84 में प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 36/3-1977-कार्मिक-2, दिनांक 29-4-77 में विहित उपबन्धों के अन्तर्गत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रविष्टि इनकी चरित्र पंजिका में न करने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण अवधि के नियत समय पर किये जाने के कारण चरित्र पंजिका में प्रविष्टि दिये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी कालेजों को स्थानीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव

107–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि 1983 में राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी मेडिकल कालेजों को स्थानीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के आश्वासन के अनुपालन में राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने हतु शासन को आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय द्वारा अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 11231/शिक्षा-9/74 दिनांक 1-9-83 द्वारा लिखा गया था तथा पत्र संख्या 9455/शिक्षा-9/74, दिनांक 19-11-85 द्वारा अनुस्मारक भेजा गया था ? यदि हां, तो इस समान्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

सम्बद्धता के लिये संबंधित विश्वविद्यालय को लिखा गया था किन्तु अभी तक उत्तर प्रतीक्षित है ।

डा0 सी0 पी0 नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर जखौरा की तैनाती अवधि

108–श्री राम सजीवन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद ललितपुर के जखौरा विकास खण्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर सी0 पी0 नागर वहां पर कितने वर्षों से कार्यरत है ? क्या उनकी कार्यावधि निर्धारित सीमा से अधिक से अधिक हो गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध मरीजों की चिकित्सा के प्रति लगातार उपेक्षा और लापरवाही की शिकायतें मिलने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? क्या उनके दुर्व्यवहार के कारण मरीजों को चिकित्सा हेतु तालबेहट और ललितपुर स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 सी0 पी0 नागर जनपद ललितपुर के जखौरा विकास खण्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लगभग 11 वर्षों से कार्यरत थे । उनका स्थानान्तरण वाराणसी कर दिया गया है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उन्हें दिनांक 19-9-87 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है ।

डा0 नागर के विरुद्ध मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें नहीं बल्कि मुख्यालय छोड़कर चले जाने तथा कर्मचारियों के उत्पीड़न आदि की शिकायतें हैं । इनकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर द्वारा की जा चुकी है । डा0 नागर को उक्त कृत्यों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चेतावनी भी दी गयी है ।

कृषि वि0 वि0 कुमारगंज, फैजाबाद में श्रमिकों के हड़ताल से हुई क्षति

109—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि वि0 वि0 कुमारगंज, फैजाबाद के विभिन्न कृषि फार्मों तथा परिसर के श्रमिकों ने दिनांक 7 नवम्बर, 1986 से हड़ताल कर दी थी जिससे वि0 वि0 की धान की फसल कटाई और गेहूं की बोआई में भारी क्षति हुई थी ?यदि हां, तो श्रमिकों की मांगों को मानकर हड़ताल समाप्ति में कौन-कौन से प्रयास कब-कब किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0 वि फैजाबाद की वित्तीय अनियमितताओं की आपत्तियां

110—श्री मित्रसेन—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग को आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के वित्त नियंत्रक द्वारा विगत 5 वर्षों में किस-किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं की आपत्तियां प्राप्त हुई हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

शासन को विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से अक्टूबर, 1984 और जनवरी, 1985 में वित्तीय अनियमितताओं के विषय में दो पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें मुख्य अनियमितताओं का उल्लेख निम्न प्रकार का है :—

(1) आवंटन से अधिक देयता उत्पन्न करना ।
(2) कुछ मामलों में उच्च दरों पर भुगतान ।
(3) स्टोर की स्टाक रजिस्टर का समुचित रख रखाव न होना ।
(4) बिना उपयुक्त स्थान के निर्माण के प्रोजेक्टर उपकरण का क्रय ।
(5) वाहन एवं अन्य सामग्रियों का दुरुपयोग ।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय लखनऊ में कम्प्यूटर पद का चयन

111—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1986 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ में कम्प्यूटर पद के अभ्यर्थियों के हुए साक्षात्कार में से नियुक्ति के लिये चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माह मार्च से जून, 1986 की अवधि में कम्प्यूटर के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया गया था किन्तु चयन सूची पूर्ण होने से पूर्व चयन प्रक्रिया में कतिपय अनियमितताएं दृष्टि गोचर होने के कारण उक्त चयन को शासन द्वारा रद्द कर दिया गया है । अतः उक्त साक्षात्कार के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड हिलौली के साधन सहकारी समिति अकोहरी के कृषकों से ऋण की वसूली

112–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली के साधन सहकारी समिति अकोहरी के लघु एवं सीमान्त कृषकों ने आई0 आर0 डी0 के तहत ऋण लिया है जिसकी अदायगी तीन वर्ष में होनी है ? क्या तीन वर्ष के बीच में उक्त काश्तकारों से कलेक्शन चार्ज आदि वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी हां ।

जी हां, एक कृषक से पहली किस्त बकाया पड़ जाने पर कलेक्शन चार्ज नियमानुसार वसूल किया गया है ।

113–श्री विष्णु देव–

[दिनांक 29-12-87 को अता0 प्र0 स0 153 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश जल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता को चार्ज

114–श्री रणजीत

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) उ0 प्र0 जल निगम के अन्तर्गत आने वाले किन-किन शाखाओं का चार्ज सहायक अभियन्ता (इन्चार्ज) के पास है व किन कारणों से वरिष्ठ अभियन्ताओं के रहते हुए कनिष्ठ अभियन्ताओं को पूर्ण चार्ज दे रखा गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित शाखाओं का चार्ज सहायक अभियन्ता इन्चार्ज के पास है :–

1–प्रकल्प शाखा, फर्रुखाबाद ।
2–चतुर्थ अस्थाई निर्माण शाखा (वि0/यां), कानपुर ।
3–उरई शाखा, उरई ।

अधिशासी अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर विधिक कठिनाईयों से पदोन्नति नहीं की जा सकी है जिसके कारण उपरोक्त शाखाओं का कार्य प्रत्येक शाखा में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं में से वरिष्ठतम सहायक अभियन्ता द्वारा स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी रूप से देखा जा रहा है

115–श्री रणजीत–
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद पीलीभीत के ग्राम ढका को नगर पालिका में सम्मिलितीकरण

116–श्री रणजीत–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के कस्बा पूरनपुर में पूरनपुर देहात क्षेत्र का ग्राम ढका जो कि पूरनपुर नगर से मिला हुआ है, नगर पालिका पूरनपुर में शामिल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ग्राम ढका की नगरपालिका, पूरनपुर की सीमा में शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है, न ऐसा कोई प्रस्ताव नगरपालिका पूरनपुर अथवा जिलाधिकारी से शासन को प्राप्त हुआ है ।

लखनऊ स्थित पार्क सौंधी टोला में बच्चों के मनोरंजन के साधन का प्रस्ताव

117–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौक, लखनऊ स्थित पार्क सौंधी टोला में बच्चों के झूले तथा अन्य मनोरंजन के साधन तथा उसे साफ सुथरा पार्क बनवाये जाने हेतु प्रशासक, लखनऊ नगर महापालिका द्वारा कोई प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य को कराने हेतु मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी को आदेशित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत पार्क लखनऊ नगर के विकसित पार्कों में से है । उस पार्क में बच्चों के झूले तथा मनोरंजन के अन्य उपकरण लगाये जाने का कोई प्रकरण धनाभाव के कारण विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के चौक क्षेत्र में जल आपूर्ति

118–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित चौक के मोहल्ले सौंधी टोले में फुलगामा पार्क में कोई टंकी लगाये/बनवाये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन कारणों से अभी तक टंकी नहीं बनवायी गयी तथा इस टंकी का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि चौक के निवासियों को पानी की अत्यन्त किल्लत होती है ? यदि हां, तो उसको दूर करने के और कौन-कौन उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

चौक स्थित विक्टोरिया पार्क में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कराया गया है जिससे अधिक दबाव पर चौक क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा रही है । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक कार्यक्रम के अंतर्गत हरदोई रोड पर 1991 तक द्वितीय जल कल की स्थापना प्रस्तावित है ।

119–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

120–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पेयजल योजना के अतर्गत लगाये गये हैण्डपम्प

121–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि कदौरा ब्लाक तहसील कालपी जनपद जालौन के ग्राम धमना, इकौना, पाली रेला मऊवार तिरही में केवल कागजों में हैण्डपम्प पेयजल योजना के अंतर्गत उ0 प्र0 जल निगम द्वारा लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों को निलम्बित करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

कदौरा ब्लाक तहसील कालपी जनपद जालौन के ग्राम धमना, इकौना, पाली एवं तिरही में जल निगम द्वारा अक्टूबर, 87 तक क्रमशः 6, 6, 5 एवं 6 हैण्डपम्प लगाये गये हैं । ग्राम रैली व मऊवार बबीना ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत पेयजल से लाभान्वित है तथा रैली में एक हैण्डपम्प भी सूखा राहत कार्यक्रम अंतर्गत लगाया गया है ? सभी हैण्डपम्प चालू हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड में लगे हैण्ड पम्प की स्थिति

122–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक दौरा में सीपार्ड योजना के अंतर्गत 80 प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब हैं ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखण्ड में राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के परामर्श से हैण्डपम्प लगाये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में हैण्ड पम्प का कार्य राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा कराये जाने की नीति घोषित की जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत क्षेत्र में सीयाडे कार्यक्रम के अतर्गत कोई हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है ! अन्य कार्यक्रमों में अक्टूबर, 87 तक 454 हैण्डपम्प लगाये गये जिसमें 401 चालू हैं तथा शेष की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर आदि शासकीय संस्थाओं तथा अन्य निजी सर्वेक्षण संस्थाओं से कराया गया है ।

ऐसी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

संग्रह कोष का आडिट कराया जाना

123–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को यह जानकारी है कि संग्रह व्यय जो कुर्क अमीन सैलरी एकाउन्ट के खाते में जमा होता है, का आडिट प्रतिवर्ष होता है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी के द्वारा ? क्या मंत्री जी प्रत्येक जिले के उक्त खाते का आडिट प्रदेश के महा लेखा परीक्षक से कराये जाने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह कोष नियमावली 1982 में आडिट कराये जाने का प्राविधान है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह कोष नियमावली 1982 के प्राविधानों के अनुसार संग्रह कोष का आडिट क्षेत्रीय लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ लेखाधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं ।

चूंकि उपरोक्त लेखाधिकारी सहकारिता विभाग के नियंत्रण में न होकर वित्त विभाग के नियंत्रण में है अतः महालेखाधिकार से अलग आडिट कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद झांसी नगर पालिका चिरगांव के अधिशासी अधिकारी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच

124–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र श्री अयोध्या प्रसाद राजपूत निवासी चिरगांव, जनपद झांसी के प्रार्थना पत्र सहित दिनांक 13-3-86 का नगरपालिका चिरगांव के अधिशासी अधिकारी (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु प्राप्त हुआ है यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

शिकायतों की जांच की गई । जांच के आधार पर शिकायतें निराधार पाई गई थी ।

तत्कालीन प्रभारी अधिकारी नगर पालिका दादरी जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्र पर जांच

125—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका दादरी जिला गाजियाबाद के विरुद्ध जिला अधिकारी गाजियाबाद को दिनांक 26 जून, 86 को एक शिकायती-पत्र दिया था? क्या उक्त पत्र को बिन्दु-वार जांच जिला अधिकारी ने शासन को प्रेषित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ? क्या जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 27-12-87 की जांच रिपोर्ट दिनांक 29-12-87 को प्राप्त हुई । संलग्न है† ।

डा0 शकील अहमद कस्बा बभनान जनपद बस्ती द्वारा दिए गए फर्जी व विषैली इन्जेक्शन से हुई मृत्यु की जांच तथा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

126—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री केशव राम पाण्डेय निवासी बुकनापुर थाना खोडारे जिला गोण्डा की पत्नी की मृत्यु डा0 शकील अहमद कस्बा बभनान जिला बस्ती द्वारा फर्जी व विषैले इन्जेक्शन लगाने से हुयी थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूरे मामले की छानबीन कर कर दोषी डाक्टर की मान्यता भंग करने तथा मृतकों के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया के कतिपय विकास खण्डों में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या

127—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों में कितनी सहकारी समितियां सरकारी सस्ते गल्ले या मिट्टी तेल का लाइसेंस लेकर कार्यरत हैं तथा कितनी रोजगार हेतु प्राप्त पैसे को भी खर्च कर भी मृत हो रही हैं ? क्या सरकार इस प्रकरण की छानबीन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्डों में कुल 31 सहकारी समितियां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते गल्ले/मिट्टी के तेल का लाइसेंस लेकर कार्यरत हैं ।

कोई सहकारी समिति मृत नहीं हो रही है केवल एक सहकारी समिति में प्राप्त धन का दुरुपयोग किया गया है ।

इस प्रकरण की जांच कराई गई है तथा दोषी कर्मचारी की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

साधन सहकारी समिति (लार्ज सोसाइटी) धौसिया औराई जनपद वाराणसी को रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी धनराशि

128–श्री मूलचन्द–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लार्ज सोसाइटी) धौसिया ब्लाक औराई जनपद वाराणसी के सहायक नि0 अधिकारी औराई व प्रवेक्षक धौसिया ने रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी राइट आफ की धनराशि से किन-किन लोगों को उसका लाभ दिया है ? क्या सरकार इसकी एक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

साधन सहकारी समिति (लार्ज सोसाइटी) धौसिया औराई जनपद वाराणसी को रिजर्व बैंक से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । अतः सदस्यों को राईट आफ का लाभ दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

129–श्री मूलचन्द–

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त समिति के जिन लोगों के बकाये ऋण की राईट आफ की सूची शासन को भेजी गयी है उससे कितने लोग राईट आफ के पात्र थे ? क्या सरकार ऐसे लोगों पर जो राईट आफ के पात्र नहीं हैं और राईट आफ हुआ है उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

समिति द्वारा सदस्यों के ऋण को राईट आफ करने की कोई भी सूची शासन को प्राप्त नहीं हुई है । अतः मामले में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के वर्तमान प्रबंध परिषद् में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की व्यवस्था

130—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के वर्तमान प्रबंध परिषद् में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 के अनुसार प्रबंध परिषद् का गठन किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

131—श्री मित्रसेन—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति को विज्ञापन में आरक्षण का दिया जाना

132—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पृथक विज्ञापन नहीं किया जाता तथा पदों के आगे आरक्षण का संकेत नहीं दिया जाता इसका क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

विश्वविद्यालय ने इसका कारण धनाभाव बताया है किन्तु उन्हें निर्देश भेजे गये हैं भविष्य में वह विज्ञापन में अवश्य इंगित करें कि कौन से पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में नीलाम किए गए तथा मरे जानवरों की संख्या

133—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद में माह नवम्बर, दिसम्बर वर्ष 1986 में कितने जानवर नीलाम किए गए और कितने जानवरों की मृत्यु हो गयी ? माह अक्टूबर, नवम्बर, 1986 में कुल कितने पालतू गायें, भैंसें और मुर्गियां थीं और अब उनकी संख्या क्या है ? जानवरों के मरने का कारण और पूर्ण क्षति क्या है ? उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसकी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उक्त अवधि में कुल 33 जानवर नीलाम किये गये तथा 3 जानवरों की मृत्यु हो गयी ।

माह अक्टूबर एवं नवम्बर 1986 के अंत में कुल पालतू गाय, भैंसों और मुर्गियों की संख्या तथा अब (दिसम्बर, 87 में) उनकी संख्या निम्नवत है :—

जानवर का नाम	अक्तूबर, 86 में संख्या	नवम्बर, 86 में संख्या	23 दिसम्बर, 87 को संख्या
गाय ..	88	88	81
भैंस ..	62	62	56
मुर्गी	133	129	274

एक गाय की मृत्यु फ्रैक्चर होने के कारण तथा भैंस के दो बच्चों की मृत्यु निमोनिया एवं एक्यूट टिम्पोनाइटिस रोग पकड़ लेने के कारण हुई। कुल क्षति रुपये 1350 हुई।

इसके लिये कोई दोषी नहीं पाया गया।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के श्रमिकों द्वारा जिलाधिकारी का घेराव

134—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के श्रमिक दिनांक 14 दिसम्बर, 86 से लगातार अनिश्चितकालीन धरना, जिलाधिकारी, फैजाबाद कार्यालय के समक्ष देते रहे हैं ? यदि हां, तो गिरफ्तार श्रमिकों की संख्या क्या है और उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? मांगों को न मानने का औचित्य क्या है तथा क्या वे सभी श्रमिक काम पर वापस ले लिए गये हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है।

अवध सरकारी बैंक लि0, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ के प्रबन्धक को सम्बोधित यूनियन के पत्र पर कृत कार्यवाही

135—श्री भगौती सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश द्वारा अवध सहकारी बैंक लि0, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ में बैंक प्रबन्धक को भेजे गये पत्र दिनांक 13-11-86, 31-10-86, 18-11-86, 4-12-86, 27-1-87, 18-4-87, 14-5-87, 20-5-87, 19-5-87 प्राप्त हुए ? यदि हां, तो यूनियन के संबंधित पत्रों पर बैंक प्रबन्धकों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश द्वारा अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के प्रबन्धकों को भेजे गये पत्रों पर बैंक प्रबन्धक द्वारा की गयी कार्यवाही का विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य देख सकते हैं।

अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के कर्मचारियों के 11 सूत्रीय मांगें

136–श्री भगौती सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि0, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई 11 सूत्रीय मांग पत्र दिनांक 13-11-86 को यूनियन के माध्यम से बैंक प्रबन्धकों को प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो बैंक प्रबन्धकों के स्तर से अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

प्रस्तुत मामला बैंक प्रबन्ध के आन्तरिक प्रशासन से सम्बन्धित है। अतः इस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है फिर भी उचित मांगों पर कार्यवाही हेतु बैंक प्रबन्ध को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ के प्रबन्धकों के विरुद्ध जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

137–श्री भगौती सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि0, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ के बैंक प्रबन्धकों के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत जांच करने के सम्बन्ध में कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन उ0 प्र0 के महामंत्री का कोई पत्र दिनांक 18-11-86 को अवर निबंधक को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

विस्तृत जांच रिपोर्ट मेरे कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं।

138–श्री भगौती सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक लि0, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ की अनियमितताओं के संबंध में उप निबंधक, सहकारी समितियां (केन्द्रीय), लखनऊ को कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश का कोई शिकायती पत्र दिनांक 6-1-87 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है।

सचिव, अवध सहकारी बैंक लि0, लखनऊ की शैक्षिक योग्यता

139–श्री भगती सिंह–

क्या सहकारी मंत्री को जानकारी है कि अवध सहकारी बैंक लि0, 30 गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ के वर्तमान सचिव (श्री प्रमोद कुमार गुप्त) की शैक्षिक योग्यतायें सचिव पद की निर्धारित अर्हताओं से कम हैं ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इनकी सचिव पद पर नियुक्ति सहकारी अधिनियमों को नजरंदाज करके की गयी? क्या इस अवैधानिक नियुक्ति को माननीय मंत्री जी समाप्त करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

तात्कालिक परिस्थितियों में बैंक कार्य संचालन करने हेतु नियुक्ति संचालक मण्डल द्वारा की गई थी।

नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

अवध सहकारी बैंक, लखनऊ की अनियमितताओं तथा नियमों के उल्लंघन विषयक श्री आर0 डी0 अवस्थी, महामंत्री कोआपरेटिव बैंक यूनियन के पत्र पर कृत कार्यवाही

140–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवध सहकारी बैंक, लखनऊ की अनियमितताओं तथा नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में श्री आर0 डी0 अवस्थी, महामंत्री, कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन, उ0 प्र0 का कोई शिकायती पत्र दिनांक 2-12-86 उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो पत्र में किन-किन अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है और सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि संदर्भित पत्र की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह जांच आख्या क्या है और किस अधिकारी द्वारा जांच की गयी तथा अनियमितताओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

2-12-86 को नहीं अपितु 1-12-86 को प्राप्त हुआ है।

संदर्भित पत्र में संचालक मण्डल के अनियमित कार्यकाल, कर्मचारियों/अधिकारियों की अनियमित नियुक्तियां/पदोन्नतियां आदि का उल्लेख है। जांच कराई जा चुकी है । अनियमितताओं से सम्बन्धित अधिकारियों एवं तात्कालिक पदाधिकारियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जा रही है।

पायी गयी अनयमितताओं का विस्तृत विधिक परीक्षण अनिवार्य है, ताकि ठोस एवं प्रभावशाली कार्यवाही विधिवत् रूप से सम्पन्न हो सके, अस्तु विलम्ब स्वाभाविक है।

जी हां।

जांच क्षेत्रीय सहायक निबन्धक (उप0) लखनऊ मण्डल एवं अपर जिला सहायक निबन्धक, जनपद लखनऊ द्वारा की गयी अनियमितताओं के निराकरण हेतु जांच रिपोर्ट का विधिक परीक्षण किया जा रहा है तथा संबंधित दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जांच आख्या तथा उससे संलग्न कागजात मेरे कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिसे मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य देख सकते हैं।

चीनी मिलों में पेराई हेतु आने वाले गन्ने पर नगर महापालिका का चुंगी-कर

141—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार गन्ने पर कोई चुंगी कर देय नहीं था परन्तु हाल ही में विभागीय आदेशों के अन्तर्गत प्रदेश की कई नगरपालिकाओं जिसमें जिला बरेली की बहेड़ी नगरपालिका भी सम्मिलित है, में गन्ने पर चुंगी कर लगा दिया गया है जिससे किसानों की काफी हानि हो रही है ? यदि हां, तो इन किसान विरोधी आदेशों का क्या कारण है ? क्या सरकार अविलम्ब सभी नगरपालिकाओं को आदेश देगी कि गन्ने पर कोई चुंगी कर न लिया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

शासनादेश दिनांक 3 जून, 1982 द्वारा नगरपालिकाओं की सीमा में स्थित चीनी मिलों में पेराई हेतु आने वाले गन्ने को चुंगी-कर से मुक्त किया गया था? इससे नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी और कतिपय सम्बन्धित नगर-पालिकाओं द्वारा, जिनमें नगरपालिका, बहेड़ी भी सम्मिलित थी, शासन को प्रत्या-वेदन दिये जाने पर उपरोक्त आदेश को शासनादेश दिनांक 3 जुलाई, 1987 द्वारा निरस्त किया गया। परन्तु साथ ही कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों में पेराई हेतु आने वाले गन्ने पर मात्र दस पैसे प्रति क्विंटल अधिकतम चुंगी की दर निर्धारित की गई।

इस वर्ष प्रदेश में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शासना-देश दिनांक 3 जुलाई, 1987 का कार्यान्वयन भी "क्रशिंग सीजन" 1987-88 के लिए स्थगित कर दिया गया है अर्थात क्रशिंग सीजन 1987-88 में चीनी मिलों में पेराई हेतु आने वाला गन्ना चुंगी कर से मुक्त रहेगा।

142—श्री विष्णु देव—

[दिनांक 16-7-87 को अता0 प्र0 सं0 118 द्वारा उत्तरित]

143–144–श्री विष्णु देव–

[दिनांक 16-7-87 के अता0 प्र0 सं0 119 व 119 ब द्वारा उत्तरित]

145–श्री रणजीत–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, देवरिया की तैनाती

146–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक पद पर 15 वर्ष से ऊपर से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण कब तक किया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महिला चिकित्सालय डुमरियागंज में महिला डाक्टर की नियुक्ति

147–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के छठवें गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या 70 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आदेश दिनांक 20-8-85 द्वारा एक महिला डाक्टर की नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि हां, तो उस महिला डाक्टर का क्या नाम है तथा उसने किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया ? यदि नहीं, तो 20-8-85 से अब तक लगभग 18 माह हो रहे हैं, दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

निदेशालय के आदेश दिनांक 20-8-85 द्वारा महिला चिकित्सालय, डुमरियागंज में डा0 (श्रीमती) जैनुब मुख्तार हुसैन आगा की नियुक्ति की गयी थी परन्तु उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया । तदुपरान्त वैकल्पिक अथवा दूसरी व्यवस्था के रूप में निदेशालय के आदेश दिनांक 1-8-86 द्वारा डा0 (कु0) नीता सिंह को महिला चिकित्सालय, डुमरियागंज स्थानान्तरित किया गया परन्तु उन्होंने भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया और सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

148–श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान भवन स्थित (एलोपैथिक) डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टर का स्थानान्तरण

149—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह एवं डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन सचिवालय (एलोपैथिक) डिस्पेंसरी में कार्यरत किन-किन चिकित्सकों के स्थानान्तरण वर्ष 1987 में (31 अगस्त, 1987 तक) अन्यत्र किया गया था? इनमें से किन-किन के स्थानान्तरण किस आधार पर निरस्त किये गये ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विधान भवन सचिवालय (एलोपैथिक) चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्साधिकारी डा0 विजय शंकर शुक्ला का स्थानान्तरण दिनांक 4-7-87 के आदेश द्वारा किया गया था उक्त स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कर अधीक्षकों, सहायक कर अधीक्षकों का नियमितीकरण

150—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1966 के तदर्थ नियुक्ति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमितीकरण हेतु जारी राजाज्ञा 1978 एवं 30 अगस्त, 1984 के अनुपालन में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कर अधीक्षकों एवं सहायक कर अधीक्षकों की सेवाओं का नियमितीकरण की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों इसमें देरी के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या उसके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां । अधिकारियों की सेवाओं का नियमितीकरण की सूची का प्रकाशन निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा क्रमशः दिनांक 18-6-86, 30-8-86 तथा दिनांक 3-8-87 एवं 31-8-87 को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा ग्राम फिरोजपुर, तहसील मुहम्मदाबाद का निरीक्षण

151—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, जनपद गाजीपुर ने प्रश्नकर्ता के साथ तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम फिरोजपुर का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, गाजीपुर को अपने पत्रांक सं0 539/आ0 लि0 दि0 21 अक्टूबर, 86 के द्वारा निर्देशित किया था कि हरिजन बस्ती में एक हैण्डपम्प हरिजन पेयजल योजना से लगवा दें ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक हैण्ड पम्प नहीं लगाया गया ? क्या जिलाधिकारी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त हरिजन बस्ती में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर लापरवाही बरतने का उत्तरदायी कौन है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत ग्राम के निरीक्षण किये जाने की जानकारी जल निगम को नहीं है तथा न निरीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी का पत्र दिनांक 21-10-86 प्राप्त हुआ ।

जिला प्रशासन से उक्त ग्राम की हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प लगाने हेतु सितम्बर, 1987 में धन प्राप्त हुआ था तथा तदनुसार हैण्ड पम्प स्थापित कर दिया गया है। अतः जल निगम द्वारा लापरवाही बरतने का प्रश्न नहीं उठता ।

152–श्री सरदार सिंह–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में . . .

(श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा बिना अनुमति खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 301 पर आ गया हूं, अब आप बैठें ।

नियम 301 के अन्तर्गत 27 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 7 सूचनायें शलाका द्वारा की गयी हैं।

(श्री जयदीप सिंह बरार बिना अनुमति बोलने का प्रयत्न करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हुआ)

श्री अध्यक्ष–

कुछ भी लिखा नहीं जायगा, आप बैठें ।

(श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा बिना अनुमति खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, जब आपकी बात होगी, तब सुनूंगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा बिना अनुमति बोलते रहने का प्रयत्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । आप तो नियमों के पंडित हैं, अगर इस तरह आप पेश करेंगे तो बड़े दुख की बात है।

आप कृपा कर बैठें, यह मुनासिब नहीं है, मैं खड़ा हूं । आप तो विद्वान पंडितों में से हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इसीलिये मैं नियम का हवाला देकर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं, पहली सूचना श्री श्याम बिहारी सिंह की, दूसरी श्री धनराज यादव की, तीसरी श्री महेन्द्र भाटी की, चौथी भीखा राम की, पांचवीं यदुनाथ सिंह की, छठी गया प्रसाद वर्मा की और सातवीं राम चन्द्र बख्श की है।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप कहें तो इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

ठीक है ।

(सदन की सहमति से नियम 301 की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

उत्तर प्रदेश राज्य निगम चीनी मिल, नेकपुर, बरेली में किसानों का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह–

[उ0 प्र0 चीनी मिल निगम, नेकपुर, बरेली द्वारा गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति कराने में भारी परेशानी की जा रही है । अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये के कारण गन्ने की पर्ची केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनकी अधिकारियों व कर्मचारियों से सांठ-गांठ है। अधिकांश किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है । चीनी मिलों को नहीं पहुंच पा रहा है जिससे किसानों में भारी रोष है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त प्रकरण की जांच करायी जावे । साथ ही जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को दण्डित कराया जावे और किसानों को पर्ची दिलवा कर उनका गन्ना चीनी मिल में भिजवाने की व्यवस्था की जावे । किसानों का गन्ना पैसा भी मिल से नहीं मिल पा रहा है ।]

बस्ती जनपद में सन्त कबीर सहकारी कताई मिल को बन्दी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[पूर्वांचल में बस्ती जिले के संत कबीर सहकारी कताई मिल दो माह से बन्द कर दी गई इस कताई मिल में 1200 (बारह सौ) मजदूर काम करते थे तथा प्रतिदिन 7050 किलोग्राम से लेकर 8000 कि0ग्रा0 सूत तैयार होता था ।

मिल के बन्द होने से जहां सात हजार से लेकर 8 हजार कि0ग्रा0 तक प्रतिदिन सूत के उत्पादन बन्द होने से राष्ट्रीय क्षति हो रही है वहां बारह सौ मजदूर उन पर आश्रित हजारों लोग तथा मिल से सम्बन्धित आश्रित दुकानदार, रिक्शेवान, सफाई करने वाले भी मिल के बन्द होने से परेशान हैं फलस्वरूप इस मिल से सम्बन्धित लगभग 5 हजार व्यक्ति भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और दो महीने बीत जाने पर भी सरकार की ओर से मिल चलवाकर हजारों लोगों को भुखमरी तथा बरबादी के संकट से उबारने का कोई प्रयास न होने से उक्त क्षेत्र के लोग अत्यन्त दुःखी और आतंकित हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएव इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व सुनिश्चित प्रश्न को आदरणीय सदन के सेशन में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि सरकार मिल को शीघ्र चलवाने की व्यवस्था करे ।]

दादरी–नोएडा मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भाटी–

[मैं माननीय सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, दादरी–नोएडा मार्ग का निर्माण मूलतः सार्वजनिक निर्माण विभाग, गाजियाबाद के पास था किन्तु तत्कालीन मुख्य मंत्री की आज्ञा से मई, 1985 में इस मार्ग का निर्माण नोएडा को स्थानान्तरित कर दिया गया था । नोएडा के यह मार्ग अपनेकार्य क्षेत्र में बना कर शेष मार्ग का निर्माण छोड़ दिया जो लगभग 8 किलोमीटर है। यह मार्ग पिछले 4 वर्ष से वैसे का वैसा ही पड़ा है। वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय श्री वीर बहादुर सिंह ने दिनांक 16-11-87 को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मण्डलीय बैठक मेरठ में सार्वजनिक निर्माण विभाग को मौखिक आदेश उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु पारित किये । किन्तु अभी तक कोई निर्माण इस मार्ग पर प्रारम्भ नहीं हुआ है। कई बार स्थानीय लोगों ने इस सड़क के सम्बन्ध में आन्दोलन किये यहां तक कि 7 दिसम्बर, 87 को तो स्थानीय पुलिस को आन्दोलन कारियों पर हल्का लाठी चार्ज भी करना पड़ा गिरफ्तारियां तो कई बार की गयी हैं।

इस माननीय सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि उपरोक्त मार्ग का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र नहीं किया गया तो कोई बड़ा आन्दोलन शुरू हो सकता है ।]

रत्ना शुगर मिल, जिला जौनपुर में बंदी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीखाराम–

[मैं आपकी आज्ञा से अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज, जनपद जौनपुर सन् 1934 से चल रही थी जो सन् 1984 से बन्द है। जिसके कारण लगभग 1200 मजदूरों को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है । मिल मालिक के ऊपर किसानों के गन्ना का बकाया मूल्य लगभग 76 लाख एवं मजदूरों का वेतन लगभग एक करोड़ दस लाख रुपया पड़ा है। मिल बन्द होने के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना सैकड़ों मील दूर मिल में भेजना पड़ रहा है। दिनांक 21-9-87 को माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिल को अधिग्रहण करने की घोषणा की थी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। जिसके फलस्वरूप मिल मजदूर विधान सभा के सामने आमरण अनशन पर दिनांक 18-12-87 से बैठे हैं। मिल की सभी मशीनें चालू हालत में हैं परन्तु चालू न रहने से खराब हो गयी हैं । जिससे प्रदेश को क्षति हो रही है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आपसे मांग है कि उक्त रत्ना शुगर मिल को माननीय मुख्य मंत्री जी के कथनानुसार अधिग्रहण किया जाय ताकि मिल मजदूर एवं किसानों की कठिनाइयों को दूर किया जावे ।]

चुनार सीमेन्ट फैक्टरी से प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह–

[इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अति आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद में चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री, डाला, चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री से उड़ने वाली डस्ट से वहां का वातावरण एकदम विषाक्त हो गया है । फैक्ट्री के चारों तरफ लगभग 15 कि0मी0 की परिधि में सोनपुर, बकियाबाद, जमुहार, चौकिया, जमुई, नुआंव, सोनऊर, दुवदुमा, चुनार कस्बा के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। हवा के साथ-साथ पीने का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। फैक्ट्री से लगभग 3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित गंगा का पानी भी सीमेन्ट डस्ट से पूरी तरह प्रभावित हो रहा है, यही विषैला पानी लोगों को स्प्लाई किये जाने से बीमारी की संख्या बढ़ रही है। टी0 बी0, दमा आदि जान लेवा बीमारियों से त्रस्त होकर लोग घुट-घुट कर मरने को मजबूर हो रहे हैं। पशुओं को भी शुद्ध चारा नहीं मिल पा रहा है वनस्पतियों के रन्ध्र पर धूल जम जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो रही है। जिससे वे फल फूल पाने में असमर्थ हो गये हैं।

एक तरफ सीमेन्ट डस्ट से प्रदूषित वायु तथा जल पीने से बीमारी के शिकार लोग हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फसल ठीक ढंग से न होने के कारण भुखमरी की भी स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

इटावा जनपद के लखना क्षेत्र चम्बल क्वांयरी नदी के मध्य क्षेत्र में सूखा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद वर्मा–

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना के क्वारी चम्बल तथा जमुना के बीच बीहड़ी क्षेत्र में भयंकर सूखा की लपेट में है जिससे उस क्षेत्र की जनता तथा पशु भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं। थोड़ी बहुत फसल बच भी गई है उसे वहां पर हजारों की संख्या में पहाड़ा (जंगली जानवर) खा रहा है।

अतः मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि उस क्षेत्र के लिए सूखा राहत विशेष रूप से की जाये और पहाड़ों को समाप्त करने के निर्देश जिलाधिकारी, इटावा को दिये जायं ।]

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कानपुर से बाहर स्थित सूती मिलों के मजदूरों को 60 रुपये प्रतिमाह वेतन बढ़ोत्तरी के विषय में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[आपकी आज्ञा से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

राज्य सरकार ने कानपुर नगर में स्थित सूती मिलों में कार्यरत मजदूरों को माह अक्टूबर, सन् 1985 से 60 रुपये प्रतिमाह की अन्तरिम वेतन वृद्धि की है परन्तु कानपुर के बाहर प्रदेश के समस्त सूती मिल मजदूरों को इस लाभ से वंचित रखा है जिनकी संख्या 50 हजार के ऊपर है।

कानपुर नगर की भांति प्रदेश के अन्य सूती मजदूरों को 60 रुपये की अन्तरिम वृद्धि देने तथा सूती मिलों की अन्य समस्याओं को समाधान करने की मांग को लेकर एटक व इन्टक समेत सभी मजदूर संगठनों ने 14 जनवरी, 88 से सूती मिलों में हड़ताल करने का निर्णय लिया है।

अतएव मैं सरकार से मांग करता हूं कि कानपुर नगर की भांति प्रदेश के समस्त सूती मिल मजदूरों को 60 रुपये प्रतिमाह की तदर्थ वेतन बढ़ोत्तरी की सरकार घोषणा कर तथा त्रिदलीय सम्मेलन बुलाकर सूती उद्योग की अन्य समस्याओं का समाधान करे ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत 9 सूचनायें आयी हैं, पहली सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश जी की भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु की सूचना जिलाधिकारियों द्वारा सदन को प्रेषित न किये जाने के बारे में है, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सदन में गोपनीयता का तर्क देकर सरकार द्वारा उत्तर देने से मना करने के बारे में है, तीसरी सूचना श्री अशोक वाजपेई की बजट के दौर से पास होने के कारण स्वीकृत धन न उपलब्ध कराये जाने के बारे में है , चौथी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की बाल कल्याणकारी योजनाओं के चलाये जाने के बारे में है, पांचवीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की बेरोजगारी पर काबू पाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री मनोहर लाल की लोहिया मशीन्स लि0, द्वारा 1000 मजदूरों को निकाल दिये जाने के बारे में है, 7वीं सूचना सर्वश्री हर्ष वर्धन, रवीन्द्र नाथ तिवारी व राम गोविन्द चौधरी की है, जो गोरखपुर में स्थित गोलघर के एक मकान को बेचने में नियमों के अनुसार स्टैम्प का पूर्ण भुगतान न करने के सम्बन्ध में है, 8वीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी व श्री शतरुद्र प्रकाश की ज्ञान प्रकाश कमेटी रिपोर्ट के बारे में है और 9वीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अंतर्गत पिछले सत्र में 40 सूचनाओं के उत्तर न दिये जाने के संबंध में है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के संबंध में कहना चाहता हूं । करण में ऐसी व्यवस्था है कि जो सूचनायें सदन में लायी जाती हैं, जिनकी ग्राह्यता पर आप सुनते हैं, उनके संबंध में माननीय सदस्य को 7 दिन में अतारांकित और अंतिम रूप से एक महीने में कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाता है, लेकिन पिछला सत्र जो बीत गया है, उसके 6 महीने हो गये हैं, उसमें 114 सूचनायें दी गयीं थीं जिनमें 40 के बारे में अब तक प्रारम्भिक उत्तर दे दिया गया और न ही अंतिम उत्तर ही दिया गया । इन विषयों के बारे में अंतिम रूप से कार्यवाही से अब तक अवगत नहीं कराया । मैंने 2 सूचनायें नियम 301 के अंतर्गत दी थीं, एक तो देवरिया में गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान के भीतर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के बारे में तथा पैराथीन बैग्स की लगी इकाइयों में से 40 इकाइयों के बन्द होने के संबंध में सूचना दी थी । लेकिन दोनों सूचनाओं के बारे में न तो प्रारम्भिक रूप से कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया और न ही उसमें कोई व्यवस्था की गई । जैसा कि मैंने कहा था संविधान और प्रक्रिया नियमावली के उल्लंघन का ठेका इस सरकार ने ले लिया है । यह सरकार न प्रक्रिया नियमावली के अनुसार और न ही संविधान के अनुसार सदन को चलाना चाहती है और न नियमावली के अन्तर्गत मिले सदस्यों के अधिकारों की संरक्षण देना चाहती है । इसलिये इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप प्रक्रिया नियमावली की इस व्यवस्था को समाप्त कर दें या उसके अंतर्गत जो हमें अधिकार मिले हैं उनका संरक्षण करें क्योंकि सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और उनकी उपेक्षा कर रही है । इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले में सरकार की निन्दा करें और उसे प्रताड़ित करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इससे पहले कि मैं कोई बात कहूं कि जो स्थिति है वह मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को बता देना जरूरी समझता हूं कि माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने जो आपको नोटिस दी उसमें 904 सूचनाएं दी हैं और जो बात उन्होंने अभी कही है वह 104 सूचनाओं के बारे में कही है । मान्यवर, वह न 904 हैं और न 104 हैं, वह सूचनायें 114 हैं, 20 ज्यादा हैं । इस प्रकार 114 सूचनायें प्राप्त हुई थीं । इस समय तक सब का जवाब दिया जा चुका है । कुल 2 सूचनाओं का जवाब नहीं गया है, उनका आज जवाब जा रहा है । शाही जी की सूचना का अन्तरिम जवाब 18 अगस्त को दिया गया था और उस पर फाइनल रिप्लाई कल दी गई है । इस तरह से आज शाम तक जितना कोटा था, जो कुछ भी जवाब देना था वह जा चुका है । अब फैसला आपके हाथ में है, सम्मानित सदस्यों के हाथ में है कि हम अवहेलना कर रहे हैं या आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया है कि कल शाम को माननीय सदस्य को सूचना भेजी गई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी दोनों सूचनाओं में से किसी एक का भी अन्तरिम रूप से या अंतिम रूप से

उत्तर नहीं दिया गया है । यह सरकार का रवैया है, किस तरह से वह अनदेखा कर रही है । एक महीने के अन्दर हमें उत्तर नहीं मिला है । इस पर मैं आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं पत्रावली आपके समक्ष भिजवा दूंगा । उसके बाद आपकी जो आज्ञा होगी, वह शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में सरकार की तरफ से जो इस सम्बन्ध में निर्णय आने हैं व तुरन्त आने चाहिए । . . . (व्यवधान)

बाकी सूचनायें नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती हैं, लिहाजा सब अस्वीकार की जाती हैं । . . . (व्यवधान) यह सब 300 के अंतर्गत नहीं आती हैं । जो नियम 300 के अंतर्गत आती हैं उन्हीं को मैं सुनने के लिए तैयार हूं । . . . (व्यवधान)

. . . (श्री मनोहर लाल के लड़े होकर कुछ कहने पर ।) मनोहर लाल जी आप तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं । अब नियम 300 के अंतर्गत कोई बात उठाना मुनासिब नहीं है ।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के अतारांकित प्रश्न संख्या-85 और 87 का माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह फर्जी नसबन्दी से संबंधित था । जो हमारे जिले में नसबन्दी की गई है, वह फर्जी की गई है । उसमें लोगों का पता नहीं दर्शाया गया है । कैशबुक से पैसा निकाला गया है और इस तरह से बस्ती जिले में सरकार का हजारों रुपया लूटा गया है । इस तरह से तथ्यों को छिपाकर सूचना दी गई है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की आपसे अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कार्यालय में दे दीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

सारे तथ्य माननीय मंत्री जी ने छुपाये हैं और फर्जी आकड़े दे दिये हैं जिन लोगों की नसबंदी की गयी है उनके पते तक दर्ज नहीं हैं और 20 हजार से ज्यादा लोगों की नसबंदी की गयी दिखाया गया है । बस्ती जिले में 15 हजार से अधिक फर्जी नसबंदी की गयी है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे आप स्वीकार करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में आज जो एक घृणित काम हुआ है उसकी कोई मिसाल और नहीं है उसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । उसकी मैंने नियम 300 में सूचना दी थी । एक सवाल मैंने भेजा था वह आपने स्वीकार कर लिया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, आप नियमों में हमसे ज्यादा काबिल हैं, अब आप कृपा कर बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं चाहता हूं आप एक मिनट सुन लें . .

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा कर बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष–

हां, आप बैठ जायं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि आज सिर्फ उन्होंने सच बात को माना है जो आपने कहा कि वह आपसे ज्यादा काबिल हैं ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर) आप बुजुर्ग आदमी हैं नियमों के ज्ञाता हैं आपसे कहते हुये मुझे शर्म आती है । आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जब आप ही शर्म करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा ।

श्री अर्जुन सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे भी मौका दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह क्या तरीका है । नियमों के अनुसार ही बोलने दूंगा । नेता विरोधी दल मैं आपसे निवेदन करूंगा इन्हें शान्त करें ।

श्री अर्जुन सिंह–

हमने नियम बहुत देख लिये हैं (व्यवधान) (बेंच पर खड़े होने पर)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इनको इंगित किया जाय, इनको निकालने की कार्यवाही की जाय । इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई तरीका नहीं है अगर शांतिपूर्वक कहेंगे तो मैं जरूर सुनूंगा लेकिन मेज पर खड़े होकर या दबाव डाल कर कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपसे सहमत हूं कि कोई दबाव डालने की बात नहीं होनी चाहिये लेकिन उनका आशय यह नहीं है माननीय अर्जुन सिंह यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है । अतः उनकी बात को सुन लें उसके बाद जो समझे वह करें ।

श्री अर्जुन सिंह–

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को हटा दिया गया है और उनकी जगह कोई नये मुख्य मंत्री बैठा दिये गये हैं क्योंकि वहां पर कोई और बैठे हैं ।

(श्री राम नारायण पाठक को संबोधित करते हुए)

श्री अध्यक्ष–

केवल यही बात आपको कहनी थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय तिवारी जी आप बुजुर्ग आदमी हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे निर्णय के बाद अब कोई आशंका नहीं रह जाती है (व्यवधान)

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

व्यवस्था के प्रश्न में बुजुर्गी का कोई प्रश्न नहीं आता है ।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 3 व 4 को विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति

(कृषि मंत्री के खड़े होने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडस्टियल कारपोरेशन लि0

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी, आप बैठें उन्होंने इस पर आपत्ति की है माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी कुछ कहना चाहते हैं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह बड़ी विडम्बना है प्रदेश सरकार की जैसा मैंने कल भी यहां कहा था कि हमारे अधिकार धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं, हमारे अधिकार संविधान और अधिनियमों द्वारा दिये गये हैं । मद सं0 3 और 4 दोनों ऐसे विषय हैं जो विधान सभा के दूसरे अधिनियम द्वारा विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं कंपनीज एक्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1956 की धारा 619-ए के अनुसार यह अधिकार विधान सभा को प्राप्त है कि कोई भी कम्पनी जब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करेगी तो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वह रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग के 3 महीने के अन्दर तैयार होगी और सदन की पटल पर रखी जायेगी । इसमें थोड़ी छूट शासन को मिल गयी है कि आडिट संपरीक्षण करा कर रखी जायेगी । वर्ष 1979-80 का यू0 पी0 स्टेट एग्रो इंडिस्ट्रियल कारपोरेशन का लेखा जोखा सदन के पटल पर अब रखा जा रहा है । आपको ज्ञात है कि सरकार की बहुत बड़ी पूंजी इस कारपोरेशन में लगी है और इस लिये विधान सभा को अधिकार है कि उसमें क्या गड़बड़ी है, क्या खर्च है और क्या आय है, इसकी जानकारी प्राप्त करे ।

मान्यवर, मेरा कहना है कि यह रिपोर्ट बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और पहले आ गयी होती तो समय मिलता और विधान सभा में डिस्कस करते कि किन परिस्थितियों में इस कारपोरेशन में घाटा हो रहा है । मान्यवर, एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का वर्ष 1980-81 का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण आज दिया जा रहा है । कंपनी एक्ट की धारा 619-ए की उपधारा (3) में प्राविधान है कि एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर तैयार की जायेगी और यहां रखी जायेगी । मंत्री जी ने विलम्ब के जो कारण बताये हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, यद्यपि क्षमा भी मांगा है लेकिन मान्यवर, यह कहा है कि पहले किसी भी तरह से 23-7-86 को रिपोर्ट की 400 प्रतियां विधान सभा को भेजी लेकिन डिमांड 600 की की गयी तो 200 अतिरिक्त प्रतियां 1-4-87 को भेजीं जिनके तैयार करने में इतना समय लगा । जबकि रिपोर्ट 1981 में आना चाहिए था और 1982 में आना चाहिए था किन्तु 6 वर्ष हो गये हैं इनके आने में और कतिपय कारण बताकर इतनी देर कर रहे हैं । इसलिये हम अपने अधिकारियों से पिछली, आठवीं, विधान सभा में कारण पता लगाते कि कारपोरेशन घाटे में क्यों जा रहा है, क्या गड़बड़ी है किन्तु विलम्ब के कारण हम अपने अधिकार से वंचित हो गये । इसलिए कम्पनीज एक्ट की धारा 619-ए के अन्तर्गत जो प्राविधान है उनके अनुसार आप इनको निर्देश दें कि समय से निगमों का लेखा जोखा एग्रो का ही नहीं बल्कि बहुत से अन्य कारपोरेशन हैं जिनके लेखे जोखे यहां नहीं रखे गये हैं जबकि उनमें तमाम पूंजी लगी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इनको मना करें और यह लेखा जोखा पिछली विधान सभा, आठवीं विधान सभा, में आना चाहिए था जो समाप्त हो गयी है, इसलिये इसको भी सदन के पटल पर न रखा जाये ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, पाण्डेय जी ने कुछ आपत्तियां प्रस्तुत कीं, मान्यवर, यह सही है कि रिपोर्ट पहले आनी चाहिए थी लेकिन जो विलम्ब हुआ है उसके कारण इसमें दिये गये हैं । यह निर्देश हमने दिये हैं कि भविष्य में रिपोर्ट समय से प्रस्तुत की जाये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

81 का लेखा जोखा 87 में सदन में पेश हो और आप कह दें. . . . (व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसमें 79-80 का भी है . . . (व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

79-80 में यह कहां थे, यह इनसे मान्यवर पूछ लीजिए, इधर ही तो यह थे ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूं । तो मान्यवर, इसमें हमारी ओर से निर्देश दे दिये गये हैं कि आइन्दा इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और यह समय से पेश किया जाना चाहिए ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1979-80†

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0 पी0 एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1979-80 को विलम्ब के कारणों सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1980-81†

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण 1980-81 को विलम्ब के कारणों सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार†

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार, को भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी आपकी तरफ कमर करके, कमर कस के और पीठ करके बैठे हैं, आप इनको सीधे बैठाइये ।

†छापा नहीं गया ।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन रोजिन कम्पनी लिमिटेड की इक्सठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1984-85†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की इक्सठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1984-85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

आज की कार्य सूची की मद संख्या 7 व 8 को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से . .

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

श्रीमन्, इस पर मेरी आपत्ति है, मैं मद संख्या 7 व 8 दोनों की आपत्ति के सिलसिले साथ ले रहा हूं। यह नियमावली 1978 में बनी थी । इसमें जो वन अधिनियम है, उसमें 78 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसमें यह है कि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए । इस पर जो उन्होंने कारण दर्शाये हैं, वे स्पष्ट नहीं हैं । जैसा कृषि मंत्री ने दिया वैसा एकाएक न करके इन्होंने गोलमटोल करके एक में दे दिया है । यह कार्य-पालिका का काम है कि वह जो भी नियम बनावे, सदन के पटल पर रखकर उसे पारित करा ले । उनको स्वीकार कराने में इतना विलम्ब लग गया, इसलिए आपत्ति करता हूं कि वन अधिनियम का सीधा उल्लंघन इस सरकार ने किया है। मान्यवर, इस-लिये आप निर्देश दें कि इस प्रकार का विलम्ब सदन के पटल पर रखने में सरकार न करे और इसे भी उसी विधान सभा में आना चाहिए था और आप इसको भी न रखने की अनुमति दें ।

श्री हुकुम सिंह—

इसको प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था, यह सही है और इसे मैं मानता हूं और अब हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि किन कारणों से विलम्ब हुआ है और यदि विलम्ब करने में किसी का दोष है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी होगी ।

उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978††

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 4321/14-3-32/73-सीए-16/1927-रूल-1978, दिनांक 1 अगस्त, 1978 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश आरा मिल की स्थापना और विनियमन नियमावली, 1978 को विलम्ब के कारणों सहित भारतीय वन अधिनियम, 1827 की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

*—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गयी ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978, उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 एवं उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1986†

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-2018/14-3-95-1974 दिनांक 27 सितम्बर, 1978 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978 एवं अधिसूचना संख्या 408/चौदह-3-95-74 दिनांक 24 जनवरी, 1983 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 तथा अधिसूचना संख्या 3497/14-3-95-1974 दिनांक 6 अगस्त, 1986 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1986 को विलम्ब के कारणों सहित भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन††

श्री उपाध्यक्ष–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों को, जो सदन का सत्र न होने की दशा में दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्रस्तुत किए गये थे, उपस्थापित करता हूं :–

(1) श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री बाबूराम यादव सदस्यगण, विधान सभा द्वारा श्री शरद अस्थाना, तत्कालीन जिलाधिकारी, इटावा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ।

(2) श्री रणजीत सिंह, सदस्य, विधान सभा (देवरिया) द्वारा श्री शंकर दत्त शुक्ल, तत्कालीन थानाध्यक्ष, गौरीबाजार देवरिया के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमानना का प्रश्न ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय संसदीय राज्य मंत्री जी ने वन अधिनियम के संबंध में जो देरी हुई उसके बारे में कहा, कि कार्यवाही करेंगे । इससे पहले कृषि विभाग की तरफ से लेखा जोखा रखा गया वह भी देर से रखा गया लेकिन सरकार ने इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया । क्योंकि इससे पहले वन मंत्री जफर अली नकवी थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्यवाही होगी क्योंकि वह जनमोर्चा में आ गये हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

1978 में कौन मंत्री थे इसको आप अच्छी तरह जानते हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही हो चुकी । प्रदेश की जनता ने उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गयी ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति 1986-87 का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की लोक लेखा समिति 1986-87 का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1982-83 के प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित अनुदानों /विनियोगों में हुये व्यथाधिक्य से संबंधित प्रस्तर संख्या 2.1 तथा 2.2 पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं । उक्त प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को दिनांक 25 अगस्त, 1987, जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, करण संख्या 68(1) के अपेक्षानुसार प्रस्तुत किया गया था ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जब लोक लेखा समिति का गठन नहीं हुआ जब तक अध्यक्ष पी0 ए0 सी0 के नहीं होंगे तो रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत हो जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष के प्राधिकृत किए जाने पर कोई भी सदस्य प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जब समिति का गठन ही नहीं हुआ तो यह प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ?

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

समय 12 बजकर 55 मिनट

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा है समिति तो गठित हो गयी है लेकिन चेयरमैन नहीं हुये हैं । यह पुरानी कमेटी की रिपोर्ट है। अध्यक्ष जी किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं कि वह कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दें। अध्यक्ष महोदय ने रिपोर्ट पेश करने के लिये कह दिया है।

लोक लेखा समिति 86-87 का पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)†

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति का पंचम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1972-73 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित लोक लेखा समिति (1976-77) के प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में है प्रस्तुत करता हूं । उक्त प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष को दिनाक 25 अगस्त, 1987 जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, करण संख्या 68(1) के अपेक्षानुसार प्रस्तुत किया गया था ।

---

†छापा नहीं गया ।

प्राक्कलन समिति का विशेष प्रतिवेदन†

श्री तेज बहादुर गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति का विशेष प्रतिवेदन, श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ के संबंध में, जो सदन का सत्र न होने की दशा में दिनांक 3 अक्तूबर, 1987 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इसमें भी यही हालत है। इसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जब अध्यक्ष प्राधिकृत कर देते हैं तो कोई भी सदस्य पेश कर सकता है । इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी को रिपोर्ट पेश हुई है इसलिए अध्यक्ष जी ने नियुक्त कर दिया है। इसमें कोई वैसी बात नहीं है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की आज 23 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। मैं इन सबको पढ़ देता हूं ।

पहली सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री रणजीत सिंह, श्री श्रीप्रकाश सिंह की प्रचलित अतिरिक्त सट्टा प्रथा समाप्त करने से गन्ना किसानों के सामने गन्ना पिराई का संकट के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राम नरेश यादव की दिनांक 22 दिसम्बर, 1987 को लखनऊ विश्व-विद्यालय के छात्रों पर लाठीचार्ज के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री रामसजीवन की बांदा जिले में बांदा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पंचनेही की हरिजन बस्ती में दिनांक 3/4 नवम्बर, 87 को असमाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण करने के संबंध में है । चौथी सूचना माननीय श्री किरनपाल सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री हरेन्द्र मलिक की प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किये जाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की जनपद हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में श्रीमती सुशीला देवी की बलात नसबंदी किये जाने के संबंध में है । छठी सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री गया प्रसाद वर्मा की प्रदेश के बुनकरों को दिये गये ऋण को किश्तों में न वसूल करने से असंतोष के संबंध में है । सातवीं सूचना माननीय श्री कौशिक रमाशंकर की लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर द्वारा श्रमिकों के उत्पीड़न के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की वेतन समिति की रिपोर्ट न आने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष के संबंध में है । नवीं सूचना श्री जयदीप सिंह बरार, श्री सैयद अली अशर्फी की उत्तर प्रदेश में गन्ना संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव

†छापा नहीं गया।

स्थगित किये जाने के बारे में है । 10वीं सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की कानपुर नगर स्थित सूती मिल मजदूरों द्वारा 14 जनवरी, 88 से प्रस्तावित हड़ताल के बारे में है। 11वीं सूचना श्री महेन्द्र भाटी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहरों से दिल्ली प्रदेश को पानी दिये जाने से भयंकर सूखे की स्थिति के संबंध में है । 12वीं सूचना श्री अकबर हुसैन बावर, श्री मित्रसेन, श्री राज किशोर सिंह, श्री रामाकांत यादव की रत्ना शुगर मिल शाहगंज एक वर्ष से अधिक समय से बंद होने के बारे में है। 13वीं सूचना श्री शारदा प्रताप, श्री मनोहर लाल की शहरों की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है । 14वीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह और श्री राजित प्रसाद यादव की मिर्जापुर जनपद के ऊदलहाट थानान्तर्गत सिरौड़ी गांव के बेगुनाह ग्रामीणों पर पुलिस अत्याचार के संबंध में है । 15वीं सूचना श्री राम शरण दास की थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के दिलशाद तेली के मकान और दुकान पर आग लगाने के संबंध में है। 17वीं सूचना श्री दिछपाल सिंह बंसल की जनपद मेरठ थाना खेकड़ा की पुलिस द्वारा 28 दिसम्बर, 1987 को लोकदल के कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई के संबंध में है । 17वीं सूचना श्री रिछपाल सिंह बंसल की जनपद मेरठ थाना खेकड़ा की पुलिस द्वारा लोकदल के कार्यकर्ताओं की पिटाई के संबंध में है । 18वीं सूचना श्री मुहम्मद आजम खां और श्री फसीउर्रहमान की मेरठ के हलीमपुरा मुहल्ला के संबंध में एमनेस्टी इण्टर नेशनल की रिपोर्ट के संबंध में है । 19वीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव की इलाहाबाद में राजनैतिक कार्यकर्ताओं, नागरिकों व छात्रों पर पुलिस उत्पीड़न के संबंध में है । 20वीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश में वर्ष 1987 में दहेज न मिलने से सैकड़ों नवयुवतियों की मृत्यु के संबंध में है । 21वीं सूचना श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री जगवीर सिंह और श्री किशन लाल दिलेर की जनपद अलीगढ़ में प्राथमिक शिक्षकों के पदों के सृजन के संबंध में है । 22वीं सूचना श्री चन्द्रभान मौर्य की आगरा जनपद में पेयजल संकट के संबंध में है । 23वीं सूचना श्री दीपक कुमार की जनपद आगरा के किरावली के निकट हरिजन महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में है । ये 23 सूचनाएं हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इन सूचनाओं को नीचे से लीजिए । आज मान्यवर, इन सूचनाओं को उल्टे से लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

उल्टा न कराइये, उल्टा अच्छा नहीं होता है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

आज नीचे से सूचनाएं ले लीजिए मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष–

गोपाल दास जी, इसे सीधा ही चलने दीजिए ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, जो मैंने सूचना दी है वह गन्ना किसानों के संबंध में है। गन्ना किसानों के सामने एक प्रश्न-चिह्न लगा हुआ है। फैक्टरियां समय से पहले बन्द हो जायेंगी। यह भी सही है कि यह सरकार किसान विरोधी नीति चला रही है। आज गन्ना किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। सरकार यह स्वीकार करती है कि इस वक्त गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ने की संभावना है। खेत में जितना गन्ना है, इसका 4 साल के एवरेज के हिसाब से बेसिक कोटा बना हुआ है। अब तक गन्ना किसान गन्ना समितियों में जाकर अतिरिक्त वांडिंग करता था कि मैं कितना गन्ना दूंगा, यदि गन्ना नहीं देता था, तो उसके अन्त में उसका पैसा कट जाता था। यह किसान विरोधी सरकार ने अतिरिक्त सट्टे की प्रथा को समाप्त कर दिया। अब अतिरिक्त वांडिंग नहीं हो रही है, न जाने इनका क्या इरादा है। यह अतिरिक्त वांडिंग प्रथा समाप्त हो जाने से खेत में खड़ा हुआ गन्ना सूख जायेगा फैक्टरियों को पूरे सीजन गन्ना नहीं मिलेगा और गन्ने के अभाव में फैक्टरियां बंद हो जायेंगी, इससे गन्ना किसान भी मारा जा रहा है। यह इस प्रकार की सरकार की गन्ना किसान विरोधी नीति है श्रीमन्। मैं दूसरे सवाल की तरफ नहीं जाना चाहता, पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है यह एक दूसरा सवाल है, गन्ना किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है यह दूसरा सवाल है। जिन फैक्ट्रियों ने पिछले साल गन्ने का दाम नहीं दिया उन्हीं फैक्ट्रियों को पुनः गन्ना दे रहे हैं। हुगली और पिपराइच का गन्ना खलीलाबाद को दिया जा रहा है जब कि खलीलाबाद ने गन्ने का भुगतान पिछले साल नहीं किया। हुगली और पिपराइच यह दोनों इकाइयां गन्ना लेने को तैयार हैं, बेलवा दीकर, पुरैना एवं सामदेवरूआ गन्ना केन्द्र का गन्ना लेने को तैयार हैं क्योंकि यह उनका रिजर्व जोन है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है यह पूरे प्रदेश के किसानों के हित का सवाल है। यहां पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं जो गन्ना किसानों के क्षेत्र से आते हैं जिनके क्षेत्र में गन्ना बोया जाता है, जब हम उन गांवों में जाते हैं, जब हम उनके बीच में जाते हैं तो वह एक सवाल उठाते हैं कि विधायक जी, नेता जी हमारे गन्ने का क्या होगा, मिल में जायेगा या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह तुरन्त इसी समय अतिरिक्त सट्टे की प्रथा को घोषित करें। यह नितान्त अविलम्बनीय मामला है, आज भी गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है किसानों के सामने यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पूर्व में कहा जाता है कि खेत का गन्ना और घर की लड़की यह दोनों जितनी जल्दी हटा दिये जायं, अच्छा है। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश का गन्ना एक समस्या बना हुआ है, किसानों के सामने एक परेशानी है, उनका गन्ना मिलों में लिया जाय। मान्यवर, जो तरीका सरकार ने अख्तियार किया है उस तरीके को अपनाने से गन्ना खेतों में ही सूख जायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से घोषणा करवाइये कि जो एडीशनल बाइडिंग, अतिरिक्त सट्टे को जो प्रचलित परम्परा है, कायम हो, जिससे किसानों के मन में विश्वास होगा कि उनका गन्ना मिलों में लिया जायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*गन्ना विकास एवं आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

मान्यवर, गन्ने की जो स्थिति है, वह बेसिक कोटा के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है इसके बाद अतिरिक्त सट्टे की व्यवस्था इस प्रदेश में कायम है। बेसिक कोटा के बाद क्षमता देखते हुए अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था कर दी जाती है। गन्ना किसानों की समस्याओं को देखते हुए पिछले वर्ष तक तो गन्ना मिलों को लेट चलाया गया और अतिरिक्त गन्ना पेरने की व्यवस्था की गयी थी। इस वर्ष हमारी मिलें किसानों का गन्ना पेरने के लिए चलती रहेंगी, इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, अतिरिक्त सट्टा होगा या नहीं होगा, यह मंत्री जी छिपा रहे हैं, यह भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल रहे हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मेरा आपसे कहना यह है कि सरकार के माननीय मंत्री जी जो हैं, वास्तव में यह किसानों के हित की बात कहते भी हैं और करते भी होंगे। मेरा आपसे कहना यह है कि जब परम्परागत तरीके से हर वर्ष गन्ने की अतिरिक्त बाइंडिंग होती चली आ रही है तो इस साल जब सूखे का वर्ष है तो किसानों के मन में शंका है कि शायद हमारा गन्ना न पड़ पाय तो वह परिस्थित क्या होगी। ऐसे सूखे के समय में आप किसानों के ऊपर ठोकर मार रहे हैं बजाय इसके आप इस बात को स्वीकार कर लें जो मैं समझता हूं कि जनहित की बात है। ऐसे समय में आपको किसानों की मदद करनी चाहिए। मान्यवर, मैं एडीशनल बांडिंग की बात कर रहा हूं, इसको तो आप सहर्ष स्वीकार कर लीजिए।

श्री राम नाथ मुन्शी–

श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया है कि अतिरिक्त सट्टे की जो व्यवस्था है, वह समाप्त नहीं हुई है, जैसा आपने कहा वही होगा।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण दिलवा दें।

(व्यवधान)

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को पता नहीं है कि गन्ना कैसा होता है। आभा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। यह हमारे सहारनपुर, मुज्फ्फरनगर और पूरे प्रदेश की समस्या है। इनको समस्या का पता नहीं है। यह तुरन्त एडीशनल बांडिंग करें। पन्द्रह रुपये क्विंटल के हिसाब से क्रेशरों में किसान गन्ना दे रहा है। इन्हें अकल ही नहीं आ रही है। इनसे कहिये कि तुरन्त अतिरिक्त सट्टे का प्राविधान करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अतिरिक्त सट्टा कराने वालों से परिवार नियोजन के अतिरिक्त केस लिये जा रहे हैं। इसलिए बिना शर्त एडीशनल बांडिंग की जायगी, यह आश्वासन देने की जरूरत है। साफ-साफ यह आश्वासन मिलना है कि एडीशनल बांडिंग की जायगी और उस पर कोई शर्त नहीं होगी ।

(अनेक मा0 सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

किरनपाल जी आप भी बोल रहे हैं, यह भी बोल रहे हैं, कैसे काम चलेगा। मैं एक-एक को ही बुलवा सकता हूं। सब एक साथ कैसे बोल सकते हैं।

*श्री किरन पाल सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि एडीशनल सट्टा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एडीशनल सट्टा होना बन्द हो गया है। हमारे जनपद बुलन्दशहर में मान्यवर, 30 नवम्बर आखिरी तारीख थी एडीशनल सट्टे की । उसके बाद कोई एडीशनिल सट्टा नहीं हुआ है । उसके बाद जो मिलें चल रही हैं, पूरी कपेसिटी में गन्ना नहीं ले रही हैं। इसलिए किसानों में बेचैनी है। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि आखिरी तारीख को खोल दें और एडीशनल सट्टे के लिए आदेश करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हरेन्द्र जी आप बैठें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां गन्ना ज्यादा होता है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने बताया कि जो बेसिक कोटा निर्धारित है, उसके अलावा अतिरिक्त सट्टा होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें गन्ने की सप्लाई की पूरी नीति मालूम है ? क्योंकि इस वर्ष बेसिक कोटा के अतिरिक्त प्रत्येक सोसायटी सदस्य के बेसिक कोटे के अनुपात में एक अतिरिक्त बेसिक कोटा दिया जा रहा है। अतिरिक्त सट्टा उससे अतिरिक्त है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि बहेड़ी में 30 परसेंट, बिलासपुर में 50 परसेंट अतिरिक्त बेसिक कोटा दिया है, जबकि बरेली के काश्तकारों को सिर्फ 10 प्रतिशत अतिरिक्त बेसिक कोटा पहली स्टेज पर दिया है । क्या यह सारे किसानों को एक नजर से नहीं देखते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी को बेसिक कोटा देने के लिये एक ही प्रकार से बढ़ाकर अतिरिक्त बेसिक कोटा देंगे, जो प्रतिशत में बढ़ाकर दे रही हैं ?

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री किरनपाल सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें । सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो बात कैसे समझी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सरकार द्वारा सट्टा बन्द कर देने के कारण किसानों के सामने एक गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। पहले ही किसान सूखे से पीड़ित हैं, उनसे तीन रु0 प्रति क्विंटल पैनाल्टी अलग ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी लोग एक साथ खड़े होकर बोलने लगेंगे तो किसी की बात कैसे समझ में आयेगी । आप सब पहले बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अतिरिक्त सट्टा नहीं तत्काल लागू किया गया, तो किसान गम्भीर संकट में फंस जायेगा, वह आगे अपनी फसल नहीं ले पायेगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो गन्ने के बारे में ए0 बी0 सी0 डी0 जानते ही नहीं हैं कि कैसे गन्ना बोया जाता है, किस स्थान पर बोया जाता है, कब बोया जाता है, इन्हें तो यह गन्ने जैसा महत्वपूर्ण विभाग देना ही नहीं चाहिए था । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि अतिरिक्त सट्टा तुरन्त लागू करने के लिए इनको आदेश दें ।

श्री रामनाथ मुंशी–

मैं भी गन्ने का काश्तकार हूं, मुझे आप न समझायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप मंत्री जी से जवाब तो दिलवायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी यहां पर अतिरिक्त सट्टा की घोषणा करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मिल में, जैसी कि एक पहले परम्परागत योजना थी कि इस तरीके अतिरिक्त सट्टा किया जायेगा. . .

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है, वहां पर हाहाकार किसानों में मचा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

हरेन्द्र जी आप बैठें, आपके प्रश्न का अभी जवाब आ जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अपने जिले की शिकायत कहना चाहूंगा । एक प्रतिशत की जो पहली बार में बाइंडिंग दी जा रही है, उसमें सुविधा देने के लिये, जिले में किसानों से परिवार नियोजन के केसेस अनिवार्य रूप से मांग रहे हैं । अगर कोई किसान वह केस नहीं दे पाता है, तो उसको वह सुविधा नहीं प्राप्त है। इसलिए मेरा यह कहना है कि अभी जो अतिरिक्त सट्टे की बाबत घोषणा की जायेगी, उसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह जो परिवार नियोजन का बन्धन है, यह लागू नहीं किया जायेगा । मान्यवर, इस बन्धन से जो छोटे व गरीब काश्तकार हैं, उनका पूरी तरह से शोषण होगा और चंद बड़े काश्तकार ही इसका फायदा उठा पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप मंत्री जी से मेरे प्रश्न का जवाब दिलायें । मुझे अपनी बात कहने का आप पूरा अवसर नहीं दे रहे हैं, मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे जिले बस्ती की समस्या सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें, एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे यहां बस्ती में जो मिल है, चौखड़ा, सोहनवा, इटवा...

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं आप मुझे मौका दें, मेरे यहां सबसे ज्यादा गन्ना होता है, वहां का किसान परेशान है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इनकी जो बस्ती की फैक्ट्री है, उसका मालिक सीधे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से जुड़ा हुआ है, वह किसी का आदेश मानता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

अतिरिक्त सट्टे की बात यहां चल रही है, गन्ने पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जहां इनकी तौल शुरू ही नहीं हुई...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी और माननीय सदस्य भी अपने स्थान पर बैठें, गन्ने पर यहां पर चर्चा नहीं हो रही, न यहां पर अभी क्रेशर का सवाल है, एडीशनल सट्टे का सवाल है ।

श्री जनार्दन प्रसाद अभिा–

मान्यवर, मैंने अपने कामरोको प्रस्ताव में स्पष्ट बात कही थी, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है गोलमटोल बात की है। श्रीमन्, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर एडीशनल सट्टा नहीं हुआ और गन्ना किसान की परेशानी को हल नहीं किया गया तो मैं यह चेतावनी देता हूं कि यह गन्ना किसान बक्शने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज पैसे का बाजार गरम है, भ्रष्टाचार का बाजार गरम है। जो मिल मालिक पैसा देते हैं उसी को मौका दिया जाता है। यह हम लोग इस प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, मंत्री जी से स्पष्ट घोषणा करवाइये कि सिद्धान्त के रूप में एडीशनल बाइन्डिंग को यह स्वीकार करते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अभिा जी, अपनी बात समाप्त करें।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, अगर मंत्री जी की नीयत साफ है तो यह आज स्थिति को स्पष्ट कर दें। बलिया की रसड़ा मिल से संबंधित किसानों का लाखों का गन्ना सूख चुका है और जो गन्ना मिलों के अन्दर पहुंचा भी, वह भी वहां सूख रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राम नरेश जी, अपनी बात कहें।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह प्रश्न किसी एक जगह का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का है। आज सभी फैक्टरियों को सरकार बन्द कर रही है। एक तरफ तो किसान सूखे से त्रस्त हैं और दूसरी तरफ मान्यवर, यह मंत्री जी फैक्टरियों को बन्द कर रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी की किसान विरोधी नीति से किसान परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लोग भूख से मर रहे हैं। यह स्थिति प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तरफ के जिलों में बनी हुई है। अधिकतर गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है। यह सरकार जब से आयी है मान्यवर, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सरकार एडीशनल सट्टे की व्यवस्था करके किसानों के गन्ने को पेरवाने की व्यवस्था करायेगी। मान्यवर, आज जौनपुर (शाहगंज रत्ना शुगर फैक्ट्री) में फैक्टरी बन्द कर दी गयी, इसी प्रकार अमरोहा में भी फैक्टरी बन्द कर दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय केवल एडीशनल सट्टे की बात हो रही है, उसी संबंध में आप अपनी बात कहें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सरकार की जो सट्टे की नीति है, वह निहायत खराब है जिसके कारण आज किसान परेशान है, उसका गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है, पहले यह व्यवस्था थी कि जैसे किसान ने अधिक गन्ने की बोआई कर दी तो उसको पेरने के लिये उससे एक बान्ड भरा लिया जाता था और उसको कोई परेशानी नहीं होती थी । मान्यवर, जब से यह रामनाथ मुंशी जी मंत्री होकर आये हैं, तब से इन्होंने यह बांड सिस्टम भी खत्म कर दिया । मैं मांग करता हूं कि यह बान्ड सिस्टम अवश्य चालू किया जाय । आज प्रदेश के एक करोड़ किसान तबाह हो गये हैं। यह बान्ड सिस्टम लागू किया जाना चाहिये, चाहे इसके लिए एडीशनल फीस की जरूरत क्यों न पड़े । मान्यवर, इनके आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया की सिसवां महेष, पकड़ियार, बटवाजंगल तथा बनवारी रोला के क्रय केन्द्र अब तक चालू न करने से वहां का गन्ना ऐसे ही पड़ा हुआ है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

पूरे प्रदेश में एडीशनल सट्टे का तो यह हाल है। मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि सकौती शुगर मिल सरकारी मिल है और इसमें केवल 10 परसेन्ट ही पिराई हो रही है, जबकि इसे 50 दिन हो चुके हैं और अभी तक केवल क्षमता का 10 परसेन्ट ही पिराई कर पायी है। यदि यही स्थिति रही तो गन्ना किसानों का सारा गन्ना यह मिल कैसे पिराई कर सकता है–

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जवाब दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायेंगे तभी माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा पाऊंगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय श्री ओझा जी ने जो एडीशनल बाइन्डिंग का सवाल उठाया है, उसके न होने से आज किसानों में भय व्याप्त है। उन्हें भय है कि जो फसल है, वह पूरी पिराई जायेगी भी या नहीं । एक तो वैसे ही सूखे से गन्ने का उत्पादन कम हुआ है । पिछले वर्ष तक एडीशनल बाईन्डिंग थी, लेकिन अब इस सुविधा को आपने समाप्त कर दिया है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यदि आपने चर्चा स्वीकार कर ली है तो हम भी इस मुद्दे पर भाग लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय श्री शुक्ला जी, यह सट्टे का मामला था, पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों का मामला था । चूंकि श्री वर्मा जी भूतपूर्व गन्ना मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनसे एक प्रश्न पुछवा लिया, वह कोई अच्छी बात बतायेंगे।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जब आपने यह स्वीकार कर ही लिया है कि यह एक अहम प्रश्न है तो आप इस पर अभी चर्चा स्वीकार कर लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अमार रिजवी)–

मान्यवर, इस पर एक घण्टे की चर्चा तो लगी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि निराकरण नहीं होता है तो चर्चा करवा देंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गोल-माल उत्तर दिया है। इसलिए आप माननीय मंत्री जी को स्पष्ट निर्देश दें कि पूरे प्रदेश में एडीशनल बाइंडिंग देने के आदेश दिये जायं और वह भी समान रूप से ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों के ऊपर संकट है। गन्ने की पेराई क्षमता इस समय 32 प्रतिशत है और जो किसान कोल्हू में गन्ना देते हैं, उसके भाव में और मिल के भाव में 10 से 15 रु0 का अन्तर है। इसलिए सारा बोझ गन्ना मिल पर है। माननीय सदस्यगण को जानकारी है कि जब स्थापित क्षमता 32 प्रतिशत है गन्ने की पेराई की तो उतने की ही पेराई होनी है। आज समस्या यह है कि जो किसान को 12 से 15 रु0 में गन्ना बेचना पड़ रहा है, उसकी क्या मदद की जा सकती है। क्षमता तो उतनी ही है, इसलिए प्रदेश सरकार का संकल्प है कि चाहे जुलाई तक या जून तक मिल चलानी पड़े, जब तक किसान का गन्ना क्षेत्र में रहेगा, मिल चलती रहेगी और पेराई करती रहेगी ।

अभी कई विद्वान सदस्यों ने मा0 ओझा जी ने, वर्मा जी ने, हरेन्द्र सिंह जी ने तथा और भी मा0 सदस्यगण थे, जिन्होंने अपने-अपने जनपदों के बारे में बताया, बरार साहब ने बरेली के बारे में कहा, अपने-अपने जनपदों के बारे में समस्या बतायी गयी, यह भी कहा गया कि एडीशनल बाण्डिंग की पालिसी में एकरूपता होनी चाहिए । मा0 मंत्री जी ने कहा कि एकरूपता लाने की कोशिश की जा रही है, जहां नहीं है, वहां भी की जायगी । जो शिकायत है कि एडीशनल बाइन्डिंग के बारे में अलग-अलग नीति रखी गयी है तो बताना चाहूंगा कि इसका कारण यह है कि कहीं पर गन्ना क्षेत्र कम है कहीं ज्यादा है।

कल इस पर डेढ़ घण्टे की चर्चा लगी है। अच्छा यह होगा कि मा0 सदस्यगण सुझाव देकर रास्ता निकालें कि मिल से बाहर का जो गन्ना है, उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। मा0 राम नरेश यादव जी वरिष्ठ सदस्य हैं, मुख्य मंत्री के आसन को भी सुशोभित कर चुके हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके रहते हुए जो दशा हुई थी गन्ने की, वह अब नहीं हो पायगी ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब तो बहुत चर्चा हो गयी, उन्होंने जवाब भी दे दिया है, आप लोग बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मेरा कहना है कि मा0 गन्ना विकास मंत्री जी स्पष्ट रूप से कह दें कि "एडीशनल बाण्डिंग" का आदेश दे दिया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी ने घुमाफिराकर जवाब दे दिया कि चीनी मिलें चलती रहेंगी। मा0 ओझा जी का मामूली सा प्रश्न था कि जैसा चलता आ रहा है, उसी प्रकार से एडीशनल बाण्डिंग के आदेश जारी कर दें। इसका जवाब दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष–

(मा0 गन्ना विकास मंत्री को इंगित करते हुए)

यह बता दें कि पहले की नीति में और इस नीति में कोई परिवर्तन हुआ है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एडीशनल बाइन्डिंग को बन्द नहीं किया गया है, जहां से शिकायत आयी है, उसके लिए मैंने कहा कि परीक्षण कराया जाय कि शिकायत का मौका क्यों मिला।

श्री सत्यपाल सिंह–

मा0 हुकुम सिंह जी ने जो कहा है उसमें इतना ही संशोधन कर रहा हूं कि प्रत्येक जनपद में प्रत्येक मिल के लिए मा0 मंत्री जी आदेश दिलवा दीजिये कि कोई तारीख निश्चित नहीं है, किसान जब भी चाहे अपना एडीशनल वाइडिंग करा सकते हैं। इस आशय का पत्र जारी करा दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, केवल अन्तर इतना है कि अभी जो नीति है, हर 15 दिन के बाद मानीटरिंग की जाती है और सारी बातों को तय किया जाता है। आप सहमत होंगे कि एक ओर तो किसान को बांधा जा रहा है और दूसरी ओर कहा जाता है कि छूट दें। एडीशनल बान्ड होने के बाद किसान पर उसका भार पड़ता है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर 15 दिन में मानीटरिंग की जाती है।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, सरकार की हठवादिता की नीति जो किसानों के पूर्ण रूप से विरोधी है, उसके विरोध में मैं और हमारा दल इस सदन का बहिष्कार करता है।

(माननीय नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री जनार्दन प्रसाद आझा–

मान्यवर, सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद आझा व उनके दल के अन्य सहयोगी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राम शरण दास भी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मैं सरकार की किसान विरोधी नीति के खिलाफ अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

(श्री रामचन्द्र बख्श सिंह भी अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ है कि आपको एक मुद्दे की अहमियत का अन्दाज हुआ । नहीं तो आप सरकार को संरक्षण देते रहते हैं । इस मसले पर हाउस में अव्यवस्था हुई तो ऐसी सूरत में आपको चाहिये था कि इस पर चर्चा स्वीकार कर लेते और चर्चा करने का मौका दे देते ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है । जो सरकार का वक्तव्य था, उसके खिलाफ उन्होंने सदन का त्याग किया है, मेरा निर्णय तो अभी है ।

श्री फजलुल बारी–

यह घोषणा किसानों के विरुद्ध है, प्रदेश के गरीब लोगों के विरोध में है । इसलिये मैं भी सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री फजलुल बारी सदन का त्याग कर चले गये)

(श्री कौशिक रमाशंकर, श्री शारदा प्रताप भी सदन से उठकर चले गये)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव था ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपका नम्बर आयेगा, तब बुलायेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुये, अभी कुछ समय पहले हुये थे, चुनाव के उपरान्त छात्र अपने उम्मीदवारों के नेतृत्व में गांधी जी की मूर्ति में माला पहनाने के लिये आ रहे थे और उन पर लाठी चार्ज किया गया जिसके कारण कई छात्र घायल हो गये। मान्यवर, निहत्थे छात्रों पर जो गांधी जी की मूर्ति में माल्यार्पण करने जा रहे थे, लाठी चार्ज किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप कई छात्रों को गम्भीर चोटें आयीं । यह बड़े ताज्जुब की बात है कि जो छात्र गांधी जी की मूर्ति को माला पहनाने जा रहे थे उन पर लाठी बरसायी गयी । सरकार एक ओर तो गांधीवाद का नारा देती

है और दूसरी ओर उनको माला पहनाने वालों को लाठी से पिटवाती है । इस कारण पूरे प्रदेश में छात्रों में असंतोष व्याप्त है और इसके साथ ही साथ जब नवम्बर के महीने में यहां पर रैली की थी तो उस समय विधायक निवास में घुस कर छात्रों को ही नहीं बल्कि विधायकों को भी मारा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया । भूतपूर्व मंत्री सुरेन्द्र सिंह को बुरी तरह से मारा वदूद साहब को मारा और राम गोविन्द चौधरी जी को मारा ऐसा लगता है कि यह सरकार छात्र-विरोधी हो गई है और बड़े पैमाने पर छात्रों को लाठी और डंडे से मारने का काम कर रही है । इस समय स्थिति यह है कि छात्रों के असंतोष को दबाकर पुलिस राज कायम करने का काम किया जा रहा है । इस संबंध में मेरी मांग है कि जिन अधिकारियों ने निहत्थे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया है उनको तत्काल मुअत्तल किया जाय और अपराधिक दफायें उनके ऊपर लगाई गई हैं उन्हें तुरन्त उठा लिया जाय और जिन विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उनके कमरों में घुस कर, उन्हें पकड़कर मारा गया, जो जघन्य, गैर मुनासिब और गैर शिष्ट काम किया गया है जो कि अंग्रेजी के जमाने में भी नहीं किया गया उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस सवाल पर आप सदन का काम रोककर चर्चा की अनुमति दें दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

पिछले 10 नवम्बर को रायल होटल के जिस कमरे में रहता हूं . . . (व्यवधान) । मेरा नाम लिया गया है . .

श्री उपाध्यक्ष–

वह कल आयेगा । कृपया बैठें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

पिछली 10 नवम्बर को कुछ लोग एस0 पी0 सिटी सहित मेरे कमरे में घुस गये . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । चर्चा नहीं हो रही है । मैं इस समय केवल ग्राह्यता पर ही सुन रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मेरी मांग है कि आप उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और उन्हें निलंबित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री शतरुद्र प्रकाश जी की सूचना पर मैं स्टेटमेंट के लिये सरकार को निर्देश देता हूं । श्री राम सजीवन की सूचना पर एक घंटे की चर्चा के लिए निर्देश देता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर 10 नवम्बर को मैं भी रायल होटल में था । उस समय जो घटना हुई, पुलिस ने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, वह एक ऐतिहासिक घटना है । यह मामूली घटना नहीं है । अतः आप इसमें हमें चर्चा की अनुमति दें दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

22 दिसम्बर की घटना पर मैंने स्टेटमेंट कर दिया है और वह स्वीकार कर दिया है ।

गन्ने से संबंधित जो पहली सूचना है उसे चर्चा के लिये स्वीकार किया है । दूसरी सूचना जो छात्रों पर लाठी चार्ज से संबंधित है वह वक्तव्य के लिये स्वीकार की गई है और तीसरी सूचना जो राम सजीवन जी की है वह चर्चा के लिये स्वीकार की गई है । बाकी अस्वीकार की गई हैं।

अब हम भोजनावकाश के लिये उठते हैं ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर सदन भोजनावकाश हेतु स्थगित हुआ ।

सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के उपरान्त 2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इलाहाबाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिकों व छात्रों पर पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है ।

(व्यवधान)

समय 2 बज कर 45 मिनट

श्री उपाध्यक्ष–

सूखे पर चर्चा शुरु होगी । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल–

बलिया जिले में भीमपुरा थाना की पुलिस द्वारा लोकदल के कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई की जा रही है, इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, छात्रों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है, छात्र जेलों में पड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या सूखे पर चर्चा नहीं चाहते हैं ?

(व्यवधान)

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जो माननीय विधायकों की भावना है वह आप समझ गये होंगे, उनमें काफी आक्रोश इसलिये है कि वर्तमान सत्र में कुछ घटनायें पुलिस की छात्रों पर हुई जैसे लखनऊ, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के छात्रों पर एवं मुजफ्फरनगर के और अन्य कालेजों के छात्रों को पुलिस द्वारा पीटा गया है । माननीय सदस्यों ने आपको नियम-56 के तहत आवेदन किया, आपने 2-3 को सुना नियम-56 में, बाकी की सूचनाओं को निरस्त कर दिया । मेरा कहना है कि इनकी भावनाओं को आप देखें, यह विषय बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गम्भीर है कि अगर छात्रों पर अत्याचार होते रहेंगे तो मान्यवर, न यह सरकार चल पाएगी और न कानून व्यवस्था चलने पायेगी । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो आप इनको आज ही दो-दो मिनट का समय दे दीजिए या यदि कोई कठिनाई हो . . . (व्यवधान) पहले तो यही है कि आज ही इनको दो-दो मिनट में अपनी बात को कहने दिया जाए और यदि कोई बहुत ही बड़ी कठिनाई हो . . . (व्यवधान) यह सही है कि सूखे पर चर्चा तय थी . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यदि एक को समय दिया जाएगा तो सबको हमें देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

इतनी गम्भीर यह समस्या है, छात्रों के दिलों में भारी असन्तोष है . . .

(घोर व्यवधान)

[लोकदल (अ) और (ब) के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया और इसके बाद श्री उपाध्यक्ष ने कई बार श्री रघुवर दयाल वर्मा का नाम पुकारा ।]

श्री शारदा नन्द अंचल–

गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे जनपद में इनका कोई भी पुलिस पर नियन्त्रण नहीं है, वह निरंकुश हो गई है । वहां अराजकता फैल गई है । पूरी तरह से वहां अराजकता की स्थिति पुलिस ने पैदा कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष–

समस्या यह है कि इस वक्त सूखे पर चर्चा का समय है और यह सूखा एक महत्व-पूर्ण मुद्दा है . . .

गोपाल दास यादव–

सूखा समाप्त हो गया है, अब सूखा कहां है?

श्री उपाध्यक्ष–

बीच में न बोलियें, हमारी बात सुन लीजिए । जो सदन के नियम हैं उनके अनुसार चलना यदि आप तय नहीं करते हैं और चाहते हैं कि सूखे पर चर्चा न हो, तो मुझे तो कोई अधिकार है नहीं । जो आप निर्णय करते हैं वह मेरे सिरमाथे है । उसमें कोई दो राय नहीं है । जो निर्णय आप चाहे ले लें,

श्री सत्यपाल सिंह–

आप अपना निर्णय दे चुके हैं और आपने कह दिया कि चाहे सूखा पर चर्चा करा लीजिए चाहे नियम 56 के ऊपर, तो इस पर मेरा कहना यह है कि . . .

(व्यवधान)

चाहे इस सदन का टाइम 12 बजे तक बढ़ाया जाए । या दो-तीन दिन का टाइम और बढ़ाया जाए । हमारी मांग है कि चर्चा हो, जो नियम-56 है उस पर दो-दो मिनट अवश्य सुन लीजिए । यह हमारा अनुरोध है ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर कल यह तय हुआ था कि सूखे पर चर्चा होगी । नेता विरोधी दल से यह तय हुआ था कि 1.45 पर बात खतम हो जाएगी जितनी सुन सकेंगे उतनी सुन लेंगे इस समय आप चर्चा करायेंगे तो सूखे के अहम मसले पर चर्चा नहीं हो पाएगी ।

(घोर व्यवधान)

आपने एक निर्णय दे दिया है बार-बार निर्णय का बदलना नियमों के तहत नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुनूंगा ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हम यहां नहीं बैठेंगे आप सुन नहीं रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरा क्या कर लेंगे नहीं बैठेंगे तो?

(घोर व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जब सूखे में पूरा देश जल रहा था तब विधान सभा नहीं चलवाई अब जब बरसात हो गई तो आपने सूखे पर चर्चा के लिए विधान सभा चलवाई है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

छात्रों पर इतना जुल्म हुआ, जनता पर अराजकता बढ़ती जा रही है और आप सुन रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप सबको नहीं सुनूंगा। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

आप सबको दो-दो मिनट सुन सकते हैं लेकिन आप 2 मिनट सुनने के लिए समय नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री गोपाल दास यादव–

आप हमको निकलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं हाउस को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजे श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी ।

3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त 3 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(समय 3 बजकर 25 मिनट)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप हंसते हुए आये हैं, यह अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं हमेशा हंसता रहता हूं ।

ऐसा है कि निर्णय पहले हो चुका था लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में सभी नेताओं ने ऐसा निर्णय लिया इसको मान लिया जाय और कुछ लोगों को, एक-एक आदमी को एक-एक इश्यू पर सुन लिया जाय ।

श्री अनुग्रह नारायण–

मान्यवर, 2-2 को ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं एक-एक को ।

2-2 मिनट में अपनी बात कह दें सब लोग, ज्यादा समय न लगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महाविद्यालयों में छात्र संघर्ष के रास्ते पर हैं, अनेकों छात्र जेलों में बन्द हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं । मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फर नगर, बुलन्दशहर में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है और उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की है । जो त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू किया गया है इससे कोई फायदा नहीं है, इसको लागू करने का सरकार का क्या औचित्य है । यह तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की बात न अभिभावकों की समक्ष में आ रही है और न छात्रों के । 3 वर्ष की डिग्रीकोर्स को लागू करने से अगर रोजगार की समस्या का समाधान हो जाता

(इस समय 3 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

तो इस डिग्रीकोर्स को 4 वर्ष का कर देते तो लोग मान लेते, लेकिन 2 वर्ष की डिग्री 3 वर्ष में उपलब्ध कराई जाय, इससे कोई फायदा नहीं है। अभिभावकों पर 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष का बोझ पड़ रहा है। मैं मांग करता हूं कि जो 3 वर्ष का डिग्री कोर्स किया गया है, इसके औचित्य के बारे में सरकार चर्चा कराये या वक्तव्य दे। मान्यवर, छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, छात्र जेलों में बन्द हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में जांच करायी जाय और जब तक चर्चा या वक्तव्य का निदेश नहीं होता, हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि किरन पाल सिंह वाले मामले में कम से कम चर्चा स्वीकार कर लें, यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुजफ्फर नगर में छात्रों को सिटी मैजिस्ट्रेट ने पीटा, पुलिस तो हमेशा पीटती है लेकिन वहां सिटी मैजिस्ट्रेट ने पीटा।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जिस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है, यह बड़ी हृदय विदारक घटना है। मान्यवर, एक दिन ऐसा आयेगा जब हम लोगों में से कुछ लोग इस सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री ओंकार नाथ दुबे जो हमीरपुर से चुने गये थे एक सितम्बर को हमीरपुर की पुलिस ने सुमेरपुर में एक मकान से खींच-कर सड़क पर लाकर उनको बुरी तरह मारा, उनके हाथ टूट गये, उनका सिर फूट गया। इस घटना की शुरुवात इस तरह से है कि एक सुशीला देवी नाम की स्त्री जिसके साथ एक बच्चा 24 दिनों का था जिसे दिखलाने वह मरुआ सुमेरपुर में अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए गयी। जब वह बच्चे को डाक्टर को दिखा रही थी तो उसने कहा कि तुम्हारे दूध में गड़बड़ी है इसलिए उसको इंजेक्शन लगाया जायगा और इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर दिया और उसकी इच्छा के विरुद्ध डाक्टर ने उसकी नसबन्दी कर दी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस मामले को सुनें।

मान्यवर, इस घटना को सुनकर मरुआ सुमेरपुर के 10 हजार लोगों ने उस थाने और अस्पताल को घेर लिया और कहा कि उस अस्पताल के डाक्टर के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिख ली जाय। लेकिन पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी और अपनी जिद पर अड़ी रही। तब भीड़ ने सुशीला को चारपाई पर रख कर रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने इस पर एकत्रित भीड़ पर लाठीचार्ज किया, आंसू-गैस छोड़ी और फायरिंग की। इससे वहां के 200 लोग घायल हो गये। पुलिस ने वहां के एक पत्रकार श्री सूरज गुप्ता को घायल कर दिया। उसके बाद पुलिस ने पत्रकार श्री सूरज गुप्ता के घर पर घुस कर मार-पीट की और उनके घर आए उनके बहनोई को मारा पीटा और उनकी घड़ी छीन ली। वहां पर 14 साल से कम के 18 बच्चे घायल हो गये और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं भूतपूर्व विधायक श्री ओंकार दुबे को पुलिस

ने बहुत मारा और कहा कि [xxx] नेतागीरी करता है। उनको बुरी तरह मारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि सारे प्रदेश के जबरन नसबन्दी की जा रही है और भूतपूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। इसलिये निवेदन है कि इसको गम्भीरता से लेते हुए ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के मसले पर सदन की कार्यवाही रोक कर तत्काल चर्चा करावें। इसमें पुलिस की ज्यादती और जिला प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण घटना ने गम्भीर रूप धारण कर लिया और इसके विरोध में हमीरपुर की कचहरी बन्द रही और अधिवक्ताओं ने कचहरी का बहिष्कार किया। इस शर्मनाक घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल की आह्वान पर 21 सितम्बर को अधिवक्ताओं ने प्रदेशव्यापी हड़ताल की। इस घटना के बाद भी जिला मैजिस्ट्रेट घटना स्थल पर नहीं गये। वहां के दरोगा, मैजिस्ट्रेट और परगनाधिकारी आज भी वहां पर मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बर्बर अत्याचार के खिलाफ आपकी पीठ से कोई निर्देश नहीं दिया जायगा तो इस तरह के अत्याचार बढ़ते जायेंगे। मेरा अनुरोध है कि ऐसे गम्भीर विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करावें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह एक भूतपूर्व विधायक के पीटे जाने का मामला है। मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि इस मामले में मा0 संसदीय कार्य मंत्री विराजमान हैं, गृहमंत्री विराजमान हैं, मैं चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में शासन अपना कोई मत व्यक्त करें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, सम्मानित विधायक ने जो विधान सभा में बात कही, मैं उनसे परामर्श करूंगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, जरूर करूंगा।

(व्यवधान)

(श्री औसान सिंह के सदन के फ्लोर पर बैठ कर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय औसान सिंह जी आप अपनी सीट पर बैठें। वहीं जाकर अपनी बात कहें। यहां बैठकर जो कहेंगे, लिखा नहीं जायेगा।

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह के प्रयास से श्री औसान सिंह अपनी सीट पर वापस चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय गृह मंत्री जी बता दें कि क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रघुवर दयाल शर्मा—

मान्यवर, इस गम्भीर मामले में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्पष्ट हो जाय कि माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आपके चेम्बर में कोई डिसीजन लेंगे या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात तय करेंगे ? मान्यवर, ऐसे मामले में तो आपको अपनी पीठ से माननीय मंत्री जी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित करना चाहिये।

नोट:—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने शाही जी से आज ही परामर्श करने का निर्णय लिया है । उनसे परामर्श करने के बाद, आवश्यक कार्यवाही अवश्य करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा इसमें यह निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इतना अवश्य कह दें कि आज सदन उठने तक कार्यवाही से अवश्य अवगत करा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गुप्त जी, आप वरिष्ठ सदस्यों में से हैं, आप स्वयं जानते हैं कि माननीय मंत्री जी को किसी बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मान्यवर, तीन महीने बीत गये, सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री औसान सिंह तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें । आपके नेता बोल चुके हैं ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, यह भू0 पू0 विधायक तथा पत्रकार से जुड़ा मामला है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम इतना ही चाहते हैं कि आज सदन उठने तक माननीय गृह मंत्री जी द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

एक तो माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बात कहनी हो अपनी सीट पर जाकर कहें । एक बात यहां पर रखी गयी, उस पर सरकार की रिएक्शन आ गया । माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आज ही शाही जी से मशविरा करके कार्यवाही करेंगे । अब इसमें क्या प्रश्न रह गया । आप लोग तो नियमों के भली प्रकार से ज्ञाता हैं । नियमों के अनुसार ही कार्यवाही को बढ़ायें, इससे समय भी कम लगेगा और आपकी बात भी पूर्ण हो जायेगी । अब मंत्री जी ने कह दिया कि माननीय सदस्य से मशविरा करके कार्यवाही करेंगे ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मामले की गम्भीरता को देखते हुए दोषी अधिकारियों को तुरन्त हटाने की घोषणा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करने की कृपा करें कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही कार्यवाही करेंगे, सदन के उठने तक इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी, उससे अवगत करा देंगे । मान्यवर, नियमों के खिलाफ कोई बात

नहीं कही है । परिपाटी और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अपनी बात रखी है ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया कि मैं आज ही इस संबंध में शाही जी से परामर्श करूंगा । परामर्श करने के बाद, निश्चय करने के बाद ही कुछ बता सकूंगा । बिना परामर्श और बिना उसके मैं क्या निश्चय बता दूं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा यही निवेदन है कि परामर्श कर लें । लेकिन, की गयी कार्यवाही की जानकारी सदन उठने तक जरूर दे दें ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री औसान सिंह, कुंवर मानवेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, यह लोग लगातार कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये इन्हें सदन से निष्कासित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो बात कही है और माननीय मंत्री ने जो बात कही है, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो परामर्श करने की बात कही है तो मैं चाहता हूं कि इसमें नेता विरोधी दल और मेरे दल के अन्य साथियों को भी शामिल कर लिया जाये । केवल मेरे साथ परामर्श करने से क्या फायदा होगा । साथ ही इसकी आज ही सदन उठने से पहले इत्तला भी कर दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आज बात हो जायेगी, तो आज ही इत्तला कर दी जायेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय शाही जी ने अपनी बातचीत में बोलते हुए [xxx] शब्द का प्रयोग किया है, अगर आप संतुष्ट न हों, तो इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जैसा माननीय सदस्यों व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है तो मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह आज परामर्श कर लें और कल सदन में इत्तला दे दें ।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, कानपुर में स्थित लोहिया मशीन्स लिमिटेड में गत 6 महीनों से आन्दोलन चल रहा है और वहां के दो हजार मजदूर अत्यन्त परेशानी की स्थिति में हैं । मान्यवर, जैसा कि हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह फैक्ट्री स्कूटर बनाती है । यह फेक्टरी इटली की एक फर्म के साथ इस काम को करती है और संयोग से इसके

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं, श्री सीताराम सिंहानिया, यह वह शख्त हैं, जिनको हिन्दुस्तान से हीरे ले जाते हुए मारीशस में पकड़ा गया था और उनको जेल में बन्द भी किया गया था । जब उन्होंने 29 लाख रुपये का जुर्माना अदा किया, तभी उनको छोड़ा गया था। मान्यवर, जितने भी श्रमिक कानून हैं उनका उल्लंघन यह फैक्टरी काफी समय से करती चली आ रही है । पिछले 112 दिनों से मान्यवर वहां पर हड़ताल चल रही है और तालाबन्दी थी । मान्यवर, श्रमिक विभाग ने और वहां के प्रशासन ने वहां के मालिकों के साथ सांठ-गांठ करके मजदूरों को बुरी तरह परेशान कर रखा है और वह उनका पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं । मान्यवर, आज स्थिति वहां पर यह हो गई है कि लगभग 1000 मजदूर सड़क पर आ गये हैं । अभी 10 तारीख से वहां पर हड़ताल और तालाबन्दी खत्म हुई है । माननीय मंत्री जी ने 6 अक्टूबर और 1 नवम्बर को घोषणायें की, बैठकें की और उसके बाद भी उनके आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और उनका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है । मान्यवर, मजदूरों के जो हक हैं, वह उनसे छीने जा रहे हैं और आज लगभग 1 हजार मजदूरों के परिवारों के करीब 5 हजार लोग भुखमरी की कगार पर आ गये हैं और सड़कों पर हैं । वहां पर जितने भी मजदूर काम करते हैं, उनमें से केवल 500 मजदूर ऐसे हैं, जिनकी नौकरी की गारन्टी है । बाकी मजदूरों को जब चाहे निकाल दिया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, उनकी नौकरी की कोई गारन्टी नहीं है । मान्यवर, ऐसी स्थिति में आप इस गम्भीर विषय पर चर्चा नहीं करायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह मजदूरों का बहुत बड़ा अहित होगा । आज कानपुर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनजीवन पूरी तरह से ठप्प पड़ने की स्थिति में है । श्रमिकों में बुरी तरह से आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह इस पर वक्तव्य दें और वहां की स्थिति को ठीक-ठाक करें । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि मनोहर लाल जी, जो कि वहीं के निवासी हैं, वह कुछ ज्यादा जानते होंगे, उनको मौका दिया जाय ।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, श्री कौशिक जी ने जो अभी लोहिया मशीन, कानपुर का मामला यहां पर पर उठाया है, वह एक अहम् मामला है । इटली की फर्म से श्री सीताराम सिंहानिया ने समझौता कर स्कूटर बनाने का काम जो यहां पर किया है, उसने न केवल इस पूरे प्रदेश को [xxx] बनाया है बल्कि पूरे देश की जनता को [xxx] बनाया है ।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह शब्द कहा है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे निकाल दिया जायेगा ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, ठीक है, जो संसदीय हो उसे लिख दिया जाय। मेरा यह कहना है कि यहां पर केवल 1000 मजदूरों का सवाल नहीं है बल्कि करोड़ों रुपए का मामला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है । इटली की एक फर्म, जो [x x x] के रिश्तेदार से समझौता कर इसे चलाया जा रहा है ।

श्री अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है और साथ ही माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह उस व्यक्ति का नाम न लें जो इस आदरणीय सदन का सदस्य न हो । वह केवल कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर कहें । माननीय सदस्य इस तरह से गलत आरोप न लगायें ।

श्री अधिष्ठाता–

इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरे पास यूनियन रजिस्ट्रेशन का सर्टीफिकेट है । उत्तर प्रदेश की सरकार व इसके श्रम मंत्री श्री सईदुल हसन साहब कानपुर गये सारे श्रम कानूनों को ताक पर रखकर कर्मचारियों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। श्री सईदुल हसन साहब ने भी लाखों रुपए लिये हैं। ये वही सीताराम सिंहानिया हैं, जिन्हें 39 लाख रुपए के हीरे बाहर ले जाने में पकड़ा गया था। वहां पर जेल में रहे और जब जेल से छूटकर आये तो यहां हिन्दुस्तान में हमारी सरकार उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकी । इसलिए मैं मांग करता हूं कि कार्य-स्थगन के माध्यम से वह इस पर चर्चा करवायें तथा जो श्रमिक सड़कों पर भटक रहे हैं, उनको दुबारा काम पर लिया जाय। श्रम कानूनों का पालन किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्यवाही कर रही है, उसी के संबंध में मैंने यह प्रश्न उठाया है। राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों ने मिलकर एक प्रदेश व्यापी आन्दोलन किया । उनकी एक सामान्य मांग थी कि वेतन कमेटी की रिपोर्ट आये । कर्मचारियों पर लाठी चार्ज किया गया लेकिन बाद में एक समझौता हो गया कि 15 दिसम्बर तक वेतन कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी और जो हड़ताल में गये थे, उन्हें विक्टिमाइज नहीं किया जायेगा। लाठी चार्ज के संबंध में यह कहा गया था कि इसकी जांच राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराई जायेगी। लेकिन आज तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, जांच की प्रक्रिया अभी प्रारम्भ ही नहीं हुई है और अभी भी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार की ऐसी नीति के कारण, कर्मचारियों में जहां एक बार शान्ति का वातावरण बन गया था, वह एक बार फिर से बिगड़ने लग गया है। राज्य कर्मचारियों ने एक बार पुनः असन्तुष्ट होकर चेतावनी दे दी है कि वे एक बार फिर आन्दोलन के कगार पर जा रहे हैं। आज सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसा वातावरण बन रहा है जो शान्ति व्यवस्था के लिए हितकर नहीं होगा। केन्द्र और राज्य का समान वेतन हो, इसकी रिपोर्ट आये । इसलिए मेरी मांग है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायें जिससे कर्मचारियों की स्थिति सही बन सके। यदि चर्चा नहीं करा पायें तो आप सरकार को निर्देशित करें

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि कर्मचारियों के बारे में उसकी नीति क्या है और समझौता पालन करने में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है, इस पर एक वक्तव्य कल या परसों दिलवा दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ, गन्ना काश्तकारों की शीर्षस्थ संस्था है। लाखों काश्तकारों के हितों की रक्षा करने के लिए यह संस्था बनायी गयी है। इस संस्था के चुनाव जब नहीं कराये गये, तब उक्त संस्था के चुनाव के लिए हमें उच्चतम न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस सरकार को शर्मसार होकर चुनाव कराने पड़े।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा विरोध उत्पन्न किये जाने के कारण व्यवधान)

जब संघ के चुनाव हो गये और गन्ना किसानों के स्वतंत्र प्रतिनिधि चुने गये और सरकार को यह मालूम हो गया कि वह अपने पिट्ठुओं को वाइस चेयरमैन नहीं बना पायगी तो वह गन्ना आयुक्त, जो आज रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने मुख्य मंत्री के कक्ष में बैठकर चुनाव स्थगित करने के आदेश दे दिये, जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की स्पष्ट अवहेलना है, परन्तु फिर भी स्थगित होने के बाद जब चुनाव आज सम्पन्न हुए, तो इसमें जो शासन ने योजना बनायी थी चुनाव स्थगित कराकर [××] की तरह भाव लगाकर जनप्रतिनिधियों को खरीद लेंगे, वह योजना असफल हो गयी और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि हमारे गन्ना काश्तकारों के प्रतिनिधियों ने अपनी मर्जी से निर्विरोध उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह जी ने जो दिया है, यह घटना तो घटित हुई नहीं है, ऐसी परम्परा न डालें।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहरों से काटकर 200 क्यूसेक पानी प्रति सेकेण्ड दिल्ली को दिया जा रहा है और रोस्टर के अनुसार मात्र एक महीने में एक सप्ताह नहरें चलेंगी, जिसकी वजह से न तो पानी खेतों को दिया जा सका और न खेत बोये जा सके। स्थिति भयंकर है, लोगों में रोष है। जो पानी निर्यात किया जा रहा है उसको रोका जाय। यह किसानों की मौत और जिन्दगी का सवाल है। मेरी प्रार्थना है कि आज का कार्य रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, रत्ना शुगर मिल, जौनपुर एक साल से बन्द पड़ी हुई है और इसमें काम करने वाले सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी आज बेकार होकर भुखमरी की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। इस मिल पर कर्मचारियों का डेढ़ करोड़ रुपया वेतन का बकाया है। 76 लाख रुपया किसानों का गन्ने के मूल्य का बकाया है और इसके अतिरिक्त मिल ने बैंक से करीब ढाई करोड़ का कर्ज लिया था, उसको भी खाकर बैठे हुए हैं और अभी भी लगभग 2 करोड़ की चीनी और शीरा इस मिल के अन्दर पड़ा हुआ है।

नोट :–[××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, यह मिल 1934 में स्थापित हुई थी और पूर्वान्चल की सबसे बड़ी और कामयाब मिल रही है, लेकिन यह बन्द पड़ी हुई है भूतपूर्व मुख्य मंत्री और सांसद श्री श्रीपति मिश्र के सामने मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 21 सितम्बर से यह मिल टेक ओवर कर ली जायेगी, लेकिन वह टेक ओवर नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप मजदूर कर्मचारी मिलकर विधान भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं, 18 दिसम्बर से कर रहे हैं और अनशनकारियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी हालत चिन्ताजनक थी और भी लोगों की हालत चिन्ताजनक है। यह बड़ा महत्व का प्रश्न है और उस मिल का प्रश्न है और माननीय मुख्य मंत्री जी की जबान का प्रश्न है कि वह वादा करके भी उसको पूरा नहीं किये हैं। इसलिए आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैंने आज कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। उसकी स्थिति यह है कि सरकार बढ़ती हुई आबादी को आवास देने के लिए शहरों के चारों तरफ कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहीत कर रही है और यह केवल लखनऊ का ही मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् जमीनों को अधिग्रहीत कर रही है। मान्यवर, 1973 में लखनऊ जनपद के गांव उजिरयांव, औरंगाबाद, सालेह नगर आदि की जमीनों को अधिग्रहीत किया और 1.75 रु0 प्रति वर्ग फिट के हिसाब से मुआवजा की दर लगायी गयी। सरकार ने मुआवजा तो लगा दिया परन्तु उसको अभी तक दिया नहीं गया है। आज स्थिति यह है कि सरकार ने जो जमीन 1973 में अधिग्रहीत किया था, उस जमीन को सरकार 50 रुपया प्रति वर्ग फिट की दर से बेच रही है। मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक जमीन आशियाना को दे दिया है, जो दिल्ली की एक पार्टी है, और करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है, लेकिन वहां पर किसान भुखमरी से परेशान हैं और स्थिति यह है कि आज किसान अपनी जमीन को न तो जोत सकते हैं और न उन पर कोई पेड़ ही लगा सकते हैं और कोई दूसरा भी काम नहीं कर सकते हैं और काश्तकारों के पास पैसा न होने से वह भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार से किसानों को पैसा दिलवायें और जो 1973 से पैसा बकाया है, उसका ब्याज भी दिलाया जाये, मेरा निवेदन है कि आप आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा भी है। मेरे उस पर दस्तखत हैं। मुझे भी सुन लें। यह नियम 56 के अन्तर्गत है और बहुत ही अहम् मसला है।

नियम 56 में आप बोल चुके हैं। परम्परा एक ही बार बोलने की है। इस पर आप बोल लिये हैं।

श्री मनोहर लाल–

इस पर नहीं बोला हूं। . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक तरफ मेरी अनुमति चल रही है . . . (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर चाहे कवाल टाउन्स हों . . . (व्यवधान)

श्री नेकचन्द पांडेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक कार्य-स्थगन के प्रश्न पर माननीय मनोहर लाल जी बोल चुके हैं। सूखा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पक्ष और विपक्ष के सुझाव आने हैं और विरोध पक्ष लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि किस तरह से दूसरे मुद्दों को उठाकर समय बर्बाद किया जाय . . . . (व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मैं एक बार नहीं, बीस बार बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता।

श्री अधिष्ठाता–

आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं कह रहा हूं कि सूखे पर इसके बाद महत्वपूर्ण चर्चा होनी है और यह प्रदेश स्तर की बात है। उपाध्यक्ष महोदय और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि एक-एक मिनट का समय देकर इस मामले को समाप्त किया जाय।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आज से 15 दिन पहले जनपद सहारनपुर के थाना नकुड़ में एक ग्राम ज्यादती कर रही है। सन् 60-61 में जो जमीन ली गई थी उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। आज 20-21 साल हो गये हैं, उस समय जो बाजार भाव था, जो जमीन एक्वायर की गई थी उसी भाव पर ली जा रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि किसानों को आज के बाजार भाव पर उनकी जमीन के दाम दिये जायं और उतनी ही जमीन एक्वायर की जाय जितनी जरूरत हो। ऐसा न हो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण या विकास परिषद् उस जमीन का व्यापार करें और उसे महंगे में बेंचे। इसलिए इस पर हम चर्चा की मांग करते हैं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आज से 15 दिन पहले जनपद सहारनपुर के थाना नकुड़ में एक ग्राम खेड़ा है, वह मेरे चुनाव क्षेत्र में है, यहां पर कुछ लोगों ने गरीब तेली लोगों के मकान और दुकान पूरे मुहल्ले में मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। मान्यवर, एक परिवार के तो उसकी सारी दुकान, मकान और 3 बच्चे, उसकी बीबी और वह खुद जलकर भस्म हो गये और मर गये। जब मैं वहां पर गया तो वह दृश्य मुझसे देखा नहीं गया। इस तरह वहां पर लोगों में भय व्याप्त है। पूरे मुहल्ले को जलाने की चेष्टा की गई थी। उसका 50 हजार रुपये का सामान बिस्तरे, कपड़े, घड़ी, तख्त और पलंग आदि जलकर राख हो गये। आज वहां पर पी0 ए0 सी0 पड़ी हुई है। चारों तरफ वातावरण दूषित है। लोगों में भय व्याप्त है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें जिससे वहां की शांति व्यवस्था ठीक हो सके और उस गरीब के लोग जो कुछ बचे हैं और मुझे मालूम हुआ है कि शायद उसकी मां बची है, उसकी रोजी-रोटी के लिये सरकार सहायता दे और जिन लोगों ने यह कांड किया है उनको सख्त से सख्त सजा दे।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, कल भी मैंने नियम 56 में दिया था। हमारे यहां बलिया जनपद में भीमपुर की पुलिस ने अत्याचार मचा रखा है। वहां भीमपुर थाने की पुलिस ने वर्वरता का आतंक फैलाये हैं। दिनांक 28 दिसम्बर को क्रान्तिकारी मोर्चे की तरफ से वहां बंद का आयोजन था उसमें वहां के रामकरन इंटर कालेज, भीमपुर बलिया के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और बंद की जनता से प्रार्थना की लेकिन वहां के दलाल के कहने पर थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह और इंस्पेक्टर राकेश पाण्डे ने उन विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा, जीतू यादव व लल्लन यादव को पीटा और विद्यार्थियों को गलत मुकदमें में फंसाने की धमकी दी अपमानित किया। श्री शम्भू नाथ छात्र नेता के घर पर पुलिस ने हमला किया और खाना खाते हुए रिस्तेदारों को पुलिस ने भद्दी-भद्दी गाली दी। मान्यवर, वहां पुलिस आतंक की स्थिति पैदा हो गयी है। राकेश पांडे एस0 आई0 जो गुंडा जैसा कार्य करता है वह पुलिस के दलालों के कहने पर काम कर रहा है। मैं इस प्रश्न पर चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि तुरन्त कार्यवाही करके वहां व्याप्त पुलिस के आतंकराज को समाप्त किया जाये।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद के खिड़ौरी गांव में पुलिस अपनी ज्यादती की हद पार कर गयी है। वहां पुलिस रक्षक नहीं बल्कि जनता की भक्षक हो गयी है और वह आज जनता की सहयोगी नही रह गयी है। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के पास स्थित खिड़ौरी गांव, जो अदलहाट थाने के अंतर्गत आता है, में हरिजनों को भूमि आवंटन के मामले में पुलिस ने 500 रुपये घूस लेकर दूसरे हरिजन भाइयों को कब्जा दिलवा दिया जिस पर उन्होंने मकान बना लिया। वहां का मौजूदा प्रधान ने सुलहनामा कराना चाहा लेकिन वहां का एस0 पी0 श्री सी0 एम0 भट्ट, दरोगा और सी0 ओ0 पुलिस के साथ गांव में जिस तरह से घुसे और जो कांड किया वह पुलिस ज्यादती का 1987 में सबसे बड़ा कांड है। यह विवाद केवल एक बिस्वा 16 धूर जमीन का है जो कि ग्राम समाज की जमीन थी। लेकिन इसका पट्टा हरिजनों को प्रधान ने किया था किन्तु काबिज दूसरा हरिजन था। इसमें पुलिस ने घूस लिया और यह कांड किया। नेता विरोधी दल हमारे यहां गये थे तो 30 हजार जनता ने वहां जुटकर इसका प्रतिरोध किया लेकिन आज भी वहां का थाना-ध्यक्ष, सी0 ओ0, एस0 पी0 जो हरिजन हैं ने ज्यादती की भावना से वहां के सवर्णों, हिन्दु, मुसलमान से लेकर धोबी तक सभी को उत्पीड़ित किया गया जिससे सभी ने गांव खाली कर दिया और एस0 पी0 थाने में बैठा रहा। उसने गांव के प्रधान को बुलाया और कहा कि दरोगा का रिवाल्वर गांव वालों ने छीन लिया जिसकी तलाशी करनी है। पुलिस ने रिवाल्वर की तलाशी के नाम पर पूरे गांव को तहस-नहस कर दिया। पुलिस ने गांव के सभी घरों को लूटा। इस काण्ड में राम चन्द्र यादव, उम्र 25 वर्ष को पुलिस ने मार दिया जो बेकसूर था और सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महिलाओं के साथ बेइज्जती की गयी। पुलिस वालों ने घरों में रखा अनाज, आटा, दाल और चीनी जो सामान पाया पुलिस ने उठा लिया। यहां पर भैंस और गायों तक पर गोलियों का उनके द्वारा प्रयोग किया गया। वहां पर जानवर भी सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं। इतनी अधिक पुलिस ज्यादती हुई है कि बनारस मंडल के आस-पास भी दहशत फैल गई है। सी0 आई0

डी0 इंक्वायरी की बात हुई, लेकिन सी0 ओ0 और एस0 पी0 को नहीं हटाया गया। मेरा निवेदन है आपसे कि जहां पर भी भूमि आवंटन के मामले हों बिना फिजिकल वेरीफिकेशन के इसे न करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आबादी का नक्शा क्लीयर नहीं है। अन्त में, आप पुलिस को ठीक करने की कृपा करें। मैं निश्चित रूप से मांग करता हूं कि वहां के एस0 पी0 को तुरन्त हटाया जाए और इस पूरे काण्ड की हाईकोर्ट के किसी जज द्वारा जांच कराई जाए। वहां जो हुआ है उससे यही सिद्ध होता है कि हाईकोर्ट के एक जज श्री ए0 एन0 मुल्ला ने जो कहा था कि पुलिस एक आर्गनाइज डकैत गैंग है, तो वह बात सही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आज भी वहां पर आतंक बना हुआ है, यह केवल खिड़ौरी में नहीं है, पूरे बनारस में बना हुआ है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि आज तक सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इससे बढ़कर जघन्य कांड कोई नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री तत्काल दोषी पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करके हटाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

इसी विषय पर मैंने कल ही नियम 56 में लिखकर दिया था और उपाध्यक्ष जी ने कल के लिए उसे रखा था, तो मैं क्या इसके लिए कल के लिए इंतजार करूं या आज बोल लूं।

श्री अधिष्ठाता–

आज की कोई बात नहीं है, कल की बात कल रखियेगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

गृहमंत्री जी आप अपना जवाब देने के पहले मेरे कुछ निश्चित बिन्दु समझ लीजिए। सरकार के लिए इससे बढ़कर कलंक की कोई बात नहीं हो सकती है कि यह घटना 18 आदमी रामचन्द्र यादव मारा गया और कई आदमी घायल हुए हैं। इस छोटे से गांव को सी0 ओ0 की मौजूदगी में बड़ी दरीन्दगी के साथ पुलिस द्वारा लूटा गया है। वहां मकानों के दरवाजे गोलियों के गवाह हैं, लेकिन इतनी भयंकर घटना की एफ0 आई0 आर0 तक दर्ज नहीं की गई, इससे बड़े शर्म की बात मंत्री जी बतायें क्या हो सकती है। इस पर तत्काल एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई जाए। मैंने जब इसको देखा तो एस0 पी0, मिर्जापुर से कहा कि रिपोर्ट लिखाने का हर आदमी को अधिकार है और उसके बाद आप तफ्तीश करा लीजिए और उसके फलस्वरूप आप चाहे जो चार्जेज लगाइये या न लगाइये। लेकिन मेरे कहने के बावजूद उसने रिपोर्ट नहीं लिखी। आप उसको इसके लिए दंडित कीजिए। तीसरा निवेदन यह है कि थानाध्यक्ष और एस0 पी0 की रिश्तेदारी है और यह विवादित लोगों के रिश्तेदार हैं। मेरी मांग यह है कि जिनकी मौजूदगी में कत्ल हुए, लोग घायल हुए और लुटाई की गई, उनको तत्काल आप निलम्बित करायें। यह भी मांग है कि जिन पुलिस अधीक्षक और सी0 ओ0 ने इसमें लापरवाही बरती है, उन्हें कम से कम वहां से स्थानान्तरित कर दिया जाए, ताकि लोगों में व्याप्त भय समाप्त हो। साथ ही जो आदमी मारे गये हैं उनके आश्रित को 1 लाख रुपये का तथा घायलों को भी उचित मुआवजा दिलाने की कृपा की जाए।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यह विषय गम्भीर है एक हरिजन के पट्टे का मसला था उसने थाने में रिपोर्ट की थी उसके अनुसार वहां के एस0 आई0 जांच करने गये थे और जिन लोगों के खिलाफ शिकायत थी उनको पकड़ने का काम उसने शुरू किया तो उसमें विवाद हुआ उसमें चार पुलिस कर्मी गम्भीर रूप से जख्मी हो गये, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो कहा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे या अपने कर्तव्य परायण में शिथिलता के दोषी पाए जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है एक हरिजन की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था उसमें रिपोर्ट आ गई तो क्या माननीय मंत्री जी उस हरिजन को संरक्षण प्रदान करने का काम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 जांच करायेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जब जांच कराने के आदेश कर दिए हैं तो रिपोर्ट दर्ज कराने के भी आदेश कर दें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने ये जघन्य कार्य किया, यह मैं मानता हूं कि पुलिस का दरोगा जख्मी हुआ लेकिन उसने हमारी तरफ की रिपोर्ट कर दी, उसकी रिपोर्ट मान्यवर लिख ली गई, लेकिन मान्यवर, जो हमारे लोग घायल हुए हैं उनकी रपट भी लिखी जाए और दोषी पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरित किया जाये और निलम्बित किया जाए।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी किसी चीज के लिए बाध्य नहीं हैं अगर मंत्री जी चाहते हैं कुछ कहना, तो वह कह देंगे।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

हरिजनों का पूरा-पूरा संरक्षण किया जाएगा इसीलिए सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश दिए गये हैं। और इनकी रपट भी लिख ली जाएगी।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो दोषी कर्मी हैं उनको स्थानान्तरित करने के बाद निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना तर्क दे सकते हैं जो कुछ उन्हें कहना था कह दिया जिन नियमों के अन्तर्गत आप अपनी बात कह रहे हैं उन नियमों के अन्तर्गत सरकार का जवाब न भी आए तो आप अपनी बात कह सकते हैं (व्यवधान) मंत्री जी ने कह दिया कि जांच करा लेंगे और रपट भी लिखा लेंगे और जो होगा वह करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, पहली बात माननीय मंत्री जी ने कही कि जांच करायेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि रपट लिखायेंगे। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एस0 आं0 एस0 आई0 तथा दोषी पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण करायें। माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा था तो यह अपने वायदे को निभायें।

(घोर व्यवधान)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, हरिजनों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात, मनमाने तरीके से उनका ट्रांसफर करने की बात माननीय नेता विरोधी दल के मुख से अच्छी नहीं लग रही है। जहां तक निष्पक्ष जांच का प्रश्न है, सी0 आई0 डी0 की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। अगर उस जांच में कोई बाधक होगा, सी0 आई0 डी0 के लोग यह शिकायत करेंगे तो निश्चयपूर्वक बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, ट्रांसफर भी किया जायेगा।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर घटना है।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। अब बात खत्म हो गयी।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब वही पुलिस के कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं? पहले वह वहां से हटाये जायं। माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन नहीं देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी अगर निष्पक्षता की बात उठाते हैं तो वह पहले पुलिस-कर्मियों को वहां से हटायें तब जाकर निष्पक्ष जांच हो सकेगी।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आप बाध्य नहीं कर सकते हैं मंत्री जी को यही बात कहने के लिए।

श्री मनोहर लाल–

उनका स्थानान्तरण होना चाहिए।

(श्री मनोहर लाल, श्री यदुनाथ सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश आदि मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये।)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इससे जघन्य काण्ड और कोई नहीं हो सकता। सरकार दोषी व्यक्तियों को संरक्षण दे रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने आसन पर जायं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस घटना के 10 दिन बाद मैं उस गांव को गया था। वहां के सारे लोग भागे हुए हैं। गांव में नहीं आ रहे थे। मंत्री जी ने कहा कि वहां जो व्यवधान पैदा करेगा जांच में उसको हटा देंगे। जब वह पुलिस के अधिकारीगण वहां रहेंगे तो क्या वह निष्पक्ष जांच करने देंगे। इसकी निष्पक्ष जांच हो जाय गांव के लोग वहां रहने लगें यह इन पुलिस कर्मियों के रहते हुए सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि आपके पुलिस कर्मी वहां होंगे लेकिन दूसरे होंगे तो निष्पक्ष जांच हो सकती है। सरकार हठवादिता का परिचय देती है और दोषी हम ठहराये जाते हैं और कहा जाता है कि विरोध पक्ष जिद करता है जिन लोगों ने कत्ल किया है, लोगों को घायल किया है, लूटा है अगर वह वहां होंगे तो जांच कैसे निष्पक्ष होगी।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी माननीय गृह मंत्री हरिजनों की बात कर रहे थे कि मैं हरिजनों की पूरी रक्षा कर रहा हूं। मुझे पूरी जानकारी है कि [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसके लिए वह खेद प्रकाश करें।

(घोर व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह, श्री भगवानदीन कुशवाहा तथा अन्य कई विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये परन्तु नेता विरोधी दल के अनुरोध पर वापस अपने स्थान पर चले गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुशवाहा खेद प्रकाश करें।

(घोर व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस सदन की कुछ परम्परायें हैं, इस पर कोई नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना ये खेद प्रकाश करें। मान्यवर, इस तरह से यह सदन नहीं चल सकता है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुशवाहा जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, यह कुछ नहीं लिया जायगा।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, कुशवाहा जी शराब पीकर आये हैं।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह शराब पिये हों तो जांच करा ली जाय और अगर चाकू लगे हों तो भी जांच करवा ली जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, जो हमारे माननीय विधायक यदुनाथ सिंह जी ने नियम 56 के तहत चर्चा की मांग की है....

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें। कुशवाहा जी आप बैठें। जो कुछ भी आप कहेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यह सामान्य प्रक्रिया रही है कि पुलिस अगर कहीं पर जुल्म ढाती है और वह पुलिस अगर थाने पर मौजूद है तो कभी इंसाफ नहीं हो पाता है, कभी तफशीश न्यायप्रिय नहीं हो पाती है। मैं चाहता हूं कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और गृह मंत्री जी भी मौजूद हैं जो हालत वहां पर हुई एक आदमी पुलिस की गोलियों से मारा गया और एक आदमी पुलिस की गोली से घायल हुआ बाकी कई लोग लाठियों और गोलियों से घायल हुए । इसके साथ-साथ में पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा गया जिनमें नकदी, जेवरात और घर का सामान भी गया । मैंने स्वयं यह सब अपनी आंखों से देखा है, गोलियों के निशान आंखों से देखे हैं । मैं केवल इतनी बात चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि हम इस घटना की सी0 आई0 डी0 जांच करा लेंगे, आपने यह भी कहा कि एफ0 आई0 आर0 लिखवा देंगे । मेरा अनुरोध है कि आप इन लोगों को तब निलम्बित कर दें जब उनके ऊपर आरोप प्राइमाफेसी सिद्ध हो जाय लेकिन तफशीश के दौरान मैं चाहता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को आप तत्काल स्थानान्तरित कर दें जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 हो । ताकि जो लोग घायल हुए हैं, लुटे हैं, उनको इंसाफ मिल सके । मेरा इतना कहना है। हमारी ऐसी मांग नहीं है जो हठवादिता की हो । मैं सरकार से कहूंगा कि वह हठवादिता का परिचय न दे ।

(श्री गोपी नाथ दीक्षित के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप बैठें ।

इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

मान्यवर, पहले यह माफी मांगें ।

(घोर व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा लगातार एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल, नियमावली 289(क) पढ़ लें, किसी मंत्रिपरिषद् के किसी व्यक्ति पर कोई भी आरोप इस तरह का जो आचरण पर हो, वह लगाया नहीं जा सकता (व्यवधान) यह ऐसा आरोप लगाया गया है और इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी है तो खेद प्रकट करना होगा इसके बारे में नेता विरोधी दल अपनी बात कहें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, जांच करा ली जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठिये जांच ऐसे नहीं होगी।

बरार साहब आप बैठें । नेता विरोधी दल एक बात कही गयी है। नेता विरोधी दल सारे विपक्ष के नेता हैं मैंने उनको संदर्भित भी किया है अगर इस तरह का आरोप आचरण पर किसी विषय से अलग होकर किसी पर लगाया जाय तो उसकी एक प्रक्रिया है। शतरुद्र प्रकाश भी ज्ञानी हैं (व्यवधान) नेता विरोधी दल सदन को सम्मानपूर्वक चलाये जाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाय ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल ने इस काण्ड के बारे में जो कहा, उस पर जो कार्यवाही होगी, उस पर उत्तर मा0 गृह मंत्री जी देंगे । लेकिन आपके माध्यम से बहुत नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि क्योंकि इस सदन पर उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ आंखें लगी हुई हैं। इसको देख रही हैं कि किस प्रकार से हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम किस प्रकार से यहां रहते हैं, आज जो कुछ भी यहां पर हुआ, सब यहां पर सम्मानित सदस्य हैं, सब सदस्य सम्मानित होते हैं और अगर इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रही, मान्यवर, तो न तो इस सदन के सदस्यों की इज्जत महफूज है और न इस सदन की गरिमा और मर्यादा महफूज रहेगी । उत्तर प्रदेश विधान सभा के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया ईश्वर के लिये इस सदन की मर्यादा और गरिमा को बाकी रखें । उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने को ऐसा प्रस्तुत न करें कि बाकी लोग यह कहें कि यह जगह विधान सभा हो गयी है। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर भगवान दीन जी से अनुरोध करता हूं कि जो इज्जत दूसरों ने आपको दी है, उस इज्जत के काबिल अपने को बनायें । मा0 नेता विरोधी दल, मा0 राम शरण दास जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, कौशिक जी, शतरुद्र जी, जो बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार की लेंग्वेज कोई भी सदस्य, चाहे इधर का हो या उधर का हो, उसको इस प्रकार की लेंग्वेज को इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकाश करना चाहिये । यह इस सदन के सम्मानित सदस्यों की तौहीन है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। मेरी मांग है कि मा0 भगवानदीन जी से सदन से माफी मांगने में कोई इन्सल्ट नहीं है। मैं 20 बार माफी मांगता हूं।

मा0 नेता विरोधी दल से अनुरोध है हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि सभी सदस्य ऐसी परिपाटी बनावें कि हम लोग जो भी यहां पर बैठे हैं, चाहे इस सदन में हों, या कहीं भी हों, हम जनता के सामने मुंह दिखा सकें । जनता यह न कहे कि इस प्रकार की जबान हम इस्तेमाल करते हैं। मैं हाथ जोड़कर नम्रता-पूर्वक निवेदन करता हूं नेता विरोधी दल और अन्य लोगों से कि सूखे पर चर्चा हो या न हो, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए । ये माफी मांगें, खेद प्रकाश

करें, यह इस प्रकार की जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, आज यह बात जो यदुनाथ सिंह जी ने रखी है, आप यहां पर हमको रोक सकते हैं लेकिन 13 करोड़ जबान जो आप पर टीका-टिप्पणी करेगी उसे यदुनाथ सिंह जी नहीं रोक पायेंगे । मेरा आपके माध्यम से कुशवाहा जी से अनुरोध है कि गलती से किसी तरह से यह जो शब्द निकले उसके लिये खेद प्रकाश करें ताकि सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चल सके ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मा0 गृह मंत्री के सम्बन्ध में मा0 सदस्य भगवान दीन कुशवाहा ने जो कुछ कहा, आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली कि इस सम्बन्ध में एक प्रक्रिया है, अगर किसी मा0 सदस्य को किसी मंत्रिमण्डल के सदस्य पर आरोप लगाना है तो उस प्रक्रिया के तहत आरोप लगाना चाहिए । मान्यवर, इन्होंने जो कुछ कहा, मैंने तो कुछ कम सुना । बाद को पूछने पर बताया गया कि यह बात कही गयी, मैं उन शब्दों को कहना मुनासिब नहीं समझता । मैं यह नहीं कह सकता कि बात झूठी है या सही है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का पूरा सम्मान करता हूं। भले ही बात सच हो, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी को किसी प्रकार की ठेस पहुंची है, तो मैं बड़े ही नम्रतापूर्वक इस पर अफसोस जाहिर करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बात कही । अब मान्यवर, बात खत्म हो गयी, कार्यवाही को आगे चलायें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं नियम 56 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस नियम 56 पर बहुत समय लग चुका है। माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। हमारी मांग यह जायज है कि खिडौरी काण्ड में जिन पुलिस कर्मियों ने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया, लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, लोगों को घायल किया, लूटामारा, जांच से पहले, उन दोषी कर्मचारियों को तत्काल वहां से हटाने की कृपा करें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं क्षेत्रीय एम0 एल0 ए0 होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं। 1987 का खिडौरी कांड उ0 प्र0 में घटित हुआ, उत्तर प्रदेश हमारी समझ में भी आ रहा है, माननीय वीर बहादुर को भी समझ में आ रहा है, माननीय दीक्षित जी को भी समझ में आ रहा है। माननीय अम्मार रिजवी ने 13 करोड़ जनता की परवाह की बात कही, हमें भी जनता की परवाह है।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह सवाल क्या रह गया, बात उस पर खत्म हो गयी?

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, बात सुन लें, जीरो आवर विधान सभा की कार्यवाही की अहम मद है, उसमें हमारा एक अहम सवाल लगा था । विधान सभा की कार्यवाही का वह कीमती समय यों ही चला गया, भगवानदीन कुशवाहा जी की एक बात को लेकर उस पर तमाम समय निकाल दिया गया । अम्मार रिजवी साहब ने भी उस पर काफी समय ले लिया । दूसरी ओर उ0 प्र0 का जो एक गम्भीर मसला था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया । मान्यवर, उस घटना को देखने से ऐसा लगता है कि प्रदेश की पुलिस का मारल बिल्कुल ही खत्म हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय यदुनाथ जी बैठें । मा0 गृह मंत्री जी खड़े हुए हैं।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि यह मसला निश्चय ही गम्भीर है। गम्भीर इसलिए है कि एक हरिजन की रिपोर्ट आयी, उसको पट्टे की जमीन नहीं दी जा रही थी । पुलिस उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने गयी । उस सिलसिले में पुलिस जो कार्यवाही कर रही थी, उसमें हस्तक्षेप किया गया । हस्तक्षेप के सिलसिले में दरोगा और 4 पुलिस कर्मी जख्मी हुए। दोनों तरफ की वास्तविक जांच हो जाय, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, इसलिए सी0 आई0 डी0 जांच की व्यवस्था कर दी गयी है। अगर उस सी0 आई0 डी0 जांच में कोई व्यवधान डालेगा, तो उसका ट्रांसफर भी किया जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, निष्पक्ष जांच हो सके, पुलिस के कर्मी उसको प्रभावित न कर सकें, इसलिए उनको हटाना जरूरी है। अगर वही पुलिसकर्मी वहीं पर बने रहेंगे तो वहां, कोई बयान नहीं दे पायेंगे, जांच कार्यवाही ठीक तरह से पूरी नहीं हो पायेगी । जांच कार्यवाही ठीक से हो, वहां जनता में व्याप्त आतंक समाप्त हो, इसलिए जरूरी है कि दोषी पुलिस कर्मी तत्काल वहां से हटाये जायं । मान्यवर, ऐसा न करके सरकार जांच को खुद प्रभावित करवा रही है, सरकार संरक्षण दे रही है, पक्षपात-पूर्ण ढंग से इसमें जांच होगी । इसलिए मान्यवर, आपके जरिये निवेदन है कि दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलम्बित किया जाय ।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब तो बात खत्म हो गयी ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह बात बिल्कुल खत्म नहीं हुई । सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं मुख्य मंत्री को नागरिक शास्त्र पढ़ाऊं या फिर उस दरोगा को नागरिक शास्त्र पढ़ाऊं, या उस एस0 पी0 को पढ़ाऊं, जिसने वहां पर यह सब काण्ड किया । आप यह बतला दें, फिर कार्यवाही शुरू होगी । अभी भी वहां पर गांव में गिरफ्तारी जारी है, वह दरोगा ने कत्ल किया, और आज भी उसका ट्रांसफर आप नहीं कर रहे हैं। वहां पर कांग्रेस के एम0 एल0 ए0 भी गये थे । क्या आप चाहते हैं कि पुलिस की ज्यादती इसी प्रकार से होती रहे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय यदुनाथ सिंह जी कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, जब सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है, तभी इस तरह के सवाल यहां पर उठते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

नेता विरोधी दल, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अगर सी0 आई0 डी0 जांच में व्यवधान उत्पन्न होता है तो उनका अवश्य ट्रांसफर करेंगे ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, हमने आज पुलिस अधीक्षक की ट्रांसफर की मांग नहीं की, जबकि हमारी बात निर्विवाद रूप से सत्य है। दिनांक 18 नवम्बर को वहां पर घटना हुई और घटना के डेढ़ महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । मैं तो उनको हटाने की बात कर रहा हूं जिनकी वजह से आज पूरा गांव भागा हुआ है और गांव के लोग गांव में आ नहीं रहे हैं । इसलिए मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाये । अगर सरकार अपनी हठवादिता पर रहेगी, तो हम भी मानने वाले नहीं हैं। ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, दो कथन आ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं । एक कथन तो यह है कि अभी भी प्रथम सूचना पत्र अंकित नहीं हुआ और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि चार व्यक्ति मारे गये हैं। अब मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि यह पक्षपात किस तरफ से हुआ है। अब मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी यह कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जांच में व्यवधान उत्पन्न करेगा, तो हम उसका स्थानान्तरण करेंगे । इस प्रकार दो कथन हुये । एक कथन के सम्बन्ध में प्रथम सूचना पत्र अंकित हुआ । दूसरे कथन के बारे में सूचना पत्र अंकित नहीं हुआ । मान्यवर, अगर यह न्याय करते तो यह एफ0 आई0 आर0 आज तक वहां पर अंकित हो गई होती । जब आपको पक्षपात ही करना है तो फिर रास्ता क्या बचता है । मैं नेता सदन से चाहूंगा कि वह इस मामले में न्याय करवायें और जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जिन लोगों की वजह से, इन 4 लोगों की हत्यायें हुई हैं, उन लोगों को वहां पर न रहने दिया जाय, जब तक इसकी जांच हो रही है।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जो सूचना है, उसके अनुसार हरिजन लोगों की जमीन थी, उसका कब्जा दिलवाने के लिए पुलिस वहां पर गई । इस पर लोगों ने पुलिस को कब्जा देने के बजाय उनका रिवाल्वर छीना और उसके साथ वह व्यवहार किया, जो नहीं होना चाहिए । तो मान्यवर, यह दोनों तरफ की बात है। पुलिस के साथ भी अत्याचार हुआ है और अब सी0 आई0 डी0 जांच हो रही है। अगर पुलिस वालों की उसमें गलती पायी जायेगी तो उनका ट्रांसफर वहां से अवश्य किया जायेगा । कोई अन्याय नहीं हो पायेगा । सी0 आई0 डी0 की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने दें, अगर उसमें यह कहा जाता है कि इन अधिकारियों के ट्रान्सफर के बाद ही इस पर जांच की कार्यवाही हो सकती है तो उनका ट्रान्सफर कर दिया जायेगा ।

(श्री मनोहर लाल, श्री शतरुद्र प्रकाश व श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह सही है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले उठाये जाते हैं और विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और दूसरी तरफ सरकार के पक्ष को भी सुनना चाहिए । किस चीज को सरकार को संदर्भित करें, यह कार्य इस पीठ का है । न आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं और न ही सरकार आपको बाध्य कर सकती है। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि शेष जो विषय रह गये हैं, उन पर माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह एक हरिजन के पट्टे का मामला था, मैं भी इस बात को मानता हूं । वहां पर जो झगड़ा हुआ, वह भी हरिजन के साथ ही हुआ । कहने का मतलब यह है कि हरिजन-हरिजन के बीच का झगड़ा हुआ । मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपके थाने का एक सिपाही वहां गया हुआ था, उसका ससुराल उस हरिजन के यहां है, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी तो इन्साफ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस हरिजन की डेढ़ महीने तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई और जो आपके सिपाही और दरोगा हैं, उनकी रिपोर्ट लिख दी गई, तो फिर यह पक्षपात नहीं है तो और क्या है । इसलिए आप इस घटना के विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी को आदेश करें कि जो पुलिस कर्मचारी व अधिकारी इस जघन्य अपराध में शामिल हैं, उन्हें तत्काल वहां से हटा दिया जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जरा भी भनक यदि हमें सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट में लगती है तो हम ट्रांसफर ही नहीं और भी कार्यवाही करेंगे। जो आप कह रहे हैं, उसे हम यहां से एक वरिष्ठ अधिकारी से दिखवा लेते हैं । लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, आप देखेंगे कि न्याय हुआ है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह इनकी हठधर्मी है। इसके विरोध में मैं अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गये)

श्री राम शरण दास–

इस बात को मान लीजिये नहीं तो मैं भी अपने साथियों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम शरण दास अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की अक्षमता और निकम्मेपन के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पागल और बर्बर होती जा रही है। इलाहाबाद में संसदीय चुनाव होना है, यही कारण है कि वहां पर बार-बार प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री का आगमन होता है। पूरा प्रदेश सूखे से पीड़ित है और कोई काम हो नहीं रहा है। सूखे के नाम पर यह घड़ियाली आंसू बहाने वाली सरकार जो कुछ पैसा खर्च करती है अपने नाम के लिये, वह अधिकारियों की जेब में जा रहा है। आम नागरिक और पीड़ित जनता जब हजारों की संख्या में इनके पास आती है अपनी फरियाद लेकर तो पुलिस उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज करती है और गोली चलाती है। गांव-गांव में पुलिस लूटपाट करती है और आतंक फैलाती है। 1 अगस्त को जब मा0 प्रधान मंत्री नैनी क्षेत्र में आये तो अमिलहवा! सिरसा व मेजा क्षेत्र में लाठीचार्ज किया गया। सैकड़ों लोग घायल हुए और झूठे मुकदमे में फंसाये गये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अगस्त में ही कोरांव में जब छात्र सूखे में फीस माफी हेतु शान्तिपूर्ण धरना दे रहे थे तो इलाहाबाद की पुलिस ने छात्रों को पकड़ा, उनके सर पर जूते रखवाये और सारे बाजार में घुमवाया, साथ ही यह नारे लगवाये कि "आन्दोलन करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।" दूसरे दिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जब छात्र और अध्यापक हजारों हजार की संख्या में एकत्रित हुए तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों लोगों की साइकिलें, जूते, चप्पल छूट गये। उन पर फर्जी मुकदमें बेशर्मी से मढ़ दिये गये। उसके बाद अभी पिछले 17 दिसम्बर को मा0 मुख्य मंत्री जब मेजा गये तो वहां पर 33 हजार रु0 मेजा ब्लाक को सूखे में दिया गया है, किन्तु रातों रात उसमें से सवा लाख रु0 का हैलीपैड़ बनाया गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का मुख्य मंत्री जी अपनी पार्टी में दल बदल कराना चाहते थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी, लोकदल (अ) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनमोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बहिशियाना हमला किया गया। जनमोर्चा के भरत जी शुक्ल, लोकदल "अ" के कमलचन्द सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के विभूति नारायण सिंह और श्री प्रभा शंकर पाण्डेय सहित अनेकों कार्य-

कर्ता बुरी तरह घायल हुए । आज भी उन्हें तथा आसपास के गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है । आतंक और भय व्याप्त है । यहां हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को परेशान, उत्पीड़ित किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ।

(श्री गोपाल दास यादव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें आपको बाद में समय दूंगा ।

(समय अपराह्न 5 बजे)

अब मा0 मुख्य मंत्री जी मद संख्या–19 प्रस्तुत करेंगे ।

वर्ष 1987-88 के अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतिकरण

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1987-88 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां बंटवा दी जायं ।

(अनुपूरक अनुदानों की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित की गयीं)

(इस समय 5 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, कार्य स्थगन के प्रस्ताव के संबंध में मैं श्री अनुग्रह नारायण सिंह के कार्य स्थगन प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में वहां पर छात्रों के साथ, नागरिकों के साथ और राजनीतिक कार्यकताओं के साथ इस सत्ता पार्टी की सह पर पुलिस के द्वारा लाठी और गोलियों के द्वारा मासूम लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद गये, तो पुलिस ने दो बार बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और माननीय मुख्य मंत्री जी एक अगस्त और 17 सितम्बर को वहां पर मौजूद थे । आज प्रदेश में सूखा पड़ गया है, करछना में 30 हजार रुपया दिया गया है और मैं कहना चाहता हूं कि 24 घण्टे के अन्दर हेलीपैड बनाने के लिये डेढ़ लाख रुपया पानी की तरह बहा दिया गया । मान्यवर, इसी तरह से मेजा रोड पर कमल चन्द्र सिंह, मोहन सिंह, राम निरंजन, गोपाल जी, महेन्द्र कुमार सिंह, जो मान्यवर सामाजिक कार्य कर्ता हैं, उन पर पुलिस ने सी0 आर0 पी0 सी0 के तहत झूठे मुकदमें कायम किये हैं । इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, प्रातः काल से एक के बाद एक महत्वपूर्ण मामले आते जा रहे हैं । मैं नहीं चाहता कि आप उन महत्वपूर्ण मामलों पर बोलने का मौका न दें, लेकिन इस बात का भी निर्धारण करें कि सूखे पर चर्चा होगी या न होगी । नियमावली है और आप अपने विवेक का भी प्रयोग करें जिससे और भी विषय आ सकें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

सूखे के बारे में थोड़ी दिलचस्पी माता प्रसाद जी को है और थोड़ी बहुत माननीय मैनेजर सिंह जी को है और अन्य लोगों को दूसरे मसलों में दिलचस्पी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह आरोप है या वास्तविकता है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 4 महीने हो गये हैं, गांवों के अन्दर कोई नई फसल नहीं आयी है, हमारे क्षेत्र में कई लोग ठंड से मर गये । सुबह से प्रतीक्षा हो रही है कि सूखे पर चर्चा होगी, लेकिन अभी तक वह शुरू नहीं हो पायी है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सूखे की चर्चा करने के लिये दो दिन का समय बढ़ा रहे हैं, अन्यथा मैं समझता हूं कि जो सदन बुलाया गया है, यह निरर्थक हो जायेगा, यदि सूखे पर पूरी तरह से चर्चा नहीं करायी जायेगी । इसलिये जैसे भी हो सदन की कार्यवाही आज के बाद और कुछ दिन के लिये बढ़ा दी जाय जिससे सूखे पर पूरी चर्चा हो जाय । मान्यवर, लोगों के पास अनाज नहीं है, कपड़ा नहीं है, रबी की फसल का कोई ठिकाना नहीं है, अकाल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सूखे पर पूरी तरह से चर्चा करायी जाय ताकि हर माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति के बारे में कह सकें । इसलिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 में चर्चा दोपहर में ही समाप्त हो जाय . . . . (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कल भी जो कार्यस्थगन देने वाले हों वह भी आज ही मांग लीजिये, उन पर भी चर्चा हो जाय । सूखे पर चर्चा कल से होनी थी ताकि उस पर सभी सदस्यों के विचार आ जायं । लेकिन ऐसा लगता है कि विरोध पक्ष के सदस्यों की सूखे से कोई दिलचस्पी नहीं है यह बात जनता को भी मालूम होनी चाहिए । . . .

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, इस सरकार ने बार-बार यह कहा है कि हम सूखे की स्थिति का मुकाबला करेंगे, जनता को राहत देंगे । लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ । नियम 56 में मैंने लिखकर दिया । यह सरकार पुलिस द्वारा प्रशासन चलाना चाहती है । यह सरकार जनता की रक्षा के लिये नहीं है । हम चाहते हैं कि सूखे पर पूरी तरह

से चर्चा हो । केवल चार दिन का सदन है, अभी सूखे पर चर्चा नहीं हुई है इसलिये हम चाहते हैं कि सूखे की चर्चा के लिये सदन का समय एक हफ्ता और बढ़ा दिया जाय । . . . . (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, कल से आजतक जो वातावरण सदन का है उससे स्पष्ट है कि सूखे पर चर्चा के लिये हम लोग व्याकुल नहीं हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि आज जैसा कि तय हो गया था 1 बजे के बाद कुछ नहीं लिया जायेगा और सूखे पर चर्चा होगी । लेकिन जब आपने 1 बजे बाद भी 56 ले लिया तो फिर रात भर 56, 57, 58, 59, 60 सब ले लीजिये । कोई नहीं चाहता कि सूखे पर चर्चा हो । आप रात भर 57, 58, 59, 60 ले लीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारी कार्यसूची पर जो विधेयक आज के लिये लगे हुये हैं उनके संबंध में मेरा सुझाव है कि उन्हें आप अगले दिन के लिये स्थगित कर दें और आज सूखे पर चर्चा करा दें । विधेयकों पर चर्चा आगे भी हो सकती है । इसलिये उन्हें पोस्टपोन कर दें और सूखे पर चर्चा आरम्भ करा दें ।

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, मैनेजर सिंह जी ने कहा है कि कार्य-स्थगन पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सूखे पर चर्चा करा दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अगर राम अवतार जी दीक्षित ऐसा कहते हैं और अगर यह सरकारी प्रस्ताव है तो हम कार्य-स्थगन पर चर्चा कर सकते हैं । . . . . (व्यवधान) ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, बिलों पर जो बहस होने वाली है उसको आप स्थगित कर अगले दिन के लिए करा दें और आज सूखे पर चर्चा हो जाय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूखे पर चर्चा अविलम्ब प्रारम्भ कर दी जाय और बिलों पर कोई अगला दिन निश्चित कर लें ।

मान्यवर, एक प्रस्ताव जब सदन में आ गया और उसका समर्थन हो गया तो आपने मेरे प्रस्ताव पर क्या व्यवस्था दी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मद सं0 19 आ गया है । राजस्व मंत्री ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह अरार–

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, इसपीठ से अभी एक निर्देश हुआ था कि जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें हैं उन सब को सुना जायेगा । कुछ को सुन लिया गया है, मेरी भी सूचना को सुन लिया गया है लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों की सूचना को नहीं सुना गया है । अब या तो आप निर्देश को बदलें या सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष–

एजेन्डा जब समाप्त हो जायेगा तो सुन लेंगे । (व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी पीठ से आदेश हुआ था कि नियम 56 की जितनी सूचनायें हैं उन सब पर एक-एक दो-दो मिनट सुन लेंगे । मेरी सूचना थी, मुझे पुकारा भी लेकिन सूखे पर चर्चा होनी जरूरी है इसलिये मेरी सूचना को आज के बजाय कल ले लें, यह मेरा अनुरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष–

एजेन्डा जब पूरा हो जायेगा तो सुना जायेगा ।

मद संख्या 20, श्री राम गोविन्द चौधरी ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए बाकी जो कार्य स्थगन की सूचनायें आज रह गयी हैं उनको कल सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज ही एजेन्डा समाप्त होने के बाद सुन लेंगे । मद सं0 20 ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

मान्यवर, यह तो नियम की बात है, जब उसका समर्थन हो गया तो पहले आप उसको लीजिए, फिर आगे बढ़िये । आप उसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं और हर एक को बिठाल रहे हैं-बैठिये, बैठिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्ताव आया नहीं, केवल आपस में सहमति हुई है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

आप सूखा पर चर्चा शुरू करवाइयें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

कितनी देर से आप बिठाले हुए हैं, कुछ तो आप कराइये, कुछ तो कार्यवाही करिये, क्या आप इतिहास बना रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, आज प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, ...

(व्यवधान)

मैं किस पर बोलूं, मान्यवर, यह बताया नहीं आपने । सूखे पर सुनूंगा या किसी और विषय पर बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मद सं0 20 पर बोलिये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, इस प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और सरकार भी मान रही है कि 100 वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश में इतना भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी आप संकल्प पर बोलिये । (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसका मतलब यह समझा जाए कि इन्होंने अपना संकल्प वापस ले लिया है, उसपर यह अब नहीं बोलना चाहते हैं ।

अब मंत्री जी को बुलवाइयें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. . .

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 21 ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1987

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इनका संकल्प प्रस्तुत होगा, आप बैठिये ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जैसा आपको मालूम है, प्रदेश में चाहे नगरपालिकाएं और महापालिकाएं हों और चाहे टाउन एरियाज हों, उनका सारा. . . . (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आप बेकायदे बात मत कीजिए ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गया था, वह स्थगित हो गई थीं और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनके चुनाव नहीं हो पाये . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द चौधरी ने अपना संकल्प प्रस्तुत किया और अब वह भाषण कर रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, कार्यसूची के हिसाब से चलना चाहिए चूंकि बजट पेश होना था, इसलिए वह ले लिया गया, लेकिन अब उसके पहले के मद लिये जाने चाहिए, जिनको अभी नहीं लिया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

सूखा की चर्चा को आपने निलम्बित किया या स्थगित किया, यह तो बताएं उसकी आपने क्या किया । बिना उसके आप आगे कैसे बढ़ जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें नियम कहां बाधक हैं, जब आगे बढ़ गये, बढ़ गये । सूखा बाद में हो जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बोल लीजिएगा ।

(व्यवधान)

हर आदमी व्यवस्था पर पहले बोलना चाहता है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा यह तो कोई बात नहीं हुई । मैंने अब गुप्ता जी को बुला लिया है ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, पहले मैं खड़ा हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप पहले खड़े नहीं हुए थे मैंने गुप्ता जी को बुला लिया है, पहले गुप्ता जी को ही सुनूंगा । जब मैंने एक बार नाम पुकार दिया फिर मैं बीच में आपको कैसे सुन लूं ।

(व्यवधान)

आप नेताओं को नहीं मान रहे हैं तो क्या मैं भी न मानूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस एजेंडे की कार्यसूची की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इस समय मद–17 चल रहा था हमारा नियम यह है कि जब बजट का प्रस्तुतिकरण होता है वह समय निर्धारित है पांच बजे । पांच बजने के कारण आप मद संख्या-19 ले लें इस क्रम से चलना चाहिए यह मद संख्या-20 कहां से आ गया । मान्यवर विधेयकों पर चर्चा बाद में हो जाएगी, सूखे पर चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आपने कहा था कि नियम-56 पर सबको सुना जाएगा, तो जो दो-तीन माननीय सदस्य रह गये हैं उनको भी आप सुन लें । (व्यवधान)

कार्य-स्थगन की शेष सूचनाओं को भी लिए जाने की मांग

श्री रामशरण दास–

मान्यवर, आपने तय किया था कि दो-दो मिनट नियम–56 पर सबको सुनेंगे तो दो-तीन मेम्बर रह गये हैं इनको भी आप सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह पीठ के अधिकार क्षेत्र में है कि वह किसी मद को पहले ले सकते हैं । इसलिए मैं मद संख्या–20 ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आप पहले मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, दो-दो मिनट इनको सुन लें तो ठीक रहेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यद पीठ को अधिकार है कि वह किसी मद को आगे कर दे या पीछे कर दे सुना सबको जाएगा ।

(व्यवधान)

(श्री गया प्रसाद वर्मा जी के मेज पर खड़े होने पर ।)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह न आगे है न पीछे है यह तो ऊपर है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इनको सुनिये नहीं तो कार्यवाही नहीं चलेगा । आपने सबको सुना तो इनको क्यों नहीं सुन रहे हैं । सब दलों के लोगों को सुना तो कोई मतलब नहीं है कि इनको न सुनें ।

(श्री राम शरण दास सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

राम शरण दास जी नाराज नहीं हुआ करते।

(श्री गया प्रसाद वर्मा, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री शारदा नंद अंचल आदि माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप कह दीजिये कि कल ले लेंगे ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आपने सबको सुना है इनको क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें । सुनूंगा जब, जब आप वहां चलेंगें ।

(मा0 उपाध्यक्ष के कहने पर फ्लोर पर आये सदस्य अपने आसन पर वापस चले गये।)

श्री राम शरण दास–

आपका निर्णय था, आपने वायदा किया था सुन लेंगे । अपनी व्यवस्था आप खुद तोड़ रहे हैं । अब तक बात खत्म हो जाती ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा कि मैं बाद में सुन लूंगा । मैंने सुनने के लिये मना तो नहीं किया । इस तरह से सदन की व्यवस्था कैसे चलेगी ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, पहले प्रस्ताव पास हुआ था कि सूखे पर चर्चा होगी । राजस्व मंत्री जी ने आंख दिखा दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

हाउस में कोई प्रस्ताव नहीं आया ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपकी तरफ देख सकूं । आपकी तरफ तो नजर हमेशा नीची रहती है ।

श्री किरनपाल सिंह–

आप निर्णय लेते हैं तो उसको हमेशा बदल देते हैं ऐसे हाउस कैसे चलेगा । आपके कहने के बाद राजस्व मंत्री जी खड़े क्यों नहीं हुये इस पर आप व्यवस्था दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मद सं0 20 पुकारा है ।

श्री किरन पाल सिंह–

कार्यवाही देख लीजिये । राजस्व मंत्री जी का नाम आपने पुकारा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

सूखे पर चर्चा के लिये नहीं पुकारा है ।

श्री किरन पाल सिंह–

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायगा जो किरन पाल जी बोल रहे हैं ।

श्री राम शरण दास–

यही कह दीजिये कि कल ले लेंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप कल ले लीजिये ।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

कल नोटिस लिखकर दोबारा दे दीजिये । आप लिखकर फिर भेज दीजियेगा ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी को पुकारे जाने पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, अगर आप अनुमति दें, तो मान्यवर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपका निर्णय ही कभी कुछ होता है और कभी कुछ होता है, इस तरह से आपने सदन का बहुत समय बर्बाद कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

समय मैं नहीं बर्बाद करता हूं, समय तो आप बरबाद करते हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आप दो-दो मिनट तक इन दोनों माननीय विधायकों को सुन लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

आप यही कह दें कि इसे कल ले लेंगे, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने तो कह दिया कि इसे आप कल पुनः लिखकर दे दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी पीठ पर किसी तरह का आक्षेप नहीं करता, लेकिन मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि कभी-कभी सदन में अव्यवस्था आपके आसन के निर्णयों के कारण पैदा हो जाती है । आज आपने नियम 56 के अंतर्गत काम रोको प्रस्तावों को सुनने के बाद अन्त में यह कह दिया था कि बाकी की सूचनाएं निरस्त कर दी गयी हैं । उसके बाद आपको नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए था और फिर उन पर पुनर्विचार का निर्देश नहीं देना चाहिए था। लेकिन जब लोग वेल में गये, तब आपने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना स्वीकार कर लिया और सबको सुनने का निश्चय किया । मेरा निवेदन है कि ऐसी ही बातों में सदन में अव्यवस्था फैलती है और इस मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है कि वेल में जाकर और दबाव की नीति का प्रयोग करके अपनी बात को कहा जा सकता है । मेरा अनुरोध है कि इस मनोवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और यह तभी सम्भव होगा जब हम सभी लोग नियमों का कड़ाई से पालन करें । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज आप बची हुई सूचनाओं को सुन लें और कल से नियमों का कड़ाई से पालन करें । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी मेरी इस बात का समर्थन करें और इसके बाद दोनों ही पक्षों के लोग यह निश्चय करें कि कल से नियमानुसार ही सदन चलेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले के प्रति नर्मी नहीं बरती जायगी । आज मैं सुबह से ही देख रहा हूं कि जरा-जरा सी बात पर

सदन अव्यवस्थित हो जाता था । अगर कोई सदस्य कोई आरोप लगाता है, तो उस पर उत्तेजित होने के बजाय और सदन को स्थगित करने के बजाय हमें नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की मांग करनी चाहिए । हमारे नियमों में सदस्यता से निष्कासित करने तक की व्यवस्था है । आज जिस तरह से अव्यवस्था के कारण पहले आधे घंटे के लिए बाद में 15 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया, उतने में अगर आपने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहते थे, तो सबको आसानी से सुन सकते थे और सूखे पर चर्चा भी शुरु हो सकती थी । लेकिन अगर आपके आसन से ही नियमों का पालन न होगा, तो इस पक्ष और उस पक्ष के लोग मिल कर भी सदन को व्यवस्थित नहीं रख सकेंगे । इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर आप बचे हुए लोगों को भी दो-दो मिनट सुन लें और कल से नियमों का कड़ाई से पालन करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, तिवारी जी ने जो बात कही है मैं शतप्रतिशत उसका समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि इस सदन को संचालित करने के लिए और आर्डर बनाये रखने के लिए यह जरूरी है कि हम नियमों में बंधे रहें जैसा तिवारी जी ने कहा है । मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो तिवारी जी ने बात कही कि जब आपने अपना निर्णय रिवाइस किया है और जो प्रक्रिया थी एक-एक मिनट लोग बोल ले उसके बाद सदन का कार्य चले । लेकिन तिवारी जी ने जो बात कही है मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा । आज हम लोग इसको निश्चित करें कि कल से सदन की कार्यवाही जो नियम है उसके अनुसार चलायी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (क्रमागत)

समय 5.35

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के 22 लाख दस्तकार और बुनकरों की चर्चा करने के लिए जो भुखमरी का शिकार हैं, खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस समय चाहे सीतापुर हो, फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, मुबारकपुर, टांडा और इटावा आदि के बुनकरों की हालत बिल्कुल बद से बद्तर होती चली जा रही और मुझे यह कहते हुए झिझक का एहसास नहीं हो रहा है कि वह दस्तकार, वही बुनकर हैं जिनके हाथों में कूटकूटकर दस्तकारी भरी हुई है वह लोग आज ईंट पत्थर तोड़ने के लिए सड़क के किनारे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती है । इस मुल्क में आजादी के पहले उनके अगूंठे कटवाये गये थे अंग्रेजों के द्वारा और आज सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण उनका पेट काट रखा है । मैं मान्यवर, 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं आज रेशम जो बाहर से आता था, सरकार ने मंगाना बन्द कर दिया जिससे मुबारकपुर और वाराणसी में काम होता था, उसमें इतनी बेरोजगारी और तबाही पैदा हो गयी है जिनके दाम बढ़ गये हैं । मान्यवर,

3 महीने के अन्दर 40 प्रतिशत रेशम के दाम बढ़ गये हैं उसकी वजह है कि सरकार ने बाहर से नहीं मंगाया है । मान्यवर, जहां-जहां पर बुनकरों की तादाद ज्यादा थी वहां पर स्पिनिंग मिल बनायी गयी थी और यह भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी मिलें बनी हुई हैं, वह सरप्लस माल तैयार करती हैं जरूरत से ज्यादा लेकिन इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूती धागे को विदेश में इक्सपोर्ट कर दिया है बेच दिया है और उस इक्सपोर्ट के कारण बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है और मंहगा हो गया है यह इनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है । जिसके कारण 40 प्रतिशत दाम बढ़े हैं । जरी इनके निमत्रण में है जो तागे के ऊपर और साड़ी के ऊपर इस्तेमाल होता है उसके दाम तीन महीने में 80 प्रतिशत बढ़े हैं यानि 100 का 180 हो गया है ।

मान्यवर, सीतापुर के अन्दर जो वसूलयावी हो रही है बुनकरों को कर्जा दिया गया था वह 7 सालों के लिए दिया गया था उसके किस्तों में वसूलना था लेकिन सारे बुनकरों को नोटिस दे दी गयी है, सारे बुनकरों को बेइज्जत कर जेल भेजा जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि बुनकरों की हालत इससे ज्यादा खराब और नहीं हो सकती इससे ज्यादा बेरोजगारी नहीं हो सकती। आज प्रदेश में 22 लाख बुनकर हैं वह लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। रेशम को बाहर से आना चाहिए था वह प्रदेश की सरकार को मांगना चाहिए था। जहां पर सूती मिलें लगायी गयी हैं और जिस मकसद के लिए लगायी गयी है वह पूरा नहीं हुआ उनको सप्लाई दी जाय ताकि बुनकरों को कच्चा माल मिल सके जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सूत के दाम नहीं गिरेंगे। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है तो वह बुनकरों की है उनके बच्चे न पढ़ाई की फीस दे पा रहे हैं और न वह अपने कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं पुरजोर अपील के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि बाहर से मंगाकर रेशम की व्यवस्था करें, सूत की व्यवस्था करें और कच्चे माल के दामों में कमी की जाय और सीतापुर में जो उत्पीड़न किया जा रहा है, और जगहों पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, एक मुश्त पैसा लेने का कोई अचित्य नहीं है । सात साल में किश्तों में वसूली की जाय । इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न पर कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जावे ।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मा0 उपाध्यक्ष जी, हमारे जनपद इटावा में हजारों की संख्या में बुनकर भूखे मरने की स्थिति में आ गये हैं क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण सूत के दामों में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण कारोबार ठप हो गया है । इसलिये मैं चाहूंगा कि और आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इन पर गलत तरीके से जो वसूली की जा रही है, उसको रोका जाय और किश्तों में पैसे की वसूली की जाय । इसी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि उस पर जो ब्याज लगाया जा रहा है, इस समय मंहगाई के कारण बुनकर भूखों मरने की स्थिति में आ गया है, इसलिये ब्याज समाप्त किया जाय और इस पर चर्चा कराई जाय। यह मेरा निवेदन है।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने नियम 56 के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, प्रदेश में जिस तरह से नव विवाहिता स्त्रियों की जो गला दबाकर या आग लगा कर हत्या की जा रही है, इससे जन मानस में चिंता व्याप्त हो गयी है। इन हत्याओं में दिनों दिन बढ़ोत्तरी हो रही है। जहां वर्ष 1984 में इस तरह की दो दिन में एक हत्या होती थी, वहीं अब सन् 1987 में प्रतिदिन दो निरीह अबलाएं जलाई जा रही हैं। दहेज दानव के नाम पर उनको मार दिया जाता है, शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। कानूनों की शिथिलता के कारण हत्यारे कानून की परिधि से निकल जाते हैं और उनका बाल बांका नहीं होता। इसमें जो प्रक्रिया है कि पुलिस उपाधीक्षक को जांच करनी होती है, इतने वरीष्ठ अधिकारी होने के कारण उनके पास समय नहीं होता है कि छान-बीन करें। कन्या पक्ष के लोगों को पैरवी में जो प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। स्थिति यह है कि 1984 में जहां 182 हत्यायें हुई थी, 1985 में 364 हत्यायें हुई और आज 31 दिसम्बर, 1987 तक इस साल 765 हत्याएं इस प्रदेश में हुई हैं। इस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और बड़ी शर्मनाक स्थिति बनी हुयी है। दिनांक 28-11-1987 को रात्रि में लगभग 9.30 बजे रेणुसागर पावर कम्पनी लि0 के क्रय अधिकारी श्री सियाराम मिश्र की पुत्रवधू श्रीमती साधना मिश्र, जो कि लगभग 18-19 वर्ष की थी, को अपने ही आवास में जलाकर मार डाला गया। पास पड़ोस के लोग दुर्गन्ध और धुंवा देखकर जबर्दस्ती श्री मिश्र के निवास में घुसे और वहां से निर्वस्त्र जली हुई श्रीमती साधना मिश्र को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में श्रीमती साधना मिश्र की मृत्यु हो गयी। उस समय उसके ससुर का कहना था कि स्टोव से जल गयी, लेकिन वहां देखा गया कि न ही कोई स्टोप था। वहां पर 10 हजार महिलाओं ने प्रदर्शन किया वहां के 10 हजार नागरिकों के हस्ताक्षर से एक ज्ञापन मेरे पास आया है, मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को गया है, लेकिन अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसी प्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती रजनी टण्डन को भी मार दिया गया, लेकिन सरकार चुप्पी साधे रहती है। मैं चाहता हूं कि इस सामाजिक समस्या की ओर गम्भीरतापूर्वक सत्ता पक्ष के लोग विचार करें और ऐसे प्रभावी कदम उठावें कि ऐसा कानून बनावें कि इस प्रकार की हत्याओं को रोका जा सके। शासन इस पर गम्भीरता से कार्यवाही करे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि यह सदन . , .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, नियम 56 के द्वारा जो मेरी सूचना है वह आगरा की एक अत्यन्त हृदय विदारक घटना है । पिछली 15 दिसम्बर को आगरा में किरावली से 3 किलोमीटर दूर कागराल मार्ग पर स्थित ईंट के भट्ठे पर कार्य करने वाले मजदूरों के साथ जो घटना घटी उससे उत्तर प्रदेश के सभी हरिजनों को ठेस पहुंची है। मान्यवर, 15 दिसम्बर की रात को इस भट्ठे पर 25 बदमाश हथियारों से लैस होकर पहुंचे।

वहां पर मान्यवर, हरिजन मजदूरों को एक कोठरी में बन्द कर दिया गया और उनकी एक दर्जन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर उनके छोटे छोटे बच्चों की गर्दन पर चाकू रखकर महिलाओं से बलात्कार किया गया।

श्री राम सजीवन–

मान्यवर, मेरा जो सवाल था, उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, अगले दिन सुबह 16 दिसम्बर को थाना फतेहपुर में हरिजन लोग रोते बिलखते गये । वहां के थानाध्यक्ष ने उनकी रिपोर्ट को लिखने से मना कर दिया । भट्ठा मालिक की सिफारिश से उन हरिजनों की जो रिपोर्ट दर्ज हुई, वह केवल चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई। बलात्कार की रिपोर्ट और लूटपाट की रिपोर्ट वहां पर दर्ज नहीं की गयी । पुलिस उन्हें आतंकित कर रही है । तथा उनसे हलफनामा लेना चाहती है कि कोई घटना नहीं हुई पुलिस इस मामले पर पर्दा डालना चाहती है वहां के हरिजनों को यह डर हो गया है कि कहीं पुलिस उन्हें किसी उल्टे केस में न फंसा दे। वहां यह गम्भीर स्थिति विद्यमान है, हरिजन पूरी तरह से आतंकित है, यह हम सब लोगों के लिए शर्मनाक बात है, इस शासन के लिए यह घटना एक कलंक है। मान्यवर, यह बहुत अहम सवाल है, इस पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर अविलम्ब चर्चा करायी जाय ।

श्री राम सजीवन–

मान्यवर, मेरे विषय पर क्या निर्णय हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य के लिए स्वीकार हो गया।

श्री दीपक कुमार–

मान्यवर, मैंने जो विषय उठाया है उससे गम्भीर दूसरा कोई विषय नहीं हो सकता इसको अविलम्ब स्वीकार कर सदन में चर्चा करायी जाय।

श्री राम सजीवन–

वक्तव्य की कौन सी तिथि निर्धारित की है?

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा स्वीकार की है आपकी।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में प्राथमिक शिक्षकों के निमित्त 300 पद फ्रीज पड़े हुए हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य का नितान्त अभाव है। इसके अतिरिक्त वहां 180 नये पदों के सृजन की आवश्यकता है। इस प्रकार छात्रों की संख्या के अनुपात में 480 शिक्षक कम हैं। कक्षाओं में पढ़ाने के लिये किसी किसी स्कूल में जो प्राथमिक शिक्षक हैं और कहीं पर एक एक हैं। एक शिक्षक द्वारा एक साथ 5 कक्षाओं को पढ़ाना असम्भव है। शिक्षा विभाग के उस संभाग के जो अधिकारी हैं व जिले के अधिकारी हैं, वह इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर चुके हैं। परन्तु, अभी तक शासन ने नये पदों का सृजन नहीं किया और जो फ्रीज पद थे उन्हें ही अवमुक्त न करने से उनको भी नहीं भरा जा रहा है, इससे वहां की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में एक गतिरोध सा उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि सरकार ध्यान देकर जो वहां पर शिक्षकों का अभाव है उसकी शीघ्र पूर्ति करा दी जाय ताकि शिक्षण कार्य भली प्रकार हो सके और छात्रों को असुविधा न हो।

श्री राम सजीवन–

मान्यवर, चर्चा जो आपने बताया कि मेरे वाले विषय में स्वीकार हुई है, वह किस तारीख को होगी?

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा का दिन और समय कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी।

श्री राम सजीवन–

मान्यवर, बांदा में हरिजनों पर सामूहिक हमला किया गया, उनका सामूहिक कत्ल किया गया। हरिजनों का सामूहिक नरसंहार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बता दिया है कि आपके विषय पर चर्चा स्वीकार हो गयी है। कार्य मंत्रणा में वह जायेगा वहां टाइम निश्चित हो जायेगा।

श्री मैसेजर सिंह–

मान्यवर, राम सजीवन जी के विषय पर जो आपने वक्तव्य या चर्चा स्वीकार की है, उसे मंगलवार के लिए निश्चित कर दीजिये।

*श्री चन्द्रभान मौर्य–

मान्यवर, हमारे यहां पानी का स्तर 20 फीट से 30 फीट तक नीचे चला गया है, इसके कारण ग्रामीण जीवन के सामने पानी की भारी समस्या पैदा हो गयी है। कुओं का पानी सूख गया है, हैण्ड पम्प बेकार पड़े हैं। यदि गांवों की पेयजल समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन ग्रामवासियों के लिए पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा। मान्यवर, यह सरकार शहरों और देहातों में फर्क मानती है। शहरों में ज्यादा बिजली दी जाती है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबकि गांवों में कम बिजली दी जाती है, अगर इसी तरह से पानी के संबंध में भी पक्षपात होगा, तो मान्यवर, गांवों के लोगों के सामने पानी की बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी और आने वाले समय में देहात का आदमी पानी के लिए तरसेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार वहां की पेयजल समस्या पर तुरन्त ध्यान दे।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता है।

समय–5.40

मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस अध्यादेश को पुटअप किया है, उसमें नगरपालिकाओं, नगरमहापालिकाओं, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया के प्रशासकों का शासनकाल बढ़ाने का फिर से समय मांगा गया है। श्रीमन् यह लोकल बाडीज जो हैं, वह लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। मान्यवर, सन् 1972 से इसके चुनाव आज तक यह सरकार नहीं करा पाई है और बार-बार कोई न कोई बहाना लेकर चुनाव टालने की प्रक्रिया सरकार निरन्तर करती चली आ रही है। श्रीमन् पहले सरकार ने कहा, समय बढ़ाने के बारे में कि अभी वार्डों का पुनर्गठन नहीं हुआ है और मतदाता सूचियां अभी तैयार नहीं हैं। मान्यवर, अब तो वार्डों का पुनर्गठन भी हो गया है और मतदाता सूचियां भी तैयार हो गयी हैं और उनका प्रकाशन भी हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार प्रशासकों का शासनकाल बढ़ाना चाहती है। सरकार ने यह भी कहा था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। श्रीमन् कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जनता की नहीं है, प्रदेश सरकार की है और प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था अच्छी न होने की स्थिति में चुनाव नहीं करा सकती है, लेकिन प्रशासकों का शासनकाल बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। तो ऐसी सरकार को एक दिन भी रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था का ठीक न होना लोगों में प्रचारित किया जाता हो, उस प्रदेश में मुख्य मंत्री के लिए यह बड़े शर्म की बात है और गृह मंत्री जी के लिए भी यह बड़े ही शर्म की बात है। मान्यवर, यह इस तरह की ओट लेकर चुनाव की प्रक्रिया को टालने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन् मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज सबेरे प्रश्न आया था कि बलिया नगरपालिका में सीवरेज की व्यवस्था करने के लिए। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने बलिया जाकर जो घोषणा की है कि उन्होंने 50 लाख रुपये दिये हैं सीवरेज बनाने के लिए, उसकी हमको जानकारी नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो बलिया में कहा, उसकी न्यूज रेडियो पर आई लेकिन मंत्री जी को पता नहीं चल सका। ऐसा हो सकता है कि सूचना विभाग के अधिकारी ने उस सूचना को संकलित करके प्रदेश के उस विभाग के पास और मंत्री के पास न भेजा हो, तो ऐसे सूचना अधिकारी को आप वहां से हटा दीजिये। जहां आपकी बात को झुठलाने वाला

मंत्री हो, आप अपने मंत्रिमंडल से ऐसे मंत्री को भी हटा दीजिये। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिये चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं। जो भी रुपया अनुदान के रूप में इन नगरपालिकाओं व टाउन एरियाज को दिया जाता है, उस मद से कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य के चुनावी खर्चे के लिए कमीशन लेती है अधिकारियों से, इसलिए यह सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। यदि इन नगरपालिकाओं व टाउन एरियाज का प्रशासन जन प्रतिनिधियों के हाथ में चला जायेगा तो इन्हें भय है कि कहीं विरोधी दल का कोई आदमी न आ जाय और जो कमीशन हम ले सकते थे, वह हमको नहीं मिल पायेगा। इसलिए मेरी मांग है कि इसमें समय न बढ़ाया जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी आज ही घोषणा करें कि इसके चुनाव आज ही कराये जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, संशोधन के रूप में जो संकल्प रखा गया है, उसी के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस विधेयक की साफ मनशा है वह यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जनतांत्रिक प्रणाली के लिए जितनी भी आवश्यक संस्थायें हैं, उनको तहस-नहस कर रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय मंत्री जी विचार हेतु प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। माननीय श्री बरार जी को इस पर संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने दीजिये। बाद में आपको समय दे दिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, शायद मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रस्तुत कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (क्रमागत)

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस विधेयक के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की राय जानने के लिए 31 मार्च, 1988 तक परिचालित किया जाय।

श्रीमन्, मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि पिछले 14, 15, 17 साल से विभिन्न नगरपालिकायें ठप्प पड़ी हैं, उनके चुनाव नहीं हुए हैं, वहां के नागरिक क्या महसूस करते हैं उसकी जानकारी सदन को हो जाय। सरकार को तो उन नागरिकों की दुख तकलीफ और परेशानी की जानकारी है नहीं कि किस परेशानी में वहां के नागरिक जी रहे हैं। इसलिए उनकी राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाय।

मैं आपके माध्यम से अपने इधर के लोगों का विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आजाद होने से पहले इस हिन्दुस्तान की जनता ने स्वायत्त शासन का अधिकार 1873 के आसपास में अंग्रेजों से छीना था और तब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। मेरी समझ में नहीं आता है कि वह अधिकार जिसे जनता ने स्वयं छीना था, उसे वह कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ी थी, आज उनके उत्तराधिकारी क्यों उन अधिकारों को पांव के तले रौंदने के लिए कटिबद्ध है। लोकतंत्र में जिसका विश्वास न रहा हो . . .

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है। उसी पार्टी के सदस्य जिस पार्टी की सरकार हो, क्या वह किसी सरकारी बिल पर उस पार्टी के सदस्य होते हुए भी किसी प्रकार से संशोधन रख सकते हैं और क्या वह उस बिल के पक्ष में अपना वोट डालेंगे या जो संशोधन रखेंगे उसके पक्ष में वोट डालेंगे? यह मैं जानता हूं कि हर सदस्य को अपने विचार रखने का अधिकार है। इसीलिए मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मित्र गुफरान साहब को बुद्धि का अपच हो गया है। हमारे नियमों में, विधान में, नियमावली में कहीं कोई बंधन नहीं है कि कोई मा0 सदस्य प्रस्ताव पेश नहीं कर सकता है। मैं बधाई देता हूं माननीय बरार साहब को कि उन्होंने कांग्रेस की नीतियों का परदाफाश करने के लिए एक संकल्प प्रस्तुत किया है।

(विरोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गयी)

इसके लिए श्री बरार साहब बधाई के पात्र हैं। संविधान में नियमों में कहीं कोई प्राविधान ऐसा नहीं है जो बरार साहब को रोक सके।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है, व्यवस्था का नहीं उठाया है। मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है। अगर नियमों का, संविधान का सवाल होता तो व्यवस्था के प्रश्न की बात करता। मैंने औचित्य के प्रश्न को उठाते हुए कहा, सरकार चाहे किसी पक्ष की हो, कि क्या वह "व्हिप" के जारी होने के बाद संशोधन प्रस्तुत करेंगे और बिल के खिलाफ अपनी राय देंगे? अगर वह "व्हिप" के जारी होने के बाद भी बिल के खिलाफ अपना वोट डालते हैं, तो कोई बाधा नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जाहिदी साहब, आप बैठें। सदन में शांति बनाये रखें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष–

एक याचिका का प्रश्न जाहिदी साहब ने उठाया है । सदन में सभी विधायक हैं और सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन पार्टी की सोचना तो पार्टी का काम है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी आपने देखा कि सरकार द्वारा लोक तंत्र को बचाने की बात की जाती है और अपने सदस्यों के खिलाफ पार्टी की धमकी इसी सदन में दी जाती है । अगर यह बिल पार्टी की बैठक में आया होता और इस पर विचार हुआ होता तो एक प्रतिशत विधायक भी इसका सपोर्ट न करते, लेकिन शर्म की बात है कि इस विधेयक पर कोई विचार नहीं हुआ । यह लोकतंत्र के अधिकारों की बात करते हैं, मुझे तो बिना नोटिस निलम्बित कर रखा है । श्रीमन् अगर कोई लोकतंत्र विरोधी कदम उठाया जाता है तो यह लज्जा की बात है । हमारे माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, तो शासन को लज्जा आनी चाहिये । लज्जा तो वैसे ही नारी का सर्वोत्तम आभूषण है पर खेद है कि इस काले विधेयक को प्रस्तुत करते हुए उन्हें

(व्यवधान)

लज्जा नहीं आई । मान्यवर, आपने लालबत्ती जला दी है, आप उसको बन्द कर दें । मेरा समय बहुत सारा व्यवधान में निकल गया । आज उत्तर प्रदेश में नगर पालिकायें हैं, नगर महापालिकायें हैं । जिस प्रकार से मुगलों के जमाने में मनसबदार होते थे, कोई दस हजारी कोई बीस हजारी उसी प्रकार से एक करोड़ी और 1 करोड़ी नगर-पालिकायें हैं, तो यह स्थिति हो गयी है कोई प्रशासक 10 करोड़ी कमाकर मंत्रियों को दे रहा है कोई एक करोड़ सीवर लाइन जो है, वह भी फटी है । जलकल विभाग जो है, वह पीने के पानी की सप्लाई नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी पाइप लाइन भी फटी है और सीवर लाइने पीने का पानी सप्लाई करती हैं । नागरिक उस पानी को पीने को मजबूर हैं । इस सरकार की प्रशासकों की मेहरबानी से 10 हजार जन प्रतिनिधि

(व्यवधान)

नगरपालिकाओं में बैठकर उन समस्याओं को हल करते, लेकिन यह उनको लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते हैं । और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । लगभग दो करोड़ जनता नागरिक क्षेत्र में निवास करती है और उनकी भावनाओं की ठेस पहुंचाई जा रही है उनकी, राय भी नहीं ली जा रही रही है । इससे निन्दनीय और क्या बात हो सकती है । इसलिये मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को उनकी राय जानने के परिचालित किया जाये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । श्रीमन्, जैसा कि माननीय बरार जी ने कहा और मैंने भी पहले कहा कि चुनाव न कराना और अपने चुनाव फण्ड के कोष को बड़ा करना है इस सरकार की नीयत है । मान्यवर, पिछली बार जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तो उस वक्त माननीय सदस्य श्री मनोहर लाल जी मैले पानी का एक नमूना लाये थे । जनता को मल

मिश्रित पानी पीने के लिये सप्लाई किया गया था । इसी प्रकार बनारस से माननीय शतरुद्र प्रकाश जी भी मल-मिश्रित पानी का सम्मिश्रण लाकर उन्होंने उसे पटल पर रखा था । इतना ही नहीं, माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी फैजाबाद से पानी का नमूना लाये थे जिसमें टोंटी में से सांप निकला था और सांप पानी की बाल्टी में गिरा था, वह पानी मान्यवर, आपकी मेज पर रखा गया था । इस प्रकार यह सरकार जनता को मल प्रदूषित जल पिलाने का काम कर रही है, इस प्रदेश की जनता को सांप के जहरीले पानी को पिलाने का काम कर रही है तो यह सरकार जनहित के लिये क्या काम कर सकती है । जो सरकार जनता की हितैसी नहीं हो सकती है वह सरकार इस्तीफा देकर तुरन्त चुनाव का एलान करे । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो लोकतांत्रिक संस्थायें हैं उनको तोड़ने का काम यह कांग्रेस पार्टी कर रही है । मान्यवर, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों ने यह निश्चय किया कि अगर लोकतंत्र कायम करना है और उसे मजबूत करना है तो हमें अपने राज को चार खम्भों के ऊपर आधारित करना होगा-जिला, नगर, सूबा और केन्द्र । मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने न सिर्फ जिला एवं नगर की संस्थायें ही खतम की हैं बल्कि सूबे की जो मर्यादायें थीं उनको भी भंग किया है । मान्यवर, इस समय जो लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में चलाई जा रही है, वह सिर्फ दिल्ली से ही चल रही है सूबे से नहीं चल रही है । सूबे की सरकार भी पूरे तरीके से केन्द्र पर निर्भर है। बजट सेशन आयेगा उस समय आप देखेंगे कि सारे कार्यकलाप केन्द्र के इशारे पर ही होंगे । मुख्य मंत्री का चुनाव वहां के इशारे पर होता है, यहां के सदस्य जो कुछ शोर मचाने वाले भी हैं, वे बेचारे भी कोई दखल नहीं दे सकते हैं । तो मान्यवर, यह कांग्रेस पार्टी की सुनिश्चित नीति है कि अपने देश में इस तरह से लोक तंत्र खतम करें । मान्यवर, नगरपालिकाओं का चुनाव न कराना, जनता को रोजी-रोटी देने में असमर्थता प्रकट करना, गन्दा पानी सप्लाई करना, जैसा कि बरार साहब ने कहा है कि ये नगरपालिकायें आज चारागाह बनी हुई हैं । जितनी म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज हैं वे चाहे जिलाधिकारी हों या एस0 डी0 एम0 हों, उनकी चारागाह बनी हुई है । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सत्य है कि जो भी लोग इन नगरपालिकाओं में बैठे हुये हैं वहां चारों तरफ लूट मची हुई है जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । मान्यवर, अगर सरकार चाहती है कि यहां पर लोकतंत्र कायम हो, यहां पर चुनाव हो जाय तो इस विधेयक की क्या आवश्यकता थी ? क्यों चुनाव नहीं कराती । इतना ही नहीं, लोकतंत्र की और भी संस्थायें हैं । हाई-कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है उनकी अवहेलना भी यह सरकार करती इसी चुनाव के बारे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 दिसम्बर तक चुनाव करा दिये जायें लेकिन यह सरकार उस आदेश को भी पालन नहीं करती है और टाल-मटोल करती चली जा रही है और फिर इस सदन से मुहर लगाना चाहती है । मान्यवर, मैं बल देता हूं कि इस विधेयक को न पारित किया जाये और प्रस्तुत संशोधन को पास किया जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही छोटा सा यह बिल है और कल संसदीय कार्य मंत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो एतराज पैदा हुए थे उनको बताया था । मैं श्री बरार जी को बहुत ही बहादुर समझता हूं, 7-8 वर्षों तक यहां रहे तो ऐसा रिवल्यूशन नही किया और उन्होंने आज फेयर फेक्स में एक स्टोरी और जोड़ दिया । मुझे ताज्जुब है कि जब आप इस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेन्ट करते थे तो ऐसे कई बार संशोधन पेश हुए तो उस समय आपने क्यों नही कहा जबकि यह चीज उस समय आप कह सकते थे, जब मौकव था लेकिन जब वह बात समाप्त हो गयी तो एक [xx] बात करते हैं जिसका कोई बेस नही है ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) क्या [xx] किसी सदस्य के भाषण के लिये कहा जा सकता है, क्या यह अशोभनीय नहीं है । (व्यवधान) [xx] शब्द को कार्यवाही से निकाल दें चूंकि यह असंसदीय शब्द है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि असंसदीय शब्द है तो कार्यवाही देखकर उसको निकलवा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, वहां मारेल करेज नही है, जो पहले कह सकते थे वह नही कहा और आज जब कोई औचित्य नही था तो कहा, इसलिये यह [xx] है । (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस शब्द के बारे में आपने रूलिंग रिजर्व कर दिया उसको वह कैसे दोहरा रहे हैं ।

(व्यवधान)

नियमों में यह व्यवस्था है कि जो विषय विचाराधीन हो . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, यहां इतना शोर होता है। मुझे सुनाई पड़ जाए तभी तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री लाल प्रताप सिंह–

यह टच-स्टोन है, यही यहां पर टेस्टिंग प्वाइन्ट है, क्या यह उस संशोधन के पक्ष में अपना मत यहां देंगे। यह आपके मारेल करेज और गरिमा का टेस्ट है। जो आप कह रहे हैं उसी पर कायम रहें और उसके पक्ष में मत दें। अब जो राम गोविन्द जी ने कहा है, उस पर कहना चाहता हूं कि . . . (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन को दल के अंदर के मामले का मंच नहीं बनाना चाहिए, कल यह संसदीय कार्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन आज यहां पर कांग्रेस

नोट :–[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पार्टी के लोग अपनी पार्टी के अन्दरूनी मामले को सदन में उछाल रहे हैं, इसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। वह दल में हैं या नहीं हैं, यह सदन का विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

कल आपने कहा आज यह कह रहे हैं। यह आपका मामला है, मैं इसमें नहीं बोलता।

श्री लाल प्रताप सिंह–

क्या संशोधन के पक्ष में आप वोट देंगे, इसको मैं बार-बार इनसे दोहरा कर कह रहा हूं।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, सदन में यह बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है, जो खान गुफरान जाहिदी और अभी लाल प्रताप सिंह जी ने कहा है, यह औचित्य का मामला है, जो यह संशोधन रखा गया है, क्या इसके पक्ष में यह वोट करेंगे? या नहीं करेंगे? इस पर आप इनसे स्पष्टीकरण मांग लीजिये। यह तो इनके दोहरे मानदण्ड की जिन्दा मिसाल मिल गई है। इनसे पूछ लीजिये कि यह क्या आचरण पेश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं नहीं पूछ सकता हूं। वोटिंग के समय यह तो मालूम होगा। लाल प्रताप जी आप आसन ग्रहण करें। . . . (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

इस तरह से कथनी और करनी में खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है कि मैं जवाब दूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य लाल प्रताप जी बोल चुके थे, उन्होंने अपनी बात को समाप्त कर लिया था और आपने सत्य प्रकाश विकल जी को बुला भी लिया था। क्या यह बहस इतनी आवश्यक है कि अपने विचार रखने के बाद और दूसरे सदस्य को बुला लेने के बाद भी आप उसको पुनः पुनः मौका देंगे। अभी तिवारी जी ने आपसे अनुरोध किया था कि आप नियमों का कड़ाई से पालन करें।

श्री उपाध्यक्ष–

यह ठीक है कि मैंने बुला लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आधा मिनट और चाहिए तो मैंने उन्हें समय दिया। यह मेरा अधिकार है, यह हमारे अधिकार में है कि बुलाने के बाद भी मैं किसी को समय दे सकता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

लेकिन आप नियमों का कड़ाई से पालन करें।

श्री उपाध्यक्ष–

जब सभी कड़ाई से पालन करें तभी यह हो सकता है। आप मुझको भी चैलेंज करेंगे तो इस तरह काम नहीं चलेगा मैंने आधा मिनट दे दिया तो क्या हो गया मुझे अधिकार था तो दे दिया।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न अब मैं नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निर्णय में आवश्यकतानुसार कभी आगे जाना पड़ता है कभी पीछे जाना पड़ता है तो बहुत से साम्प्रदायिक दल ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, ऐसा माहौल बना देते हैं (घोर व्यवधान)

कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि चुनाव हो जायेंगे यह हमारा कर्तव्य है यह सरकार, पूरी पार्टी, लोकतन्त्र में विश्वास करती है यह चुनाव करायेगी।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। आपको इसमें निर्देश देने चाहिए . . (व्यवधान) कि माननीय सदस्य रैलीवेंट टू द पाइंट बोलें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा आप बैठ जाएं। आप दूसरों की बात भी सुनने दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आपने कहा था कि लाल प्रताप सिंह जी के बाद मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने विकल जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

सदन में मान्यवर, एक गम्भीर विषय पर विचार हो रहा है, लेकिन जिस हल्के फुल्के ढंग से यह हो रहा है यह गलत है (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि, सामने बैठे माननीय सदस्यों में से अनेक मेरे कुछ मित्र साथी भी हैं जो अपनी निजी बातों में मुझसे कहते हैं, मान्यवर वह कहते हैं कि जब हम शहरों में गलियों में निकलते हैं तो लोग हमारे कपड़े पकड़ कर खींचते हैं कि यह क्या हालत है सड़कों पर कूड़े के ढेर पड़े हैं चारों ओर गंदगी है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि

लोकतन्त्र की प्रहरी, लोकतन्त्र की रक्षक और लोकतन्त्र की अलम्बरदार कहलाने वाली सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव टालते-टालते जिस तरह से छः महीने का समय और प्रशासकों का बढ़ाया है वह एक निकृष्ट उदाहरण है। (व्यवधान) घिनौना कृत्य है। स्थानीय निकायों के चुनाव न होने से पूरे प्रदेश में कितनी बेचैनी है और सड़क सफाई की समस्यायें कितनी ऊपर आ चुकी हैं इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी विधान सभा के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आज से 12 दिन पहले इसी मंडप में माननीय प्रधान मंत्री ने अपने उद्बोधन तक में यह कहा (व्यवधान) कि लोग सड़क, पटड़ी, खड़ंजे और सफाई की बात ज्यादा करते हैं (व्यवधान) लेकिन बहस कुछ ऊंची बातों और उच्च स्तर की भी होनी चाहिए। प्रधान मंत्री द्वारा किये गये इस उल्लेख से ही यह स्पष्ट है कि आज लोगों ने दिमाग में सूखे, महंगाई और बेरोजगारी से भी ऊपर ये समस्या है। सड़क, सफाई और गंदगी की। मान्यवर यह बहुत बड़ी समस्या है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज भीषण गंदगी की पूरे प्रदेश में हालत यह है कि लोग इस तरह से भी जीते हैं कि एक तरफ पाखाना पड़ा रहता है और दूसरी तरफ वहां बैठकर वह खाना खाते हैं।

(व्यवधान)

इस प्रकार की नारकीय जिन्दगी लोग जी रहे हैं। प्रशासकों के कार्यकाल में और अफसरशाही के कार्यकाल में 15 साल से इस सूबे के लोग उनके शिकंजे में पड़े कराह रहे हैं। नागरिक सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है और नगरपालिकाएं लूट के अड्डे बन चुके हैं। मुख्य मंत्री जी ने मंडलों की बैठकों में जगह जगह केवल वायदे ही किये हैं। अभी आगरा में एक हैराज बनाने की घोषणा की गयी लेकिन राज्य मंत्री जी कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी ही नहीं है। कभी पूरे न होने वाले इन वायदों के बारे में आज आगरा में लोग मजाक में कहते हैं कि अब मुख्य मंत्री जी जब आयेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि "क्या हुआ तेरा वादा वह कसम वह इरादा", तो वह भी फिल्मी अंदाज में कहेंगे "कसमें वादे प्यार वफा सब ये बातें हैं बातों का क्या"। तो क्या इस प्रकार के वायदों से प्रदेश चलेगा। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, राज्य मंत्री जी आज ही सदन में स्पष्ट घोषणा करें कि मार्च, 88 तक स्थानीय निकायों के चुनाव करा दिये जायेंगे। अगर सरकार की लोकतंत्र में आस्था है, निष्ठा और विश्वास है तो स्पष्ट घोषणा करें कि अब तक टाले गये चुनाव मार्च, 88 तक निश्चित रूप से करा दिये जायेंगे और चुनाव कराकर प्रदेश की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार दे दिये जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने कृपा की और मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री राम शरण दास–

आपने किसे पुकारा ?

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मैं एक बात कहूंगी कि इस सदन में जब हम आये हैं तो हमने जनता के बीच में गम्भीरता की कसम ली है कि हम सदन में जाकर वहां काम करेंगे । लेकिन जब हम यहां पर आते हैं तो अधिक से अधिक समय कहने में बिताते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। खासतौर से हमारे शतरुद्र जी उनकी अदा भी अच्छी है और बोलना भी अच्छा आता है लेकिन कहने की नहीं सुनने की आदत डालें । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं, सन् 1977 से 80 तक के बीच के समय के कुछ नमूने मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं । उस समय चुनी हुई जिला परिषदों को जिनके अध्यक्ष भी बन गये थे, तो यह जो लोग चुनाव के पक्षधर बनते हैं इन्होंने उस चुनाव को समाप्त कर दिया और जिला परिषदों को भंग कर दिया । इसी तरह से इन्होंने चिकमंगलूर में जो चुनाव हुआ था तो पता नहीं क्या सोचकर उसको भी समाप्त कर दिया । यह काम इन्होंने अपने वक्त में किया है । लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। चुनाव होने चाहिए यह मैं मानती हूं लेकिन चुनाव काफी जिम्मेदारी से होने चाहिये । चुनाव से हम घबड़ाते नहीं हैं । चुनाव पर यह सरकार भरोसा रखती है। एक बात मैं और कहना चाहती हूं, महिला सदस्य का कोई प्रश्न नहीं है, सवाल यह नहीं है कि कौन महिला है या कौन पुरुष । जहां आप जीत कर आये हैं वहीं पर हम भी चुनाव जीत कर आये हैं, चुनाव का मुकाबला आपने किया है तो हमने भी किया है। यह बात और है कि हम जिस दल से आते हैं उस दल में बैठकर उसकी नीतियों के अनुसार काम करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस दल से जीत कर आते हैं उससे भाग जाते हैं, बदल हो जाते हैं उनकी कोई नीति नहीं होती । ऐसे काम हम करने के लिये तैयार नहीं हैं । जहां तक मान्यवर, चुनाव का प्रश्न है, चुनाव हम करायेंगे, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित साथियों से, कि जरूरत इस चीज की है कि कौन सा काम पहले है, चुनाव पहले है या जनता को राहत देने का प्रश्न ? इन दोनों प्रश्नों में से एक के लिए सोचना पड़ेगा । जिनको काम नहीं करना है, वह तो कहेंगे करो । मान्यवर, हमारे सामने करोड़ों-करोड़ों जनता की जिम्मेदारी है। चुनाव कराने से हम नहीं हटते हैं, लेकिन जनता को राहत देने का काम सर्वप्रथम है। इसलिए उसको पहले करना चाहिए ।

*श्री गोपाल दास यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी ने स्वायत्त शासन विधि से संशोधन का अनुमोदन किया है, उसका समर्थन करते हुए, लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय निकायों के चुनाव की मांग करता हूं । सत्ता पार्टी के पूर्वज प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी लोकतांत्रिक मान्यताओं में आस्था रखते थे और वह इलाहाबाद की नगर महापालिकाओं के चेयरमैन हुआ करते थे और जनता की मुख्य समस्या पानी और सफाई को प्राथमिकता दिया करते थे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उनके नाम पर जो रोजी खा रहे हैं उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति का गला घोंट दिया । आज वर्तमान नगर महापालिका ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चल रही है और ये नगर महापालिकायें सार्वजनिक निगमों की तरह निगम बन गयी हैं, जो जनता की सुविधाओं को ध्यान न रख कर अपना निजी लाभ उठा रहे हैं, आज गंदी गलियों में मैला बहा करता है और बच्चे आंगन समझकर गंदगियों में खेला करते हैं, जबकि हमें उन्हें खेलने का स्वच्छ उद्यान मुहइया करना चाहिए, वह नहीं कर पाते । आज जो नगरपालिका पानी पीने को दे रही है दूषित जल होता है, जिसको पीने से संक्रामक बिमारी जैसे जांडिस, गेस्टाइटिस आदि भयंकर रोग से पीड़ित हो जाते हैं । ये शुद्ध जल नहीं दे पा रहे हैं, केवल डींग मारते हैं, चारों ओर गंदगी है । आज 150 मलिन बस्तियां इलाहाबाद में ऐसी हैं जहां पर बिजली और पाइप लाइन नहीं है और ये प्रदेश के विकास की बात करते हैं । माननीय मंत्री उपाध्याय जी ने पिछले वर्ष यह विधेयक इस आशय से पेश किया था कि एक साल में चुनाव हो जायगा । आज तीन साल हो गये, लेकिन चुनाव नहीं करा पाये । [x x x] अतः जनहित में अध्यादेश को वापस लें और नगरपालिकाओं के चुनाव शीघ्र करायें जायं ।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन यदि सहमत हो तो इसके लिए समय और बढ़ा दिया जाय ?

(किसी माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं की।)

*श्री पूरन सिंह माहरा–

मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मैं बहन प्रेमवती तिवारी जी के कहे हुए का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह जनतंत्र की दुहाई देने वाले विरोधी पक्ष के लोग जो हम पर सत्ता का मद होने का आरोप लगा रहे हैं, जब सन् 77 में ये सत्ता में आये, तो इतने मदहोश थे कि सबसे पहले इन्होंने जनता द्वारा चुनी हुई जिला परिषद् को भंग किया । आज विपक्ष के ये हाल हैं कि सदन के बाहर जनता में सूखा-सूखा चिल्लाते हैं और सदन में सूखा पर चर्चा नहीं होने देते हैं। मान्यवर, हमने महाभारत में सिखण्डी होने की बात सुनी है, मैं आज सदन में प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि कई सिखण्डी विराजमान हैं, जो विधेयक के विपक्ष में बोलते हैं और मतदान विधेयक के पक्ष में देना चाहते हैं। वह हमारी चुनौतियां स्वीकार नहीं करते हैं । यह विपक्ष अपने द्वारा मारे गये सांप को हमारे गले में डाल कर जनतंत्र की दुहाई (इस समय 6 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) देना चाहते हैं। आज विपक्ष के रवैये को देख कर प्रदेश की तमाम जनता आंसू बहाकर यह कहने के लिए मजबूर हो गयी है, इस विपक्ष के लिये कि कहा गया है कि बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहां हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा । मान्यवर, मैं पुनः कांग्रेस पार्टी

नोट :–[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की नीति दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि हमारी यह लोकप्रिय सरकार और पार्टी निकट भविष्य में जैसे हमने सहकारिता के चुनाव कराये हैं, सारी जनतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव करायेंगे, इसका मैं भरोसा दिलाता हूं और पुनः आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर दिया ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी काफी देर से इस विधेयक पर चर्चा चल रही है और विधेयक पर जो संशोधन रखा गया उसमें दोनों तरफ से चर्चायें चल रही हैं । मान्यवर, प्रश्न इसके नहीं है कि यह टाइम बढ़ाया जाना चाहिए, प्रश्न नजरिया का है कि जनतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार क्या जनतांत्रिक प्रणाली को जनतांत्रिक तरीके से चलाने में विश्वास रखती है या नहीं । मान्यवर अगर यहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय और यह सरकार के लोग सड़कों पर घूमने लगें तब इनको एहसास हो जायेगा कि जनतांत्रिक प्रणाली की हत्या का परिणाम क्या होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनायें ।

*माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आज प्रशासक उस तरह से जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं हो सकते जैसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वह जनता के प्रति जिम्मेदार होंगे । प्रशासक जिम्मेदार होता है मुख्य सचिव के प्रति और मंत्री के प्रति । इसलिए जिसकी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति होगी, वह हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में और वहां के निवास करने वाले लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं हो सकता । मान्यवर, 35 बार से ज्यादा हो गया हर बार यह विधेयक जाता है और हर बार सरकार आश्वासन दे देती है कि तीन महीने में 6 महीने में चुनाव करा लेंगे । मान्यवर, अबकी कुछ आशा बंधी थी जब सुप्रीमकोर्ट ने, हाई कोर्ट ने वह आदेश दिया था कि चुनाव कराये जायं । मान्यवर, इससे हम लोगों को जरूर आशा बंधी थी कि अबकी चुनाव जरूर कराये जायेंगे । लेकिन जब यह विधेयक माननीय मंत्री जी यहां लायीं तो मुझे कष्ट हुआ है । मान्यवर, सदन के सबसे विद्वान सदस्य लाल प्रताप सिंह जी बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन पता नहीं उनकी कौन सी कोर दबी है, जैसे गांव के बड़े आदमी को थाने का दरोगा कहीं-कहीं गवाह बना लेता है तो उनकी कहीं न कहीं कोर दबी रहती है । बाबू लाल प्रताप सिंह जी इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़े हो जाते हैं, मुझे आश्चर्य है । मान्यवर, मैं फिर इस संशोधन पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जनतांत्रिक प्रणाली में आपका विश्वास है तो स्थानीय निकायों के चुनाव कराकर वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां का शासन सौंपना चाहिये । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समय बहुत थोड़ा है, इसलिये मा0 रघुवर दयाल वर्मा बोलेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ मा0 विधायकों को सुनने के बाद यह कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि चुनाव स्थगन बिल प्रस्तुत है श्रीमन् लोक संस्थाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है और श्रीमन् लोक संस्थाओं का निर्माण इसलिये किया गया था कि जहां हमारे स्थानीय निकायों के स्तर की लोक संस्था हैं, वहां पर कर लगाने का या कर घटाने का कार्य वहां के चुने हुए लोग बैठकर करेंगे । श्रीमन् हमारी लोक व्यवस्था में जबसे नगर पालिका, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं, कर लगाने की व्यवस्था प्रशासकों के हाथ में देकर लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने का काम शासन की ओर के लोगों की ओर से हुआ है । यह बड़ी गम्भीर बात है । विधान सभा के विधायक, संसद और स्थानीय निकाय के चुने हुए लोग ही कर लगा सकते हैं । श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मकानों का एसेसमेंट हो रहा है । एसेसमेंट की क्या नीति है ? इससे स्तर तक 360 रुपये के स्तर तक के मकानों पर कर नहीं लगेगा । यह पहले स्थानीय निकायों से घोषणा हुई थी । आज मूल्य बढ़ गये हैं और एसेसमेंट हो रहा है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम सीमा कर मुक्त मकान की कभी तय नहीं हुई है उसकी क्या होगी, इसका निर्णय स्थानीय निकाय के चुने हुए लोग करेंगे । लेकिन मुझे अफसोस है कि श्री लाल प्रताप सिंह जी अपने दल की दुहाई देने में लगे हुए हैं, लेकिन श्री बल्देव सिंह आर्य गांधीवादी विचारधारा के हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार स्थानीय निकायों के चुनाव हों तो ठीक होगा । एक बार अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेज कलेक्टर से अपने एस0 डी0 एम0 ने बोर्ड को भंग करने की संस्तुति की, लेकिन उस अंग्रेज कलेक्टर से अपने एस0 डी0 एम0 को बुलाकर डांटा और कहा कि कभी भी चुनी हुई संस्थाओं को भंग करने का प्रस्ताव आपको नहीं करना चाहिये। यह है लोकतंत्र के प्रति आस्था । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मकानों के असेसमेंट की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है श्रीमन् यह जो कर बढ़ाने का काम प्रशासकों के हाथ में दे दिया गया है यह कार्य लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने वाला है । इसलिये मैं मा0 रामगोविन्द चौधरी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि इस सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज बकाया है और इनके नेता का लोकतंत्र में विश्वास और आस्था है तो वह तत्काल चुनाव कराने की घोषणा करें । यदि यह चुनाव नहीं कराते तो जिस तरह से यहां पर राजीव गांधी लोकतंत्र को मजबूत कराने वाली बात कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत कराने वाली बात कह रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिये सबसे पहले स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जायं । लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने का कम करके क्या आने वाली पीढ़ी के सामने कोई आधार प्रस्तुत कर पायेंगे । मेरा इस सदन के मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने के इस प्रस्ताव को पारित न होने दें । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको निरस्त किया जाना चाहिये । और चुनाव कराने की माननीय मंत्री जी को साहस के साथ घोषणा करनी चाहिये ।

*श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे विचार करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो संशोधन भाई बरार साहब ने रखा है, ईमानदारी की बात यह है कि उस संशोधन को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार की नीयत लोकतंत्र में बिल्कुल साफ-साफ है । मान्यवर, सहकारी संस्थाओं के चुनाव बराबर हुए और आज की तारीख में भी हो रहे हैं। इसकी नीयत पर शंका करने की कोई बात थी ही नहीं । मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि जिस वक्त, वे सूरमी यहां बैठे हुए हैं, कौरवों के दरबार में द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था, वह काला प्रस्ताव इसी सदन में पेश किया था, इन्होंने ही उस प्रस्ताव को पेश कराया था । माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव उधर से ही पेश हुआ । हमने तो इनके इस काले कानून को दूर करने का बराबर प्रयास किया । हमारे भाई बरार साहब पता नहीं क्यों आज बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। इनको इस बात का मान्यवर, पूरा ज्ञान है कि यह सरकार लोकतंत्र में पूरी आस्था रखती है। यह लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, 1977 में गलती से जनता ने इन्हें सत्ता सौंपी । यह उस जीत से इतने उत्साहित हुए कि चुने जाने के बाद यह रोज चुनाव कराने लगे । जनता ने जो जिम्मेदारी देकर भेजा, इन्होंने अपने को उसमें अयोग्य घोषित कर दिया । ढाई साल में ही चुनाव करा दिये और हार कर यह सारे लोग अपने-अपने घर वापिस चले गये । मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस कांग्रेस पार्टी को जो 5 साल के लिए अपना भविष्य सौंपा है, हम पूरी योग्यता के साथ उस जिम्मेदारी को निभायेंगे और इनकी नालायकी की तरह ढाई साल में वापस नहीं जायेंगे । मान्यवर, इनको चुनाव कराने का शौक चढ़ गया है । मान्यवर, वह अनुरोध करते हैं और हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं कि आप चुनाव घोषित करवा दीजिये । लेकिन क्या इस बिल्ली के कहने से हम अपना दूध उतारकर रख दें ? मान्यवर, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और वचनबद्ध हैं कि इन संस्थाओं के चुनाव हम करायेंगे । माननीय मंत्री जी ने भी चुनाव की बात यहां पर कही है। मान्यवर, मैं भाई बरार साहब से कहूंगा कि वे इस सरकार की नीयत पर शंका न करें और संशोधन वापस लें और इस प्रगतिशील सरकार के प्रस्ताव को समर्थन दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर और अननुमोदन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जब यह बिल प्रस्तुत हुआ तो मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि इस सम्मानित सदन के अनेकानेक पक्ष विपक्ष के सदस्यों को इससे वेदना और पीड़ा हुई है कारण यह है कि इस विषय को प्रस्तुत कर सरकार ने एक बार पुनः नगरीय जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने का कुचक्र रचा है। आज 16 वर्ष से नगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पालिकाओं, महापालिकाओं और टाउन एरियाज के निर्वाचन नहीं कराये जा सके हैं तथा उन पर प्रशासकों को बैठाल कर मनमानी लूट का अवसर दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नगरपालिकायें नरक पालिकायें बन गई हैं और उनके अधिकारी कमीशन खोरी में लिप्त होकर सफाई, सड़कों और पानी की व्यवस्था आदि दायित्वों को पूरी तरह भूल गये हैं।

मान्यवर, अभी कांग्रेस "ई" के एक सदस्य महोदय कह रहे थे कि जनता पार्टी ने सन् 1977 में नगरपालिकायें भंग की। कम से कम इतनी जानकारी तो उन सदस्य महोदय को होनी चाहिए थी कि जब जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आयी उससे पूर्व से ही कांग्रेस सरकार ने नगरपालिकाओं एवं महापालिकाओं का कार्यकाल 1975 में समाप्त होने पर नये चुनाव न कराकर प्रशासकों के सुपुर्द कर दी थीं। सन् 1971 में इसके निर्वाचन हुए थे चार वर्ष के लिये। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिये मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। और यह निर्णय होने व इसी अनुपात मतदाता सूची में समय लग गया और जनता सरकार चुनाव न करा सकी। मान्यवर, यह प्रतीक है कि हमारी लोकतंत्र में कितनी आस्था है। इसीलिए हम चाहते हैं कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन हों। मान्यवर, अब विश्वसनीयता का प्रश्न उठता है। सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने कई बार घोषणा की कि नगरपालिकाओं के चुनाव बहुत जल्द करा लिये जायेंगे और हम लोगों को उस घोषणा पर विश्वास भी हुआ। लेकिन मान्यवर, घोषणायें चाहे जितनी बार भी की जायें एक बार, दो बार, चार बार या दस बार जब घोषणा पूरी नहीं की जाती हैं तो घोषणाओं के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाती है। मान्यवर, अब हमें विश्वास नहीं रह गया है कि यह स्वायत्तशासी संस्थायें जनता को पुनः मिलेंगी, या नहीं मिलेंगी। प्रश्न यहां पर मान्यवर, एक ही है कि सत्ता पक्ष क्या चाहता है? यह चुनाव हों या न हो? मान्यवर, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिये स्वायत्तशासी संस्थायें एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में कार्य करती है। इस लिये इनके चुनाव कराये जाने चाहिये। मान्यवर, अब समय आ गया है कि इन संस्थाओं को जीवित रखा जाय और उनके निर्वाचन कराये जायें। आज मान्यवर, हम यहां सदन में बैठे हुये हैं . . . . .

श्री अधिष्ठाता–

श्री द्विवेदी जी, अपनी बात समाप्त करें, आप बैठें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, स्वायत्तशासी संस्थाओं के निर्वाचन न होने के कारण आज विधान परिषद् विधिवत गठित नहीं है। उसके सदस्य पूरे नहीं हैं और इस तरह से तीन तीन टर्म्स से जनसेवकों को लोकल बाडीज के प्रतिनिधि के रूप में विधायिका से जुड़ने एवं विधान परिषद् में आने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह सरकार उन्हें अवसर नहीं देना चाहती है कि वह भी अपने विचार यहां आकर प्रस्तुत कर सकें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राम गोबिन्द चौधरी ने जो संशोधन

रखा है, उसका मन्तव्य केवल यह है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं का समय न बढ़ाया जाये और इसके निर्वाचन जल्द ही करायें जायें । अगर यह चुनाव कराना चाहते हैं तो आर्डीनेन्स के जरिये इनको समय मिल गया है । इस बीच सम्पन्न करा सकते हैं किन्तु यह ऐसे ही टालते रहेंगे चुनाव करायेंगे नहीं । मान्यवर, इन्होंने हाई-कोर्ट के आदेश को भी बलायेताक रख दिया है और जुडीशियरी का अपमान किया है । "दी गवर्नमेंट इज आफ दी पीपुल, बाई दी पीपुल एण्ड फार दी पापुल" आज सरकार इसका पालन नहीं कर रही है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस कारण से हमारी विधान सभा के अतिरिक्त, विधान परिषद् भी गठित नहीं हो पा रही है, इसलिये इसका समय न बढ़ाया जाय और जो माननीय चौधरी साहब ने संशोधन रखा है, उसको दोहराते हुये मैं कहना चाहता हूं कि इनके चुनाव जल्दी कराये जायें । इसलिये जनता की भावना व राय जानने के लिये इसे या तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये अथवा जनमत प्राप्त करने हेतु प्रसारित किया जाये जिससे कि लोकमत संग्रह कर सही निर्णय लिया जा सके और ब्रिटिश काल से चले आ रहे हमारे स्वयत्तशासी अधिकार को पुनः बहाल किया जा सके ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं बोलना तो नहीं चाहता था किन्तु मेरे सामने में कुछ ऐसे नजारे आये, जिसकी वजह से मुझको बोलना पड़ा । हमारे एक नाबालिग कपिल साहब बोल रहे थे और दूसरी एक महिला बोल रही थी, जिनका नाम श्रीमती प्रेमवती तिवारी है । ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सारे लोकतंत्र का ठेका उन्हीं के ऊपर रखा गया है और कोई लोकतंत्र को समझता ही नहीं है । श्रीमती प्रेमवती जी अगर जरा भी आप लोक-तंत्र पर विश्वास रखती हैं तो मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं, आप भी इस्तीफा दे दीजिए और मैं भी इस्तीफा दे देता हूं, कि प्रदेश के जनता चुनाव चाहती है कि नहीं ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि श्री राम शरण दास जी आपके माध्यम से ही श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी के पास जायं, डायरेक्ट जाने की कोशिश न करें ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं आपके ही माध्यम से वहां तक पहुंचना चाहता हूं कि लेकिन बीच में यह जो दीवार खड़ी हो जाती है । ये हमको पहुंचने ही नहीं देते हर जगह पहले से ही मौजूद रहते हैं । श्री लाल प्रताप सिंह जी, जैसा कि हमारे पाण्डेय जी ने कहा, वह सरकारी गवाह की तरह यहां पर बोल रहे थे । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप चुनाव मत टालिए, स्थिति को देखिए, मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 म्युनिसपिल बोर्ड हैं और दो टाउन एरियाज हैं । आपके जो अफसर हैं वे म्युनिस-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पॉलिटीज व टाऊन एरियाज को खाये जा रहे हैं लेकिन आपको शर्म नहीं आती है। जो एस0 डी0 एम0 हैं, वे टाऊन एरियाज को बांटे हैं अगर किसी एस0 डी0 एम0 को टाऊन एरियाज नहीं मिलती है तो वह अपने को अभागा समझता है । मेरा कहना है कि आप चुनाव करायें इसमें विलम्ब न करें । इसमें आपकी ही पार्टी को लाभ होगा । आपका ग्रुप होगा । लेकिन आपका (श्री हुकुम सिंह जी की तरफ इशारा करते हुए) तो ग्रुप ही नहीं है । इस बार यदि आज ही एसेम्बली को डिजाल्व किया जाता है तो आपकी बुरी हार होगी । यदि आप में जरा भी नैतिकता है तो आप चुनाव करा दीजिए ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, 1971 से नगर पालिकाओं व टाऊन एरियाज के चुनाव नहीं कराये गये हैं जो कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है । इसी के सहारे ही लोकतंत्र विधान सभा व संसद तक पहुंचता है । जैसा कि अभी पिछले 19 दिसम्बर, 1987 को प्रधानमंत्री जी ने भावना व्यक्त की थी लोकतंत्र की जड़ मजबूत होनी चाहिए । उन्होंने कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों को समय-समय पर यह निर्देश भी दिये हैं कि वे स्थानीय निकायों के चुनाव करायें इसलिए हम पूर्ण आशा कर रहे थे कि इस बार स्थानीय निकायों के चुनाव हो जायेंगे और इस बार पुनः समय बढ़ाने का संशोधन विधेयक नहीं आयेगा । माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस तरह के आदेश दिये थे और यहां भी बराबर आश्वासन मिलता रहा है । लेकिन आज हमारी जो स्थिति है शहर क्षेत्र के जो विधायक हैं, कानून बनाना विधान बनाना उनका काम है । प्रधानमंत्री ने सड़क और नाली का जिक्र अपने छिछल्ले भाषण में किया था । आज हमारी एक सभासद की हैसियत हो गयी है । मेरे यहां 19 वार्ड हैं, एक वार्ड में दो सभासद होंगे, नाली, गली, सड़क और सफाई काम ही देखना होता है । और जो सबसे आवश्यक चीज है उस पर समय ही नहीं मिल पाता है । 27 दिसम्बर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल में एक मामला आया था-यू0 पी0 जल निगम बनाम इन्कम टैक्स "ए" वार्ड, लखनऊ, जिसमें उन्होंने जल निगम और जल संस्थान आदि को स्वायत्तशासी संस्थायें नहीं माना है क्योंकि ये संस्थायें सीधे सरकार से गवर्न हो रहीं हैं और जनप्रतिनिधित्व नहीं है । इस निर्णयानुसार अब जो सीवर चार्जेज हैं और पेयजल की आपूर्ति हेतु चार्जेज हैं, यह सब टैक्सेबिल हो गये हैं । इसका बोझ भी आम नागरिक पर पड़ेगा आज नगर महापालिका टाऊन एरिया, जिला परिषद् सभी विकलांग हो गयी हैं । विकलांगता से लोकतंत्र स्वस्थ्य नहीं हो सकता । समयाभाव में इसके साथ ही मैं मा0 गोविन्द चौधरी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर बल देता हूं और अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र को कायम रखना है तो जल्द से जल्द चुनाव करायें जायं ।

श्री मित्रसेन–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

आप बोलने के लिये किसी को भी बुलायें, आपका अधिकार है, लेकिन आप भी सहमत होंगे कि जिन्होंने सूचना दी है और जो रुचि भी ले रहे हैं उनको मौका अवश्य मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

हर एक को तो मौका नहीं मिल सकता । यदि 25 लोगों ने सूचना दी है तो सभी को मौका नहीं मिल सकता । आप बैठें, मैंने श्री मित्रसेन यादव को बुला लिया है ।

श्री मित्रसेन–

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 बरार साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में कुछ कहना चाहता हूं । जब लोग इधर बैठते हैं तो उनका चश्मा दूसरा होता है और जब उधर चले जाते हैं तो चश्मा दूसरा हो जाता है । मैंने वर्ष 1977 में देखा था जब जनता पार्टी की हुकूमत थी उधर बैठते थे और आप इधर बैठते थे । उस समय प्रस्ताव आया था नगरपालिका और जिला परिषद् के चुनाव के बारे में । जनता पार्टी की हुकूमत ने तर्कसंगत सवाल रखा था और जिला परिषदों का मामला मेहता कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था । नगरपालिकाओं के बारे में यह कहा गया था कि जब तक 18 साल के लोगों की मतदाता सूची नहीं बन जाती तब तक के लिये चयन रोका गया था उस समय कोई गलत काम सरकार ने नहीं किया था चुनाव रोककर । आप कहते हैं कि विपक्ष की स्वस्थ सलाह होनी चाहिये, विपक्ष की अच्छी सलाह मिलनी चाहिए, लेकिन सलाह मानता ही कौन है । कहा जाता है कि-सीख वाको दीजिये जाको सीख सुहाय । हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते हैं । बहुत सी नगरपालिकायें हैं, उनके अन्दर चलने वाली शिक्षण संस्थायें, स्वास्थ्य सेवायें और तमाम व्यवस्थायें, इनकी हालत खराब हो रही है । अगर चुनाव करा दिये जायं तो उन क्षेत्रों की जनता की जो भावनायें हैं, विचार हैं, पीड़ा है, उसका समाधान हो सकता है । इसलिये चुनाव कराना जरूरी है । आपका बहुमत है, आप विधेयक को पास करा लेंगे, लेकिन आपको चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं बरार जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, नगरपालिकाओं के तीन कार्य हैं-पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था कराना । अभी माननीय माहरा जी बड़े जोर से बोल रहे थे, मैंने स्वयं इनके घर के सामने कूड़े के ढेर देखे हैं, मैंने इनसे कहा कि यह क्या है, तो कहा कि चुनाव हो जायें तो यह सब ठीक हो जायेगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 1977 फिर आ रहा है । मान्यवर, नगरपालिकाओं के चुनाव न होने से चुंगी की चोरी बड़ी मात्रा में रही है । बरेली का उदाहरण मैं देना चाहता हूं, वहां पर एक लाख रुपये की चुंगी की चोरी रोज हो रही है । अगर चुनाव नहीं कराये गये तो यह डकैती पड़ती रहेगी और जनता का पैसा सफाई, पानी और बिजली में नहीं लगाया जायेगा, और यह डकैती पड़ती रहेगी ।

उत्तर प्रदेश की सरकार, वीर बहादुर सिंह की सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। हर 6 महीने में प्रशासक का समय बढ़ा दिया जाता है। मुख्य मंत्री जी आज यहां पर नहीं हैं, उनको यहां पर होना चाहिये था और चुनाव की घोषणा करनी चाहिये थी। इन शब्दों के साथ मैं राम गोविन्द चौधरी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम गोविन्द जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं 2-3 बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, सभी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है।

अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि जो बिल पेश किया गया है, वह बहुत छोटा है। तो श्रीमान् इस बिल का हम लोगों को अन्दाज कोई नहीं है, अनुभव तो उन्हीं को होगा। हमारी समझ में तो यह बिल बहुत बड़ा है। चुनाव को यह बारबार टालते जा रहे हैं, तो यह छोटा हो ही नहीं सकता है। अभी राम शरण दास जी बोल रहे थे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी जी खड़े हुये और उन्होंने यह कहा कि राम शरण दास जी को प्रेमवती जी के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचना चाहिये, उनको आपके माध्यम से पहुंचना चाहिये। श्रीमन् जब श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी बोल रहीं थी, तो उस समय भी उनको आपके माध्यम से उनके पास आना चाहिये था, चूंकि वह डाइरेक्ट राम शरण दास जी के पास आना चाहती थी, इसलिये वह भी उन तक डाइरेक्ट जाना चाहते थे। मान्यवर, मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा, बार-बार चुनाव की घोषणा की जाती है, लेकिन वह कराये नहीं जाते हैं।....

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन में आज स्पष्ट घोषणा करें कि हम अमुक समय तक चुनाव की घोषणा कर देंगे तब मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो मैं चुनौती देता हूं कि चुनाव न कराने की स्थिति के लिये वह इस बात की घोषणा कर दे वह नगरपालिकाओं के प्रशासक मंडल में कांग्रेस के ही लोगों को रख दे लेकिन नगर पालिकाओं को जनप्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दे। लेकिन हमें इनकी ईमानदारी में शक है। यह चुनाव से भाग रहे हैं। यह जनता का विश्वास खो बैठे हैं इसलिये चुनाव नहीं करना चाहते हैं। इनके अनुसार यह बिल छोटा नहीं है। इसलिये मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बरार साहब, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं पहले आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं प्रस्तावक सदस्य हूं। मुझे उत्तर भाषण का अधिकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर माननीय मंत्री जी व शासन का क्या रवैया है। जब सरकार का दृष्टिकोण आ जाय तब हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। अभी मंत्री जी ने इस पर अपना कोई दृष्टिकोण नहीं रखा। आप माननीय मंत्री जी से भाषण करवा दें फिर उत्तर भाषण दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ।

(मंत्री जी के खड़े न होने पर)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे उत्तर भाषण का अधिकार है । जो भी प्रस्ताव करता है उसको अधिकार होता है । मैं जल्दी कहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको उत्तर भाषण का अधिकार दे दिया है । मंत्री जी ने प्रस्तुत कर दिया । राम गोविन्द जी ने संकल्प पर बोल लिया फिर मैंने कुछ माननीय सदस्यों को भी सुन लिया और उन्हें मौका दिया . . . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप मेरा निवेदन सुन लें. . .

श्री अधिष्ठाता–

आप वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो संकल्प था वह अध्यादेश के सम्बन्ध में था और मेरा जो प्रस्ताव है वह विधेयक के सम्बन्ध में है अध्यादेश के सम्बन्ध में नहीं है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों में विधेयक के कारण की प्रक्रिया है उसे आप देख लें । जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उनको उत्तर भाषण देने का अधिकार है और जो भार-साधक सदस्य हैं उनको आपने मौका नहीं दिया . . .

श्री अधिष्ठाता–

मैंने दिया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उन्हें आपने मौका दिया लेकिन उन्होंने कोई मत व्यक्त नहीं किया, मत व्यक्त न करना ठीक नहीं है । . . . (व्यवधान) । थर्ड रीडिंग भी आने वाली है । उस वक्त भी उत्तर भाषण देने का हमें अधिकार है ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जब मैंने इसे प्रस्तुत किया था उस समय मैंने अपने विचार रख दिये थे । उस समय जब किसी ने सुना नहीं तो मैं क्या कह सकती हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो बात मैंने पहले कही, वही है । मैंने उन्हें मौका दिया । (व्यवधान) । बरार जी, आप इसे वापस ले रहे हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव प्राथमिकता रखता है, परिचालन का प्रस्ताव है । प्रवर समिति की बात बाद में आती है । मैं विधेयक के सिद्धान्त पर बोल रहा हूं । इस-

लिये मुझे उत्तर देने का अधिकार है और आप कह रहे हैं कि मुझे उत्तर भाषण देने का अधिकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इस पर संक्षेप में जो कहना है कहें (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद थी कि इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर जिसमें दो करोड़ प्रदेश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की बात है उस पर सरकार की तरफ से यह बात आयेगी कि आज तक जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है उसके लिये सरकार खेद प्रकट करती है और अब वह वायदा करेगी कि यह अंतिम संशोधन विधेयक होगा इसके बाद कभी इस प्रकार का विधेयक नहीं आयेगा और जनता के अधिकारों को उनको लौटा दिया जायेगा । लेकिन मंत्री जी ने और इधर से माननीय सदस्यों ने कोई बात ऐसी नहीं कही किसी ने कुछ कहा , किसी ने कुछ किसी ने कहा कि सन् 77 में द्रोपदी के चीर हरण हुआ तो उसको 10 साल या अधिक हो गये और आज तक इस दल को सरकार द्वारा उस द्रोपदी को निर्वस्त्र ही रखा गया । मैं तो सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि मंत्री जी अभी भी समय है वह सदन में आश्वासन दे दें कि दो करोड़ जनता को उनके अधिकारों से बंचित नहीं किया जायेगा और आगे आने वाले समय में तत्काल चुनाव वह करा देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मुझे संशोधन रखने का कोई शौक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप यह बतायें कि अपना संशोधन वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप मंत्री जी से पूछ लीजिये वह कुछ बताना चाहती है या नहीं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वह कुछ नहीं कहती है तो संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

जो प्रस्तुत करता है वही जवाब देते हैं माननीय मंत्री जी जवाब दे रही हैं ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

शासन की कोई ऐसी नियत नहीं है कि चुनाव न कराये जांय । यह पार्टी पूरी तरह से जनतंत्र में विश्वास करती है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

पार्टी नहीं सरकार कहिये ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

एक पार्टी की ही सरकार है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मार्च से पहले चुनाव करा देंगे यह कह दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप किस पर बोल रहे हैं ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, अंतिम समय दिसम्बर, 87 तक का रखा गया था लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से चुनाव नहीं हो सके और यह आर्डिनेंस लाया गया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम यह नहीं चाहते हैं, साफ बतायें कि कब चुनाव करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप शांति से सुनें । आपको जो कुछ कहना होगा वह आपको मौका देंगे ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, सरकार की नियत साफ है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे । इसके लिये हमें कुछ और समय की जरूरत थी न्यायालय से हमने समय मांगा है । 30 जून का समय हमें दिया गया है । (व्यवधान) हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानते हैं, जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का प्रयास करेंगे । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी माननीय राम गोविन्द चौधरी और बरार साहब से निवेदन करूंगी कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और इसे पारित कर दें ।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मंत्री जी ने स्पष्ट यह नहीं कहा कि चुनाव मार्च तक करा देंगे, इसलिये हम इसका विरोध करते हैं (व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री सत्य प्रकाश विकल आदि अनेक विरोध पक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये और डायस पर चढ़ गये)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(फ्लोर पर आये सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस विधेयक के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की राय जानने के लिये 31 मार्च, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत के गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 14 दिसम्बर, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन ।

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" आए हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिए जायगे।

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन ।

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिए जायेंगे

निरसन और अपवाद

उ0प्र0 अध्या।-देश सं0—13 ऋ 1987

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता है ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं श्री चौधरी को बुला चुका हूं, इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । (व्यवधान) श्री राम गोविन्द चौधरी, आप बोलें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप नियमों के तहद इस सदन को चलाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं । जब सदन अव्यवस्थित था और सदन में केवल शोर शराबा हो रहा था तो ऐसी सूरत में आपने यह कह दिया कि उसका पारण हो गया, यह नियमों के विपरीत है ।

श्री अधिष्ठाता–

हम इसको नहीं मानेंगे । हम सदन को व्यवस्थित मानते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत किया था ।

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर यह सब झूठ है)

(व्यवधान) वह पारित करेंगी, उसके बाद वोटिंग होगी । यह नियमों में है, इसके अलावा कुछ हो तो आप ले आइये कल ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप वहां पर बैठकर क्या तानाशाही करेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हम उस पर बोलना चाहते हैं . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जब राम गोविन्द और बरार जी ने पेश किया और उस पर चर्चा हो गई और दोनों उत्तर भाषण हो गये तो उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप बोलें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मंत्री जी ने प्रस्ताव नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)–अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े एक साथ बोलते रहे।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का सवाल सुन लीजिए . . .

श्री अधिष्ठाता–

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप बैठिये, मैं राम गोविन्द जी को बुला रहा हूं । (कुछ क्षण बाद) वह नहीं खड़े होते हैं तो मैं मद संख्या 24 ले रहा हूं ।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को समस्त सहकारी समिति के सदस्यों की राय जानने के लिये 31 मार्च, 1988 तक परिचालित किया जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह सब आपकी, कार्यवाही और क्रियाकलाप अलोकतांत्रिक है, जनतंत्र विरोधी है, मैं इनके खिलाफ अपने दल के साथ इस सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मैं भी इसके विरुद्ध सदन से जाता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं भी आप की इस व्यवस्था के खिलाफ सदन छोड़ रहा हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मैं भी इसके खिलाफ सदन छोड़कर जा रहा हूं ।

[श्री बुनियाद हुसैन अंसारी लोक दल (ब) के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गए]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये अब मान्यवर, आप कृपा करके

श्री अधिष्ठाता–

देखिये जब संशोधन प्रस्तुत हो जाये . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी बात आप सुन लीजिये । मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, फिर उसके बाद आप कोई कार्यवाही चलायें ।

श्री अधिष्ठाता–

बरार साहब के बाद फिर राम गोविन्द जी, को बुला रहा हूं । मैं अपने हिसाब से सही चला रहा हूं । मैं व्यवस्था व इस समय कोई प्रश्न इसमें लाने नहीं दूंगा । राम गोविन्द जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा, जब तक आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

(डा0 दिनेश जौहरी तथा श्री आसान सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता–

राम गोविन्द चौधरी ने जो प्रश्न रखा है उस पर गुप्ता जी बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इन लोगों को बैठाइए तब मैं बोलूं . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नियमों के अनुसार कार्य होगा, आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप नियमों के ठेकेदार हैं क्या ?

(व्यवधान)

आप व्यवस्था का प्रश्न क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम गोविन्द जी को बुला लिया है वह नहीं बोलेंगे तो गुप्ता जी बोलेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप जो कह देंगे वह माना नहीं जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

तो जैसे आप चाहेंगे वैसे सदन चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमों की हत्या नहीं होनी चाहिए । आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सारी परिपाटी को आपने [x x x] दिया है । आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आपने संसदीय लोकतन्त्र और नियमावली के नियमों की [x x] कर दी है ।

(घोर व्यवधान)

आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने मद 2-2 पर प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सब लोग बैठ जाएं ।

(माननीय दिनेश जौहरी और माननीय औसान सिंह श्री अधिष्ठाता के अनुरोध पर वापस अपने स्थान पर चले गये ।)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि एक-दो आदमी, 4 आदमी सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं तो सदन में अध्यक्ष के कुछ अधिकार हैं और नियम 312 निर्वचन एवं कठिनाइयों का निराकरण के बारे में है । मैं कोई व्यवस्था आपकी इसलिए नहीं सुनूंगा कि इस सदन का बहुमूल्य वक्त बर्बाद होता है। अगर इस तरह का कोई रास्ता अख्तियार किया जायगा तो वह नहीं होने दिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप आक्षेप कर रहे हैं । आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको सुन रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपको त्रिकालदर्शी नहीं मानता हूं । आप मुझे निकाल दीजिये, निलंबित कर दीजिये । मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको सुनने जा रहा हूं, आप जल्दी कर जाते हैं । मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये । मेरा कहना यह है कि पारित करते समय आपको कोई बात कहनी चाहिये जो विचारणीय हो सकती है, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि कुछ आदमी यहां आ जायं और यहां आकर कहने लगें ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब आप सुनेंगें नहीं तो क्या होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने 312 के बारे में कह दिया, मैं मानूंगा नहीं लेकिन सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब आप मानेंगें नहीं तो कहने से क्या फायदा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसलिये नहीं सुनूंगा कि मैंने 312 के बारे में आपसे कह दिया । जो विधेयक पारित हो गया है मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं सुनूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आप यह शब्द वापस लीजिये कि मानूंगा नहीं । आप अध्यक्ष हो गये हैं या डिक्टेटर हो गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो विधेयक पारित हो गया है उसके बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)–

अधिष्ठाता महोदय, आप जिस पीठ पर बैठे हैं उस को बहुत अधिकार है, जैसा चाहें वैसा आप निर्णय करें लेकिन माननीय सदस्य को आप सुन लें । सुनने के बाद जो आपका फैसला होगा वह सबको मान्य होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है, जब इस सदन में कभी कोई व्यवधान होता है तो मैं समझता हूं कि उससे किसी से कम मुझे दुख नहीं होता है । लेकिन मान्यवर, व्यवधान एकतरफ नहीं है । उसमें इधर की और उधर के लोग जिम्मेदार हैं, और आप भी कभी-कभी उसके जिम्मेदार हो जाते हैं ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, यह आप पर आक्षेप है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस समय भारसाधक मंत्री जी खड़े हुयें तो मैंने कहा था कि मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । तीसरी रीडिंग में मंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिये था कि इसका पारण किया जाय, हम उसका विरोध करते । लेकिन उसका अवसर नहीं दिया गया इससे सदस्यों में उत्तेजना हुयी । हम वहां तक गये । वहां तक जाना सुखद नहीं है लेकिन आप बता दें कि क्या मंत्री जी ने यहां प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । मेरा कहना है कि नहीं किया था । जब मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया तो यह विधिवत नहीं हुआ ।

* श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जैसा माननीय गुप्त जी ने कहा, आपने आज हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया । लेकिन मान्यवर माननीय गुप्ता जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि वह कार्यवाही के अनुकूल है । पहली बात तो माननीय मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने तृतीय वाचन के संबंध में, जो उनको प्रस्तुत करना चाहिए था, वह उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, हमने नहीं देखा, इधर जितने लोग बैठे हुए हैं किसी ने नहीं देखा। अगर मान लिया जाय कि उन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया, तो मान्यवर, परम्परा यह है कि जो लोग बोलना चाहें, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए था। हम बोलने को तैयार थे, हमको बोलने के लिए अवसर नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखें, ताकि सदन चल सकें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन यह है कि संसदीय परम्पराओं का, नियमों का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए। मान लीजिए हमारी तरफ से कोई ऐसी बात आती भी है, तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि जितनी बार इन नगर महापालिकाओं के चुनाव टाले गये हैं, उसके बारे में इस तरह की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप इस पर नहीं बोल सकते। आप बैठिये। अब विधेयक पास होने के बाद आप नगरपालिकाओं के बारे में नहीं बोल सकते।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जब आपने मुझको एक-दो मिनट के लिए बोलने का मौका दे दिया, तो आप मुझको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बोलने के लिए कोई अनुमति नहीं दी।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो विधेयक की प्रक्रिया के बारे में माननीय गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया था, उसी विधेयक की प्रक्रिया के बारे में मैं बोल रहा हूं। मेरा आपसे कहना यह है कि जनतांत्रिक तरीके से आपने यहां पर विधेयक पारित करवाया है। नियमों के अनुसार कोई विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है। जो आपत्ति गुप्ता जी ने उठाई है, वह बिलकुल सही है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जब आइटम नं0 22 प्रस्तुत ही नहीं हुआ, तो उसके पारित होने का सवाल कहां पैदा होता है। यदि वह प्रस्तुत किया हुआ आप मानते हैं तथा कथित रूप से, किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर, तो फिर आपको यह अवसर देना चाहिए था कि इसका कोई विरोध कर रहा है। आपको चाहिए था कि आप विरोध पक्ष को आमंत्रित करते, लेकिन आपने विरोध पक्ष को भी आमंत्रित नहीं किया। इसलिये मेरी आपसे आग्रह है कि उसे दुबारा मंत्री जी को प्रस्तुत करने का अवसर दें और विरोध पक्ष की आपत्ति सुनें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि आइटम नं0 22 पढ़ा नहीं गया । मान्यवर, मैंने आपके कहने से दो बार पढ़ा और इन्होंने सुना नहीं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

माननीय मंत्री जी, हठवादिता जारी किये हैं इसलिए मैं अपने दल के साथ बहिष्कार करता हूं आज के पूरे सदन का ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 3 माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से भी यह कहना चाहता हूं कि हम लोग भी इस बात को कहते-कहते अब थक गये हैं कि हिम्मत नहीं होती है कि इस पर कुछ बात कहें । मान्यवर, उधर 3-4 बार सहकारी समितियों का चुनाव स्थगन हुआ, कुल 14 बार स्थगित हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनायें ताकि माननीय सदस्य की बात सामने आये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, इस बार बड़ी खुशी थी कि माननीय मंत्री जी इस बार सहकारिता के चुनाव करा देंगे और अपना नाम सहकारिता के इतिहास में रोशन करेंगे लेकिन मालूम क्या सोचा । न मालूम केन्द्र सरकार का दबाव रहा या माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव रहा कि फिर से इस विधेयक को माननीय मंत्री को लाना पड़ा । मैं इसमें माननीय मंत्री को दोष नहीं देना चाहता हूं क्योंकि जो राज्य मंत्री जी हैं उन्होंने फोन पर खुद दीक्षित जी से कहा था कि किसी भी हालत में चुनाव टलेंगे नहीं लेकिन जब विधेयक प्रस्तुत हुआ तो मुझे आश्चर्य हुआ और जो आशा सहकारिता मंत्री के प्रति चुनाव कराने की थी वह फिर धूमिल होती जा रही है । कम से कम 14 बार तो यह स्थगित हुआ, कई बार नामिनेशन हुआ नामिनेशन का पैसा ले लिया गया, इस बार कई जगह चुनाव हो गये प्रारम्भिक सदस्यों के । मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इसके पहले जो पैसा नामिनेशन में लिया गया था क्या वह पैसा उसके खाते में जमा किया गया सदस्यों के या नहीं, वापस होगा या नहीं होगा और जहां पर चुनाव हो गये हैं तो वहां पर प्रशासक मंडल को हटाकर चुने हुए लोगों को पहले उनका चार्ज दे दें । तो माननीय मंत्री जी आपसे अपेक्षा है कि आप दोनों लोग कैबिनेट स्तर और राज्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री अगर लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और आप अपने विश्वास से हम लोगों के मन में जो अविश्वास है उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो चुनाव करवा दें और इसको वापस ले लीजिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि जल्दी में, हमें भी उनकी जल्दी का एहसास है । अभी सूखे में 12 बजे तक बैठना है काहे जल्दी मचाये हुए हैं । मान्यवर, जो रामगोविन्द चौधरी जी ने संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे जिले में चुनाव हो गये हैं लेकिन मैं मंत्री जी को उसके लिए बधाई नहीं दूंगा, बधाई हाई कोर्ट को दूंगा जिसके निर्देश पर चुनाव हुए । मान्यवर, इन्हीं चुने हुए प्रतिनिधियों के अभाव में कितना सचिव है जो लोगों के ऊपर फर्जी चढ़ाए हुए हैं । मेरे क्षेत्र में एक सचिव राम सबद यादव है, जो आपके यहां भी आता होगा । इस सचिव ने लाखों रुपये अपनी समिति में लोगों के ऊपर चढ़ा रखा है । यह जो फर्जी चढ़ा हुआ रुपया है यह प्रबन्ध मंडल के न होने के कारण आर्बीट्रेशन एक पक्षीय हो जाता है । यह सचिव के विरुद्ध आर्बीट्रेशन होता है और सचिव ही उसको चलाता है इसलिए एक पक्षीय फैसला करा लेता है और किसानों को पता तक नहीं होता है।

अब आप जब तहसील में भेजते हैं तो 10 परसेंट कलेक्शन चार्ज भी लगाते हैं । आपको अपने सदस्यों के प्रति इतनी उदारता बरतनी चाहिए कि वह रुपया जो जमा होता है, आपके पास नहीं आता है, समिति में नहीं जमा होता है । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जिले में तमाम फर्जी कर्जे हैं । आपको रिजर्व बैंक ने कुछ रुपया दिया था कि इसकी जांच करेंगे और जो फर्जी कर्जे होंगे, सरकार उनका अपनी ओर से पैसा जमा करके उनको मुक्त करायेगी । जगह-जगह जांच हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला । बस्ती बैंक में आपने रुपया दे दिया एक करोड़ उनसे 16 प्रतिशत पर लिया और ब्याज दिया 10 प्रतिशत । हमारा बैंक बैठा जा रहा है । आप इसकी पूरी छान-बीन करावें और जिन लोगों पर फर्जी कर्जा चढ़ा है उस पर आर्बीट्रेशन सही तरीके से करावें और इस कलेक्शन चार्ज को हमेशा हमेशा के लिये समाप्त कीजिये । यदि कोई समय से नहीं दे पा रहा है तो उसे तहसील भेज देते हैं और इस राम सबद यादव, सचिव को हटाइये । इसको जब वहां से हटाते हैं तो तो ये ए0 आर0 को मुअत्तल करवा देते हैं, उस पर कठोर कार्यवाही की जाय ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सहकारी संस्थाओं के चुनाव टालने के लिये मा0 मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि सहकारिता जैसा महत्वपूर्ण आन्दोलन, जिससे गांव की गरीब जनता जुड़ी है, जिसे गरीब जनता का कारोबार और भाग्य जुड़ा है, उसे मजाक में उड़ाया जा रहा है । जो संकल्प मा0 राम गोविन्द चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है मैं उस पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो लोकतंत्र की दुहाई देती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपने को चुनी हुई बताती है और लोकतंत्र में आस्था बताती है, इस सरकार को शर्म नहीं आती कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं, तो भी चुनाव नहीं कराती और कहती है कि लोकतंत्र में विश्वास है । मान्यवर, जहां तक माता प्रसाद जी का कहना है इस आन्दोलन को इस तरह से समाप्त किया गया है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक एक सोसाइटी से जन प्रतिनिधियों को हटा दिया गया और मा0 मन्त्री जी ने अपने कुछ खास मुर्गों को प्रशासक के रूप में बैठा दिया। उन लोगों द्वारा लाखों रुपया लूटा जा रहा है। मेरे अपने क्षेत्र में मनोना सोसाइटी में एक एक काश्तकार पर 80-80 हजार रुपया डाल दिया गया है, अगर सरकार उन काश्तकारों की सारी सम्पत्ति बैल, भैंस, खटिया बर्तन सब कुछ नीलाम कर दे तो भी उसका हिसाब 80 हजार नहीं होता। इस तरह से 9-10 लाख रुपया लूटा गया है। यह आन्दोलन सीधे जनता से जुड़ा है। सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया है और अपने मुर्गों को प्रशासक के रूप में छोड़ दिये हैं, जो उस धन को लूट रहे हैं। जो समितियों के प्रारम्भिक चुनाव किये गये उसमें 90 प्रतिशत जो प्रशासक थे, चुनकर वापस नहीं आ पाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है उसको सरकार वापस ले और मा0 राम गोविन्द चौधरी का जो संकल्प है उसे पास किया जाय।

श्री राबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मा0 राम गोविन्द चौधरी ने जो संकल्प पेश किया है उसके समर्थन में मैं मा0 मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक हरिजन नाम की पत्रिका महात्मा गांधी जी ने निकाली थी और उस हरिजन पत्र में महात्मा गांधी ने जब यह कहा कि सहकारिता में भ्रष्टाचार आ गया है और उसको दूर करने के लिये महात्मा गांधी जी प्रयास करेंगे और इस आन्दोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसलिये श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी की भावना को मानकर इस पर ध्यान दें। इस सहकारिता आन्दोलन को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम प्रशासक नहीं है इसके माध्यम सहकारिता के सदस्य, और उनके प्रशासन के लिये उनके द्वारा चुने हुए लोग, बोर्ड आफ डायरेक्टर और सरपंच-वही उसके मूल रूप में संचालक हैं। वही लोक तंत्र की पहली परिधि है पहला स्थान है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार बार इसकी चुनाव को टालने की बात कहते हैं। मान्यवर, हमारे यहां क्षेत्र में पांच सोसाइटी हैं–सोफीपुर, दतावली, ढोकेली, जलोपुरा, मठसैना, इनमें 2-2, 3-3 लाख का गबन है। सचिव इतने प्रभावी हैं कि आपके ए0 आर0 ओ0 के ऊपर भी हावी हैं। जब इसकी जांच शाखा प्रबन्धक फिरोजाबाद ने की और इस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो आपके सचिव ने ए0 आर0 को रकम देकर उनका ट्रांसफर करा दिया। सचिव–जिन्होंने गबन किया था, वहीं के वहीं मौजूद हैं। आज उन्हीं के हाथ में चुनाव की प्रक्रिया है। इसलिए श्रीमन् आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिये इसके चुनाव शीघ्र सम्पन्न करायें। जिन सोसाइटी के खिलाफ गबन के मामले आ चुके हैं और उसमें फर्जी कर्जों से जो माननीय सदस्य दब चुके हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। मान्यवर, सूखे में छूट जो सहकारी समितियों के माध्यम से मिलती है, श्रीमन् अभी जो बीज और गल्ला दिया गया है, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। शहर के रहने वाले जो किसान नहीं हैं आपके सचिवों ने उनका गल्ला निकालकर खा लिया। इन परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव कराना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जिस परिपेक्ष्य में यह विधेयक पेश हुआ है, मैं आशा करता था कि हमारे विपक्ष के सभी साथी हमारे सहकारिता मंत्री को बधाई देंगे । क्योंकि जिस बात के लिये वे जोर दे रहे हैं, वह प्रक्रिया तो पहले ही शुरु हो चुकी है । 8 लाख सोसाइटी उत्तर प्रदेश में हैं और लगभग सभी जगह चुनाव हो चुके हैं, उसका वृहद कार्य पूर्ण हो चुका है । वह प्रक्रिया अभी जारी है । यह आपने कैसे समझ लिया कि हमारी नीयत में कोई खराबी है । सरकार गम्भीरता से इस बात को ले रही है जो बड़े चुनाव थे वह करा दिये गये हैं, जो बचे हुए चुनाव हैं मुझे आशा है कि वह शीघ्र ही सम्पन्न होंगे । लेकिन इसकी प्रक्रिया के लिये कुछ समय की आवश्यकता है । इसलिए माननीय मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है उसका मैं पूरा तरह से समर्थन करता हूं और विपक्ष के साथी से यह अनुरोध करता हूं कि इस पर जो संशोधन रखा है उसको वापस ले लें ।

* श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सहकारिता विभाग के मंत्री जी ने धोखे से जो इसे पास कराने की साजिश की है, उसका मैं विरोध करता हूं । हमारे क्रांतिकारी मोर्चे की प्रदेश बन्द की घोषणा 28 तारीख के लिये हो चुकी थी, इन्होंने चालाकी से अखबार वालों को पकड़कर यह छपवा दिया कि 30 जून तक चुनाव टाल दिये गये हैं और अपने प्रशासकों को इशारा कर दिया कि चुनाव कराये जायेंगे । लेकिन फिर भी मान्यवर मैं कहता हूं कि इनके प्रशासक सब जगह हारे हैं । इन्होंने बदनीयती से गलत प्रचार किया उसके बावजूद भी यह सब जगह हारे हैं ।

मान्यवर, 28 तारीख को बन्द सफल हुआ है । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनके विभाग में जो सचिव हैं, 10–15 सालों से इन्होंने उनको बेईमानी करने के लिये रोक रखा है । मेरी मांग है कि इन सचिवों के खिलाफ यह कार्यवाही तो कर नहीं सकते । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो सचिव लम्बे समय से वहां रुके हुये हैं, उनको वहां से हटाया जाये ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, आज जो अध्यादेश आया है, जो विधेयक आया है, उस पर इस सदन के माननीय व सम्मानित सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं । यह एक माध्यम है अपनी भावनाओं को उजागर करने का, प्रस्तुत करने का । यह जनतांत्रिक प्रक्रिया का एक अंग है, इसलिये मैं इनके उद्बोधन को स्वीकार करता हूं । जो लोग सहकारी आन्दोलन से जुड़े हुये हैं वह यह जानते हैं कि कभी भी संस्थायें प्रशासकविहीन नहीं रहती । प्रशासक का बने रहना एक विधिक उपचार है । माननीय वर्मा जी, गुप्ता जी, और भाई बरार साहब भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं । मान्यवर, ऐसी स्थिति में प्रशासकों का कार्यकाल जो केवल 31-12-87 तक ही था, और उस अवधि तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना नितान्त आवश्यक है । सम्मानित विधायक, विद्वान विधा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

यकगण इस बात को जानते हैं । उसके आधार पर ही इस अध्यादेश को लाया गया । नहीं तो चुनाव की घोषणा कर दी गयी। इसलिये 30 जून तक का समय मांगा गया है । जैसा हमारे साथी समर पाल सिंह ने भी कहा और हमारे सभी माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि 9000 संस्थाओं का चुनाव सम्पन्न कराया जा चुका है, जिसमें छोटी-बड़ी 9 हजार संस्थायें हैं । प्राइमरी स्तर पर जो संस्थायें हैं, जहां पर चुनाव नहीं हो पाये हैं । वहां पर डिफाल्टर है, और भी कोई विधिक अड़चने हैं, जिनकी वजह से अभी चुनाव नहीं हो पायेंगे । अब 72 हजार प्रबन्ध समिति के सदस्य चुने जाने हैं इसके अलावा करीब 1 लाख 30 हजार प्रदेश के प्रतिनिधि भी चुने जाने हैं । यह माननीय सदस्य वर्मा जी ने जैसा कहा कि क्रान्ति ला दी जाय और सदन को चलने न दिया जाय तो यह तो रोज ही चक्का जाम करते हैं और ऐसी ही बात यहां सदन में करते हैं । हम विकास की पीढ़ी में हैं । हम भुखमरी और तमाम आर्थिक विषमताओं से जूझ कर इनको समाप्त करना चाहते हैं । हमें प्रगति को विकास को देखना है, इस प्रदेश के अन्दर विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है । हम विकास की गाड़ी को और तेजी से चलाना चाहते हैं। इधर वर्मा जी कहते हैं कि हम चलने नहीं देंगे और साथ ही नियमों की दुहाई भी दी जाती है। हम सबको यह सोचना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम यह सब तभी कर सकते हैं जब हम अपने आपको नियमों की परिधि में लेकर चलेंगे। श्री शतरुद्र प्रकाश जी हमारे एक विद्वान साथी हैं, मर्मज्ञ हैं और हर विषय पर विशेषज्ञता रखते हैं । उनका इस हाउस में काफी योगदान रहता है । हो सकता है वह किसी चीज में रह जायं । 426 सदस्यों की यह विधान सभा है । कभी-कभी अपने अन्य सहोदर भाइयों को भी बोलने का मौका देना चाहिए । हो सकता है कि उनके मुख से भी कोई अच्छी बात निकल जाय । मान्यवर, आपकी भी बड़ी विडम्बना है क्योंकि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं आपको भी सबकी सुननी पड़ती है । चूंकि हमारे श्री बरार भाई भविष्य के बारे में ज्यादा चिन्तित हैं, इसलिए मैं आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं । पूर्व घोषित 26 व 28 को चुनाव होने थे, किन्तु गलती से इनका क्रान्ति रथ भी उसी दिन निकल गया, अब अगली तिथि क्या रखी गई है, उसे मैं बता रहा हूं । सहकारी संघों के चुनाव 17 जनवरी व 18 जनवरी, 1988 को होंगे जिसमें लगभग प्रदेश स्तर पर 2449 सहकारी संघ हैं, जिनमें 30 हजार प्रबन्ध समिति के सदस्य चुने जाने हैं और उनमें 20 हजार प्रतिनिधि चुने जाने हैं। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव 5 फरवरी व 6 फरवरी 1988 को सम्पन्न होने हैं, जिनकी संख्या 264 है और इनमें 3430 प्रबन्ध समिति के सदस्यगण चुने जाने हैं और 2500 के करीब प्रतिनिधि चुने जाने हैं । केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों के चुनाव 24 व 25 फरवरी, 1988 को सम्पन्न होंगे इनकी संख्या 60 है और इनमें 780 प्रबन्ध समिति के सदस्यगण चुने जाने हैं तथा 200 प्रतिनिधि चुने जाने हैं । जिला सहकारी संघों के चुनाव 20 व 21 मार्च, 1988 को सम्पन्न होंगे इनकी संख्या 52 है, इनमें 670 प्रबन्ध समिति के सदस्य चुने जाने हैं तथा 200 प्रतिनिधि चुने जाने हैं।

जिला सहकारी बैंकों के चुनाव 11 व 12 अप्रैल, 1988 को सम्पन्न होंगे । 57 जगहों पर चुनाव होने हैं, कुछ जगह तो चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, 740 प्रबन्ध समिति के सदस्य चुने जाने हैं और 700 प्रतिनिधि चुने जाने हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण चुनाव की प्रक्रिया को मैंने आपके माध्यम से आदरणीय सदन के सम्मुख रखा । कुल 11687 संस्थाओं के चुनाव होने हैं, उसमें से मान्यवर, करीब 1 लाख 7 हजार 620 प्रबन्ध मण्डल के लोग चुने जाने हैं और 153600 के करीब प्रतिनिधि चुने जाने हैं, कुछ जगह हो गये हैं और कुछ जगह चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर अनियमितताओं की वजह से चुनाव नहीं हो पायेंगे । शासन की मन्शा है कि चुनाव होने चाहिए । श्री वर्मा जी हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अनियमिततायें हैं आपने इन संस्थाओं के सचिवों के बारे में कहा, हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा और इधर-उधर बैठे हुए तमाम साथी कहते हैं सचिवों के बारे में ।

मैं सचिवों की सफाई नहीं देना चाहता हूं । वे अनियमिततायें करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और घोटाले करते हैं, जब संज्ञान में आता है तो कार्यवाही भी की जाती है । यह सचिवों की व्यवस्था इसलिये बनाई गयी थी कि सहकारी संस्था के सचिव छोटे कर्मचारी हुआ करते थे जब सहकारी आन्दोलन की श्रृंखला तय हुई । इस आधार पर उनको अवसर दिया गया कि प्रदेश की जनता, देश की जनता, जिसके लिये सहकारिता आन्दोलन समर्पित है, उसको उतना ज्ञान नहीं है और लिखने-पढ़ने में अनभिज्ञ है क्योंकि अनपढ़ है, इसलिये लेन-देन की व्यवस्था में भूल-चूक न हो जाय, अनियमितता न हो जाय, इसलिये सचिव सारे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता था । उसी प्रक्रिया की तहत सचिवों का स्वरूप बना । वे जिले की इकाई के ही लोग हुआ करते थे । बाद में शनैः शनैः जो रूप प्रदर्शित हुआ, उनमें यह प्रवाह आया । पहले यह चीज कम रही होगी, लेकिन आज समाज के स्तर में जो कुरीतियां और भ्रष्टाचार जन्म ले रहा है, उससे आज सचिव भी अछूता नहीं बचा । इसके लिये हम लोग अपने-अपने गिरेबान में झांक कर देखने का कष्ट करें । सभी लोग ऐसे मुद्दों का, जो राष्ट्र और प्रदेश के निर्माण में बाधक हैं, उसका सही ढंग से मूल्यांकन करें ।

इन संस्थाओं में अधिकारी और कर्मचारी ही प्रर्याप्त नहीं हैं । इसीलिये फोटो सिस्टम, आइडेन्टिटी कार्ड के ऊपर फोटो की व्यवस्था की गयी ताकि आदमी देखकर पकड़ा जा सके, नहीं तो जैसा आपसे कहा कि आदमी मर गया है, पैसा किसी दूसरे ने ले लिया । भाई राम शरण दास जी हमारे नेता रहे हैं उन्होंने देखा है । इसके अतिरिक्त नये सत्र से मैंने चैक सिस्टम के लिये प्रयास करके व्यवस्था की है ताकि किसानों को चैक की सुविधा उपलब्ध करायी जाय जिससे वे चैक काटकर अपनी लेनदारी व देनदारी सुनिश्चित करें । अभी सारे लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन करीब एक हजार के करीब ऐसी संस्थाओं को चैक सिस्टम दिया गया है । इसके बाद आने वाले सत्र में जून तक अगर यह व्यवस्था ठीक चली तो मैं प्रदेश के सारे विकास केन्द्रों पर चैक की व्यवस्था कर रहा हूं जिससे वह स्वयं चैक काटकर स्वयं अर्जन करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप सीमित करें, आपको बाद में भी मौका मिलेगा ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं समाप्त कर ही रहा हूं ।

तो यह व्यवस्था इसी आधार पर की गयी कि अनियमितताओं पर नियंत्रण पाया जाय । और जो बातें कही जाती हैं, सहकारी आन्दोलन में और भी तमाम साथी रहे हैं और उनके क्रिया-कलाप से मैं परिचित हूं, सहकारी संस्थायें भी इस बात की गवाह हैं । आपके माध्यम से सारे साथियों को इस बात से अवश्य आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस साल के अन्दर जो कार्यकलाप किया है, सूखे की स्थिति में जो कनवर्जन की व्यवस्था की गयी है, जिससे किसान लाभान्वित हों और कर्ज पुनः मिल सके । मान्यवर, इस सत्र में उरर्वक का विवरण दुगुना कर दी गयी है और दुगुना से ज्यादा लोनिंग कर दी गयी है । यह सारी चीजें प्रदेश के सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिये की गयी है। आप तो सिर्फ यही कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि क्या-क्या हुआ है । आपकी बात को प्रदेश की जनता मानने के लिये तैयार नहीं है । जनता जो है वह देश और प्रदेश की प्रगति को देख रही है । आपको खुलेमन से बहस करनी चाहिये और जनता की वकालत में सभी को जुटना चाहिये । मान्यवर, प्रदेश की और देश की बढ़ती हुई जन संख्या के निदान के लिये हमको और आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसका कोई सही विकल्प खोजना चाहिये । मान्यवर, इनके अन्दर कोई नीति नहीं है, 5 साल के लिये यह आये और ढाई साल में इसीलिये चले गये, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है । आज बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिये चुनौती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार पर लांछन लगाना उचित नहीं है, यह ऐसा इसलिये करते हैं कि अपना मुखौटा छिपाना चाहते हैं । सूखे की स्थिति में प्रदेश की जन समस्याओं को हल करना चाहिये, लेकिन तमाम तरह की अव्यवस्था पैदा की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अरुण कुमार सिंह–

तो मान्यवर, प्रगति और विकास के लिये विरोध नहीं करना चाहिये । आपको किसी नीति पर चलकर विरोध करना चाहिये, केवल विरोध करने के लिये विरोध नहीं करना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अभी आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब बोल लेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको स्पष्टीकरण का मौका दूंगा, लेकिन प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए । आधा घण्टा हो रहा है, 10 मिनट केवल बढ़ाया गया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरी बात सुन लें । मेरा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उसको नियमावली के अनुसार प्राथमिकता मिलनी चाहिए । परिचालित करने का प्रस्ताव पहले लिया जाता है और मैंने इसको रखा है प्रवर समिति का बाद में लिया जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को परिचालित किया जाय, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि जब माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण प्रारम्भ किया तो मुझे कुछ आशा बंधी कि वे वाकई में लोकतंत्र के अनुसार इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं । मैंने जो संशोधन रखा है वह एक सिद्धान्त पर रखा है । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के विधेयक जो 6 महीने का समय मांगते हैं और दस-दस बार रिपीट होते हैं ठीक नहीं है । 5 साल से 7 साल से । कई ऐसी भी संस्थाएं हैं जो जन्म से ही जिनका आज तक चुनाव नहीं हुआ है । दसियों सरकारी गन्ना फैक्ट्रियां, वह भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं उनमें कभी भी चुनाव नहीं हुआ है । आप किस दावे से कहते हैं कि आप लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। मान्यवर, मेरे संशोधन रखने का उद्देश्य यह है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि यह संशोधन आज दसवीं-बारहवीं दफे आया है कि समय बढ़ा दिया जाय । इसलिए यह लोकतंत्र को स्थापित करने का परिचायक नहीं है, उसकी हार का परिचायक है। . . . (व्यवधान) । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री इन्हें आचरण सिखा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में समाप्त कर लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रि-मंडल के अन्दर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं । जैसे 8 दिसम्बर को चुनाव की बात कही गयी थी लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया क्योंकि कई विधायक जिनके चमचों का नामिनेशन उसमें नहीं हुआ था, उन्होंने मुख्य मंत्री से कहकर चुनाव हटवा दिए । कई बार चुनाव की घोषणा करके उसको टाल दिया गया और इस तरह से बार-बार लोकतंत्र की भ्रूण हत्या सरकार ने की है । मुझे आज भी विश्वास नहीं है क्योंकि साधन सहकारी संस्थाओं के चुनाव करा भी दिए हैं और शीर्षस्थ संस्थाओं के चुनाव ये करा देंगे ऐसा नहीं होगा। अभी परसों ही गन्ना फेडरेशन की संस्था के चुनाव स्थगित करा दिए ताकि उसके मतदाताओं को खरीदा जा सके । फिर भी जब आज उसके चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हुए तो किसानों के प्रतिनिधियों ने अपना नुमाइन्दा चुना । आप ये चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि आप लोकतंत्र इन सहकारी संस्थाओं में नहीं स्थापित करना चाहते हैं या आपके सरकारी चमचे इनमें नहीं जीत सकते । अगर आप विश्वास करते हैं कि सहकारिता इस प्रदेश की प्रगति का माध्यम बनेगा. . . (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । 10 मिनट में समाप्त करना है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मंत्री जी को भी रोक दिया था ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री यदि सीरियस हैं कि यहां पर लोकतंत्र स्थापित हो तो आज आप जो संशोधन विधेयक लाये हैं उसमें एक धारा और जोड़ दें कि इन सहकारी संस्थाओं का चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाया जायेगा जो शासन के आदेशों पर, सहकारिता मंत्री और रूलिंग पार्टी की मर्जी पर मुनहस्सर नहीं होगा बल्कि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्ण होने के साथ ही नए चुनाव करा देगा । अगर आप यह प्राविधान कर दें तो मैं पहला आदमी हूंगा जो आपके इस विधेयक का समर्थन करेगा । अगर आप वास्तव में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर दें। लेकिन जो सिद्धान्त आपने आज बनाया है, करोड़ों रुपया सहकारी गन्ना फैक्ट्रियों में किसानों का शेयर जमा है, करोड़ों के उनके गन्ने की उनमें खपत है लेकिन चुनाव आज तक नहीं हुए हैं । अगर आप यह घोषणा कर दें कि 6 महीने के अन्दर अवश्य हम चुनाव करा देंगे तो हम इसे सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार हैं । . . . (व्यवधान) । अगर आप यह सारा काम करने के लिए तैयार हैं तो मैंने जैसा कि आपसे कहा मैं भी इसका समर्थन करूंगा और आपका नाम सहकारिता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा नहीं तो जो आप कर रहे हैं उन कारनामों के लिए काली से काली स्याही की जरूरत पड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बरार जी अब आप बिराजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप प्रस्तुत कर चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अभी तो मैंने प्रस्ताव रखा है मुझे अपनी बात कहनी है। मान्यवर, आज शंका व्यक्त की जा रही है कि यह चुनाव नहीं करायेंगे । इन्होंने जो हाउस में चुनाव कराने की प्रक्रिया की घोषणा की उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन वह इमानदारी से कह दें कि जब ये चुनाव कराना चाहते हैं तो फिर इस विधेयक को क्यों लाये। हम इसलिये इसका विरोध कर रहे हैं कि कई बार चुनावों की घोषणा करने के बाद भी चुनाव नहीं हुए और लोगों को अब विश्वास नहीं है कि यह चुनाव करायेंगे। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक ब्लॉक में नामिनेशन दाखिल करने के लिए कोई व्यक्ति इसलिए नहीं आया कि उसको मालूम है कि यह चुनाव नहीं करायेंगे इसलिए वहां किसी ने नामिनेशन दाखिल नहीं किया। जब कोई बात बार-बार कही जाती है और फिर वह पूरी नहीं होती है तो फिर उस पर विश्वास नहीं रह जाता है। तो इस तरह से जहां पर चुनाव के लिए नामिनेशन नहीं हुए हैं आप

कहें कि वहां पर भी चुनाव करायेंगे। मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करता हूं लेकिन वह अपनी बात कहते कहते स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय एकीकरण तथा पूरे बजट पर भाषण कर गये। मान्यवर, मेरी इस पर बहस करने की इच्छा नहीं थी लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आपके सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है आपने एक बात सही कही उसमें आप हम सब शरीक हैं। लेकिन आप ईमानदार तब होते जब भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए जो भ्रष्ट से भ्रष्टतम लोग प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं उनको हटाते और उनको हटा कर दूसरे लोगों को उसमें रखते। तो क्या ऐसे ही प्रशासकों से सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार खतम होगा।

मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि जितने भी प्रशासक नियुक्त हुए हैं उनमें से 80 प्रतिशत लोग बेईमान और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं यह सत्यता है। इस बात को आपके ही विभाग के पूर्ववर्ती मंत्री काशीनाथ मिश्र जी ने इसी हाउस में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है जब सहकारिता विभाग के मंत्री बच्चा पाठक थे उन्होंने 95 प्रतिशत अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को प्रशासक नियुक्त किया है और उनको वह हटा नहीं सकते हैं। यह बात उन्होंने मानी है। श्रीमन, आप ठीक हैं आपके राज्य मंत्री भी ठीक हैं लेकिन आप क्या कर पायेंगे। जब आपके नीचे के लोग बेईमान हैं। आपने एक भी प्रशासक को हटाने का कोई कार्य नहीं किया है। जो भी बात आप करते हैं उसको वह उलट देते हैं आप चाहे कितनी घोषणा करें प्रशासक अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। अगर आप इसकी घोषणा करते हैं तो मैं अपने संकल्प को वापस ले लूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चुनाव आप करायेंगे, इसमें आशंका है। हम कुछ समय पहले मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलने गए थे जिसमें माननीय रेवती रमण सिंह, मा0 मुलायम सिंह तथा पांच छः विधायक थे मैं स्वयं उसमें था तो मुख्य मंत्री जी जी से पूछा कि क्या आप सहकारिता के चुनाव कराने जा रहे क्या इस वर्ष वह हो जाएंगे तो वह कहते हैं "चुनाव हो रहे हैं क्या" तो जब मुख्यमंत्री जी को ही नहीं मालूम कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं फिर जनता को कैसे पता चलेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं सामने उनसे पूछ लीजिए उन्होंने कहा था कि "चुनाव हो रहे हैं क्या" इस लिए मुझे आशंका है कि मुख्यमंत्री जी जो बराबर चुनाव को टलवाना चाहते हैं उसमें हमको डर है कि बेईमान और अपराधी प्रशासक, जो घुटाला करने वाले सचिव हैं, वह तमाम लोगों से पैसा वसूल करके कहीं जो लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी जो चल रही है उसमें दुरुपयोग तो नहीं करने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ हम और आप जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए आप चुनाव करावें तथा बेईमान प्रशासकों को समझायें। इन शब्दों के साथ अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव –

समाचार पत्रों में छप गया था कि 6 महीने तक चुनाव बढ़ गये, क्या यह सही है (व्यवधान) हमारे क्षेत्र में क्या चुनाव करायेंगे।

श्री मित्रसेन –

बैंकों के प्रशासक ट्रान्सफर-इन्ट्री में लाखों रुपये कमाते हैं, तो उन पर कोई अंकुश लगायेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय जयदीप सिंह बरार एवं श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने अपने संकल्प और संशोधन के माध्यम से कहा जिसको मैंने सुना । अन्य माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं तो मैं बताना चाहता हूं कि मार्च में जो ट्रान्सफर इन्ट्री होती है उसमें प्रशासकों को कोई दायित्व नहीं होता है । श्री राम गोविन्द चौधरी ने जो कहा-प्रशासक के संबंध में तो जो जानकारी में आता है, यदि कोई प्रशासक सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया गया और आप जैसे यहां आ गये लेकिन यदि उल्टा सीधा कोई काम कर जाता है और जानकारी में आता है तो उसको हटा दिया जाता है । जनतंत्र में आप मुखिया हैं और समर्थक हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, संस्थायें बिना प्रशासक के नहीं रह सकती हैं, इसलिए यह बिल लाया गया है । मैंने प्रयास किया कि श्री बरार जी को समझा दूं लेकिन वह तैयार नहीं हैं, चूंकि संगत का स्वभाव तो आ ही जाता है, इसलिए फर्क पड़ जाता है, अब इनको जनता का कोई ख्याल नहीं है, विदेशी एजेंसी का उनको अब बहुत ख्याल है । (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर यह विदेशी एजेन्सी से सम्बन्धित होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं. . . (घोर व्यवधान) इसे यदि यह सिद्ध कर देते हैं तो मैं इस सदन से इसी समय त्याग पत्र दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह–

मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि यह इनके इतने तालमेल में है । आप अपना प्रमाण-पत्र विदेशी दस्तावेज में तय करना चाहते हैं. . . ''व्यवधान'' आपको इस देश की न्याय-पालिका में विश्वास नहीं है। यह आपकी मानसिकता है। अपने देश और प्रदेश पर तो आपने विश्वास कर लिया है, लेकिन. . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी नहीं कह सकते कि मैं विदेशी प्रमाण-पत्र लेना चाहता हूं । मैंने ऐसा प्रमाण-पत्र न तो लिया है और न मुझे आवश्यकता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह–

उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने यह कहा है, यदि बरार साहब को इसमें कोई बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने कह दिया है, आपने सुना नहीं है।

श्री अरुण कुमार सिंह–

मैं क्षमा चाहता हूं, यदि मेरी बात में कोई बुराई उन्हें नजर आई है, लेकिन तथ्य से परे होकर यहां कोई बात नहीं हो सकती है। (घोर व्यवधान-श्री जयदीप सिंह बरार अपने सीट से आगे की सीट पर आकर बोलने लगे)

श्री अरुण कुमार सिंह–

यह स्वंय जिसकी शहादत दे रहे हैं, जहां सारे समीकरण पैसे एवं विदेशी एजेन्सियों के आधार पर तय करने का संकल्प लिया जा रहा है । यह आशंका दिल में है, इसलिए मैंने इनके बारे में कहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसपर मंत्री जी ने कह दिया। वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसलिए नहीं है कि मंत्री जी ने उसे क्लेरीफाई कर दिया है. . . . (घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

इस पर इनको आपको सुनना ही पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था के सवाल पर मैंने निर्णय दे दिया है, अब कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री जयदीप सिंह बरार से) आप बैठिये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा। आप नियमों के ज्ञाता हैं। मेरी बात सुन लीजिए। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि सदन की कार्यवाही के दौरान यदि किसी सदस्य पर आरोप लगाया जाता है . . . (व्यवधान) नियमों के विपरीत तो उसे कार्यवाही से निकाला जायगा कि नहीं। अभी भी मंत्री कह रहे हैं कि उनके दिल में मेरे बारे में इस विषय पर आशंका थी इसलिये कह दिया। तो उसकी व्यवस्था 289 "क" में है। अगर कोई आरोप लगाना था तो उस आरोप की एक प्रति मुझे तथा एक माननीय अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

मान्यवर, जैसे इन्होंने आरोप लगाये ऐसे मैं भी कह रहा हूं कि विदेशी एजेन्सी से यह संबंधित हैं तो आप भी उसको कार्यवाही से नहीं निकलवा पायेंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी बड़ा ज्ञानपूर्ण भाषण दे रहे थे, वह मेरे भाषण के बारे में कटु से कटु शब्द कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह मेरी देशभक्ति पर संदेह करेंगे, तो मैं भी उनकी देश भक्ति पर संदेह कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह–

माननीय सदस्य की देश भक्ति के बारे में या इनकी नागरिकता के बारे में, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा अगर कोई बात इन्हें बुरी लग गई तो मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे मान्यवर, मैंने इन्हें विदेशी एजेंसी का एजेन्ट नहीं कहा, जैसे इन्हें शंका हुई तो इन्होंने पूरा संशोधन ला दिया तो मैंने भी उसमें शंका में कह दिया। मुझे मालूम है यह किसकी वकालत में बोल रहे हैं। क्योंकि (व्यवधान) विश्वास न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका पर नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया में सारे लोग सक्षम हैं जिलाधिकारी जो होता है वह चुनाव अधिकारी होता है उससे जुड़े सब अधिकारी चुनाव की प्रक्रिया में शिरकत करते हैं। (घोर व्यवधान) मान्यवर, माननीय माता प्रसाद जी हमारे विद्वान सदस्य बैठे गरदन हिला रहे हैं तो मान्यवर मेरा निवेदन यह है मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कल रेडियो के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया घोषित करवाई है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, चुनाव प्रक्रिया हर स्तर पर पूरी करने के आदेश दिए जा चुके हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को समस्त सहकारी समिति के सदस्यों की राय जानने के लिए 31 मार्च, 1988 तक परिचालित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत के गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 14 दिसम्बर, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2––उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988' रख दिए जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन।

3––मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1988" रख दिए जायेंगे। — धारा 35 का संशोधन

4––(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है खण्ड 2 से खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के . .

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

प्रश्न तो उपस्थित करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 25 पर आयेगा तो अलहदा लिया जायगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय 8 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, सूखे पर चर्चा का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अभी सदन को सूचना देने जा रहा हूं ।

विशेषाधिकार हनन् तथा सदन की अवमानना के मामले में श्री अध्यक्ष का निर्णय

समय–8.50

श्री उपाध्यक्ष–

विशेषाधिकार अवहेलना के मामले में श्री हर्षवर्धन, सदस्य, विधान सभा के दिनांक 4 नवम्बर, 1986 को जिला कारागार, गोरखपुर के अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी। इसी प्रसंग में माननीय सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1986 द्वारा जिला कारागार, गोरखपुर से उनकी रिहाई की सूचना माननीय अध्यक्ष को विलम्ब से प्रेषित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की। माननीय श्री हर्षवर्धन की सूचना तथा उसके संबंध में शासन के संबंधित अधिकारियों से प्राप्त किये गये स्पष्टीकरण पर समुचित विचारोपरान्त माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 22-8-87 को यह मामला जांच एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष ने सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परंतुक के अन्तर्गत इस मामले में समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय भी दिनांक 31 मार्च, 1988 तक बढ़ा दिया है।

माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार के एक अन्य मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को थाना अचलगंज, उन्नाव के पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री विश्राम सिंह तथा कतिपय अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सदन की कथित अवमानना की सूचना दी थी। इसी दिन, अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को यह मामला सदन में भी उठाया गया था जिस पर माननीय मुख्य मंत्री ने सी0 आई0 डी0 से जांच करवाने का आश्वासन दिया था। तदनुसार शासन के पत्र दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 के माध्यम से इस मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी गयी जांच के परिणाम से मुझे अवगत कराया गया है। इस जांच के अनुसार उप निरीक्षक श्री विश्राम सिंह (जिनकी दिनांक 18-2-87

को एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है।) और 2 अन्य कांस्टेबुलों द्वारा विधायक महोदय के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः प्रश्नगत मामले में सदन की कथित अवमानना की शिकायत के प्रसंग में मैं इस मामले की जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त सदन की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है और अन्य सब अस्वीकार की गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, क्या सूखे पर चर्चा शुरू होगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आज का एजेण्डा पूरा हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

31 दिसम्बर, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 38(2) के ता0प्र0स0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)
सुरक्षा कर्मियों को दिए गए भवनों/भूखण्डों की वर्षवार तालिका

योजना का नाम	वर्ष	भवन	भूखण्ड
1	2	3	4
अलीगंज योजना ..	1982–83	..	06
	1983–84	02	..
	1984–85	03	13
	1985–86	..	..
	1986–87	..	..
	योग ..	05	19
कानपुर रोड योजना ..	1982–83	..	02
	1983–84	..	..
	1984–85	10	06
	1985–86	08	09
	1986–87	..	03
	योग ..	18	20
सीतापुर रोड ..	1982–83	..	..
	1983–84	..	..
	1984–85	..	03
	1985–86	..	26
	1986–87	01	..
	योग ..	01	29
हाता लक्ष्मण दास ..	1982–83	01	..
	1983–84	..	..
	1984–85	..	..
	1985–86	..	..
	1986–87	..	..
	योग ..	01	..
गोमती नगर योजना ..	1982–83	..	..
	1983–84	20	16
	1984–85	26	21
	1985–86	1	17
	1986–87	..	5
	1987–88	1	4
	योग ..	48	63
टिकैतराय योजना ..	1986–87	3	..

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ख'

(देखिए ता0 प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों का संक्षिप्त विवरण

(1) क्लोरीन की मात्रा 0.5 पी0 पी0 एम0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किन्हीं परिस्थितियों में जल संस्थान द्वारा आवश्यक समझा जाय कि पानी में क्लोरीन की मात्रा अधिक दी जानी है, तो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को पानी प्रयोग करने के लिये सावधानियां जो उनके द्वारा जल प्रयोग करने से पूर्व की जानी है, अवगत कराया जाय।

(2) इसके मिलाने के लिए वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर यान्त्रिक व्यवस्था की जानी चाहिये।

(3) क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी, कम प्रेशर, पाइप लाइन लीकेज अथवा जल बिल्कुल उपलब्ध न होने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच अविलम्ब कराकर निपटारा किया जाय।

(4) जहां सीवर लाइन पाइप लाइन एक साथ चल रही है, उनके लीकेज होने पर इस बात का ध्यान रखा जाय कि जल प्रदूषित न होने पावे।

(5) जल संस्थान के सभी संस्थानों में प्रवेश बिना अनुमति नहीं होनी चाहिये।

(6) अगले 15 वर्षों में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पानी की आपूर्ति पूर्ण करने हेतु विस्तृत योजना बनायी जाय।

(7) स्टैण्ड पोस्टों की मात्रा कम की जाय जिससे नगर में प्रेशर ठीक रहा करे। स्टैण्ड पोस्टों के चारों ओर पक्के चबूतरे बनाकर निकासी की व्यवस्था की जाय।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0स0–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

बिधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–8 के उत्तर का संलग्नक।

सूची

क्रम-सं0	कर्मचारी का नाम	माह जिसका वेतन रोका गया	माह जिसमें भुगतान किया गया
1	2	3	4
वर्ष 1985–86			
1	श्री राम करन चौधरी	9-85, 1-86	
2	श्री सत्यराम चौधरी	9-85	12.85
3	श्रीमती सहदेई देवी	10-85	
4	श्रीमती सावित्री देवी	10-85, 11-85	
5	श्रीमती सावित्री पाण्डेय	10-85, 11-85, 1-86	
6	श्रीमती शारदा	10-85	
7	श्रीमती निर्मला	10-85, 1-86	
8	श्री राम शब्द पाण्डेय	10-85	5-86
9	श्री राम नयन	10-85, 11-85	5-86
10	श्री राम करन चौधरी	10-85, 11-85	5-86
11	श्री राम रतन	10-85, 11-85	5-86
12	श्री लालता प्रसाद	10-85, 11-85	5-86
13	श्री जगदीश पाल	10-85	5-86
14	श्रीमती इन्द्रावती	10-85	12-85
15	श्रीमती गीता	12-85	
16	कु0 विजय लक्ष्मी	12-85	
17	श्रीमती मोहिनी सेठी	12-85	
18	श्रीमती मीना कुमारी	12-85	
19	श्रीमती आर0 पी0 गौड़	1-86	
20	श्रीमती देवमती	1-86	
21	श्रीमती कमला शुक्ला	1-86	
22	श्रीमती विजय लक्ष्मी	1-86	
23	श्रीमती सरोज बी0	2-86	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2		3	4
24	श्रीमती इन्द्रावती	..	3-86	
25	श्रीमती नीरी	..	1-86	
	वर्ष 1986–87			
26	श्रीमती इन्द्रावती	..	4-86	9-86
27	श्रीमती एस0एम0एस0 रिजवी		5-86 से 9-86	10-86
28	श्रीमती चन्द्रकला	..	7-86	5-87
29	श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय	..	7-86	9-86
30	श्रीमती आर0पी0 गौड़	..	7-86	9-86
31	श्रीमती जोखना देवी	..	7-86, 10-86, 8-86	6-87 (केवल माह 8-86 का)
32	श्रीमती पी0डी0 चौधरी	..	7-86	9-86
33	श्रीमती विद्यावती सिंह	..	11-86 से 1-87	5-87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0–27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

संलग्नक

आलमबाग क्षेत्र मे लगाई गयी नई ट्यूब फिटिंग का विवरण

क्रम-सं0	स्थान का नाम	ट्यूब फिटिंग की संख्या
1	शिव शान्ती आश्रम	06
2	इन्द्र लोक	02
3	प्रेम नगर	03
4	कृष्णा नगर	07
5	कैलाशपुरी	04
6	सुजानपुरी	03
7	किसान डेरी	02
8	स्नेह नगर	03
9	जयप्रकाश नगर	08
10	जेल रोड कैलाशपुरी	13
11	ओम नगर	03
12	भोला खेड़ा	02
13	पकरी रोड	04
14	भीम नगर	02
15	पवन पुरी	01
16	पकरी रोड	01
17	पितम्बर खेड़ा	01
	योग ..	65

जिन स्थानों पर बल्ब, ट्यूब लाइटें लगाई गयी हैं, उनका विवरण निम्नवत् है—

क्रम-सं0	स्थान का नाम	बल्ब	ट्यूब लाइट
1	2	3	4
1	विजय नगर, कृष्णा नगर, इन्द्रलोक कालोनी ..	30	85
2	भोला खेड़ा, जाफर खेड़ा	15	35
3	सिगार नगर, चित्रगुप्त नगर, राम नगर	15	85
4	पूरम नगर, प्रेमनगर	15	35
5	गुरु नानक नगर	15	35
6	स्नेह नगर, शमशान घाट	15	35
7	कैलाशपुरी, गीता पल्ली, हस्तीनापुर	15	35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	4
8	सम्मर खेड़ा, बरगवा	..	..	15	35
9	चन्दर नगर	..	..	15	35
10	पकरी रोड, आजाद नगर, मधुबन नगर	..	..	15	35
11	जय प्रकाश नगर, नटखेड़ा, बाई लेन	..	..	15	35
12	मिलावां रोड, ओम नगर	..	..	15	35
13	कुरियाना, सुजान पुरा रोड	..	..	15	35
14	छोटा बरहा, बड़ा बरहा	..	..	15	35
15	नया तथा पुराना सरदारी खेड़ा	..	..	15	35
16	आदर्श नगर	..	..	15	35
17	आनन्द नगर, जेल रोड	..	..	15	35
18	रामगढ़ कालोनी, बाल्दा रोड	..	..	15	35
19	कानपुर रोड, बाईलेन, किसान डेरी, अमरूदही बाग		..	15	35
		योग	..	300	765

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

संख्या : 4220/11-5-87-200 (137)/87

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊ, दिनांक 9-9-1987

विषय:–लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखमऊ के नियंत्रण में किराया पद्धति पर निर्मित कालोनियों के आवंटियों की मृत्यु की दशा में उसकी विधवा पत्नी/पुत्रों/विधवा पुत्री के नाम में भवन के आवंटन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के नियंत्रणाधीन किराया पद्धति पर निर्मित कालोनियों में यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भवन को पूर्व में आवंटित शर्तों पर उसकी विधवा पत्नी/पुत्र/विधवा पुत्री आदि उसके साथ रहते हो, तो उनके नाम आवंटित किया जाय ।

भवदीय,
ह0/–
शंकर अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

संख्या-4220 (1)/11-5-87-तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि श्री के0 एन0 सक्सेना, अध्यक्ष, लायरेंशटेरेश एसोसियेशन कार्यकारिणी समिति लखनऊ को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
ह0–
शंकर अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0–48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

जनपद सीतापुर, लखीमपुर एवं हरदोई में मण्डी परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों में निर्मित मार्गों की सूची

क्रम-सं0	वर्ष	जनपद	मार्ग का नाम	ठेकेदार का नाम
1	85–86	हरदोई	हरदोई मण्डी में आन्तरिक सड़क	मेसर्स मित्तर सेन शर्मा
2	85–86	लखीमपुर	मोहम्मदी से खरिया घासी	श्री सुशील कुमार
3	85–86	लखीमपुर	औरंगाबाद से पकरिया रोड	श्री सुशील कुमार
4	85–86	लखीमपुर	बिलहरी से कैमहरा	मेसर्स धीरेन्द्र पाल ब्रिक एण्ड कं0।
5	85–86	लखीमपुर	अहमदनगर से मूरासरकटा रोड	मेसर्स योगेन्द्र पाल ब्रिक फील्ड।
6	85–86	लखीमपुर	मझगई से चौखटा फार्म	मेसर्स योगेन्द्र पाल ब्रिक फील्ड।
7	85–86	लखीमपुर	भदेर से रायपुर	मेसर्स योगेन्द्र पाल ब्रिक फील्ड।
8	85–86	लखीमपुर	रंगीला नगर से अमृतागंज 0 से 1.10 किमी0।	मेसर्स सीताराम श्री चन्द्र
9	85–86	लखीमपुर	रगीला नगर से अमृतागंज 1.10-से-2.20 मी0।	मेसर्स धीरेन्द्र पाल सिंह एण्ड कं0।
10	85–86	लखीमपुर	लखीमपुर मण्डी अन्तरिक मार्ग	मेसर्स धीरेन्द्र पाल सिंह एण्ड कं0।
11	85–86	लखीमपुर	गोला मण्डी आन्तरिक मार्ग	मेसर्स बी0एम0 बिल्डर्स
12	86–87	लखीमपुर	रेलवे स्टेशन से बिलरायां	मेसर्स बी0एम0 बिल्डर्स
13	86–87	सीतापुर	लकरियामऊ से नीमसार	श्रीराम नारायण त्रिवेदी
14	86–87	सीतापुर	खजुआ से रिछीग	मेसर्स महेन्द्रा एण्ड क0
15	86–87	सीतापु	कुरका से ककहरा	श्री अय्यूब खां
16	86–87	सीतापुर	मतुआ से मरसण्डा	मेसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन
17	86–87	सीतापुर	कुंवरपुर से खानीपुर	श्री राम नारायण त्रिवेदी
18	86–87	हरदोई	सिद्धबाबा से भज्जा पुरवा	मेसर्स नम्रता कंस्ट्रक्शन
19	86–87	हरदोई	कुरसेली से सिगुलापुर	श्री अंजनी कुमार
20	86–87	हरदोई	पीलूमान खेरा से गोपामऊ	श्री हरी सुन्दर मिश्रा
21	86–87	हरदोई	शेखनपुरवा से खंज्जनपुर	मेसर्स बाजपेयी कंस्ट्रक्शन
22	86–87	हरदोई	औलादगंज से गर्रा नदी ब्रिज	श्री उदयबीर सिंह
23	86–87	हरदोई	रूपापुर से धौरलिया 1.50 कि0मी0 से 3.00कि0मी0	श्री अजहर हुसैन
24	86–87	लखीमपुर	बलनिया बरबर से बरवारी 0 से 1.00 कि0मी 0।	श्रीमती शशी देवी

1	2	3	4	5
25	86–87	हरदोई	रूपापुर से धौरवलिया 0 से 1.50 कि0मी0।	श्री उदयबीर सिंह
26	86–87	लखीमपुर	बलनिया बरबर से बरवारी 2.00 से 3.7 कि0मी0।	मेसर्स योगेन्द्र पाल ब्रिक फील्ड।
27	86–87	लखीमपुर	बलनिया बरबर से बरवारी 3.70 से 5.40 कि0मी0	मेसर्स योगेन्द्र पाल ब्रिक फील्ड।
28	86–87	लखीमपुर	बलनिया बरबर से बरवारी 1.00 से 2.00 कि0मी0।	श्री भोला नाथ
29	86–87	लखीमपुर	मोहम्मदी बरबर रोड से बहादुर नगर 0.065 कि0मी 0।	श्री भोलानाथ
30	86–87	हरदोई	हरदोई मण्डी से आन्तरिक मार्ग	श्री हरी सुन्दर मिश्रा
31	87–88	हरदोई	कुरसेली से सिंगुलापुर	मेसर्स अकुर कस्ट्रक्शन
32	87–88	लखीमपुर	रंगीला नगर से अमृतागंज 2.0 से 3.4 कि0मी0।	मेसर्स शंकर कस्ट्रक्शन
33	87–88	लखीमपुर	पलिया में आन्तरिक सड़क	मेसर्स आनन्द बिल्डर्स
34	87–88	लखीमपुर	गोला में आन्तरिक सड़क	मेसर्स सीताराम श्रीचन्द्र

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-72 व उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

भूमि स्परक्षण इकाई गरौठ द्वारा वर्ष 85-86 में निम्न ग्रामों में भूमि संरक्षण का कार्य कराया गया :

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम
1	बचेरा	13	बेछेह
2	चुरारी	14	बंका पहाड़ी
3	लारौनी	15	रधौली
4	डोडिया	16	गढ़वई
5	करनपुरा	17	भदरवारा
6	सिवों	18	जखौरा
7	भसनेह	19	नुनार
8	आमली	20	वरगांव
9	परसुआ	21	शोला
10	भौमई	22	दुरखुरू
11	बसा	23	निमगहना
12	माधौपुरा	24	रैपुरा
		25	झिझिरिया अहरोरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भूमि सरक्षण इकाई मरोठा द्वारा वर्ष 86–87 में निम्न ग्रामों में भूमि संरक्षण कार्य कराया गया।

क्रम-सं0	ग्राम का नाम	क्रम-सं0	ग्राम का नाम
1	2	1	2
1	वचेरा	22	सेमरी
2	लरौनी	23	केदारताई
3	करनपुरा	24	बरमापुर
4	सिवो	25	अस्ता
5	वछेह	26	अतरसुआ
6	दुरबुरू	27	अडजरा
7	वरगांव	28	टोला
8	परसुआ	29	जसवन्तपुरा
9	बंका पहाड़ी	30	इन्दो
10	भसनेह	31	परैनियां
11	नुनार	32	सरसेढा
12	निगमहना	33	बंगरा बिरौना
13	शीला	34	सुजानपुरा
14	वीरपुरा	35	निवूजा
15	रघौली	36	स्किल
16	जखौरा	37	बसारी
17	गढवई	38	कुरैठा
18	भदरवारा	39	सिंगार
19	झिझिरिया अहरोरा	40	मुटटा
20	चौकरी	41	गौती
21	मैगांव	42	नागर
		43	भडोखार

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित श्री सुखपाल पाण्डे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का संलग्नक

क्रम-सं0	मद	स्वीकृत धनराशि	अप्रयुक्त धनराशि
1	2	3	4
1	वेतन	1,97,18,093	..
2	मंहगाई भत्ता	1,41,39,998	9,20,564
3	यात्रा व्यय	7,03,795	..
4	अन्य भत्ते	13,36,677	..
5	कार्यालय व्यय	23,40,589	1,19,166
6	टेलीफोन पर व्यय	12,4008	4,163
7	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	6,59,069	2,05,648
8	औषधि	23,89,920	1,58,558
9	एक्सरे फिल्म	75,000	..
10	सर्जिकल ड्रेसिंग	3,03,500	..
11	वस्त्र बिस्तर	2,47,900	38,008
12	साज-सज्जा	9,37,48[illegible]	..
13	आहार	3,30,000	68,376
14	प्रकीर्ण/अन्य व्यय	63,16,669	11,92,479
15	निर्माण कार्य भवन मरम्मत	11,61,100	85,844
16	छात्रवृत्ति	22,43,300	15,57,555
17	किराया/उप शुल्क	5,80,279	3,70,192
18	माल सम्पूर्ति	20,54,000	17,89,229
19	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की स्थापना ..	35,366	
20	आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय की स्थापना।	1,50,000	
	योग ..	5,57,35,143	65,09,779

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 316 विधान सभा (578)-1988--813 ।